सप्तम सभा, खंड 48 अंक 42 मंगलवार, 24 अप्रैल 1984/4 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha

(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 24 अप्रैल, 1984/4 वैशाख, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 2, पंक्ति 22, "श्री पी० जे० कुरिपन" के स्थान पर "श्री पी० जे० कुरियन" पढ़िए।

पृष्ठ 6, पंक्ति 26, "श्री जगन्नाथ कौसल" के स्थान पर "श्री जगन्नाथ कौशल" पढ़िए।

पृष्ट 25, अंतिम 2 पंक्तियां, 109 के सामने "पश्चिम बंगाल" अंत: स्थापित कीजिए और 110 के सामने लिखे "पश्चिम बंगाल" का लोप कीजिए।

पृष्ठ 26, पंक्ति 20, "श्री अनन्त रामुलु मल्लु" से पहले ता० प्र० सं० "*786" अंत: स्थापित कीजिए।

पृष्ठ 40, नीचे से पंक्ति 5, "उमक्रम" के स्थान पर "उपक्रम" पढ़िये।

पृष्ठ 42, पंक्ति 15, "बिजली" के स्थान पर "दिल्ली" पढ़िये।

पृष्ठ 43, पंक्ति 12; 15 और 16, "फायर बले" के स्थान पर "फायर क्ले" पढ़िये।

पृष्ठ 46, पंक्ति 18, "एस्टाब्लिमेट्स" के स्थान पर "एस्टाब्लिशमेन्ट्स" पढ़िये।

पृष्ठ 50, पंक्ति 3, "अं० प्र० सं० "802" के स्थान पर "8502" पढ़िये।

पृष्ठ 52, पंक्ति 14, "गूहों को" के स्थान पर "गृहों की" पढ़िये।

पृष्ठ 53, पंक्ति 25, अं० प्र० सं० "808" के स्थान पर "8508" पढ़िये।

पृष्ठ 55, नीचे से पंक्ति 5, "भारतीय" के स्थान पर "भारती" पढ़िये।

पृष्ठ 56, पंक्ति 22, "मोहम्मद खां" के स्थान पर "मोहम्मद खां" पढ़िये।

पृष्ठ 66, पंक्ति 10, "डा० प्रताप बाघ" के स्थान पर "डा० प्रताप बाग" पढ़िये।

पृष्ठ 72, नीचे से पंक्ति 4, "सत्यनारायन" के स्थान पर "सत्यनारायण" पढ़िये।

पृष्ठ 76, पंक्ति 7, "2" के स्थान पर "27" पढ़िये।

पृष्ठ 77, पंक्ति 24, "श्री राम बिहारी बहेरा" के स्थान पर "श्री रास बिहारी बहेरा" पढ़िये।

पृष्ठ 93, पंक्ति 1, संख्या "50 प्रतिशत" के स्थान पर "40 प्रतिशत" पढ़िये।

पृष्ठ 96, पंक्ति 12, "टयूबो" के स्थान पर "ट्यूब्रो" पढ़िये।

पृष्ठ 106, पंक्ति 10, "मंत्रालय" के स्थान पर "मंत्रालय के" पढ़िये।

पृष्ठ 108, पंक्ति 12,प्र० संख्या "577" के स्थान पर "8577" पढ़िये।

पृष्ठ 117, पंक्ति 22, "श्री नवीन रवाणी" के स्थान पर "श्री नवीन राबणी" पढ़िये।

पृष्ठ 127, नीचे से पंक्ति 3, "बंगाली फिल्म" के स्थान पर "बंगाली फिल्मों" पढ़िये।

पृष्ठ 136, पंक्ति 6, प्र० संख्या "603" के स्थान पर "8603" पढ़िये .

पृष्ठ 140, पंक्ति 6, "(क)" से (ङ)" के स्थान पर "(ख) से (ङ)" पढ़िये।

पृष्ठ 146, पंक्ति 22, "हाण्डिधुआ" के स्थान पर "हाण्डिधुआ" पढ़िये।

पृष्ठ 159, पंक्ति 11, "सुगमता" व "मेघनेल" के स्थान पर क्रमशः "सुफला" "मेथनोल" पढ़िये।

पृष्ठ 177, पंक्ति 24, "श्री रामातार शास्त्री" के स्थान पर "श्री रामावतार शास्त्री" पढ़िये।

पृष्ठ 195, पंक्ति 16, "अं० प्र० सं० "861" के स्थान पर "8661" पढ़िये।

पृष्ठ 199, अंतिम पंक्ति, "8664" के स्थान पर "8668" पढ़िये।

पृष्ठ 218, नीचे से पंक्ति 2, "रामगढ धनबाद" के स्थान पर "रामगढ़/धनबाद" पढ़िये।

पृष्ठ 224, पंक्ति 8, पृ० संख्या "896" के स्थान पर "8698" पढ़िये।

पृष्ठ 228, पंक्ति 11, "अधसन" के स्थान पर "अद्यतन" पढ़िये।

पृष्ठ 233, पंक्ति 3, "जाटिया" के स्थान पर "जटिया" पढ़िये।

पृष्ठ 237, पंक्ति 7, "असराम" के स्थान पर "असरार" पढ़िये।

पृष्ठ 238, पक्ति 17, "हिदुसतान" के स्थान पर "हिन्दुस्तान" पढ़िये।

पृष्ठ 243, पंक्ति 14 के बाद बांई ओर "12·00 मध्याह्न" पढ़िये।

पृष्ठ 245, पंक्ति 9 "दंडवेत" के स्थान पर "दंडवते" पढ़िये।

पृष्ठ 246, पंक्ति 2, "91वें" के बाद "92वें तथा" भी पढ़िये।

पृष्ठ 249, पंक्ति 13, "श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी" के बाद "(इलाहाबाद)" अंतःस्थापित कीजिये।

पृष्ठ 250, पंक्ति 7, "अनन्तराम" के स्थान पर "श्री अनंत रामुलु मल्लु" पढ़िये।

पृष्ठ 252, नीचे से पंक्ति 8, "(बम्सार)" के स्थार पर "(बक्सर)" पढ़िये।

पृष्ठ 256, पंक्ति 12, "डा०ए०यू० आजमी" के बाद "(जौनपुर)" पढ़िये।

पृष्ठ 257, पंक्ति 20, "अबलम्बनीय" के स्थान पर "अबिलम्बनीय" पढ़िये।

पृष्ठ 259, पंक्ति 23, "लगाने" के बाद "और" "अंतः स्थापित कीजिए।

पृष्ठ 292, पंक्ति 22 का लोप कीजिये।

पृष्ठ 292, नीचे से पंक्ति 3, "श्री बूटा सिंह" के स्थान पर "संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह)" पढ़िये।

पृष्ठ 295, नीचे से पंक्ति 6, "(मिर्साराब)" के स्थान पर "(मिसरिख)" पढ़िये।

पृष्ठ 298, पंक्ति 5, "विनियनन" के स्थान पर "विनियमन" पढ़िये।

पृष्ठ 299, पंक्ति 15, "स्वीकृित" के स्थान पर "स्वीकृत" पढ़िये।

पृष्ठ 313, पंक्ति 6, "4·49 म०प०" के सामने बीच में "(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन) हुए अंतः स्थापित कीजिये और पंक्ति 7 से यह वाक्य निकाल दीजिये।

पृष्ठ 311, नीचे से पंक्ति 4, "(अर्नाकुलन)" के स्थान पर "(एर्णाकुलम)" पढ़िये।

पृष्ठ 320, पंक्ति 1 (में 5·14 म०प०) के सामने बीच में (उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए) अंतः स्थापित कीजिए और पंक्ति 2 से यह वाक्य निकाल दीजिए।

पृष्ठ 329, पंक्ति 8, "जबियर" के स्थान पर "जेबियर" पढ़िये।

पृष्ठ 333, में पृष्ठ सं० "133" के स्थान पर पृष्ठ सं० "333" पढ़िये।

पृष्ठ 334, पंक्ति 14, "बेसाख" के स्थान पर "बैशाख" पढ़िये।

अंतिम पृष्ठ, पंक्ति 13 के बाद बांई ओर समय "6·01 म०प०" अंतः स्थापित कीजिये।

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौवहवां सत्र, 1984 1906 (शक)

अंक 42 मंगलवार 24 अप्रैल, 1984 4 वैशाख, 1906 (शक)

विषय—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या : 780 से 785 ... 1-26

प्रश्नों के लिखित उत्तर :

तारांकित प्रश्न संख्या : 786 से 799 ... 26-39

अतारांकित प्रश्न संख्या : 8487 से 8510, 8512 से 8674, 8676 से 8690, 8692 से 8702 8704 से 8711 और 8713 से 8716 ... 39-245

सभा पटल पर रखे गये पत्र ... 246-250

लोक सेवा समिति ... 250-251

207वां और 208वां प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 193वां प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति

71वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 70वां प्रतिवेदन ... 251-257

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कालीन बनाने वाले कारखानों की हाल ही की घटनाओं के विशेष संदर्भ में, देश में अनुसूचित जातियों के बच्चों को बंधुआ मजदूरों के रूप में काम पर लगाने और उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किये जाने के समाचार

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

श्री पीताम्बर सिंह ... 257-262

श्री धर्मवीर ... 258-292

श्री वृद्धि चन्द्र जैन ... 265-271

प्रो० मधु दण्डवते ... 271-286

श्री इन्द्रजीत गुप्ता ... 281-292

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 288-292

कार्य मंत्रणा समिति

61वां प्रतिवेदन ... 292-293

नियम 377 के अधीन मामले ...

(एक) कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई गई पी. वी. सी. फिल्मों पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी ... 293-294

(दो) अनुसंधान के क्षेत्र में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्री मूल चन्द डागा ... 294

(तीन) पालघाट (केरल) में प्रस्तावित रेल सवारी-डिब्बा कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी. एस. विजय राघवन ... 294-295

(चार) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी ... 295

(पांच) कृषि उत्पादों के मूल्य के संबंध में नीति

श्री राम लाल राही 295-296

(छः) आल इण्डिया सेकेण्डरी टीचर्स फैडरेशन की मांगों पर विचार की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी ... 296-297

(सात) राज्यों में लेखापरीक्षा विभागों के प्रस्तावित पुनर्गठन के विरुद्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों का आन्दोलन

श्री विलास पासवान 297-298

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये संशोधनों पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री पी० शिवशंकर 298-299

सहमति का प्रस्ताव

श्री पी शिवशंकर ... 299

मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी ... 299

श्री सोमनाथ चटर्जी ... 301

श्री मूलचंद डागा ... 305

श्री जमीलुर्रहमान ... 308

श्री राजेश कुमार सिंह ... 308

श्री जेवियर अराकल ... 311

श्री एस. मुरुगेयन ... 313

श्री गिरधारी लाल व्यास ... 316

श्री रामावतार शास्त्री 318

श्री हरिकेश बहादुर ... 319

श्री चन्द्रपाल शैलानी ... 320

श्री सूरज भान ... 321

खण्ड एक पर विचार

पारित किए जाने का प्रस्ताव

श्री के. विजय भास्कर रेड्डी ... 330

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

विचार किये जाने का प्रस्ताव

श्री सूरज भान ... 331-339

लोक सभा

मंगलवार, 24 अप्रैल, 1984/4 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

केरल में टेलीफोनों की मांग

*780 श्री वी.एस. विजयराघवन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में टेलीफोनों की मांग में प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है?

(ख) टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए केरल सर्किल की क्षमता कितनी है;

(ग) आज तक टेलीफोनों की बकाया मांग कितनी है; और

(घ) टेलीफोनों की बकाया मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) केरल में टेलीफोन मांग की वार्षिक वृद्धि दर लगभग 12 प्रतिशत है।

(ख) टेलीफोनों की बढ़ती हुई मांग को उपलब्ध स्रोतों से पूरा करना संभव नहीं है।

(ग) 1 अप्रैल, 1984 को टेलीफोनों की बकाया मांग 40,000 थी।

(घ) इस बकाया मांग को, नए एक्सचेंज खोलकर तथा उपस्कर, केबिल एवं अन्य-साज-सामान की उपलब्धता के आधार पर मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके उत्तरोत्तर निपटाने का प्रस्ताव है।

श्री वी.एस. विजय राघवन उत्तर में यह बताया गया है कि नये एक्सचेंज स्थापित

करने का प्रस्ताव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन एक्सचेंजों की स्थापना करने की कोई नियत समयावधि है ?

श्री विजय एन. पाटिल : 1984-85 के दौरान में नये कनेक्शन देने का प्रस्ताव है :—

केरल टेलीफन सर्किल—9200 लाइनें

त्रिवेन्द्रम टेलीफोन जिला—3000 लाइनें

एर्णाकुलम टेलीफोन जिला—400 लाइनें

कालीकट टेलीफोन जिला शून्य

प्रतीक्षा सूची में सम्मिलित 40,000 लाइनों में से 1984-85 में कुल 12,000 लाइनें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

श्री वी.एस. विजय राघवन : महोदय, मेरे जिले पाल घाट में पिछले चार वर्षों से असंख्य लोग टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मन्त्री महोदय, पाल घाट टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि करके इसकी लाइनें 12,000 करने का विचार करेंगे ?

श्री विजय एन. पाटिल : महोदय, पालघाट टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता को, एक ही किस्त में वृद्धि करके 12,000 लाइनें स्थापित करना संभव नहीं है, क्योंकि प्रतीक्षा सूची के अनुसार इसकी मांग पूरे देश भर में फैली हुई है और हम प्रत्येक जिला मुख्यालय को, जिसकी टेलीफोन कनेक्शन की मांग अधिक है, यथा संभव प्राथमिकता दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत उदार व्यक्ति है। अब क्या आप 6000 अतिरिक्त लाइनों के लिए मान जायेंगे ?

श्री वी. एस. विजय राघवन : महोदय, अनेक व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

प्रो०पी.जे. कुरियन : महोदय माननीय मंत्री महोदय ने कहा है कि विभिन्न केन्द्रों में नये टैलीफोन एक्सचेंज उत्तरोत्तर स्थापित किए जायेंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि केरल में नए टेलीफोन एक्सचेंजों का कुल कार्यक्रम क्या है ? क्या आपको मालूम है कि जब आप नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करते हैं तो बड़े एक्सचेंजों को छोटे एक्सचेंजों से जोड़ें जाने के कारण वर्तमान टेलीफोन प्रयोक्ताओं को काफी अधिक कठिनाईयां होती हैं ? विद्यमान प्रयोक्ताओं को छोटे टेलिफोन एक्चेंजों से सम्बन्ध कर दिया जाता है और इसलिए स्थानीय टेलीफोन काल करने में काफी असुविधा होती है। अब और अधिक एक्सचेंज स्थापित करने की बजाय क्या आप विद्यमान एक्सचेंजों का विस्तार करने के मामले की जांच करेंगे ताकि और अधिक टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने संभव हो सकें।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी.एन. गाडगिल) : वर्तमान स्थिति यह है कि अन्य

राज्यों की तुलना में केरल में टेलीफोनों की संख्या सबसे अधिक है। मैं अखिल भारतीय औसत की बात कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि यदि क्षमता में वृद्धि करने की गुजांइश हो तो क्षमता-बढ़ाई जा सकती है। परन्तु जैसा कि आप को पहले ही विदित है कि विभिन्न किस्म की एक्चेंज होती हैं जैसे एस.ए.एक्स.एम.एक्स 2, एम.एक्स.3, आदि। अत: हम प्रतीक्षा सूची देखते समय स्थान के महत्व और उसके वाणिज्यिक पहलू पर भी ध्यान देते हैं और तब हम एक्चेंज खोलने के विषय में निर्णय लेते हैं।

प्रो०पी. जे. कुरियन : मेरा प्रश्न मित्र है। नये छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोलने की बजाय आप विद्यमान एक्सचेंजों का विस्तार क्यों नहीं करते ? मैं कुछ कठिनाइयों का सामना कर रहा हूं। आप बड़े टेलीफोन एक्चेंजों को छोटे एक्सचेंजों से जोड़ रहे हैं और इससे मुझे उपलब्ध सुविधा पर प्रभाव पड़ता है।

श्री विजय एन. पाटिल : मान लीजिए 500 लाइनें बढ़ाई जानी हैं और यदि 5 कि.मी. की दूरी पर कनेक्शन दिए जाने हैं तो हमें लम्बी दूरी वाली लाइनों की आवश्यकता पड़ेगी जो अधिक रूप से व्यवहार्य नहीं है। इसके स्थान पर टेलीफोन कनेक्शनों के एक छोटे से समूह के लिए हम वर्तमान प्रणालियों का अनुकरण कर रहे हैं और ये प्रणालियां भविष्य में भी ठीक कार्य करती रहेंगी।

राजस्थान, अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा और अरूणाचल प्रदेश, में तेल और गैस का भडार

*781. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजास्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में, अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में तेल और गैस के बहुत बड़े भण्डार हैं;

(ख) क्या वहां पर छिद्रण कार्य किया गया है; और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों से तेल और गैस निकाले जाने से देश निकट भविष्य में पेट्रोलियम के मामले में आत्म-निर्भर हो जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो इन स्थानों पर पूरी गति से काम कब शुरू होगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) ये काफी सम्भावनाओं वाले क्षेत्र हैं परन्तु अभी तक कोई बड़ी खोजें नहीं की गई है। खोज करने की योजनाएं तैयार की योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं और इन योजनाओं के अनुसार सर्वेक्षण और खुदाई कार्य किये जा रहे हैं। इस समय यह नहीं बताया जा सकता कि विकास और उत्पादन कार्य कब शुरू किया जाएगा। इन संरचनाओं की वाणिज्यिक क्षमता का पूरी तरह से मूल्यांकन करवाया जाना है।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : जैसाकि मंत्री महोदय ने बताया है, राजस्थान, अण्डमान

निकोबार तथा अरुणाचल प्रदेश में प्राकृतिक तेल मिलने की संभावनाएं हैं। तो फिर ऐसे महत्वपूर्ण काम में, जिस पर सारे देश की व्यवस्था निर्भर है, विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या यह सही है कि इन्डियन कास्मोनाट, राकेश शर्मा, ने स्पेस से जो चित्र भेजे हैं, उनसे लक्षद्वीप तथा अन्य बहुत से क्षेत्रों में तेल मिलने की सम्भावनाओं का पता लगा है? उनके चित्रों के आधार पर देश के कौन-कौन से हिस्सों में तेल की सम्भावनाएं दिखाई देती हैं?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : महोदय, जहां तक इस विभाग का संबंध है, यह विभाग इन क्षेत्रों में खोज करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहा है। वास्तव में, मेरे सहयोगी द्वारा यह पहले ही बता दिया गया है कि ये सम्भावनाओं वाले क्षेत्र हैं, और पहले ही तैयार की जा चुकी योजनाओं के अनुसार सर्वेक्षण और खुदाई कार्य किए जा रहे हैं। यह बात नहीं है कि इस क्षेत्र में हमारी गतिविधियां तेजी से नही चल रहीं हैं इस क्षेत्र में हमारी गतिविधियां काफी तेजी से चल रही है, परन्तु हम अभी तक इस क्षेत्र में ऐसी वाणिज्यिक संभावनओं का पता नहीं लगा पाये हैं जिससे इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा सके।

प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत : मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त मे और सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम काल में क्या हम इस प्रकार से पेट्रोलियम पदार्थों के बारे में कुछ आगे बढ़ सकेंगे क्योंकि इतनी अधिक विदेशी मुद्रा हम इसके लिए व्यय करते हैं तो क्या उसको बचाने के लिए हम इसको प्रायरिटी नहीं दे सकते?

श्री पी. शिव शंकर : जैसा कि मैं पहले ही सदन में बता चुका हूं कि हमने छठी योजना में बहुत अच्छी प्रगति की है। लगभग 10 मिलियटन कच्चे तेल का उत्पादन आज 26 मिलियन टन हो गया है और छठी योजना की अवधि के अन्त तक अर्थात् अन्तिम वर्ष 1984-85 में लगभग 29 मिलियन टन कच्चे तेल का उत्पादन होने की संभावना है। इसलिए आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये सब प्रयास किए जा रहे हैं और हमने पहले ही काफी प्रगति कर ली है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसलमेर और बाड़मेर में एक्सप्लोरेशन करते हुए काफी अरसा हो गया मगर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया इसी तरह राजस्थान के और भी डेजर्ट रूरियाज में जैसे बीकानेर, चूरू, गंगानगर, सीकर, झुनझुनू नागौर, जोधपुर, पाली और जालौर में भी आप ने कोई सर्वे करवाया है कि इनमें भी कोई पासिविलिटी है तेल निकलने की?

श्री पी. शिव शंकर : विभिन्न क्षेत्रों में किये जा रहे सर्वेक्षण प्रगति पर हैं। वास्तव में इस क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और गुरुत्वा-चुम्बकीय सर्वेक्षण 1954 में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा शुरू किए गये तथा 1956 में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने खोज करनी आरंभ कर दी। समय-समय पर दिए जा रहे भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों तथा भू-भौतिक सर्वेक्षण के ब्यौरे मेरे पास हैं। वास्तव में बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के क्षेत्रों में खोज के लिए किये गये छिद्रण कार्य के परिणामस्वरूप खोदे गये कुओं की संख्या लगभग 18 है। परन्तु दुर्भाग्यवश वाणिज्यिक बेसिनों का पता नहीं लगाया जा सका। एक बार हमें वाणिज्यिक बेसिनों का पता लग जाये तो

हम इसके वाणिज्यिक विदोहन के लिए कार्य आरम्भ कर देंगे। अन्य क्षेत्र जिनका उल्लेख किया गया है, मैं भी समय समय पर सर्वेक्षण किए जा रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : क्या माननीय मन्त्री महोदय सदन को यह जानकारी देंगे कि राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में किए गए सर्वेक्षण, छिद्रण कार्य और खोज कार्य के परिणाम स्वरूप आप सफलतापूर्वक ऐसा कुछ पा गए हैं जिससे कि आप बाद में उसका विकास और वाणिज्यिक उत्पादन करेंगे या अभी तक किया गया व्यय बेकार हो गया है। क्या इसकी कोई आशा है ?

श्री पी. शिव शंकर : सर्वेक्षणों और छिद्रण कार्यों के आधार पर बाड़मेर और जैसलमेर जिलों के क्षेत्र में 772.3 एम. एम. सी. एम. गैस के भू गर्भीय भन्डारों का पता लगाया गया है। वास्तव में मानहेरा टिब्बा और घोटारु ऐसे दो क्षेत्र हैं, जहां हम खोज के प्रयोजन हेतु गैस का पता लगाने में सफल हुए हैं। इसमें कोई शक नहीं कि यहां वाणिज्यिक आधार पर विद्रोहन नहीं किया गया। यह बात भी नहीं है कि हमारे प्रयत्न निष्फल हुए हैं। मैंने पहले ही गैस को अनुमानित भंडार बता दिये हैं। एक बार हमें ऐसे थोड़े और क्षेत्र मिल जायें जहां वाणिज्यिक दृष्टि से अधिक संभावनाएं हो तो खोज सम्बन्धी कार्यकलापों और उनके साथ-साथ विद्रोहन कार्यों में भी तेजी लाई जाएगी।

भारतीय दन्ड संहिता और दन्ड प्रक्रिया संहिता का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद

*782. **श्री ईरा मोहन** : क्या विधि न्याय और कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या भारतीय दन्ड संहिता और दन्ड प्रक्रिया संहिता का देश की सभी प्रादेशिक भाषाओं म अनुवाद किया जा चुका है; और

(ख) यदि नही, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी नहीं।

अभी तक भारतीय दन्ड संहिता और दन्ड प्रक्रिया संहिता का केवल गुजराती, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, तमिल, मराटी और तेलुगू भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। इनमें से गुजरात, कन्नड, मलयालम, पंजाबी और तमिल पाठ पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं। मराठी और तेलुगू पाठ मुद्रणाधीन हैं। दोनों संहिताओं के उर्दू पाठ तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) केन्द्रीय विधियों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद की स्कीम के अधीन अनुवाद राज्य सरकारों द्वारा करवाया जाना होता है और राज्य सरकारों द्वारा तैयार किए गए अनुवाद की विधायी विभाग के राजभाषा खंड द्वारा अन्तिम रूप दिया जाता है और इसे अनुमोदित किया जाता है। भारत सरकार इस कार्य के लिए 80 रुपये प्रति पृष्ठ की दर से राज्य की कारसर प्रतिपूर्ति करती है और भारत सरकार मुद्रण की संपूर्ण लागत भी वहन करती है। विभिन्न केन्दीय विधियों के, जिनमें भारतीय दन्ड संहिता और दन्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 सम्मिलित

हैं, अनुवाद शीघ्र करने के लिए राज्य सरकार को प्रेरित करने के लिए बार-बार प्रयास किये जा रहे हैं।

श्री ईरा मोहन : मैंने उत्तर पढ़ा है और मुझे प्रसन्नता है कि इन दो महत्वपूर्ण विधियों का कुछ क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया गया है। इनको देश की अन्य सभी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अनुवाद कार्य के लिए 80 रुपये प्रति पृष्ठ की दर बहुत कम है। इसे अवश्य बढ़ाया जाये। क्या मन्त्री महोदय इस दर में वृद्धि करने पर तत्काल विचार करेंगे ताकि अन्य सभी सामाजिक विधियों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद किया जा सके।

श्री जगन्नाथ कौशल : महोदय, जहां तक इस 80 रुपये प्रति पृष्ठ की दर का सम्बन्ध है मैं माननीय सदद के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि नवम्बर 1979 में इस दर का संशोधन किया गया था। पहले यह प्रति पृष्ठ 40 रुपये थी और 1979 में इसका संशोधन करके दर 80 रुपये प्रति पृष्ठ कर दी गई। विधि मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में मैंने यह कहा था कि यदि राज्य सरकारें मेरे ध्यान में यह बात ले आयें कि इस कम दर के कारण ही इस कार्य की गति में रुकावट आ रही है तो, मैं इस मामले पर विचार करने के लिए तैयार हूँ। परन्तु इस दिशा में किसी भी राज्य सरकार ने मुझसे सम्पर्क नहीं किया। हमारे अनुमान के अनुसार कम दर इसमें कोई रोड़ा नहीं अटका रही है बल्कि राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के प्रति बचनबद्धता में कमी ही इनका कारण है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है। विधि मन्त्रियों के पिछले सम्मेलन में मैंने यह उल्लेख किया था कि सभी विधि मन्त्रियों को यह बताया गया था कि राज्य सरकारें क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति जो रवैया अपनाती है, वह संतोष जनक नहीं है। विधिमत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया था, परन्तु मैं नहीं समझता कि कोई संतोषजनक परिणाम अभी सामने आयेंगे।

श्री ईरा मोहन : क्या माननीय विधि मन्त्री महोदय सदन को यह सूचित करेंगे कि भारत के संविधान का अनुवाद कितनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद हो चुका है तथा यह प्रमाणीकृत हो चुका है। श्रम विधियों का क्षेत्रीय भाषाओं के अनुवाद करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री जगन्नाथ कौसल : जहां तक संविधान का क्षेत्रिय भाषाओं में अनुदान करने का प्रश्न है मैं सम्मानित सदन में ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि इसका अनुवाद मलयालम, कन्नड़, पंजाबी मराठी, तेलगु, गुजराती, उड़िया, उर्दू और बगाली में हो चुका है। असमी पाठ मुद्रणाधीन है। भारत के संविधान का तमिल पाठ राज्य सरकार के पास तैयार पड़ा था लेकिन वे इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं। इसलिए मैं यह नही बता सकता कि यह वास्तव में कब पूरा हो जायेगा। अन्यथा जहां तक हमारा संबध है, उस दशा में भी हम राज्य सरकार के साथ कार्य करने के लिए तैयार हैं। सिन्धी और संस्कृत पाठ भी तैयार किये जा रहे हैं। कश्मीरी पाठ का कार्य भी प्राथमिक चरण में है।

श्री ईरा मोहन : श्रम विधियों के विषय में बताइये ?

श्री जगन्नाथ कौशल : श्रम विधियों के सम्बन्ध में मैं सदन के समक्ष दोबारा उल्लेख करना चाहूगा कि जहां तक केन्द्रीय अधिनियमों का सम्बन्ध है, हमने 1982 तक के सभी अधिनियमों का अनुवाद हिन्दी में कर दिया है। 1983 में कुछ अधिनियमों का भी अनुवाद किया गया है। परन्तु जहां तक विभिन्न राज्यों द्वारा पारित विधियों का सम्बन्ध है यह फिर उन्हीं राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे उनका अनुवाद करायें।

श्री रामविलास पासवान : हिन्दी के संविधान का मामला बहुत दिनों से चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है, वह इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं।

प्रो. सैफुद्दीन सोज : आपको विदित है कि कश्मीरी को एक राष्ट्रीय भाषा मान लिया गया है, और इसे अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है। सात वर्ष पहले केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने भारत के संविधान को कश्मीरी में अनुवाद करने के लिए उपाय किये थे और उन्होंने इस परियोजना पर व्यय की जाने वाली धनराशि भी बताई थी।

मंत्री महोदय ने अभी-अभी बताया कि कश्मीरी अनुवाद प्राथमिक चरण में है। पिछले दस वर्षों से जिस समय से यह स्कीम शुरू की गई है, अब तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है और क्योंकि केन्द्रीय सरकार इसके लिए वित्त-व्यवस्था करेगी, इसलिए क्या मंत्रालय अनुवाद पूरा हो जाने तक प्रतीक्षा करेगा या इस बीच कोई प्रभावी कदम उठायेगा ?

अन्य केन्द्रीय कानूनों की बात नहीं आधारभूत बात तो भारत का संविधान है। इसका काश्मीरी भाषा में अनुवाद होना है। मेरे विचार से केन्द्रीय विधि मंत्रालय ने कोई कारगर कदम नहीं उठाए हैं। यदि आपने कारगर कदम उठाए हैं तो कृपया उनका उल्लेख करें।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं पहले ही बता चुका हूं कि जहां तक भारत के संविधान का हिन्दी में अनुवाद कराने की बात है हमने वह करा लिया है। वर्ष 1982 में दूसरा संस्करण भी निकल चुका है।

जहां तक कश्मीरी भाषा का सम्बन्ध है... (**व्यवधान**)

श्री रामविलास पासवान : क्या हिन्दी का संविधान कोर्ट के लिए अधिकृत है ?

अध्यक्ष महोदय : यदि वह अधिकृत है तो यह भी अधिकृत है।

श्री रामविलास पासवान : हिन्दी का अधिकृत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : बंगाली का हुआ है, दूसरे हुए हैं।

श्री रामविलास पासवान : आप पहले एक मिनट मेरी बात समझ लीजिए। जब कोर्ट में विवाद उठेगा तो अंग्रेजी का संविधान अधिकृत माना जाएगा, हिन्दी का नहीं। हिन्दी का संविधान अधिकृत करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

अध्यक्ष महोदय : बीच में न बोलिए, पहले उनकी बात सुन लीजिए।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं जम्मू तथा काश्मीर से निर्वाचित माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देने की कोशिष कर रहा हूं। मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं इस मामले पर गौर करूगा, और इसे शीघ्र निपटाने की कोशिष करूगा।

अध्यक्ष महोदय : वह इसे शीघ्रता से निपटायेंगे।

प्रो. मधु दण्डवते : उन्हें कम से कम अनुच्छेद 370 का अनुवाद तो करने दें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : इस बात को देखते हुए जबकि भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुवाद पहले ही कर दिए गए हैं और सभी राज्यों ने अभी तक उनका अनुवाद नहीं किया है मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूँ कि क्या वे दण्ड विधि संशोधन अधिनियम, 1983 और विशेष रूप से दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 का अलग से अनुवाद कराने के काम में रुचि लेगे क्योंकि जब तक वे प्रादेशिक भाषाओं में न हो जाए वे अधिकांश महिलाओं तक नही पहुंच पायेगे। क्या मंत्री इसमें विशेष रुचि लेंगे ?

श्री सतीश अग्रवाल : दहेज विरोधी अधिनियम के बारे में क्या है ?

श्रीमती गीता मुखर्जी : जब यह आता है तो इसे भी किया जाना चाहिए। जब तक वे प्रादेशिक भाषाओं में नहीं है और उनका व्यापक प्रचार नही किया जाता तब तक वे अभिप्रेत उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर सकते।

श्री जगन्नाथ कौशल : जैसा मैंने कहा है हम राज्यों को लगातार याद करा रहे हैं। मैं विधायी विभाग में अपने अधिकारी भेज रहा हूं। मैं मुख्य-मन्त्रियों को व्यक्तिगत पत्र लिख रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय को याद होगा जब संविधान का बंगाली रूपान्तर जारी किया गया था तब मैंने यह बात मुख्यमन्त्री के नोटिस में भी लाई थी और उन्हें बताया गया कि हम पूरी कीमत वहन करने के लिए तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा, "आप सभी अधिनियमों का अनुवाद बगाली में करने के लिए महत्व क्यों नहीं करते ?" उन्होंने अपनी गलती मान ली, लेकिन फिर वे संतोषजनक प्रगति तो दिखाएं।

अध्यक्ष महोदय : अब आपको स्रोत मिल गए हैं, वचनबद्धता के स्रोत।

श्री राम निवास पासवान : अध्यक्ष जी मेरे सवाल का क्या जबाव है ?

अध्यक्ष महोदय : आपने सवाल कर दिया लेकिन मेरा कहना यह है कि जब रिलीज कर दिया, तो अनधिकृत रिलीज करने का क्या अर्थ है।

मेरी समझ में नहीं आता कि यदि यह अनधिकृत है तो इसे रिलीज ही क्यों किया गया है ?

चौधरी मुलतान सिंह : 38 साल से संविधान अंग्रेजी में रखा हुआ है। (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है। मैंने 10-12 बार पूछा है और न मैं सन्तुष्ट हो पाया हूं और न यह सदन सन्तुष्ट हो पाया है। आजादी के 36 साल बाद सरकार ने अंग्रेजी से हिन्दी में संविधान का ट्रान्सलेशन कर दिया, रूपान्तर कर दिया। मैं

सरकार से यह जानना चाहता हूं कि हिन्दी का जो ट्रांसलेशन हैं, वह कोर्ट में वेलिड है या नहीं? जब कोर्ट में कोई मामला चलता है तो वह अंग्रेजी को आथेन्टी के टेड मानकर चलता है। मेरा सीधा-सा सवाल यह है और इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट के बारे में यह कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मेरा कहना यह है कि अनधिकृत कैसे इशू कर सकते हैं। मैं इस सवाल का जबाव पूछना चाहता हूं। क्या यह हो सकता है? नहीं, मेरे विचार से हूं यह अधिकृत है।

श्री रामविलास पासवान : पूछिए सर। मन्त्री महोदय जबाव दें कि क्या इसका हिन्दी रूपान्तर कोर्ट में अधिकृत है या नहीं।

श्री जगन्नाथ कौशल : मौजूदा सवाल में से यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामविलास पासवान : क्या भारत का संविधान हिन्दी में वैध है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय : कोर्ट का सवाल आता है, इसलिए नहीं कहना चाहते।

श्री रामविलास पासवान : सरकार यह बतावे कि कोर्ट में वह अधिकृत है या नहीं। इसका जवाब 'हां' या 'न' में मंत्री जी दें। यह तो समान्य ज्ञान का प्रश्न है।

प्रो. मधु दंडवते : वे उत्तर देने के लिए सक्षम हैं। वह केवल मन्त्री ही नहीं बल्कि एक भूतपूर्व न्यायधीश भी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी समझ में नहीं आया।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे अधिकृत होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : किसके द्वारा।

श्री रामविलास पासवान : संसद द्वारा।

प्रो. मधु दण्डवते : यह उन्होंने नहीं किया है, उन्होंने केवल इसे जारी किया है।

अध्यक्ष महोदय : संविधान जैसी चीज को हम कैसे जारी कर सकते हैं?

मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि अनधिकृत के बगैर अनधिकृत कैसे इशू कर सकते हैं।

चौधरी मुलतान सिंह : आपकी समझ में यह बात नहीं आएगी।

अध्यक्ष महोदय : ये कैसे बाध्य कर सकते हैं कोर्ट को।

श्री सतीश अग्रवाल : सरकार द्वारा हिन्दी रूपान्तर अधिकृत होना चाहिए।

प्रो. मधु दण्डवते : आज स्थिति यह है कि यदि आप हिन्दी रूपान्तर में संविधान की उल्लंघना करते हैं तो उसे बिल्कुल भी उल्लंघन नहीं माना जाएगा।

श्री राम विलास पासवान : यही स्थिति है। आप मंत्री महोदय से पूछें कि क्या यह स्थिति है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम है।

श्री सतीश अग्रवाल : अच्छा है, यह आपकी समय में नहीं आ रहा है···(**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : इस बारे में स्थिति क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसे अधिकृत करने में क्या कठिनाई आ रही है ? इसे अधिकृत करने में क्या समस्या है ?

अध्यक्ष महोदय : बंगला में इशू किया, मलयालम में इशू किया और तेलगू में इशू किया है।

श्री रामविलास पासवान : तो इसमें भी कर सकते हैं।···(**व्यवधान**) स्थिति क्या है ?

श्री सतीश अग्रवाल : इसे अधिकृत करने में क्या समस्या आ रही है ?

श्री राम विलास पासवान : आप **आन बिहाफ आफ दि मिनिस्टर** क्यों जवाब दे रहे हैं। आप क्लेरीफाई करवा लीजिए, मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं, क्या अंग्रेजी इसी तरह से अनन्त काल तक चलती रहेगी। (**व्यवधान**)···

श्री राम लाल राही : यह इस बात को प्रमाणित करता है कि जब हम लिखकर यहां देते हैं, तो पहले अंग्रेजी का दिया जाता है और फिर अंग्रेजी का अनुवाद हिन्दी में हो जाता है।···(**व्यवधान**) ···

श्री रामविलास पासवान : मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दी का आथेंटीकेटेड है या नहीं। मैं इस मामले को लगातार कई साल से उठा रहा हूं, चार-पांच वर्ष से इसके बारे में पूछ रहा हूं लेकिन एक लाइन का जवाब 'हां' या 'ना' में नहीं दिया जाता।

अध्यक्ष महोदय : कोई दिक्कत है, तो उसको दूर करो।

श्री सतीश अग्रवाल : भारत का संविधान हिन्दी में अधिकृत हो, यह तो आप भी महसूस करते होंगे।

श्री रामविलास पासवान : आप यह बतलाइए कि हिन्दी में अथेंटीकेटेड हैं या नहीं। इतना जवाब तो आप दे सकते हैं।···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : अगर जवाब देंगे, तो अपने तरीके से जवाब देंगे।

श्री रामविलास पासवान : संविधान का हिन्दी रूपान्तर अधिकृत है अथवा नहीं ? हां या नहीं में जवाब दें।

श्री सतीश अग्रवाल : इसे अधिकृत करने में क्या समस्या आ रही है ?

प्रो. मधु दण्डवते : उनकी तरफ से मुझे उत्तर देने दें। यह बिल्कुल भी अधिकृत नहीं है। यही कठिनाई है। मन्त्री महोदय को इसे इंकार करने दें।

श्री राम विलास पासवान : मन्त्री महोदय इस बात से इन्कार करें।

श्री चन्द्र जीत यादव : जो प्रो. दण्डवते ने कहा है वही ठीक स्थिति है। हिन्दी रूपान्तर अधिकृत नहीं है। लेकिन सरकार को आगे आना चाहिए और इसे प्राधिकृत करना चाहिए। (**व्यवधान**) यह एक गम्भीर मामला है। यदि इसे नहीं किया गया है तो इसे अभी किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अगर नहीं है तो वह करवा लो।

प्रो मधु दण्डवते : इसे पूर्वव्याप्ति सहित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहना चाहता हूं, जैसा श्री चन्द्रजीत जी ने कहा कि अगर नहीं तो करवा लो। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आंख बन्द करने से बिल्ली भागेगी नहीं, आंख बन्द करने से बिल्ली कहीं चली तो नहीं जाएगी। (**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ कौशल : माननीय सदन के हित में मैं कहना चाहूंगा कि हिन्दी में जो अनुवाद हमने प्रकाशित किया है वह सरकार के कार्यकारी प्राधिकारी के अधीन है। जहां तक मूल संविधान का प्रश्न है वह संविधान सभा द्वारा अंग्रेजी में अंगीकृत किया गया था और उसके हिन्दी रूपान्तर पर भी हस्ताक्षर किए गए। तब प्रश्न उठा था कि क्या संविधान का हिन्दी रूपान्तर भी संविधान का अधिकृत पाठ है। यह प्रश्न पहले भी उठा था। यह मामला तत्कालीन महान्यायवादी श्री सीतलवाड़ और द्वितीय महान्यावादी श्री नीरेन दे के मत के लिए भेजा गया था। उन्होंने अपना मत दिया। एक मत श्री सीतलवाड़ द्वारा दिया गया दूसरा श्री नीरेन दे द्वारा उत्तर प्रदेश के तत्कालीन महाधिवक्ता श्री कन्हैयालाल मिश्र ने भी अपना मत व्यक्त किया। तीनों ने अपना मत दिया था।

प्रो. मधु दण्डवते : लेकिन आपका मत क्या है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : उनका विचार था कि यह अधिकृत पाठ नहीं है। आप मुझ से सहमत होंगे कि यह सभी में समुचित ध्यान देने के लिए पात्र है। तथापि यदि कभी किसी स्तर पर हिन्दी रूपान्तर और अंग्रेजी रूपान्तर में अन्तर आता है तब न्यायालयों को तय करना है कि वे किस पाठ के अनुसार कार्यवाही करें तब न्यायालय अंग्रेजी रूपान्तर के अनुसार कार्यवाही करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : तो यह स्थिति है।

श्री इन्द्र जीत यादव : अब प्रश्न उठता है और यह विधि मन्त्री के उत्तर से स्पष्ट हो गया है कि हिन्दी रूपान्तर अधिकृत और प्राधिकृत नहीं है। क्योंकि यह तीन विधि वेत्ताओं का विशेषज्ञ मत है।

अब न्यायालय को भी इस मत पर विश्वास करना होगा। क्या मैं विधि मन्त्री से निवेदन

कर सकता हूं कि अब वह एक सुझाव पर विचार करें ? हिन्दी रूपान्तर को भी अधिकृत करने के लिए कानून विशेषज्ञों ने जो भी सुझाव दिया हो, वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में आवश्यक संशोधन पेश करें ।

अध्यक्ष महोदय : यह सही सुझाव है ।

श्री जेवियर आकल : अन्य भाषाओं के बारे में क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । यह सब वैसा ही है । यह सभी पर लागू होगा ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : अन्य के बारे में क्या है ? जहां तक हिन्दी का सम्बन्ध है, यह ठीक है । अन्य भाषाओं में रूपान्तरित संविधान के बारे में स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता कि क्यों आप सब ऐसा कर रहे हैं । मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे रहा हूं । बैठ जाइए ।

श्री आर० आर० भोले : श्रीमान्, केवल एक मिनट, (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है । एक शब्द भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा । (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ । बैठ जाइए । आपको मेरी अनुमति नहीं मिली है, सदन की सर्वसम्मत राय के अनुसार अधिकृत प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और जो भी कदम आप उठाएंगे वे सभी भाषाओं के बारे में होंगे ।

प्रो० के० के० तिवारी : हिन्दी राजभाषा है ।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी अनुवाद हो तो सारों में हो, लोकल लैंग्वेज में यहां तो काम होता है । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : किसी दिन इस बात का हल निकाला जाए । आप अपना समय लेकर इसे करें, . (**व्यवधान**)

श्री जगन्नाथ कौशल : क्या मैं फिर दुहरा सकता हूं ? जहां तक संविधान के हिन्दी रूपान्तर का सम्बन्ध है अभी मैंने इस पुनीत सदन को बताया है कि एक संविधान हिन्दी में है जिस पर संविधान सभा के सदस्यों में हस्ताक्षर किए हैं । आप इसे क्यों भुला रहे हैं ? प्रश्न उठा था क्या यह विशेष दस्तावेज संविधान का अधिकृत पाठ है। जैसा मैंने कहा, विशेषज्ञों का मत इसके विपरीत है । अनुवाद के बारे में जहां तक प्रश्न है निःसंदेह ये संविधान के सरकारी अनुवाद हैं, इसलिए आप इन अनुवादों को हिन्दी रूपान्तर के समकक्ष नहीं मान सकते, तथा विशेषज्ञ मत के अनुसार जो अधिकृत पाठ भी नहीं हैं । अधिकृत पाठ अंग्रेजी रूपान्तर है ।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नही किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : यदि संविधान सभा के सदस्यों ने अंग्रेजी संस्करण के साथ हिन्दी संस्करण पर भी हस्ताक्षर किए तो ऐसा कैसे हुआ कि एक प्रमाणित है और दूसरा नहीं ? इसे कौन प्रमाणित करेगा ? (**व्यवधान**) इस कमी को कौन पूरा करेगा ? इस सम्बन्ध में आप क्या कदम उठाएंगे ?

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं पूरे विषय की पुनः जांच करने के लिए तैयार हूं और मैं इस ओर ध्यान दूंगा। इसके पश्चात हमारी जो भी राय होगी वह मैं सभा के समक्ष रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय : इस बाधा पर कैसे काबू पाया जाए ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इस संविधान का कई भाषाओं में अनुवाद होगा। यदि अनुवाद प्रमाणित नहीं होगा तो उससे उलझन पैदा होगी। उदाहरण के लिए सोवरिनटी (**प्रभुसत्ता**) लीजिए। इसे हम अंग्रेजी में समझ सकते हैं किन्तु संसद में बंगला में इसका अनुवाद (**प्रभुत्व**) किया जाता है जो कि बिल्कुल गलत है, जब तक यह अनुवाद प्रमाणिक नहीं होंगे तब तक उलझन बनी रहेगी। इसलिए इस प्रश्न पर चर्चा होनी चाहिए

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर और किसी की राय नहीं जानना चाहता हूँ।

श्री जगन्नाथ कौशल : मैं सदन के समक्ष एक और तथ्य का उल्लेख करना चाहता हूँ कि संविधान सभा ने अंग्रेजी संस्करण को अपनाया था, हिन्दी संस्करण को नहीं। इस बारे में आपको कानूनी विशेषज्ञों की राय बता चुका हूं लेकिन फिर भी मैं इस विषय पर पुनः विस्तार करने को तैयार हूँ और जो कुछ भी बन सकेगा करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस परिपेक्ष में हमें इस कमी को दूर करने के लिए अर्थोपाय ढूंढने चाहिए। श्री भीखा भाई (**व्यवधान**)

प्रो. के. के. तिवारी : महोदय, हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री तिवारी इस विषय पर चर्चा अब समाप्त हो चुकी है। मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जो कुछ हमसे हो सकता था हमने किया है। अब इस बात को छोड़िए।

प्रो. के. के. तिवारी : तो इसे कौन करेगा ?

अध्यक्ष महोदय : तभी मैंने कहा इसे अब न कीजिए।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के युवकों के लिए पेट्रोलियम डीलरशिप

*783. **श्री भीखाभाई** । क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अधिकांश लोगों के पास कृषि अथवा औद्योगिक क्षेत्रों में कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है;

(ख) यदि हां, तो किसी पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप के लिए आवेदन पत्र देने के संबंध में उनके संबंधियों पर रोक लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के शिक्षित युवकों के लिए डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए निर्धारित शर्तों पर पुनर्विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया है ।

विवरण

(क) सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के विकास को अत्यधिक महत्व और उच्च प्राथमिकता देती है । विभिन्न क्षेत्रों में दी गई संवैधानिक गारंटियों तथा आरक्षणों के अलावा, सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं । इस पहलू पर सभी तेल कम्पनियों की पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों के मामले में विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है और मौजूदा नीति के अनुसार, सभी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों/एजेंसियों का 25 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित है ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक परिवार को एक से अधिक डीलरशिप न मिले, मौजूना मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह शर्त लगायी गई है कि किसी ऐसे व्यक्ति को नई डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप/एजेंसी नहीं दी जायेगी जिसके पास किसी तेल कंपनी की डीलरशिप पहले से ही है अथवा उस व्यक्ति के किसी निम्नलिखित निकट संबंधियों के पास तेल कम्पनी की एल पी जी./केरोसीन एल. डी ओ./एच. एस. डी./एम. एस. लुब्रीकेटिंग आयल की एक डीलरशिप पहले से ही है ।

1. पति/पत्नि
2. पिता/माता
3. भाई/बहिन
4. पुत्र/पुत्री
5. दामाद/पुत्रवधु
6. सास/ससुर

यह सूची, जो बहुत व्यापक है, सभी श्रेणियों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति सहित) पर लागू है । इसका उद्देश्य अधिकतम परिवारों की स्व-रोजगार उपलब्ध कराना है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री भीखा भाई : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने दो-तीन प्रश्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए एल· पी. जी. एजेन्सियों के आरक्षण के सम्बन्ध में सभा पटल पर रखे हैं किन्तु मंत्री जी का उत्तर सदा अस्पष्ट रहा । अतारांतिक प्रश्न संख्या नम्बर 7822 के भाग (ग) का उत्तर माननीय मंत्री ने नहीं दिया है । मैंने विशिष्ट रूप से पूछा था कि अनुसूचित

जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग-अलग कितना आरक्षण किया जाता है किन्तु उन्होंने अपने उत्तर में कहा कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल मिलाकर 25 प्रतिशत आरक्षण किया जाता है। वास्तव में मैंने उनसे अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए अलग-अलग आरक्षण के प्रतिशत देने के लिए कहा था और मैंने क्षेत्र वार और वर्षवार आंकड़े भी मांगे थे। इस प्रश्न का उत्तर देने में वे असमर्थ रहे और कहा कि क्षेत्र वार आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है। उन्होंने बताया कि जब से आरक्षण की शुरूआत हुई है विभिन्न तेल कम्पनियों द्वारा एल, पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप की कुल संख्या 657 तक पहुंच गई है और इसका 25 प्रतिशत 164 होता है। क्या मैं उनसे यह जान सकता हूं कि इनके पृथक आंकड़े क्या हैं और कब से यह आरक्षण की नीति अपनाई गयी है। यह प्रश्न 1 प्रश्न है 25 है

अध्यक्ष महोदय : जब समय होगा तब आप दूसरा प्रश्न कीजिए। वह अनुपूरक प्रश्न संख्या 2 होगा, आप केवल दो महत्वपूर्ण बातें पूछ सकते हैं। संख्या/अब और फिर प्रश्न संख्या 2

श्री पी. शिव शंकर : यदि आप प्रश्न के (क) (ख) और (ग) भागों की ओर ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जो प्रश्न अब मेरे मित्र कह रहे है वह बिल्कुल भी नहीं किया गया है। वास्तव में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के बारे में संक्षिप्त रूप से प्रश्न किया गया है। प्रश्न के (क) भाग में यह पूछा गया था इनमें से अधिकांश लोगों के पास कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है। प्रश्न का (ख) भाग आवेदन पत्र देने के संबंध में उनके संबन्धियों पर रोक लगाए जाने के कारणों से सम्बन्धित था। प्रश्न के (ग)भाग में पूछा गया था कि क्या सरकार डीलरशिप के लिए निर्धारित शर्तों पर पुर्नविचार करेगी ? वह प्रश्न नहीं किया गया था किन्तु मैं बताना चाहता हूं कि अनुसुचित जातियों एवं अनुसूचित जन जातियों के लिए हमने कुल मिला कर 25 प्रतिशत का आरक्षण किया है। जहां तक पूरे भारत का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अलग-अलग आरक्षण नहीं हैं। आरक्षण राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के आधार पर किया जाता है लेकिन इस बात का प्रयत्न किया जाता है कि जहां कहीं भी अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक हो, डीलरशिप का आरक्षण उस 25 प्रतिशत में से केवल अनुसूचित के लिए जनजातियों किया जाता है।

श्री भीखा भाई : अन्य सभी मामलों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण के आंकड़े तथा प्रतिशत अलग-अलग दिए जाते हैं। जहां तक पेट्रोलियम डीलरशिप का सम्बन्ध है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बीच अलग-अलग आंकड़े क्यों नहीं दिये गए ? दूसरी बात जो इन लोगों के बारे में पहले कहीं गयी है कि स्व-रोजगार के सम्बन्ध में काफी प्रगति हुई हैं; इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष जो जारी किये गए हैं वे उचित अथवा पर्याप्त नहीं हैं। जहां तक अनुसूचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जातियों एवं दूसरों का सम्बन्ध है जहां तक अनुसूचित जनजातियों का प्रश्न है मार्गदर्शी सिद्धान्त इसलिए सही नहीं है कि उससे कइ लोगों पर रोकलगा दी गयी है। पति-पत्नी के मामले में मैं मानता हूं कि यह सही है माता-पिता भाई-बहन, पुत्र-पुत्री और दामाद और पुत्रवधु को डीलरशिप देने पर रोक लगाई गई है। अनुसूचित जाति

के मामले में वे सही हैं। किन्तु अनुसूचित जनजातियों ने अपनी निजी संस्कृति बनाये रखी हुई है। वे उनके अपने रिवाजों के वैयक्तिक कानून से विनियमित होते हैं। उनके उत्तराधिकारी विग्रह, और तलाक आपके अपने कानून हैं। वे बिल्कुल भिन्न हैं। जैसे ही कोई वयस्क होता है तो उसका माता-पिता और परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो शर्तें अनुसूचित जनजातियों के लिए रखी गई हैं उन पर पुर्नविचार किये जाने की आवश्यकता है जहां तक क्षेत्र का सम्बन्ध है मेरे प्रश्न का मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया।

अध्यक्ष महोदय : वह भाषण दे रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री भोखा भाई : प्रश्न के भाग (ग) का कोई उत्तर नहीं दिया गया। मैंने क्षेत्र वार जानकारी माँगी थी जहां जनजातीय जिलों का प्रश्न है मै उनसे सहमत हूं। मैं निसन्देह उनसे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन चूंकि जनजातीय समाज की अपनी अलग संस्कृति है इसलिए मैं उनसे आश्वासन चाहता हूं कि वे इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के मामले पर पुनर्विचार करेंगे।

श्री पी. शिव शंकर : माननीय सदस्य ने तीन प्रश्न पूछे हैं। जहां तक आंकड़ों का संबंध है किसी अन्य अवसर पर मैंने कहा था कि अप्रैल 1977 से 31 मार्च 1983 तक कुल 657 एल. पी. जी. डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान की गई थी जिनमें से कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को 164 दी गई थी जो कि 25 प्रतिशत है। 1531 खुदरा डीलरशिप में से 282 उन्हें प्रदान की गई जो कि 18.2 प्रतिशत होती है। 1982-83 और उसके बाद हमने कुल प्रतिशत को बढाकर 34.4 प्रतिशत कर दिया था। जिससे 1982 में यह 25 प्रतिशत तक हो गया था। एस. के. डी. और एल डी. ओ. की कुल 142 डीलरशिप में से 108 डीलरशिप अनुसूचित जातियों एवं जन जातियों को प्रदान की गई जो कि 26.2 प्रतिशत होती है। तथापि मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के साथ थोड़ा भिन्न से व्यवहार किया जाता है क्योंकि यहां पर अधिकांश जनसंख्या आदिवासियों की है। चूंकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में जन सख्या अधिकांशत: अनुसूचित जनजातियों की है इस लिए इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए डीलरशिप का आरक्षण का प्रतिशत काफी है। वास्तव में स्थिति यह है कि अरुणाचल प्रदेश में 70 प्रतिशत डीलरशिप अनुसूचित जन जातियों को प्रदान की गयी है। मेघालय में यह 80 प्रतिशत है और मिजोरम में यह 90 प्रतिशत है। जहां अनुसूचित जाति की जन संख्या अधिक है और वहां कोई व्यक्ति आरक्षित डीलरशिप के लिए आगे नहीं आता है तो इस मसले को दूसरी तरह से सुलझाया जाता है। जिला अधिकारी की सहायता से नामों की एक सूची तैयार की जाती है जो और इसे चयन समिति के समक्ष रखा जाता है। अत: उनका उचित ध्यान रखा गया है।

माननीय सदस्य ने एक पहलू का उल्लेख करते हुए कहा कि चूंकि उनके रीति-रिवाज भिन्न हैं और जैसे ही कोई व्यक्ति वयस्क होता है विवाह के बाद उसका अपने परिवार से कोई संबन्ध नहीं रहता है इसलिए सम्बन्धियों के मामले में जो मार्गदर्शी सिद्धान्त रखे गये हैं उनको बदलने की आवश्यकता है। महोदय यद्यपि इस विषय में मैं उनको कोई आश्वासन नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अन्य समुदाय भी इस बात की मांग कर सकते हैं फिर भी मैं उनके सुझाव पर आश्वासन दिए विचार करूंगा।

श्री राम लाल राही : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जानते होंगे कि पैट्रोलियम पदार्थों से सम्बन्धित डीलर शिप चाहे वह डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस हो, इनकी डीलरशिप जनता सरकार के जमाने में जब माननीय बहुगुणा जी मंत्री थे तब उन्होंने रिजर्वेशन शुरू किया था और तभी से यह प्रणाली की शुरूआत हुई है। उससे पहले तो इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति में 0001 परसेन्ट भी किसी के पास डीलरशिप नहीं थी, शायद एक समय था जहां तक मुझे याद है।

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री राम लाल राही : इस सरकार ने इसके अलावा और कोई बढ़ोत्तरी नहीं की, केवल उनके कदमों पर वह चले हैं, इसलिए मैं इनको बधाई देना चाहता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : आप और मंत्री जी को बधाई ?

श्री राम लाल राही : हाँ, उनके कदमों पर चल रहे हैं इसलिये। लेकिन पैट्रोलियम पदार्थ और हैं जैसे पैराफिन मांग, पैट्रोकैमिकल्स की कई चीजें ऐसी निकलती है जो औद्योगिक क्षेत्र में इस्तेमाल होती हैं। क्या इनके बारे में भी आप आरक्षण करेंगे, व्यावसायिक दृष्टि से लोगों की डीलरशिप देंगे ?

दूसरी बात मंत्री जी को जानकारी होगी कि जो डीलर 10,0000 किलो लीटर तक एक साल में बिक्री कर लेते हैं उनको एक डीजल पम्प के साथ दूसरा पम्प भी दे दिया जाता है। तो क्या हरिजनों को यह रियायत करेंगे कि अगर वह 75,000 किलो लीटर तक बिक्री कर लें तो उनको दूसरी डीलर शिप देने को आप तैयार हैं, इस बात पर आप विचार करेंगे।

श्री पी. शिवशंकर : महोदय मैं इसके इतिहास मे नहीं जाना चाहता हूं लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि भारतीय तेल निगम विचारणीय में 1-1-1974 से आरक्षण की शुरूआत हुई थी।

पहले मुद्दे पर जो सुझाव दिया गया है वह विचारणीय है। इस विषय पर मैं विचार करूंगा। प्रश्न के दूसरे भाग, जो कि उन लोगों से सम्बन्धित है जो कि मिट्टी का तेल बेचते हैं और जिन्हें एच.एस.डी. पैट्रोल पम्प इत्यादि देने की अनुमति मिलने वाली है इस बारे में जो मार्गदर्शी सिद्धांतों में संशोधन किया गया है।

श्री राम लाल राही : की राशिन नहीं, मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं।

श्री पी, शिवशंकर : उसको कम कर दिया गया है। अब अगर फर्ज कर लीजिये किसी को एक डीलर शिप है तो दूसरी डीलर शिप नहीं दी जा सकती है।

श्री रामलाल राही : मंत्री जी सवाल को समझे नहीं, दूसरी डीलरशिप देने का सवाल नहीं हैं।...

अध्यक्ष महोदय : श्री राही आप कृपया बैठ जाइये। श्री गायकवाड !

बड़ौदा में दूर दर्शन रिले केन्द्र की स्थापना करना

*784. **श्री आर. पी. गायकवाड़ :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में बड़ौदा में एक दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रायल के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हाँ ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री गायकवाड़ क्या आप अनुपूरक प्रश्न करना चाहेंगे ?

(व्यवधान)

श्री एच. के. एल. भगत : मैंने, पहले ही प्रश्न के भाग (क) का उत्तर जी, हां में दे दिया है । इस वर्ष में ही बड़ोदा में एक टी.वी. प्रसारण केन्द्र निश्चित रूप से स्थापित किया जायेगा । प्रश्न के (ख) भाग का उत्तर है 'प्रश्न ही नहीं उठता है ।'' **(व्यवधान)**

श्री आर.पी गायकवाड़ : मुझे बताया गया है कि प्रश्न स्थगित कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री जगदीश टाईटलर : उन्हें बताया गया है कि आज वह प्रश्न नहीं लिया जाएगा । वह यही बता रहे हैं, और कुछ नहीं पूछ रहे हैं ।

श्री एच. के. एल. भगत : मेरे पास उत्तर तैयार है ।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उत्तर क्या है ? **(व्यवधान)**

श्री एच.के.एल. भगत : महोदय मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि माननीय सदस्य ने यह पूछा है कि क्या गुजरात, राज्य में बड़ौदा में कोई टी. वी. प्रसारण केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है । उसके उसके उत्तर में मैंने 'हां' कहा था और यह भी कहा था और यह भी कहा था कि यह कार्य इसी वर्ष संपन्न हो जायेगा ।

दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना

*785. †**श्री एस.आर.ए.एस. अप्पालानायडू :**

श्री नवीन रावणी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किन शहरों और कस्बों में 10 किलोवाट, 1 किलोवाट और 100 वाट की तीन श्रेणियों के अन्तर्गत दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गये और स्थापित किए गये और स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन शहरों और कस्बों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए चयन हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गये थे;

(ग) एक ही राज्य में अधिक जन संख्या वाले शहरों की उपेक्षा करके जिन शहरों/कस्बों में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए उनके नाम क्या है और वहां कितनी शक्ति के ट्रांसमीटर स्थापित किए गये; और

(घ) प्रमुख शहरों की उपेक्षा करने और कम जन संख्या वाले शहरों और कस्बों में दूरदर्शन ट्रांसमीटरों की स्थापना के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल.भगत) (क) (1) छठी योजना अवधि के दौरान अब तक निम्नलिखित दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए हैं :—

(I) बंगलौर, नागपुर, पणजी, इलाहाबाद, अहमदाबाद, आसनसोल और विजयवाड़ा में 1 किलोवाट के ट्रांसमीटर के साथ अन्तरिम सेवा ।

(II) जम्मू, शिमला, देवरिया, सूरतगढ़, गौहाटी, इटानगर, गंगतोक, शिलांग, कोहिमा इम्फाल, ऐजवाल, अगरतला, भुवनेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, काकीनाडा, त्रिवेन्द्रम, इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर, माल्दा तथा पटना में 100 वाट के ट्रांसमीटर ।

(2) चालू योजना के दौरान स्थापित किए जा रहे 10 किलोवाट की उच्च शक्ति वाले तथा 100 वाट की अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के स्थान क्रमशः संलग्न विवरण 1 और 2 में दिए गये हैं ।

(ख) दूरदर्शन के ट्रांसमीटरों के लिए स्थानों का चयन करने में विभिन्न बातों को ध्यान में रखा जाता है यथा ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के कवरेज की सीमा, पिछड़े, दूरस्थ तथा नाजुक सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेवा, श्रमजीवी वर्ग/औद्योगिक जनसंख्या के बड़े भाग का कवरेज, कार्यक्रम निर्माण/लिंकेज सुविधाओं तथा अन्य अवस्थापना की उपलब्धता । स्थान विशेष का अंतिम चयन उक्त बातों के विवेकपूर्ण मिश्रण के आधार पर होता है ।

(ग) और (घ) यथा संभव सभी मुख्य नगरों को या तो नगर में ही या आसपास लग रहे ट्रांसमीटरों, जिनके 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है, द्वारा कवर किया जायेगा । सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है और जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने की व्यवस्था संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में की जायेगी ।

विवरण 1

छठी योजना के दौरान स्थापित किए जा रहे नए ट्रांसमीटरों की सूची

उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर (10 किलोवाट)

क्र०सं०	स्थान	राज्य
1	2	3
1.	विजयवाड़ा	(अन्तरिम ढांचा चालू हो गया है)
2.	विशाखापत्तनम	आंध्र प्रदेश
3.	गोहाटी	असम
4.	पटना	बिहार
5.	रांची	
6.	अहमदाबाद	(अन्तरिम ढांचा चालू हो गया है)
7.	द्वारका	
8.	राजकोट	गुजरात
9.	कसौली	हिमाचल प्रदेश
10.	जम्मू	जम्मू और कश्मीर
11.	पूंच	
12.	कोचीन	
13.	त्रिवेन्द्रम	केरल
14.	भोपाल	मध्य प्रदेश
15.	इन्दौर	
16.	कटक	उड़ीसा
17.	भटिंडा	पंजाब
18.	कोडैकनाल	तमिलनाडु
19.	इलाहाबाद	(अन्तरिम ढांचा चालू हो गया है)
20.	आगरा	

1	2	3
21.	वाराणसी	उत्तर प्रदेश
22.	गोरखपुर	
23.	अगरतला	त्रिपुरा
24.	आसनसोल	(अन्तरिम ढांचा चालू हो गया है)
25.	कुर्सियांग	
26.	मुर्शिदाबाद	पश्चिम बंगाल

इसके अलावा, बंगलौर और पणजी में स्थापित अन्तरिम ढांचे में कार्य कर रहे। 1 किलोवाट के ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ा कर 10 किलोवाट करके वहां पर स्थायी ढांचा भी उपलब्ध किया जायेगा।

विवरण 2

क्र०सं०	स्थान	राज्य/संघ शासित क्षेत्र
1	2	3
1.	डिब्रूगढ़	असम
2.	तेजपुर	
3.	वारांगल	आंध्र प्रदेश
4.	राजामुन्द्री	
5.	नेल्लोर	
6.	तिरुपति	
7.	निजामाबाद	
8.	कुर्नूल	
9.	अनन्तपुर	
10.	एडोनी	
11.	कुड्डपा	
12.	महबूबनगर	

1	2	3
13.	करीमनगर	
14.	धनवाद	बिहार
15.	जमशेदपुर	
16.	गया	
17.	भागलपुर	
18.	दरभंगा	
19.	मुंगेर	
20.	पुर्णिया	
21.	बेतिया	
22.	सूरत	गुजरात
23.	बदोदरा	
24.	भावनगर	
25.	नवासरी	
26.	भरूच	
27.	पाटन	
28.	हिसार	हरियाणा
29.	भिवानी	
30.	धारवाड़	कर्नाटक
31.	मैसुर	
32.	मंगलौर	
33.	बेलगांव	
34.	बेल्लेरी	
35.	देवेनगेरे	
36.	शिमोगा	
37.	बीजापुर	

1	2	3
38.	रायपुर	
39.	गडग बेतगरी	
40.	होस्पेट	
41.	कालीकट	केरल
42.	कन्नानौज	
43.	पालघाट	
44.	पांडिचेरी	पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)
45.	जबलपुर	मध्यप्रदेश
46.	रतलाम	
47.	सागर	
48.	बुरहनपुर	
49.	रीवा	
50.	भुरवाड़ा	
51.	बिलासपुर	
52.	कोरबा	
53.	सिंगरौली	
54.	शोलापुर	महाराष्ट्र
55.	नासिक	
56.	कोल्हापुर	
57.	औरगांबाद	
58.	सांगली	
59.	अमरावती	
60.	मालेगांव	
61.	अकोला	
62.	धुले	

1	2	3
63.	नांदेड	
64.	अहमदनगर	
65.	जलगांव	
66.	जालना	
67.	भुसावाला	
68.	चन्द्रपुर	
69.	लातुर	
70.	परमनी	
71.	गोडिया	
72.	लोकताक	मणिपुर
73.	राउरकेला	उड़ीसा
74.	करहमपुर	
75.	कोरापुट	
76.	जोधपुर	राजस्थान
77.	अजमेर	
78.	कोटा	
79.	बीकानेर	
80.	उदयपुर	
81.	अलवर	
82.	गंगानगर	
83.	भीलवाड़ा	
84.	खेतरी	
85.	जैसलमेर	
86.	बाड़मेर	
87.	पठानकोट	पंजाब

1	2	3
88.	तिरूचिरापल्ली	तमिलनाडू
89.	सलेम	
90.	बैल्लौर	
91.	कुम्बकोनम	
92.	कोयम्बतूर	
93.	नेवेली	
94.	बरेली	उत्तर प्रदेश
95.	मुरादाबाद	
96.	अलीगढ़	
97.	बांसी	
98.	सुल्तानपुर	
99.	रायबरेली	
100.	फैजाबाद	
101.	इटावा	
102.	बहराइच	
103.	शाहजहानपुर	
104.	रामपुर	
105.	पौड़ी	
106.	फरूखाबाद	
107.	संभल	
108.	नैनीताल	
109.	खंड़गपुर	
110.	वर्धमान	पश्चिम बंगाल

111.	सिलीगुड़ी	
112.	बालुरघाट	
113.	शांतिनिकेतन	
114.	कुल्लू	हिमाचल प्रदेश
115.	लेह	जम्मू व काश्मीर
116.	कारगिल	
117	तुरा	मेघालय

**श्री एस.आर.ए.एस. अप्पालानायडू : अध्यक्ष महोदय, विशाखापटनम आंध्रप्रदेश का का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। वह एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। यह शहर 10 कि० वा० दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना के लिए सभी आवश्यक शर्तें पूरा करता है अतः मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सरकार विशाखापटनम में 10 कि०वा० दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना कब करेगी?

श्री एच.के.एल. भगत : जहां तक आंध्र प्रदेश का सम्बन्ध है···

श्रीएस.आर.ए.एस. अप्पालानायडू : मैं विज्ञान के बारे में जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री एच.के.एल. भगत : जी हां, जहां तक विशाखापटनम का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आंध्र प्रदेश में एस.टी. डी. सेवायें

श्री अनन्त रामुलुमल्लु : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में 1984-85 के दौरान कौन-कौन से नगरों को एस. टी. डी. के अन्तर्गत लाए जाने का विचार है; और

**तेलगु में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(ख) आंध्र प्रदेश में एस.टी.डी. सेवाओं के समुचित कार्यकरण की निगरानी के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी. एन. गाडगिल) : (क) 1984-85 के दौरान आंध्र प्रदेश में करीमनगर तथा कुरनूल में एस.टी-डी. सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है।

(ख) एक—दोषों की किस्म और स्थान का पता लगाने तथा उन्हें ठीक करने के लिए सभी एस.टी. डी. सर्किटों की प्रतिदिन जांच की जाती है।

दो—समूचे परिपथ जाल के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए नियमित रूप से सार्वधिक विशेष परीक्षण किए जाते हैं और इन विशेष परीक्षणों सेवा गुणता परीक्षण कहा जाता है।

तीन—मार्गों पर परियात के भार का नियमित रूप से अध्ययन किया जाता है और जहां कहीं आवश्यक हो सर्किटों में वृद्धि करने के लिए कार्रवाई की जाती है।

चार—विभिन्न प्रकार के सामान्य नियंत्रण उपस्कारों के कार्य-निष्पादन पर नियमित रूप से निगरानी रखी जाती है और यथावश्यक उपचारी कार्रवाई की जाती है।

पांच—हैदराबाद तथा विजयवाड़ा टी.ए.एक्स के माध्यम से एस.टी.डी. सेवाओं की आन-लाइन निगरानी के लिए आटोमैटिक ट्रैफिक रिकार्डिंग एवं एनोरिकसिस (ए.यू.टी.आर.ए.एक्स) उपस्कर प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

छः—परियात पर्यवेक्षण तथा संबंधित अनुरक्षण प्राधिकारियों के साथ समन्वय कार्रवाई के लिए बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में जोनल नेटवर्क कंट्रोल सेंटर (जैड.एन.सी.सी.) स्थापित किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में बिजली घरों का आधुनिकीकरण

*787. **डा. बसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिजली घरों के सुधार/आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में विदेशी परामर्श हेतु देश के लिए 20 लाख पाउन्ड का अनुदान उपलब्ध है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस प्रायोजन के लिए परियोजना रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है; यदि हां, तो कब; और

(ग) परियोजना रिपोर्ट को मंजूर करने तथा इस प्रायोजन के लिए मध्य प्रदेश को धनराशि प्रदान करने के बारे में क्या निर्णय लिया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) भारत में विद्युत सेक्टर के लिए यू० के० में

कुछ सामग्री तथा सेवाओं की खरीददारी के लिए अनुदान के रूप में 10 मिलियन पोण्ड तक की राशि के लिए यू० के० ने प्रस्ताव रखा है । तथापि विद्युत केन्द्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए पूरी तरह से विदेशी परामर्श के लिए अलग से कोई अनुदान नहीं है ।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने अगस्त, 1982 में ताप विद्युत केन्द्रों के नवीकरण और आधुनिकीकरण के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के साथ हुए विचार-विमर्श के आधार पर मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने फरवरी, 1984 में 44.04 करोड़ रु० की अनुमानित लागत की एक संशोधित परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है । स्कीम का इस समय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मूल्यांकन किया जा रहा है । अमरन कंटक ताप विद्युत केन्द्र की कोयला हैण्डलिंग स्कीम के सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरणों की बोर्ड से अभी प्रतीक्षा है । 1984-85 की वार्षिक योजना में राज्य सरकार ने मरम्मत और प्रतिस्थापना संबंधी कार्यों के लिए 8.92 करोड़ रु० के प्रावधान का प्रस्ताव किया था जबकि 10 करोड़ रु. के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है ।

उद्योग में सुरक्षा प्रबंध संबंधी राष्ट्रीय संगोष्ठी की सिफारिशें

* 788 **श्री के० राममूर्ति** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा के बारे में विविध नियमों के एकत्रीकरण पर विचार करने तथा सुरक्षा प्रयासों में छोटे एककों की सहायता करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) "उद्योग में सुरक्षा प्रबन्ध" विषय पर हाल ही में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी में क्या सिफारिशें की गई हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) कार्यकारी दल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है ।

(ग) उद्योग में सुरक्षा प्रबंध संबंधी राष्ट्रीय सेमिनार ने सरकार, औद्योगिक प्रबन्धकों, नियोजकों/श्रमिकों के संगठनों आदि द्वारा अपनाई जाने वाली विभिन्न कार्यवाही योजनाओं का सुझाव दिया ताकि काम करने के लिए कार्य स्थलों को सुरक्षित बनाया जा सके । मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

विवरण

1. निर्माण उद्योग में सुरक्षा के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए, जिसके अन्तर्गत कारखाना परिसर के भीतर निर्माण श्रमिकों और ठेका श्रमिकों को भी लाया जाए ।

2. व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य समस्याओं के संबंध में अनुसंधान और सम्बद्ध

कार्यकलापों को करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों को समुचित रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ।

3. पूर्ण स्थायी और आंशिक स्थायी अपंगताओं के लिए मुआवजे दरों में वृद्धि की जानी चाहिए और जहां कहीं अनिवार्य हो, बराबर-दराबर मुआवजा देने के लिए नियोजकों से भी कहा जाना चाहिए ।

4. कारखाना अधिनियम के अधीन कारखानों के पंजीकरण के लिए लाइसैंसफी में उपयुक्त रूप से वृद्धि की जाए और वसूल किए गए अतिरिक्त राजस्व से कारखाना निरीक्षणालयों की संख्या में वृद्धि की जाए ।

5. कम्पनी की सुरक्षा नीति और कार्य निष्पादन को शेयरधारियों को परिचालित की जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट में शामिल किया जाना चाहिए ।

6. उद्योगों की एसोसिएसनों को सुरक्षा नीति बनानी चाहिए, जिसे उनके सदस्यों को स्वविनियमन के लिए सुरक्षा संहिता के रूप में अनुपालन करना या अपनाना चाहिए ।

7. ट्रेड यूनियनों को अपने श्रमिकों के लिए सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने हेतु और सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए ।

टेलीफोन के गलत बिल तैयार करना

*789. **डा. कृपा सिन्धु भोई :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या यह सच है कि सरकार को टेलीफोनों के गलत बिल तैयार किए जाने की अब भी प्रयोक्ताओं से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोनों के गलत बिल तैयार किये जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या टेलीफोनों के गलत बिल तैयार किये जाने के सम्बन्ध में किसी नगर में कोई नमूना सर्वेक्षण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नमूना सर्वेक्षण रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी नहीं । तथापि, हमें अधिक राशि के बिल बनाने सम्बन्धी कुछ शिकायतें उपभोक्ताओं से प्राप्त होती हैं ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा गया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

जहां तक मीटर रीडिंग आदि के प्रतिलेखन में लिपिकीय त्रुटि के कारण गलत बिल

बनने का संबंध है, सभी यूनिटों को उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं कि इस काम में अत्यधिक सतर्कता बरती जाए। महानगरीय जिलों में हिसाब की गड़बड़ी को दूर करने के उद्देश्य से टेलीफोन के बिल बनाने से संबंधित कार्य का कंप्यूटरीकरण कर दिया गया है। तकनीकी दोषों के कारण गलत अधिक राशि के बिल बनने के अवसरों को कम करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं; जो इस प्रकार हैं :-

(एक) क्रासकार एक्सचेंजों में पाजीटिव बैटरी मीटरिंग आरम्भ करना।

(दो) दिन और रात की दरों को बदलने की स्वचल व्यवस्था।

(तीन) उपभोक्ता द्वारा ट्रंक काल डायल करने की स्थिति में काल किए गए उपभोक्ता द्वारा टेलीफोन होल्ड करने की स्थिति में उसकी फासेंड रिलीज अवधि को 1 से मिनट से घटाकर 10 से 20 सैकिंड करना।

(चार) उत्तर देने पर काल किए गए उपभोक्ता को पहचानने के लिए ट्रंक स्वचल चक्सचेंस में 500 मिलि. सैकिंड के विलम्ब समय की व्यवस्था।

(पांच) उपभोक्ताओं के मीटरों की नेमी जांच करना।

भ्रष्टाचार को करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं जिसके कारण भी मीटर में फालतू कालें दर्ज होने सम्बन्धी शिकायतें हो सकती हैं :-

(क) मीटरों को सील करना

(ख) मीटर कक्षों को ताला लगाना

(ग) एम. डी. एफ. कक्ष (मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष) में प्रवेश को प्रतिबंधित करना।

(घ) वितरण प्वाइन्टरें को ऊंचा उठाना।

(ङ) वितरण प्वाइन्टरें पर ताले लगाना।

फालतू कालें दर्ज होने के अवसरों को कम करने तथा बिल सम्बन्धी शिकायतों को निपटाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने का भी प्रस्ताव है :—

(एक) चार्ज एनालाइजिंग उपस्करों की व्यवस्था करना।

(दो) लाइनों के दिशा परिवर्तन को संज्ञेय अपराध बनाने के लिए तार अधिनियम में संशोधन करना।

(तीन) एक्सचेंज में ऐसे विशेष नम्बर की व्यवस्था करना जिस पर एस. टी. डी कालों के हैल्ड-अप होने सम्बन्धी शिकायत की जा सकती है।

(चार) शिकायत की स्थिति में उपभोक्ताओं द्वारा की गई कालों को मानीटर करने के लिए एकल-लाइन पर्यवेक्षण उपस्कर और बहु-लाइन पर्यवेक्षण उपस्कर प्राप्त किए जा रहे हैं।

(पांच) जहां व्यवहार्य हो, वहां टेलीफोन उपभोक्ताओं को ब्यौरेवार बिल जारी करने के लिए संदेश का ब्यौरा रखने की स्वचल व्यवस्था ।

जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने वाली औषध कम्पनियां ।

*790 **श्री अमर रायप्रधान : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में गैर सरकारी और सरकारी क्षेत्र में क्षेत्र-वार जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने वाली कितनी कम्पनियां हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उपलब्ध ब्यौरों के आधार पर संगठित क्षेत्र में दिनांक 31.12.1983 को 253 अनुमोदित औषध एकक थे । जीवन रक्षक औषधों की कोई अनुमोदित सूची नहीं है । निजी और सरकारी क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सीय समूह से सम्बन्धित बल्क औषधों का निर्माण करने वाली कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है : —

चिकित्सीय समूह	निम्नलिखित क्षेत्र में औषध निर्माता कम्पनियों की संख्या	
	सरकारी क्षेत्र/सरकारी प्रबन्ध	निजी क्षेत्र
1	2	3
1. एंटिबायोटिक्स	2	11
2. सल्फा औषधें	1	10
3. तपेदिक निवारक	1	14
4. मलेरिया निवारक	1	5
5. फिलेरिया निवारक	—	2
6. कार्डियो वेस्कूलर	1	8
7. जीवाणु निवारक	1	8
8 मधुमेह निवारक	1	5
9. केसर निवारक	—	2

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों का जमशेदपुर में पुनर्वास

*791. **श्री अजित बाग : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से 100 शरणार्थी

परिवारों, जिन्हें 1977 में ही जमशेदपुर में बसाया जाना था, में से अब तक केवल 25 परिवारों को ही बसाया गया है;

(ख) ऐसे कितने परिवार अभी भी बेतिया कैम्प में रह रहे हैं;

(ग) क्या सरकार इन शेष शरणार्थी परिवारों को भी उनकी इच्छा के अनुसार जमशेदपुर में बसाने के लिये कदम उठा रही है; और

(घ) क्या यह सच है कि बेतिया कैम्प में शेष शरणार्थी परिवारों के अन्य स्थानों पर जाने से मना करने पर नकद राहत आदि जैसी पुनर्वास सुविधाएं वापिस ली जा रही हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) 52 परिवार ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सामान्य नीति के अनुसार आदि कोई प्रवासी परिवार पुनर्वास-स्थल पर जाने से इन्कार करता है तो नकद बेकारी अनुदान सहित शिविर सुविधाएं रोक दी जाती हैं ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा प्रौद्योगिकी के आयात पर धन की बरबादी

*792 **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० ने पेनसी लिए स्ट्रेन के विकास और सुधार के लिए अनेक देशों से प्रौद्योगिकी के आयात पर करोड़ों रुपये खर्च किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या आयातित प्रौद्योगिकी से कोई सुधार हुआ है;

(ग) यदि नहीं, तो प्रौद्योगिकी के आयात पर धन बरबाद करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार पूरे मामले की जांच करने का है;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) हिन्दुस्तान एन्ट्रीबायोटिक्स लिमिटेड (एच. ए. एल.) का पेंसिलिन संयंत्र 1954 में 132 लाख रुपये के निवेश से डब्लू. एच. ओ./यू. एन. आई. सी. ई. एफ द्वारा निशुल्क प्रदान की गई प्रौद्योगिकी तथा स्ट्रेन से स्थापित किया गया था । हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने पेंसिलिन के लिए बेहतर स्ट्रेन तथा प्रौद्योगिकी के लिए जनवरी 1976 में जापान के मैसर्स टोयो जो-जो के साथ सहयोग का करार किया क्योंकि वह स्वदेशी रूप से उपलब्ध नहीं थी । मैसर्स टोयो जो-जो को 30.65 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया गया था ।

(ख) जी, हां ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

औषधियों पर से मूल्य नियन्त्रण हटाया जाना

*793 **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध मूल्यों सम्बन्धी कार्यदल द्वारा देश में निर्मित 75 प्रतिशत औषधियों पर से नियत्रण हटाने की सिफारिशों में व्यापक संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा गठित कार्यकारी दल ने परिषद को कुछ सिफारिशे की हैं। एक संचालन समिति सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके पश्चात उन पर राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद और मन्त्रालय से सम्बद्ध परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जायेगा 11 अन्तिम निर्णय उसके पश्चात लिए जायेंगे। इस समय यह दर्शाना कठिन है कि अन्ततः मूल्य नियत्रित/मूल्य अनिमत्रित की प्रतिशतता क्या होगी।

कोयला कम्पनियों को पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निदेश

794. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला कम्पनियों को अपनी पुरानी परियोजएं शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या 83 बड़ी और छोटी परियोजनाएं ऐसी हैं, जो विभिन्न कारणों से पूरी नहीं हो पाई हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि लगभग 55 परियोजनाएं सरकार के पास स्वीकृत के लिए पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो इन परियोजनओं को स्वीकृति प्रदान करने में देरी होने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ङ) कोयला उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं;

(च) क्या सरकार का यह विचार है कि सातवीं योजना के दौरान कोयले के उत्पादन का लक्ष्य 24 करोड़ टन निर्धारित किया जाना चाहिए; और

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सातवीं योजना अवधि के दौरान इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिवशंकर) : (क) जी हां,। कोयला कम्पनियों को इस बात के निदेश दिये गये हैं कि जिन परियोजनाओं का काम चल रहा है उनके निर्माण और पूरा करने में शीघ्रता करें ताकि कोयला उत्पादन योजना के अनुसार हो सके और लागत तथा समय में होने वाली वृद्धि को न्यूनतम किया जा सके।

(ख) राष्ट्रीय करण से लेकर और 31 दिसम्बर, 1983 तक कोल इंडिया लि० और सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० में 119 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। यह परियोजनाएं रुपये 5 करोड़ और इससे अधिक लागत वाली हैं। इन परियोजनाओं में से 12 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और बाकी में काम चल रहा है जिन परियोजनाओं में काम चल रहा है, उनमें से 53 परियोजनाओं में विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ है और 74 परियोजनाओं में कार्यक्रम के अनुसार काम हो रहा है।

(ग) और (घ) कोयला विभाग में नई तथा पुनर्गठन योजनाओं के लिए पैंतालिस साध्यता रिपोर्टें और निर्माणधीन परियोजनाओं के लिए ग्यारह संशोधित लागत अनुमान प्राप्त हो गए हैं। उनकी प्राथमिकता और उनसे संयोजित परती उपभोक्ताओं की कोयले की नियत आवश्यकता के निर्धारित समय को ध्यान में रखकर इन प्रस्तावों की मंजूरी के लिए जांच की जा रही है। वर्ष 1983 84 के दौरान 45 नई परियोजनाएं/संशोधित लागत अनुमान स्वीकृत किए गए थे।

(ङ) कोयला उत्पादन के लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से परियोजनाओं को पूरा करने में शीघ्रता के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनमें से मुख्य यह हैं :—

(1) कोयला परियोजनाओं के लिए शीघ्रता से भूमि अधिग्रहण करने और साथ में जुड़ी कानून एवं व्यवस्था समस्याओं से निपटने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों की सहायता लेना।

(2) मशीनों के निर्माताओं के साथ सम्पर्क ताकि उपकरणों और फालतू पुर्जों की समय से सप्लाई सुनिश्चित की जा सके और जहां कहीं आवश्यक हो वहां नई निर्माण-क्षमता स्थापित करना सुनिश्चित किया जा सके;

(3) उपकरणों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए कार्यशाला की सुविधाएं प्रदान करना;

(4) भू-वैज्ञानिक समन्वेषण की तकनीकों में सुधार करके और उन्नत देशों के सहयोग से आयोजन और डिजाइन में केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० के इंजीनियरों को आवश्यक प्रशिक्षण देकर परियोजना रिपोर्टों की किस्म और विश्वसनीयता में सुधार करना;

(5) बिजली की सप्लाई में रुकावट दूर करने के लिए कुछ बड़ी परियोजनाओं में ग्रहीत विद्युत उत्पादन सेट उपलब्ध कराना;

(6) प्रत्येक परियोजना के लिए अलग प्रबन्ध संगठन स्थापित करके और परियोजना कार्मिकों को उपयुक्त प्रशिक्षण देकर परियोजना कार्यान्वयन मशीनरी को मजबूत करना;

(7) परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करने और समय से सुधार की कार्रवाई करने के लिए अधिक व्यवस्थित और सम्पूर्ण प्रबंध सूचना प्रणाली शुरू करना।

(च) और (छ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सरकार ने कोयले और लिग्नाइट के लिए एक कार्यकारी दल का गठन किया है जिसे अन्य कामों के साथ-साथ निम्नलिखित काम दिये गये हैं :--

(1) सातवीं पंच वर्षीय योजना के लिए अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की कोयले की मांग का अनुमान लगाना;

(2) ऐसा उत्पादन लक्ष्य सुझाना जिसे वर्ष 1985-90 की अवधि के दौरान कोयले और लिग्नाइट के उत्पादन के लिए नियत करने की आवश्यकता होगी;

(3) सातवीं पच-वर्षीय योजना के दौरान उत्पादन-लक्ष्य प्राप्त करने के लिये आवश्यक आधारभूत सुविधाओं का अनुमान लगाना और इस सम्बन्ध में उठाये जाने वाले कदमों की सिफारिश करना ।

आशा है कि यह कार्यकारी दल शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट दे देगा । सातवीं योजना के लिए उत्पादन लक्ष्य का निश्चय कार्यकारी दल की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किया जायेगा ।

कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में विस्फोट के बारे में जांच-रिपोर्ट

*795 **प्रो. पी. जे. कुरियन :**

श्री दिगम्बर सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड में हुए विस्फोट के बारे में जांच-रिपोर्ट प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) जांच चल रही है और इसके जून, 1984 तक पूरा हो जाने की आशा है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

कल्याण निग में "ग" और "घ" समूहों के कर्मचारियों के लिए सलेक्शन ग्रेड बनाना और लागू करना

*796 **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ग" और "घ" समूहों के कर्मचारियों के लिए तृतीय वेतन आयोग द्वारा

सिफारिश किए गए सलेक्शन ग्रेड कल्याण विंग के सभी फील्ड संगठनों में लागू कर दिये गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इस प्रकार की असाधारण देरी के क्या कारण हैं जिसके कारण कर्मचारियों को न केवल वित्तीय हानि हुई है बल्कि उनमें निराशा और असंतोष भी फैला है;

(ग) इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है; और

(ग) सरकार का विचार प्रभावित कर्मचारियों को क्या राहत देने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं

(ख) से (घ) चयन ग्रेड पदों को स्वीकृत संख्या के आधार पर मंजूरी दी जाती है। प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रत्येक वर्ग में क्षेत्रीय श्रम कल्याण संगठन में पृथक रूप से ली गई स्वीकृत संख्या ग्रुप "ग" और "घ" पदों में चयन ग्रेड शुरू करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। विभिन्न प्रयोजनों हेतु विभिन्न पदों को एक साथ मिलाने के लिए विभिन्न ग्रुप "ग" और "घ" पदों के लिए सामान्य भर्ती नियम रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

भारत और पश्चिमी देशों में सौर ऊर्जा के संबंध में उपलब्धियां

*797 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी देशों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) भारत को विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में जहां पर बारह महीने सूर्य का प्रकाश लगातार मिलता है, इस संबंध में कितनी सफलता मिली है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री श्री पी (शिव शंकर) : (क) पश्चिमी देशों में तापीय और प्रकाश बोल्टिक दोनों के द्वारा सौर ऊर्जा के प्रयोग में पर्याप्त सफलता मिली है। निम्न ग्रेड सौर तापीय युक्तियां अब बाजार में वाणिज्यिक रूप से पैदा की जा रही हैं। इन युक्तियों में प्रयोगों की विभिन्नता के लिए सौर तापन जल/गर्म वायु प्रणालियां सम्मिलित हैं। पश्चिमी देशों में विद्युत उत्पादन के लिए मध्यम ग्रेड की गर्म प्रणालियां भी आम तौर से उपलब्ध हैं। विद्युत उत्पादन के लिए उच्च ग्रेड की तापन प्रणालियों का उनके निष्पादन और आर्थिक विकास के लिए प्रदर्शन किया जा रहा है।

विद्युत उत्पादन के लिए सौर प्रकाश बोल्टिक प्रणालियों का वाणिज्यिक रूप में निर्माण किया जा रहा है। अनियमित और बहु-क्राईसेलीन मैटीरियल पर आधारित सौर सैलों का विभिन्न वातावरण की दशाओं के अधीन उनके निष्पादन के अन्वेशषण के लिए प्रायोगिक संयंत्र पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है।

(ख) भारत में अब कई प्राइवेट निर्माण कर्त्ताओं द्वारा निम्न ग्रेड सौर तापन युक्तियों का उत्पादन किया जा रहा है। ये प्रणालियां घरेलू और औद्योगिक प्रयोगों के लिए उपयुक्त हैं। कि मध्यम ग्रेड सौर ताप (गर्म) पर आधारित विद्युत उत्पादन प्रणालियों का उनके बड़े पैमाने पर प्रयोग के लिए अध्ययन किया जा रहा है। रेगिस्तानी क्षेत्रों सहित, विकेन्द्रित प्रयोगों के लिए ये प्रणालियां उपयुक्त हैं। उच्च ग्रेड सौर तापन प्रणालियों से, सम्बन्धित परियोजनाएं अनुसंधान और विकास की प्रारम्भिक अवस्था में हैं।

केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक लिमिटेड और भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड दो सरकारी क्षेत्र सिलिकोन के सैलों का निर्माण कर रहे हैं। सिलिकोन के अनियमित सौर सैलों के विकास से सम्बन्धित एक राष्ट्रीय कार्यक्रम को पहले से ही आरम्भ किया गया है।

(ग) दो विभिन्न प्रकारों अर्थात् तापीय प्रणाली और प्रकाश बोल्टिक परिवर्तन से सौर ऊर्जा का लाभदायक ऊर्जा में परिवर्तन किया जा सकता है। पहली दशा में सौर ऊर्जा को ताप (गर्म) में परिवर्तित किया जाता है जिसका आगे विभिन्न प्रयोगों में किया जा सकता है। दूसरी दशा (स्थिति) में प्रकाश बोल्टिक परिवर्तन के सिद्धान्त का प्रयोग करके सीधे ऊर्जा का विद्युत में परिवर्तन किया जाता है। इन दोनों प्रौद्योगिकियों का या तो विकास किया गया है या सरकार के गहन अनुसधान और विकास कार्यक्रम के अधीन विकास किया जा रहा है।

गैस स्टोवों की कीमतों में कमी

*798. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1984 के "नवभारत टाइम्स" के मुख्य पृष्ठ पर "गैस डीलरों द्वारा भारी मुनाफा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार गैस स्टोव के मूल्य में कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है; और

(ग) उन गैस डीलरों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है जो उपभोक्ताओं को उनसे गैस स्टोव खरीदने के लिए बाध्य करते हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) चूंकि एल० पी० जी० स्टोव के उत्पादन और बिक्री उत्पादकों की सामान्य व्यापारिक गतिविधियों का एक भाग है इसलिए सरकार द्वारा एल० पी० जी० स्टोव के मूल्य को घटाने के लिए कोई कदम उठाये जाने का प्रश्न उत्पन्न हो नहीं होता।

(ग) स्थायी निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता को इस बात की छूट है कि वह गैस स्टोव को कहीं से भी खरीदे बशर्ते ऐसा स्टोव आई० एस० आई० द्वारा प्रमाणित हो। परन्तु यदि कोई ऐसी शिकायत मिलती है कि डीलर उपभोक्ताओं को गैस स्टोव उससे खरीदने के लिए बाध्य

कर रहा है तो उस शिकायत की अच्छी प्रकार से जांच की जाती है और इसके ठीक पाये जाने पर कार्रवाई की जाती है।

संचार के सम्बन्ध में विदेशों के साथ समझौता

*799. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संचार से सम्बन्धित मामलों पर विदेशों के साथ कोई द्विपक्षीय समझौते किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (वी. एन. गाडगिल) : (क) और (ख) जी हां। जहां तक केवल संचार मंत्रालय का सम्बन्ध हैं, संचार के सम्बन्ध में विदेशों के साथ द्विपक्षीय करारों/समझौते के ज्ञापन का ब्यौरा संलग्न विवरण मे दिया गया है।

विवरण

दूरसंचार सम्बन्धी करार

(1) भारत सरकार ने बंगला देश, पाकिस्तान, नैपाल और श्रीलंका के साथ भारत और इनमें से प्रत्येक देश के बीच दूरसंचार सेवाओं की स्थापना, इन्हें जारी रखने और उनके सुधार के लिए द्विपक्षीय दूरसंचार करार किए।

(2) भारत और रूस के बीच ट्रोपो-स्केटर संचार सम्पर्क की स्थापना में सहयोग के लिए भारत सरकार और सोवियत समाजवादी प्रजातंत्र संघ के बीच प्रैल, 1977 में एक करार किया गया था।

(3) भारतीय संचार मंत्रालय के अधीन विदेश संचार सेवा और संयुक्त अरब अमीरात की दूरसंचार कार्पोरेशन ने, भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच, अन्त:समुद्री केवल प्रणाली की स्थापना के लिए मार्च, 1984 में समझौते-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(4) प्रेयानुशिली रेडियो के प्रचालन के लिए स्विट्जरलैण्ड, आस्ट्रेलिया, पश्चिमी जर्मनी, ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा, पोलैण्ड, घाना, ग्रीस और जापान के साथ द्विपक्षीय करार किए गए।

(5) डाक और दूरसंचार के क्षेत्र में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के विकास के लिए 28 फरवरी, 1980 को भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

(6) दूरसंचार उपस्कर, सेवाओं और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भारत सरकार और फ्रांस की सरकार के बीच 2 अगस्त, 1984 को समझौते के एक और ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए। इसमें दूरसंचार उपस्कर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अन्तरण शामिल है।

डाक सम्बन्धी करार

पार्सल, डाक, पत्र डाक और मनीआर्डर के सम्बन्ध में कई देशों के साथ करार किये गए।

हरियाणा और पंजाब में वक्फ सम्पत्ति की बिक्री

8487. **श्री गयूर अली खां** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि हरियाणा और पंजाब में वक्फ सम्पति को निष्क्रांत सम्पत्ति घोषित करके गैर कानूनी रूप से बेचा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में वक्फ सम्पत्ति के विधि विरुद्ध विक्रय को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकारों से जानकारी एकत्रित की जा रही है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य के राजस्व विभाग को अनुदेश दिये गए हैं कि वह तहसीलदारों (विक्रय) को अनुदेश जारी करें कि वे ऐसी सम्पत्तियों का आवंटन या विक्रय न करें जो वक्फ अधिनियम, 1954 के अधीन अधिसूचित की गई हैं। हरियाणा सरकार से जानकारी अभी प्राप्त होनी है और वह सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 के अन्तर्गत औद्योगिक प्रतिष्ठानों को छूट

8488. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार अथवा किसी उपयुक्त सरकार ने औद्योगिक नियोजन स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 की धारा 2 के खंड (ख) के साथ पठित धारा 14 के अनुसार किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान को अधिनियम के किसी उपबन्ध से छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों तथा छूट के कारण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। उन प्रतिष्ठानों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं जिनके सम्बन्ध में उपर्युक्त सरकार राज्य सरकार है।

विवरण

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश), अधिनियम, 1946 के उपबन्धों से छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों की सूची।

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	छूट के कारण
1	2	3
1.	मुख्य पत्तनें—	
	1. बम्बई	इनमें सेवा नियम और विनियम विद्यमान हैं जिनमें स्थाई आदेश अधिनियम भी अनुसूची की सभी मदें शामिल हैं।
	2. कलकत्ता	
	3. मद्रास	
	4. कोचीन	
	5. विशाखापत्तनम	
	6. कांदला	
	7. पारादीप	
2.	विभागीय उपक्रम, अर्थात्—	जहां पर ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी नियमों और नियमों के अन्तर्गत नहीं आते हैं, वहां पर पृथक् सेवा नियम और विनियम बनाए जाएंगे और उनकी प्रतियां सम्बन्धित कर्मकारों को उपलब्ध कराई जाएंगी।
	1. भारत सरकार मुद्रणालय	
	2. रोजगार और प्रशिक्षण महा-निदेशालय के अधीन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान और	
	3. देहरादून और कलकत्ता में सरकारी मुद्रण कार्यालय	
3.	दिल्ली परिवहन उपक्रम	अनुसूची में निर्धारित मामलों से संबंधित पृथक् नियम हैं और जब कभी नियमों और विनियमों में परिवर्तन करने का सुझाव होता है, तो सम्बन्धित कर्मकारों को आपत्ति उठाने और सुझाव देने की भी सुविधाएं हैं।

1	2	3
4.	1. हीराकुण्ड में मैकेनिकल वर्क-शाप और 2. जोनल रेलवे के औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा 3. चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स तथा इण्टगरल कोच फैक्टरी।	ऐसे सभी कर्मचारी रेलवे कर्मचारी हैं जिनके सम्बन्ध में रेलवे प्रतिष्ठान संहिता तथा अन्य सम्बन्धित मामले लागू होते हैं। इसको देखते हुए, उनकी सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए अलग से स्थायी आदेश बनाने की आवश्यकता नहीं है।
5.	भारतीय पशु-पालन अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर/मुक्तेश्वर	जहां कहीं ऐसे कर्मचारी हैं जो सरकारी नियमों और विनियमों के अन्तर्गत नहीं आते, वहां अलग से सेवा नियम और विनियम बनाए जाएंगे और उनकी प्रतियां सम्बन्धित कर्मकारों को उपलब्ध कराई जाएंगीं।
6.	नेशनल [illegible] लिमिटेड, जादवपुर, कल[illegible]।	यह छूट प्रबन्धतंत्र और यूनियनों के संयुक्त अनुरोध पर आधारित है सेवा शर्तें मूलभूत और अनुपूरक नियम तथा अन्य सेवा नियम जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू हैं, द्वारा विनियमित की जाती हैं। यह छूट निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन हैं :— 1. यह 21-5-1983 से तीन वर्ष की अवधि के लिए हैं। 2. प्रबन्धतंत्र श्रमिकों की सहमति के बिना वर्तमान सेवा शर्तों में ऐसे ढंग से संशोधन नहीं करेगा, जो उनके हितों के विरुद्ध हो।

मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों को लागबुक जारी करना

8489. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीड़ी कर्मकारों की संख्या कितनी है,

(ख) उन कर्मकारों की संख्या क्या है जिन्हें लागबुक्स जारी की गई है; और

(ग) कर्मकारों को लागबुक्स जारी न करने के लिए कितने उद्योगपतियों को दण्डित किया गया और इस सम्बन्ध पूर्ण विवरण क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, मध्य प्रदेश में लगभग 5 लाख बीड़ी श्रमिक (घरखटा श्रमिकों सहित) है और इनमें से 1.25 लाख श्रमिकों को लाग बुक जारी की गई है।

(ग) सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है।

देश में वक्फ सम्पत्ति का विक्रय

8490. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में वक्फ बोर्डों को भूमि का बड़े पैमाने पर विक्रय हुआ है;

(ख) क्या यह सच कि राजधानी के विभिन्न स्थानों और देश के अन्य स्थानों में वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति पर जबरदस्त कब्जा किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

बिजली में वोल्टेज में उतार चढ़ाव

8491. **श्री एन. ई. होरो** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि राजधानी में वोल्टेज में अत्यधिक उतार-चढ़ाव के कारण रेफ्रिजरेटरों और टेलीवीजन सेटों सहित विभिन्न घरेलू उपकरण खराब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि इस समय बाजार में उपलब्ध "स्टेब्लाइजर्स" अच्छी किस्म के नहीं हैं तथा मानव चालित और आटोमेटिक डिजाइन दोनों ही प्रकार के स्टेब्लाइजर्स के स्टेंडर्ड का पता लगाने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का वोल्टेज स्टेब्लाइजर्स की वास्तविक तथा विशिष्ट पहचान के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार वोल्टता में अत्याधिक उतार-चढ़ाव अक्सर नहीं होता है, यद्यपि प्रणाली परिस्थितियों के कारण वोल्टता में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है'

(ख) और (ग) भारतीय मानक संस्थान ने वोल्टता स्टेब्लाइजर्स के निर्माताओं के लिए विशिष्टियां निर्धारित की हैं तथा बाजार में अच्छी गुणवत्ता वाले स्टेब्लाइजर्स उपलब्ध हैं।

बोनस अधिनियमों में 7500 की सीमा में वृद्धि

8492. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस अधिनियम में 750 रु० की सीमा किस वर्ष निर्धारित की गई थी;

(ख) उस वर्ष में एक रुपए का मूल्य क्या था;

(ग) वर्ष 1984 में एक रुपए का मूल्य क्या है; और

(घ) क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि रुपए का मूल्य काफी कम हो गया है, सरकार का बोनस अधिनियम में 750 रु० की वर्तमान सीमा मे वृद्धि करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) 1965

(ख) 72-99 पैसे।

(ग) 17.8) पैसे (फरवरी, 1984 में)।

(घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

फायर वर्ले का व्यर्थ किया जाना

8493. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि कोयला खनन क्षेत्र में अधिकार के कारण बड़ी मात्रा में फायर-वले को व्यर्थ किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के फायर-वले को व्यर्थ किया गया अथवा हानि हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

देश में औद्योगिक अशान्ति के मामलों की संख्या में वृद्धि

8494. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983 के दौरान औद्योगिक अशान्ति के कितने मामले सरकार की जानकारी में आए हैं और उनकी राज्यवार संख्या क्या है;

(ख) कितने मामले हल कर लिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि औद्योगिक अशांति के मामलों में वर्ष प्रतिवर्ष वृद्धि होती जा रही है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) 1983 वर्ष के दौरान श्रम ब्यूरों को सूचित किए गए औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबन्दियों) की राज्य-वार संख्या सम्बन्धी विवरण संलग्न है। वर्ष 1983 के दौरान निपटाए गए विवादों की संख्या से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जाएगी और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) औद्योगिक विवादों (हड़तालों और तालाबन्दियों) की संख्या में उत्तरोन्तर कमी हुई है। ये संख्या 1981 में 2589 थी, जो 1983 में 1826 हो गई। केन्द्र और राज्यों दोनों में औद्योगिक सम्बन्ध तंत्र संराघना, न्यायनिर्णयन और मध्यस्थता द्वारा औद्योगिक विवादों के शीघ्र निपटान के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1983(अ) हड़तालें	तालाबंदियां	कुल
1	2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	312	146	458
2. बिहार	138	14	152
3. गुजरात	125	9	134
4. हरियाणा	29	13	42
5. कर्नाटक	43	—	43
6. केरल	41	8	49
7. मध्य प्रदेश	58	5	63
8. महाराष्ट्र	104*	16	120
9. उड़ीसा	26	2	28
10. पंजाब	32	4	36
11. राजस्थान	40	11	51
12. तमिलनाडु	171	26	197

1	2	3	4
13. उत्तर प्रदेश	119	11	130
14. पश्चिमी बंगाल	123	120	243
15. दिल्ली	20	3	23
16. गोवा,दमण और दीव	15	4	19
17. पांडिचेरी	12	—	12
18. अन्य	24	2	26
कुल	1432	394	1826

(अ) अन्तिम और 1983 के सम्बन्ध में 18 जनवरी, 1984 तक श्रम ब्यूरो में प्राप्त विवरणियों पर आधारित।

* = बम्बई कपड़ा हड़ताल (1983 में 50) को छोड़कर।

तेल के कुओं से तेल की चोरी

8495. **श्री अमरसिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में और विशेष रूप से गुजरात में तेल के कुओं से बड़े पैमाने पर तेल की चोरी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक इस बारे में सरकार के ध्यान में लाये गये मामलों की संख्या और ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया हैं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) भविष्य में तेल की चोरी को रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं। परन्तु गुजरात में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के तेल क्षेत्रों में तेल की चोरी के कुछ मामलों का पता चला है।

(ख) और (ग) पिछले चार वर्षों के दौरान तेल की चोरी के पुलिस के पास रजिस्टर किए गए मामलों की संख्या इस प्रकार है :-

वर्ष	रिपोर्ट की गई तेल की चोरियों की संख्या
1880	13
1981	50
1982	31
1983	20
	योग 114

इन में से 14 मामलों में अभियुक्तों को छोड़ दिया गया, 12 मामलों में सजा दी गई, 44 सामने अभी न्यायालय में चल रहे हैं. 34 मामले पुलिस द्वारा बंद कर दिए गए थे और शेष 10 मामलों की जांच पड़ताल की जा रही है।

(घ) उठाये गये कुछ कदम इस प्रकार हैं :-

(I) क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा दल, गुजरात पुलिस द्वारा गश्त तेज करना।

(II) ग्राम रक्षा दल जैसी ग्राम सुरक्षा पार्टियो की सेवाओं का उपयोग करना।

(III) जंक्शनों और तेल क्षेत्रों को जाने वाली सड़कों पर वाहनों की जांच करने के लिए एस. आर. पी. लगाना।

(IV) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य क्षेत्रों में. सी. आई. एस. एफ. लगाये जाने का फैसला।

बिहार में हार्ड कोक एस्टाब्लिमेंट्स के कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अन्तर्गत शामिल करना

8496 **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में हार्ड कोक एस्टाब्लिसमेंटस के कर्मचारियों को कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के बारे में 15 नवम्बर, 1983 के अन्तर्गत शामिल करने के अतारांकित प्रश्न संख्या 167 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने अभी तक उन 47 "हार्ड कोक एस्टाब्लिसमेंट्स" को शामिल न करने के कोई अनुदेश प्राप्त नहीं किए हैं जिन्हें बिहार को तत्कालीन क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त पटना द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 के अन्तर्गत त्रुटिवश शामिल किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप धनबाद में तैनात कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के भविष्य निधि निरीक्षक अभी भी इन हार्ड कोक एस्टाब्लिस-

मेंटस का दौरा करते हैं और सुपात्र कर्मकारों को उच्च वेतन प्राप्त करने और उच्च भविष्य निधि अंशदानों से वंचित रखने के लिए तथा कथित दोषी नियोक्ताओं की सहायता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये "हार्ड कोक एस्टाब्लिसमेंटस" कोयला खान भविष्य निधि अधिनियम के अनुसार कब तक कार्य करना प्रारम्भ करेंगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि के प्राधिकारियों को समुचित निर्देश दे दिए गए हैं कि बिहार के धनबाद जिले के 47 हार्ड कोक प्रतिष्ठानों को कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के विचार क्षेत्र से हटा दें क्योंकि यह प्रतिष्ठान कोयला खान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 के विचार क्षेत्र में आने चाहिए। सम्बन्धित प्राधिकारी इस मामले को पहले ही देख रहे हैं और समुचित कार्यवाई कर रहे हैं।

गुजरात में गैस क्रैकर परियोजना की स्थापना

8497. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य में "गैस क्रैकर' परियोजना की स्थापना पर निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम सहित राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक कार्य प्रारम्भ कर दिए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) गुजरात में गैस पर आधारित पेट्रोरसायन प्रायोजना की स्थापना के लिए सिद्धांत रूप में निर्णय कर लिया गया है ।

(ख) प्रायोजना की अस्थायी अनुमानित लागत 804 करोड़ रुपये है जिसमें 108 करोड़ रुपये का विदेशी मुद्रा अंश शामिल है ।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि प्रायोजना पर कार्य कब आरम्भ होने की सम्भावना है ।

भारतीय उर्वरक निगम के गोरखपुर एकक का विस्तार

8498. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि एक विशेषज्ञ समिति ने भारतीय उर्वरक नियम के गोरखपुर एकक के विस्तार का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या गोरखपुर एकक का विस्तार किया जाएगा और यदि हां, तो इसका कब तक विस्तार किया जएगा और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसत साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) एकक का मुख्य संयंत्र और उपकरण पुराना हो गया है और बारम्बार खराबी के कारण हानि उठा रहा है। इसलिए अब मैं प्रोजक्टस एण्ड टूवलपमेंट इन्डिया लि० को सयंत्र के आधुनिकीकरण हेतु उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए विस्तृत अध्ययन करने को कहा गया है।

विदेशी औषधि कम्पनियों की गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु समिति का गठन

8499. **श्री के. मालन्ना** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या भारत में विदेशी औषधि कम्पनियों की गतिविधियों से पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात से होने वाली विदेशी मुद्रा की आमदनी की तुलना में बहुत अधिक विदेशी मुद्रा बाहर गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति में सुधार लाने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय कर रही है; और

(ग) क्या समय-समय पर विदेशी कम्पनियों की गतिविधियों की समीक्षा करने हेतु एक समिति का गठन करने का कोई प्रस्ताव है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) इस समय भारत में 16 विदेशी औषध कम्पनियां कार्य कर रही हैं। इन कम्पनियों द्वारा विदेशी मुद्रा का बहिर्गमन और विदेशी मुद्रा का अर्जन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल. टी.** 8243/84]

(ख) और (ग) औषध नीति के प्रावधानों की इस समय राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा पुनरीक्षा की जा रही है। ऐसी पुनरीक्षा में विदेशी मुद्रा के बहिर्गतम के सुझाव भी शामिल होंगे।

विदेशी कम्पनियों के संचालनों की पुनरीक्षा करने के लिए एक समिति की स्थापना करने हेतु कोई अलग प्रस्ताव नहीं है।

देश में खाना पकाने को गैस के कनैक्शन

8500. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और संघ-राज्य क्षेत्र में 1 जनवरी, 1980 1 जनवरी, 1981

1 जनवरी, 1982 1 जनवरी, 1983 1 जनवरी, 1984 और 31 मार्च, 1984 (शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग को खाना पकाने को गैस के दिये गये कनैक्शनों की संख्या क्या थी;

(ख) जिन स्थानों में पेड़ों की कटायी पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, वहां की ग्रामीण जनता के घरेलू इस्तेमाल के लिए वैकम्पिक ईधन (जलाने की लकड़ी, कोयला और खाना पकाने की गैस) उपलब्ध कराने के लिए क्या नीति अपनाई जा रही है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में (राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार) एल.पी.जी. गैस की कितनी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है और वहां पर कितनी एल.पी.जी. एजेंसियां काम कर रही हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विद्युत सामानान्तरता से ग्रस्त क्षेत्रों में टेलीफोन/टेलीग्राफ लाइनों और एस. ए. एक्स टेलीफोन की स्थापना

8501. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत दूर-संचार समन्वय समिति विद्युत सामानान्तरता से ग्रस्त क्षेत्रों में टेलीफोन/टेलीग्राफ लाइनों और एस. ए. एक्स. (टेलीफोन एक्सचेंजें) को स्थापित करने की मजूरी देने में प्रमुख रूप से विलंब के लिए जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हाँ, तो 15 अप्रैल, 1984 तक विद्युत दूर संचार समन्वय समिति के पास लम्बित उन मामलों की संख्या क्या है, जो उसके पास मंजूरी के लिए छः महीने से अधिक अवधि से पड़े हुए हैं तथा बिलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या विद्युत सामानान्तरता के कारण वर्तमान चैनलों के विच्छेद/अव्यवस्थित हो जाने के फलस्वरूप उपरोक्त क्षेत्रों में दूर-सचार सुविधाओं को उपलब्ध कराने की आवश्यकता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए विद्युत दूर-सचार समन्वय समिति द्वारा ऐसे मामलों को कोई वरीयता दी जायेगी ?

(घ) यदि हां, तो किस प्रकार प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय जबलपुर में पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति

8 02. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत 12 महीनों से केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय जबलपुर (मध्य प्रदेश) में कोई पीठासीन अधिकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो पीठासीन अधिकारी के पद को न भरने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त न्यायालय के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि औद्योगिक न्यायाधिकरण व श्रम न्यायालय, जबलपुर के कार्य न करने के कारण प्रबन्धक औद्योगिक विवादों सम्बन्धी समझौता कार्यवाही को असफल करने मे लगे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी भारत में तेल की खोज के लिए तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का कार्यक्रम

8503. **श्री सनत कुमार मण्डल** :

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने वर्ष 1984-85 के दौरान पूर्वी भारत में तेल की खोज के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख रूपरेखा क्या है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(घ) क्या पश्चिम बंगाल के सुन्दरवनों के उथले जल में कुएं खोदने की इसकी कोई योजना है; और

(ङ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस कार्य को कब तक प्रारम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग पूर्वी भारत में ऊपरी असम, असम

अराकान फोल्ड बैल्ट और बंगाल बेसिन में खोज का कार्य कर रहा है। 1984-85 के दौरान इन क्षेत्रों में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के खोज कार्यक्रम के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(I) ऊपरी असम और असम अराकान फोल्ड बेल्ट

खोज सम्बन्धी सर्वेक्षण करने के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की 6 भूवैज्ञानिक 1 गुरूत्व चुम्बकीय और 12 भूकम्पीय पार्टियां लगाने की योजना है। 23 अन्वेषी कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव है जिन में 83,000 मीटरों की कुल खुदाई की जायेगी।

(II) पश्चिम बंगाल

इस बेसिन में 1 गुरूत्व चुम्बकीय और 7 भूकम्पीय पार्टियों को लगाने की योजना है। 13500 मीटर की कुल खुदाई के तीन अन्वेषी कुओं की खुदाई करने का प्रस्ताव है जिनमें कुल 13500 मीटरों की खुदाई की जायेगी।

(घ) और (ङ) जी हां। प्रारम्भिक कार्य शुरू हो गया है।

फरुक्काबाद (उत्तर प्रदेश) में नये टेलीफोन कनेक्शन

8504. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में फरुक्काबाद से कुल कितने लोगों ने टेलीफोन कनेक्शन लेने के लिए पंजीकरण कराया है;

(ख) फरुक्काबाद में 1978 से लेकर आज तक कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं और कितने लोगों के मामले अभी विचाराधीन है; और

(ग) सरकार द्वारा 1984-85 के दौरान कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) फरूखाबाद नगर में टेलीफोन कनेक्शन के लिये प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 31.3.1984 तक "शून्य" है।

(ख) वर्ष 1978 से अब तक प्रदान किये गये टेलीफोन कनेक्शनों की वर्षवार संख्या इस प्रकार है :—

1978-79	1979-80	1980-81
55	30	41
1981-82	1982-83	1983-84
12	02	75

विचाराधीन-12

(ग) चूंकि वहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को उड़ीसा भाषा में गीत चित्र देने वाले वितरकों को धनराशि की अदायगी

8505 **श्री अर्जुन सेठी** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रादेशिक चित्रहार के लिए दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र को उड़ीसा भाषा के गीत-चित्र देने वाले विभिन्न फिल्म वितरकों के नाम क्या हैं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान प्रत्येक को वर्षवार कितनी धनराशि दी गई;

(ग) उक्त अवधि में प्रत्येक से कुल कितने सप्ताहों के कार्यक्रम स्वीकार किए गए; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत): (क) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथासमय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

बीस बड़े औद्योगिक गृहों की परस्पर सम्बद्ध कम्पनियां

8506. **श्री के. प्रधानी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : 31 दिसम्बर, 1983 को अथवा उनके मन्त्रालय के पास उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार शीर्षस्थ बीस बड़े औद्योगिक गृहों द्वारा नियंत्रित विभिन्न कम्पनियों और उनकी परस्पर-सम्बद्ध कम्पनियों में (एक) ग्रुप के व्यक्तियों (दो) वित्तीय संस्थानों और (तीन) अन्यों के कितनी राशि के साधारण शेयर थे ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : प्रथम बीस बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा नियन्त्रित विभिन्न कम्पनियों और उनकी अन्त:सम्बन्धित कम्पनियों में 31-12-1983 तक साम्यशेयर धारिता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है। 31-12-1980 तक एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत विभिन्न कम्पनियों में व्यक्ति समूह, वित्तीय-संस्थानों और अन्यों द्वारा साम्य धारिता और प्रथम 10 बड़े औद्योगिक घरानों से सम्बन्धित नवीनतम उपलब्ध सूचना को पहले ही 26-7-1983 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 235 के उत्तर में प्रस्तुत कर दिया गया है।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में शाखा डाकघर, उप-डाकघर और प्रधान डाकघर खोला जाना

8507. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा के कोरपुट जिले में अब तक कितने शाखा डाकघर

लघु-डाकघर और प्रधान डाकघर खोले गये हैं तथा वर्ष 1984-85 के दौरान कितने और खोलने का विचार है;

(ख) क्या अन्य क्षेत्रों की तुलना में आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे डाकघर खोलने के मानदण्ड कुछ उदार हैं; यदि हां, तो उस जिले में नये उपडाकघर और प्रधान डाकघर खोलने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) जिले के आकार और क्षेत्र इसकी संचार सम्बन्धी कठिनाई गावों और शाखा डाकघरों की दूरी को ध्यान में रखते हुए क्या उनका मंत्रालय/शाखा उप और प्रधान डाकघरों का पुनर्गठन करने और नए शाखा डाकघर और प्रधान डाकघर खोलने के लिए उड़ीसा सर्कल को निर्देश देगा; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क)

	शाखा डाकघर	उप डाकघर	प्रधान डाकघर
अब तक खोले गए	507	91	3
1984-85 में खोले जाने का प्रस्ताव	4	13	शून्य

(ख) केवल जनजाति क्षेत्रों में शाखा डाकघर खोलने के लिए मानदण्डों में विशेष छूट दी गई है। जनजाति क्षेत्रों में विभागीय उप डाकघर और प्रधान डाकघर खोलने के लिए कोई विशेष मानदण्ड नहीं हैं।

(ग) और (घ) पोस्ट मास्टर जनरलों के लिए विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो जनजातीय और पिछड़े क्षेत्रों के विस्तार पर निर्भर हैं। जबकि सम्पूर्ण देश में विभागीय उप डाकघर और प्रधान डाकघर खोलने के मानदण्ड एक जैसे ही हैं इसलिए इस उद्देश्य के लिए विशेष निदेश आवश्यक नहीं समझे गए हैं।

पश्चिम बंगाल में अमदोहरी कोयला परियोजना

8 08. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल में अमदोहरी कोयला परियोजना पर कार्य प्रारम्भ हो गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे किस अवधि तक प्रारम्भ कर दिये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) पश्चिम बंगाल में अमधोरी कोयला परियोजना नाम की कोई परियोजना नहीं है। लेकिन सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की एक अमलोरी ओपेनकास्ट कोयला खनन परियोजना है जो मध्य प्रदेश के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में स्थित है। इस परियोजना पर विकास कार्य शुरू हो चुका है।

बागजोला, बालागढ़ और राजपुर में परिवारों का पुनर्वास

8509. **श्री मनोरजन भक्त** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागजोला, बालागढ़ और राजपुर के भूतपूर्व शिविर स्थल के परिवारों के पुनर्वास हेतु कोई अभ्यावेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रसार के भूतपूर्व शिविर स्थल के कितने परिवार इस प्रकार के क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) इस प्रसार के परिवारों के पुनर्वास के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है;

(घ) क्या सरकार को मालूम है कि भवन निर्माण सामग्री आदि की कीमतें बहुत अधिक हैं और निर्धारित धनराशि प्रयोजन को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो पुनर्वास धनराशि में एकमुश्त वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव मिला है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी हां। बागजोला शिविर समूह के भूतपूर्व शिविर स्थल के विस्थापित व्यक्ति परिवारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) 1126 परिवार।

(ग) इन परिवारों को गृह निर्माण ऋण देने की योजनाएं 28.6.1971 और 1.1.1974 को मन्जूर की गई थीं। नवम्बर, 1983 में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में गृह निर्माण ऋण राशि की सीमा को बढ़ाकर क्रमशः प्रति परिवार 2000 रुपये से 5600 रुपये और 1250 रुपये से 3100 रुपये कर दिया था और तद्नुसार मन्जूरी जारी कर दी गई थी।

(घ) और (ङ) परिवारों ने प्रति परिवार 7000 रुपये की एक मुश्त सहायता दिये जाने के लिए अभ्यावेदन किया है। ऋण की सीमा बढ़ाने के लिए बागजोला में गृह निर्माण की ऊंची लागत को आधार बनाया गया है।

कम्पनी निदेशकों को देय बैठक शुल्क में संशोधन

8510. **श्रीमती गुरविन्दर कौर बराड़** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री कम्पनी निदेशकों को देय बैठक शुल्क में संशोधन के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2094 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को फरवरी, 1984 में किसी कम्पनी से उसको बोर्ड अथवा समिति की प्रत्येक बैठक के लिए कम्पनी निदेशकों को देय बैठक शुल्क में वृद्धि करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रत्येक अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां श्रीमती जी।

(ख) मैसर्स मुकन्द आइरन एण्ड स्टील वर्क्स ने निदेशकों के बैठक शुल्क में 200 रुपये से 400 रुपये प्रति बैठक की वृद्धि करने के लिए दिनांक 7.2.1984 को एक प्रतिवेदन दिया था।

(ग) कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 310 के अन्तर्गत एक नया आवेदन पत्र देने को कहा गया था।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लिमिटेड के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय में पड़ी कालातीत हुई आईडी मैक्स

8512 **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के एक उत्पाद आई. डी. आई. मैक्स की लगभग तरेसठ हजार रुपये मूल्य की भारी मात्रा कालातीत हो गई है तथा उपयोग न करने वाली मद के भन्डार के उप में यह इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल लि० के कलकत्ता क्षेत्रीय कार्यालय के स्टोर में पड़ी हुई है,

(ख) यदि हां, तो इस नुकसान के लिए कौन जिम्मेदार है, और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां,

(ख) और (ग) इस मामले में आई.डी.पी.एल. आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

पी.टी.आई., यू एन.आई. हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारतीय समाचार एजेंसियों को राज-सहायता

8513. **श्री उत्तम राठौर** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पी.टी.आई., यू.एन.आई. हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती समाचार एजेंसियों को-कोई अनुदान अथवा राज-सहायता प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्ध समाचार एजेंसियों द्वारा उन अनुदानों या राज सहायता

का उचित प्रकार से उपयोग किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) (क) जी, हां। "समाचार" के विघटन परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि इन समाचार एजेंसियों को "समाचार" के अस्तित्व के दौरान उनके कर्मचारियों द्वारा ली गई परिलब्धियों तथा यदि "समाचार" का गठन न होता तो वे जो परिलब्धियां लेते, उन पर आधारित वेतन अन्तर का भुगतान 14-4-78 से 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाए बशर्ते कि सरकार द्वारा पहले तीन वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत अन्तर का भुगतान किया जायेगा और उसके बाद उत्तरवर्ती तीन वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की दर से वार्षिक कटौती की जायेगी। तथापि, इन समाचार एजेंसियों द्वारा पालेकर एवार्ड को कार्यान्वित कर लिए जाने के परिणामस्वरूप बाद में यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ, पंचम तथा छठे वर्ष के लिए अन्तर की गणना 1.4.80 से 30.9.80 तक की अवधियों के दौरान देय वेतन अन्तर के आधार पर की जायेगी।

(ख) समाचार एजेंसियों से यह अपेक्षित है कि वे समय-समय पर उनको रिलीज किए जाने वाले वेतन अन्तर के बारे में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करें।

तमिलनाडु में माइक्रो/मिनी विद्युत संयंत्र

8514. **श्री एन. सेलवाराजू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु राज्य में माइक्रो/मिनी जल विद्युत संयंत्रों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) इस समय तमिलनाडु में निम्नलिखित तीन मिनी/लघु जल विद्युत स्कीमों का निर्माण किया जा रहा है :—

1. लोअर भवानी बांध बिजली घर (4 × 2 मेगावाट)
2. पीकारा बांध बिजली घर (1 × 2 मेगावाट)
3. बोगई बांध बिजली घर (2 × 3 मेगावाट)

इसके अतिरिक्त राज्य प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सीरूवानी मिनी जल विद्युत स्कीम (3 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। चूंकि केरल सरकार ने इस परियोजना के संबन्ध में कुछ अन्तर्राज्यीय मुद्दे उठाए हैं अतः स्कीम पर आगे की कार्रवाई इन मुद्दों के हल होने पर निर्भर करेगी।

बिहार में बिजलीघरों की क्षमता से कम कार्य होना

8515. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार में उद्योग और कृषि को प्रभावित करने वाले विद्युत संकट का सामना करने के लिए 4000 मैगावाट के बिजलीघर के बारे में 3 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सख्या 6230 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान बिजलीघरों में क्षमता से कम उत्पादन होने और बिहार में नये उत्पादन एकक चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं और इन पर काबू पाने के लिये क्या विशिष्ट समयबद्ध कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या मुख्य कोसी नहर और इसकी पूर्व और पश्चिम की शाखा नहरों से पन बिजली पैदा करने के लिये कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोसी, कमला और बागामती नदियों के उपर, बहुउद्देशीय बाँधों के तेजी से निर्माण के लिये गत तीन वर्षों के दौरान नेपाल की शाही सरकार के साथ कोई बातचीत हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) बिहार में विद्युत केन्द्रों के घटिया कार्य निष्पादन के लिये तथा नई उत्पादन यूनिटों को चालू करने में देरी के कारणों के साथ साथ उत्तरदायी कारण तथा इनको पूरा करने के लिए उठाये गये कदम नीचे दिए गये हैं :—

1. **इष्टतम से कम कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदायी कारण :**

   (क) अनुरक्षण की लम्बी अवधि;

   (ख) लम्बी अवधि वाली बन्दियां;

   (ग) अतिरिक्त पूर्जों की अपर्याप्तता तथा उनका उपलब्ध न होना;

   (घ) घटिया गुणवत्ता वाला कोयला तथा पर्याप्त मात्रा में कोयला उपलब्ध न होना।

2. **कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए उठाये गये कदम :**

   (क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम हाथ में लेने के लिए सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ;

   (ख) परियोजनाओं की फालतू पूर्जों को प्राप्त करने में सहायता की जाती है, तथा

(ग) अच्छे गुणवत्ता वाले कोयले की पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने के लिए प्रयास किये जाते हैं ।

3. चालू करने के कार्यक्रम में देरी के कारण :

(क) भूमि अधिग्रहण में देरी;

(ख) सिविल कार्यों को पूरा करने में देरी;

(ग) शीतलन टावरों को पूरा करने में देरी;

(घ) संयन्त्रों तथा उपस्करों की सप्लाई प्राप्त करने में देरी ।

4. चालू करने के कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए उठाए गये कदम :

(क) परियोजनाओं की मानीटरिंग के कार्य में तेजी लाई गई है तथा उपचारी कार्रवाई के लिये सभी बाधाओं पर नजर रखी जाती है ।

(ख) परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्त्ताओं तथा निर्माताओं, निर्माण एजासया आदि के साथ समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से ही जाती हैं ।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और बाधाओं को दूर करने के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं ।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों तथा अन्य सप्लाई कर्त्ताओं से अन्य विभिन्न निदेशों की समय पर प्राप्ति में कारगर समन्वय के लिए सुसंगत पद्धति लागू की गई है तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा चालू करने संबंधी कार्यक्रम का सुसगत व्यवस्था से समन्वय किया जाता है ।

(ख) और (ग) पूर्वी कोसी नहर में कोसी जल विद्युत परियोजना (4 × 5 मेगावाट) पहले ही प्रचालन में है । बिहार में पश्चिमी कोसी नहर में जल विद्युत परियोजना की स्थापना करने के लिए इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) और (ङ) जल संसाधन विकास के बारे में फरवरी, 1982 तथा अप्रैल, 1983 में भारत-नेपाल में हुई बातचीत के दौरान इन परियोजनाओं के बारे में बात चली थी । इस बारे में कोई निर्णय न हो सका । इन परियोजनाओं के बारे में भारत-नेपाल की अगली बैठकों में विचार-विमर्श होने की सम्भावना है ।

राजस्थान में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

8516. **श्री बिरदा राम फुलवारिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान राजस्थान में कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किए गये;

(ख) कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को स्थापित करने का प्रस्ताव है और इन सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों को कब तक स्थापित किया जावेगा; और

(ग) तत्सम्बन्धी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन पाटिल) : (क) वर्ष 1983-84 के दौरान राजस्थान में 61 लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किए गये हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान एक सौ लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ग) स्थानों के नामों के बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

कुछ उद्योगों द्वारा क्षमताओं का उपयोग

8517. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में निम्नलिखित वस्तुओं को प्रत्येक की स्थापित और लाइसेंस क्षमता कितनी है;

(1) पोलिएस्टर मिल्स

(2) बाइऐक्सलो ओरिएन्टेड पोलोपरोपोलीन मिल्स

(3) मोनो इथीलोन ग्लाइकोल

(4) पोलीएस्टर फाइबर

(5) नायलोन फिलामेंट यार्न

(6) पोलीएस्टर फिलामेंट यार्न

(7) कैपरोलैक्टम

(8) डी.एम.टी.; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वस्तु का यूनिट वार कितना उत्पादन हुआ और कितने प्रतिशत क्षमता का उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इन मदों के निर्माण के लिए लाइसेंसीकृत क्षमता नीचे दी गयी है :—

	(मी० टन०/वर्ष)
1. पोलियस्टर फिल्म	1500
2. बाइऐक्सली ओरिएक्टेड पोलीपरोपीलीन फिल्म	2400
3. मोनो इथीलीन ग्लाइकोल	30000 (एम.ई.जी. तथा एथीलीन आक्साइड के लिये मिलाकर)
4. पोलीएस्टर फाइबर	82500
5. नायलोन फिलामेंट यार्न	36400(लगभग)
6. पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न	40000(लगभग)
7. कैपरोलैक्टम	20000
8. डी.एम.टी.	1,29000

शेष सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बेनजीन और टोलूइन के उत्पादकों पर अधिभार

8518. **श्री मोती भाई आर. चौधरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बेनजीन और टोलूइन के सभी उत्पादकों पर निम्नलिखित अधिभार लगाए हैं;

(1) 1. 8. 1979 से बेनजोन पर प्रति किलोलीटर 600 रुपये; और

(2) 17.8.1979 से बेनजोन और टोलूइन पर प्रति किलोलीटर 750 रुपए;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न उत्पादकों द्वारा अपने क्रेताओं से कितनी धनराशि एकत्र की गई धनराशि को एक विस्तृत सूची सभा पटल पर रखी जाएगी;

(ग) उत्पादकों के मूल्यों के अतिरिक्त ऐसे अधिभार लगाने के कारण क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का सभी उत्पादकों के अधिभार वसूल करने और अतिरिक्त धन राशि को तेल समन्वय समिति द्वारा रखे गये तेल उद्योग पूल लेखे में जमा कराने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उत्पादकों द्वारा बेनजोन और टोलूइन के क्रेताओं से कितनी धनराशि एकत्र की गई है और कितनी धनराशि तेल उद्योग पूल लेखे में जमा कराई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गंगा शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स, मैसूर

8519. **डा. ए. यू. आजमी** : क्या विधि, न्याय कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1984 के 'इन्डियन एक्सप्रैस' में ग्रेरट अवेयरनेस आफ एम० आर० टी० पी० एक्ट अर्जेंड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग की जानकारी में यह बात आई है कि मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स मैसूर दिल्ली में केवल अपने नियुक्त वितरकों के माध्यम से अपनी बीड़ी की बिक्री करके तथा किसी अन्य को अपना माल न बेच कर एकाधिकार का रूख अपना रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का विचार उक्त निर्माता के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण है;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान् जी।

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के ध्यान में यह लाया गया है कि मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स, मैसूर अपनी बीड़ी को दिल्ली क्षेत्र में केवल दो वितरकों के माध्यम से बेच रहा है तथा दिल्ली क्षेत्र में किसी अन्य व्यक्ति को अपने उत्पादों को प्रत्यक्ष-रूप से बेचने से इन्कार कर रहा है ।

(ग) तथा (घ) वितरकों के नियुक्ति करना विनिर्माताओं का प्राधिकारपूर्ण कार्य है और सरकार इस प्रकार के मामले में हस्तक्षेप नहीं करती है ।

उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में गांवों का विद्युतीकरण

8520. **श्री राम सिंह शाक्य** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में कुल कितने गांव हैं और उनमें से अब तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है;

(ख) क्या शेष गांवों के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में 3226 गांवों में से जनवरी, 1984 के अन्त तक 2221 गांव विद्युतीकृत किए गए थे ।

(ख) और (ग) उत्तर प्रदेश राज्य में सभी गांवों को 1994-95 तक विद्युतीकृत किए

जाने की संभावना है बशर्ते की इस अवधि के दौरान पर्याप्त मात्रा में निधियां उपलब्ध हों। 31.3. 1984 की स्थिति के अनुसार ग्राम विद्युतीकरण निगम ने जौनपुर जिले में 21 स्कीमें स्वीकृत की हैं। जिनमें 1254 गांवों को विद्युतीकरण करने का कार्यक्रम है। स्वीकृत स्कीमों में से फरवरी, 1984 तक 730 गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। स्वीकृत स्कीमों में शामिल शेष 524 गांवों के विद्युतीकृत हो जाने के साथ जिले में गांव विद्युतीकरण का स्तर बढ़कर 85.1 प्रतिशत हो जाएगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर संचार उपकरणों का आयात

8521. **श्री एन. के. शेजवलकर:** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 मार्च, 1984 के इकोनामिक्स टाइम्स में टेलिकम्यूनिकेशन इक्विपमेंट : यू. एस. कंपनीज फाइण्ड बिग स्कोप इन इण्डिया शीर्षक में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो भारत यात्रा पर आये संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिनिधि मंडल के नेता का नाम और पदनाम क्या है और समकक्ष भारतीय नेताओं/अधिकारियों के साथ हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे;

(ग) संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किए जाने वाले उपकरणों का ब्यौरा क्या है और उनकी खरीद कब तक की जाएगी तथा कितने मूल्य के उपकरण खरीदे जायेंगे; और

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका की पेश कश किस सीमा तक भारत के लिए लाभ दायक है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां,।

(ख) अमरीकी वाणिज्य विभाग में निर्यात विकास के उप सहायक सचिव श्री डोनाल्ड बी. अर्नशों अमरीकी प्रतिनिधि मंडल के नेता थे। भारतीय डाक तार विभाग के अधिकारियों से जो चर्चा हुई वह साधारण थी इसमें अगले कुछ वर्षों में भारतीय दूरसंचार परिपथ जाल के विस्तार के सम्बन्ध में तथा अमरीका की कम्पनियों के पास उपलब्ध दूरसंचार उत्पादनों के बारे में चर्चा की गई। इस चर्चा का कोई विशिष्ट परिणाम नहीं निकला।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्पावधि टेलीफोन आपरेटरों की सेवाएं

8522. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : अल्पावधि टेलीफोन आपरेटरों को, इतवार की छुट्टी, आकस्मिक छुट्टियां और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय अन्य भत्ते दिए बिना वर्षों तक लगातार अल्पावधि ड्यूटी पर रखने के क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : शार्ट ड्यूटी आपरेटरों को "आरक्षित प्रशिक्षित पूल" में रखा जाता है और व्यस्त समय के परियात से निपटने व अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए उन्हें घंटों के आधार पर लगाया जाता है। उन्हें घंटे के आधार पर भुगतान किया जाता है और उनके द्वारा किसी दिन या महीने में किए गए कार्य समय में समय-समय पर अन्तर संभव है। अत. उनकी नियुक्ति अवधि का सही-सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। "आरक्षित प्रशिक्षित पूल" के अन्तर्गत कर्मचारियों को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार रखा जाता है ताकि बाद में नियमित स्टाफ के समान भर्ती में नियमित रूप से खपाया जा सके।

जब तक उन्हें नियमित स्टाफ के बतौर नियुक्त नहीं किया जाता तब तक रविवारीय अवकाश, आकस्मिक छुट्टी और नियमित कर्मचारियों को देय अन्य भत्ते उन्हें देना मुमकिन नहीं है।

अल्पावधि टेलीफोन आपरेटरों को वेतन की अदायगी

8523. **श्री के. लकप्पा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्पावधि टेलीफोन आपरेटरों को केन्द्रीय सरकार के अन्य सरकारी कार्यालयों की भांति प्रतिमास पहली तारीख को उन का वेतन न दिए जाने के क्या कारण है;

(ख) क्या अल्पावधि टेलीफोन आपरेटरों को इन प्रक्रिया के कारण परेशानी हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का इस सम्बन्ध में उपयुक्त परिवर्तन करने और उनके वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की पहली तारीख को करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) चूंकि व्यस्त समय के परियात से निपटने व अनुपस्थिति को पूरा करने के लिए शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटरों को घंटों के आधार पर नियुक्त किया जाता है जिसके लिए उन्हें 2.75 रुपये प्रति घंटे की दर से भुगतान किया जाता है। दिन या महीने के दौरान उनके द्वारा किए गए कार्य की अवधि का सही सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए उन्हें मासिक आधार पर भुगतान करना संभव नहीं है।

(ख) सरकार को शार्ट ड्यूटी टेलीफोन आपरेटरों द्वारा उठाई जा रही किसी परेशानी की जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसा कि उपयुक्त (क) में दिया गया है।

तेल चयन बोर्ड द्वारा खाना बनाने की गैस की डीलरशिप के लिए आगरा में और दिल्ली में लिये गए साक्षात्कार

8524. **श्री राम लाल राही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि तेल चयन बोर्ड द्वारा खाना बनाने की गैस की डीलरशिप के लिए जनवरी, 1984 से आज तक अनेक साक्षात्कार लिए गए हैं लेकिन, क्योंकि आयोग ने साक्षात्कार के दौरान स्थान, वित्तीय स्थिति योग्यता और आवश्यकताओं के बारे में ब्यौरा प्राप्त नहीं किया इसलिए कोई सही निर्णय लिए जाने की कोई संभावना नहीं है;

(ख) क्या उनका मत्रालय इस सम्बन्ध में बोर्ड के लिए स्पष्ट मार्ग निर्देश निर्धारित करेगा;

(ग) यदि हां, तो कब तक ऐसा किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या जनवरी, 1984 से आज तक लिए गए साक्षात्कारों के सम्बन्ध में निर्णय उस समय तक स्थगित रखे जाएगे जब तक कि स्थान आवश्यकता, योग्यता आरक्षण आदि के बारे में स्वयं बोर्ड द्वारा निर्णय नहीं किया जाता और जब तक उन्हें देखा नहीं जाता ?

ऊर्जा मंत्रालय, के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र):(क) से (ग) जी, हां। स्थानों, वित्तीय स्थिति योग्यताओं तथा आवश्यकताओं के सम्बन्ध में ब्यौरे तेल चयन बोर्ड के पास पहले से ही उपलब्ध थे क्योंकि उम्मीदवारों द्वारा इस सूचना को आवेदन-पत्रों में देना आवश्यक होता है। खाना पकाने की गैस सहित पेट्रोलियम उत्पादों के वितरकों के चयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त को पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप डिस्ट्रीब्यूटरशिप प्रदान करने के लिए निर्णय लिये जा रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (क), (ख) और (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोरबा सुपर ताप संयंत्र के लिए सऊदी अरब से ऋण

8525. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम को कोरबा सुपर ताप संयंत्र के द्वितीय चरण जिसके लिए सऊदी अरब से 50 मिलियन डालर का ऋण प्राप्त हुआ है, जिसके अन्तर्गत 500-500 मेगावाट के दो यूनिट लगाये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का क्या ब्यौरा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय खाद्य निगम गोरखपुर में विज्ञान और गणित के अध्यापकों के रिक्त पदों का भरा जाना

8526. **राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ने, विज्ञान और गणित के अध्यापकों के पदों को भरने के लिए विज्ञापन संख्या 1/82 (क्रमांक 2) जारी किया था जिसके लिए आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख 25 नवम्बर, 1982 थी;

(ख) क्या उक्त निगम ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के पदों को भरने के लिए एक विज्ञापन संख्या 2/82 जारी किया था जिसके लिए आवेदन-पत्र भेजने की अंतिम तिथि 25 नवम्बर, 1982 थी;

(ग) यदि हां, तो दोनों श्रेणियों के पदों के लिए किन-किन तारीखों को लिखित परीक्षा और साक्षात्कार किए गए थे और उनमें कितने उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया और उन्हें किन-किन तारीखों को नियुक्त किया गया था; और

(घ) यदि ऐसा नहीं किया गया है तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) विज्ञान तथा गणित के अध्यापकों के पद के लिए साक्षात्कार 6-6-1983 को लिया गया था और एक उम्मीदवार का चयन किया गया था, कई बार समयावधि बढ़ाने की अनुमति देने के बावजूद भी उसने कार्यभार नहीं सम्भाला। जहां तक कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) का सम्बन्ध है, 12-4-1984 को साक्षात्कार लिया गया था परन्तु अभी कोई नियुक्ति नहीं की गई है।

आय-कर अपील अधिकरण के उपाध्यक्षों के विरुद्ध आरोप

8527. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय कर अपील अधिकरण के दो उपाध्यक्षों ने अधिकरण के अध्यक्ष की पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए 3 मार्च, 1984 को दिल्ली की यात्रा की थी और क्या कुछ मामलों की सुनवाई दिल्ली में निश्चित की गई थी, जिससे कि वे उस तारीख को दिल्ली आ सकें;

(ख) क्या अधिकरण के अध्यक्ष ने भी अधिकरण के उपाध्यक्ष की पुत्री के विवाह में शामिल होने के लिए 20 फरवरी, 1984 को सरकारी खर्च पर हैदराबाद की यात्रा की थी; और

(ग) क्या एक बड़े औद्योगिक घराने ने हाल ही में अधिकरण की दिल्ली शाखा के एक सदस्य के अस्पताल में इलाज के बिल और उसकी मृत्यु पर खर्च का संदाय किया था; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) यह सही है कि आय-कर अपील अधिकरण के दो उपाध्यक्ष सरकारी दौरे पर 3 मार्च, 1984 को दिल्ली आए

थे। उन्होंने उन मामलों की सुनवाई की जो पहले से ही दिल्ली में नियत किये गए थे और वे अधिकरण के अध्यक्ष की पुत्री के विवाह में भी शामिल हुए थे।

(ख) अधिकरण के अध्यक्ष 20 फरवरी, 1984 को सरकारी दौरे पर हैदराबाद गए थे। उन्होंने विशेष न्यायपीठ-अपील की अध्यक्षता की, जो पहले ही सुनवाई के लिए नियत की गई थी। वे अधिकरण के उपाध्यक्ष के पुत्र के विवाह में भी शामिल हुए न कि उपाध्यक्ष की पुत्री के विवाह में।

(ग) इसके बारे में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है।

बड़े पैमाने पर औषधों के आयात का सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में उत्पादन पर प्रभाव

8528. **डा. प्रताप वाघ** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इण्डिया कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल्स एम्लाईज फेडरेशन ने स्वदेशी फार्मास्युटिकल उद्योग को बचाने के लिए, औषधियों का बिना सोचे समझे आयात किए जाने के विरुद्ध ज्ञापन दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि आवश्यक और आम औषधों के बड़े पैमाने पर आयात करने के परिणामस्वरूप सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में ही इन औषधों का उत्पादन नहीं हो रहा है;

(ग) क्यो यह भी सच है कि भारत में बहुराष्ट्रिक कम्पनियों द्वारा नई प्रतिबन्धित और असंगत औषधों का भण्डार इकट्ठा किया जा रहा था; और

(घ) यदि हां, तो स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (घ) आल इण्डिया कैमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल एम्पलाइज फैडरेशन से ऐसा कोई आभ्यावेदन मेरे मंत्रालय को प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। कुछ आयातों से स्वदेशी उत्पादन पर प्रभाव पड़ने के बारे में कभी-कभी रिपोर्टें प्राप्त होती हैं जिनकी जांच की जाती है और उपचारी कार्यवाही की जाती है। बहु-राष्ट्रीक कम्पनियों द्वारा भारत में आयात के लिए प्रतिबन्धित औषधों के भण्डार एकत्र करने के बारे में भी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली के न्यायलयों/न्यायाधिकरण में औद्योगिक विवादों के लम्बित मामले

8529. **श्री सी. टी. दण्डपाणि** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के श्रम न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों में इस समय औद्योगिक विवादों के औसतन 1500 से 2000 तक मामले लम्बित हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके आंकड़े क्या है तथा श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी है और 31 मार्च, 1984 को प्रत्येक न्यायालय/न्यायाधिकरण में कितने मामले लम्बित थे;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों पर लागू होने वाले उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के अनुसार, प्रत्येक न्यायालय/न्यायाधिकरण में एक समय में अनुज्ञेय विवादो की संख्या 300 है;

(घ) यदि नहीं, तो अनुज्ञेय सीमा क्या है;

(ङ) क्या इसमें मामलों को निपटाने में वर्षों लग जाते हैं; और

(च) यदि हां, तो विवाद की दोनों पार्टियों और न्यायाधीशों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी, हां। श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों में 14,303 विवाद लम्बित पड़े हैं। उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) और (घ) ऐसी कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

(ङ) और (च) दिल्ली में 2 नये श्रम न्यायालय स्थापित किए गए हैं। चण्डीगढ़ में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किया गया है जो जम्मू व काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ से सम्बन्धित उन मामलों पर कार्यवाही करता है जिन पर अब तक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली कार्यवाही करता था। एक और केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कानपुर में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है जिसको उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित मामले केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली स्थानांतरित किए जाएंगे। इससे दिल्ली स्थित अधिकरण को राहत मिलेगी। मामले के निपटान के मानदंड में वृद्धि कर दी गई है। औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में विवादों के समय-बद्ध निपटान की व्यवस्था है।

विवरण

दिल्ली में श्रम न्यायालयों/औद्योगिक अधिकरणों की सूची और 31-3-1984 को उनमें लम्बित पड़े विवादों की संख्या 1

क्रमांक	नाम	लम्बित पड़े विवाद
1.	केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम श्रम न्यायालय, नई दिल्ली।	1228

2.	औद्योगिक अधिकरण संख्या-1, नई दिल्ली ।	600
3.	औद्योगिक अधिकरण संख्या-2, नई दिल्ली ।	1020
4.	श्रम न्यायालय संख्या-1, दिल्ली ।	1514
5.	श्रम न्यायालय संख्या-2, दिल्ली ।	2171
6.	श्रम न्यायालय संख्या-3, दिल्ली ।	2493
7.	श्रम न्यायालय संख्या-4, दिल्ली ।	3313
8.	श्रम न्यायालय संख्या-5, दिल्ली।	1964

नये डाक खाने खोलना

8530. **श्री सत्यगोपालमिश्र** : क्या सन्चार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए डाकखाने खोलना बन्द कर दिया गया है क्योंकि सरकार ने नए व्यक्तियों की नियुक्ति न करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) जी हां। सरकारी खर्चे में बचत करने के सम्बन्ध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार अति अपवाद स्वरूप परिस्थितियों को छोड़कर, नए पदों के सृजन पर 30 सितम्बर, 1984 तक रोक लगी हुई है ।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, और सिहोर जिलों के गांवों मे सार्वजनिक टेलीफोन बूथ, डाकघर और उप डाकघर खोलना

8531. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन और सिहोर जिलों में 1981 की जनगणना के अनुसार, 100% से अधिक की जनसंख्या वाले बहुत से गावों में एक भी सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय, डाकघर और उप-डाकघर नहीं है;

(ख) उपरोक्त गांवों में से कितने गावों में 1984-85 के दौरान उपरोक्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी;

(ग) क्या इन सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक टेलीफोन बूथ लगाने में लिए स्थानों के चुनाव को सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अंतिम रूप दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) सार्वजनिक टेलीफोन घर

1983-84 के दौरान जनसंख्या के मानदंड को ध्यान में न रखते हुए 5 कि. मी. षड्भुजा कार नीति के अन्तर्गत खोले गये लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या नीचे दी गई है।

जिला	संख्या
1. विदिशा	5
2. रायसेन	4
3. सिहोर	8

(ख) और (ग) जिन ग्रामों में 1984-85 में लबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर प्रदान किए जाएंगे, उनकी संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक

(क) विदिशा, रायसेन और सिद्धि जिले में 1981 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक की जनसंख्या वाले उन ग्रामों की संख्या 10, 10 और 77 है जहां डाकघर या उप डाक-घर नहीं है।

(ख) वर्ष 1984-85 के दौरान विदिशा के 4, रायसेन के 4 और सिद्ध के 6 ग्रामों में उपरोक्त सुविधाएं प्रदान कर दी जाएंगी।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरदर्शन में प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन

8532. **श्री जी. वाई. कृष्णन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उन प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों को प्रोत्साहन दे रही है; जिनकी सेवाओं का दूरदर्शन पर उपयोग किया जा सकता है;

(ख) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस प्रकार के लोगों को पता करने के लिए इस बारे में सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है अथवा करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं तो क्या सरकार इस प्रकार के व्यक्तियों की सेवाओं को दूरदर्शन पर उपयोग करने पर विचार करेगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल भगत) : (क) और (ख) ऐसे कार्यक्रम जिनमें प्रतिभाशाली विकलांग व्यक्तियों के कार्यक्रम होते हैं, तथा विकलांग व्यक्तियों की समस्याओं तथा गतिविधि के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों पर कार्यक्रम दूरदर्शन द्वारा समय-समय पर टेलीफोन किये जाते हैं।

(ग) और (घ) विकलांग व्यक्तियों सहित व्यक्तियों में से नई प्रतिभा ढूढ़ने तथा कार्यक्रम आवश्यकताओं पर निर्भर करते हुए उनको नैमित्तिक बुकिंग देने का दूरदर्शन का सत प्रयास करता है। क्योंकि विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देने के लिए नैमित्तिक बुकिंगों के लिए आवेदन पत्रों को संबन्धित केन्द्रों द्वारा दूरदर्शन के माध्यम से प्रचार करने के बाद आमंत्रित किया जाता है, अतः दूरदर्शन पर कार्यक्रम देने के लिए योग्य प्रतिभाशाली व्यक्तियों को ढूढ़ने के लिए दूरदर्शन द्वारा कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया जाता है।

गोपाल प्रसाद क्षेत्र उड़ीसा में उच्च ग्रेड कोयले की खोज

8533. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने चालू वर्ष के दौरान उड़ीसा में तालचेर के निकट गोपाल प्रसाद क्षेत्र में उच्च ग्रेड कोयले का बड़ा भन्डार होने की सूचना दी है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में उक्त कोयल क्षेत्र में कुल कितना कोयला होने का अनुमान है; और

(ग) भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा उड़ीसा में उन कोयला क्षेत्रों में पता लगाए गए कोयले के भडार का उचित उपयोग करने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के फील्ड सीजन में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने उड़ीसा के तालचेर कोयला क्षेत्र के गोपाल प्रसाद एरिया में कोई प्रादेशिक समन्वेषण नहीं किया। परन्तु 1981-82 के फील्ड सीजन में भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था ने उस एरिया में ड्रिलिंग करके समन्वेषण किया था और वहां घटिया ग्रेड के कोयले की उपस्थिति का पता लगया था। अब तक किये गये समन्वेषण के आधार पर तालचेर कोयला क्षेत्र 3,654 मिलियन टन कोयला भंडार होने का अनुमान लगया गया है। समन्वेषण कार्य अभी चल रहा है।

(ग) वर्तमान खानों ने अलावा, तालचेर कोयला क्षेत्र में कार्यान्वियन के लिए चार नई खनन परियोजनाएं और एक कोयला वाशरी परियोजना मंजूर की गई हैं।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

8534. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्थापित किया जाएगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्योंकि उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है, उसकी संचार तन्त्र में सुधार करने के लिए क्या कोई विशेष कदम उठाए गए हैं; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन.पाटिल) : (क) उड़ीसा में 31-3-84 को काम कर रहे लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या 634 है।

(ख) उड़ीसा में स्थापित किए गए। किए जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

वर्ष	संख्या
1980-81	52
1981-82	50
1982-83	84
1983-84	55
1984-85	100 (स्थापित किए जाने हैं)

(ग) जी हां। उड़ीसा राज्य सहित देश के पिछड़े इलाकों में आर्थिक सहायता के आधार पर लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर उपलब्ध कराने की नीति पर अमल किया जा रहा है। इस नीति का ब्यौरा अनुबंध एक और दो में दिया गया है [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल. टी.** 8244/84]

देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में तालाबन्दी

8535. **श्री चित्त महाटा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में ताला बन्दी एक अवैध कार्यवाही है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है और क्या इस सम्बन्ध में सरकार का कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मबीर) : (क) और (ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में यह व्यवस्था है कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में, यदि इसे लोक

उपयोगी सेवा घोषित किया जाता है, इस आशय की पूर्व सूचना के बिना या संराधन कार्यवाहियों के लंबित पड़े रहने के दौरान तालाबंदी नहीं की जा सकती। तथापि, तालाबंदी की अवैधता या अन्यथा के मामले में निर्णय श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण जैसी भी स्थिति हो, द्वारा लिया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में श्रम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों में औद्योगिक विवाद के मामलों के जमा हो जाने के कारणों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक पुनरीक्षा समिति की नियुक्ति

8536. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री अशफाक हुसैन : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में श्रम अदालतों और औद्योगिक न्यायाधिकरणों में औद्योगिक विवाद के मामलों के जमा हो जाने के कारणों के अध्ययन के लिए एक उच्च स्तरीय न्यायिक पुनरीक्षा समिति नियुक्त करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) लम्बी अवधि से बकाया पड़े विवादों को तेजी से निपटाने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर): (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में औद्योगिक अधिकरणों/न्यायालयों द्वारा विवादों के समयबद्ध निपटाने की व्यवस्था है।

दिल्ली में दो और श्रम न्यायलय क्रमशः 21.10.1982 तथा 4.1.1983 से स्थापित किये गये हैं। एक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय चण्डीगढ़ में स्थापित किया गया है, जो जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा तथा संघ राज्य क्षेत्र चण्डीगढ़ से संबंधित उन मामलों का निपटान करता है, अब तक केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा निपटाए जा रहे थे। अन्य केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय, कानपुर में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है, जिसे केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण-एवं-श्रम न्यायालय नई दिल्ली से उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बन्धित मामले स्थानांतरित किए जायेंगे।

मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल, 1984 को कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि को जमा करने वाले प्रतिष्ठान

8537. **श्री सत्यनारायन जटिया** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1 अप्रैल, 1984 तक जमा नहीं की गई कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश में उन संस्थानों अथवा प्रतिष्ठानों के नाम क्या हैं जिन्होंने भविष्य निधि धनराशि जमा नहीं कराई है तथा प्रत्येक मामले में कितनी धनराशि अंतर्गत है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर):(क) पहली अप्रैल, 1984 की स्थिति के अनुसार सूचना सहज उपलब्ध नहीं है तथापि, एक विवरण 1 संलग्न है जिसमें 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की बकाया राशि की राज्य वार स्थिति दर्शाई गई है।

(ख) 31-12-1983 की स्थिति के अनुसार उन छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्होंने अपने न्यासी बोर्ड को भविष्य निधि अंशदान का हस्तांतरण नहीं किया है और उनसे राशि देय है तथा उन छूट न प्राप्त प्रतिष्ठानों के नाम, जिन्होंने 50,000/-रुपये और उससे अधिक राशि का भुगतान करना था और उनसे राशि देय है, संलग्न विवरण-2 और 3 में दिये गये हैं। कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि इन सभी मामलों में, दोषी प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम के अनुसार आवश्यक कानूनी और दांडिक कार्यवाही की गई है। यह सूचित किया गया है कि बकाया राशि की वसूली के लिए जारी किए गए वसूली प्रमाण-पत्र और दायर किये गये अभियोजन मामले संबन्धित प्राधिकरणों के पास लम्बित पड़े हैं।

विवरण 1

क्षेत्र	भविष्य निधि अंशदानों की बकाया राशि	
	छूट न प्राप्त प्रतिष्ठान	छूट प्राप्त प्रतिष्ठान
1	2	3
आंध्रप्रदेश	78.22	—
एन. ई. क्षेत्र	32.23	1.22
बिहार	201.17	324.07
दिल्ली	70.19	—
गुजरात	36.34	34.89
हरियाणा	190.47	—
कर्नाटक	49.46	7.24
केरल	126.23	113.28

1	2	3
मध्य प्रदेश	1466.17	19.35
महाराष्ट्र	620.79	83.39
उड़ीसा	95.74	—
पंजाब	222.99	—
हिमाचल प्रदेश	—	—
चण्डीगढ़	—	—
राजस्थान	78.74	6.67
तमिलनाडू	278.60	—
उत्तर प्रदेश (×)	678.88	98.65
पश्चिमी बंगाल	681.02	3648.04
	4907.24	4337.04

(×) आंकड़े अन्तिम हैं

विवरण-2

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम	कुल राशि जो हस्तांतरित नहीं की गई
		(रुपये लाखों में)
1.	मैसर्स बुरहानपुर ताप्ती मिल्स, बुरहानपुर ।	5.19
2.	मैसर्स राजकुमार मिल्स, इन्दौर ।	0.85
3.	मैसर्स नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपानगर ।	3.00
4.	मैसर्स हुकमचन्द मिल्स लिमिटेड, इंदौर ।	8.34
5.	मैसर्स सज्जन मिल्स लिमिटेड रतलाम।	1 97
6.	मैसर्स भारत अल्मुनियम कं० लिमिटेड कोरबा ।	2.00

विवरण 3

क्रमांक	प्रतिष्ठान का नाम और पता	देय राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3
1.	इन्दौर मालवा यूनाईटेड मिल्स, इन्दौर	69.83
2.	कल्याणमल मिल्स, इन्दौर	17.26
3.	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लौर मिल्स, इन्दौर	11.11
4.	हीरा मिल्स, उज्जैन	15.05
5.	बंगाल नागपुर काटन मिल्स, राजनन्दगांव	3.00
6.	न्यू भोपाल टैक्सटाईल्स मिल्स, भोपाल	13.30
7.	दि हुकमचन्द मिल्स लि०, इन्दौर	16.00
8.	राजकुमार मिल्स लि० इन्दौर	11.95
9.	होप टैक्सटाईल्स लि०, इन्दौर	521.28
10.	विनोद मिल्स कं० लि०, उज्जैन	605.02
11.	बिमल मिल्स कं० लि०, उज्जैन	97.42
12.	इन्दौर टैक्सटाईल्स लि० उज्जैन	30.29
13.	श्री सज्जन मिल्स लि० धमनोद रोड, रतलाम	24.64
14.	बिलास पुर स्पिनिंग मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०, बिलासपुर	3.52
15.	भण्डारी आयरन एण्ड स्टील कं० (प्र०) लि०, इन्दौर	0.84
16.	गजरा गेयर्स (प्रा०) लि०, देवास	2.27
17.	हिम्मत स्टील फाउण्डरी लि०, कुमाहारी	0.49
18.	साउण्ड ज्वेयार्ड यूनियन (प्रा०) लि० ग्वालियर	2.74
19.	छोटा नागपुर फोरेस्ट सिण्डीकेट लि० बाराद्वार, जिला बिलासपुर	1.34
20.	एम.पी. लिफ्ट इरियेशन कारपोरेशन लि० राजनन्दगांव	0.76
21.	सीड मल्टीप्लीकेशन एण्ड डेमान्सट्रेशन, कंकेर, जिला बसूतर	0.62

1	2	3
22.	फूड कारपोरेशन आफ इण्डिया, रायपुर	0.24
23.	जाओरा शुगर मिल्स जाओरा	5.00
24.	जे. बं. मंधाराम एण्ड क० प्रा० लि०, ग्वालियर	2.59
25.	ओरिएण्ड प्लाईबुड एण्ड वेनीरिंग गोगांव, जिला रायपुर	1.31
26.	ई. एण्ड एम वर्कशाप रिक्लेमेशन सब-डिवाजन, सतना	2.22
2 .	सुनीता लेबोरेटरी (प्रा) लि०, इन्दौर	0.69
28.	हिनवाड भोपाल	052

कानून की पुस्तकों के लेखन अनुवाद के लिए योजना

8538. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दी में कानून का मूल पुस्तकों के लेखन और कानून की पुस्तकों के हिन्दी में अनुवाद की योजना संतोषजनक ढंग से नहीं चल रही है और यह लोकप्रिय भी नहीं है;

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितनी पुस्तकें प्रकाशित की गई हैं;

(ग) उन लोगों का ब्यौरा और योग्यताएं क्या हैं जिन्हें अब तक हिन्दी में कानून का मूल पुस्तकें लिखने या कानून की पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने का कार्य सौंपा गया है;

(घ) उन्हें इसके लिये कितना पारिश्रमिक दिया गया है; और

(ङ) इस दिशा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ङ) यद्यपि ये स्कीमें उतनी संतोषजनक रूप में नहीं चल रही हैं और उतनी लोकप्रिय भी नहीं हैं जितनी सरकार चाहती है, फिर भी, हिन्दी में विधि का पुस्तकों की मांग पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात और इस कार्य को करने के लिए प्रतिभासंपन्न व्यक्तियों का उपलभ्यता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि स्कीमें संतोषप्रद रूप में नहीं चल रही है और वे लोकप्रिय नहीं हैं। स्कीमों के कार्यकरण में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये उनमें सुधार के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं। पुस्तकें लिखने के सम्बन्ध में जो मानव पारिश्रमिक दिया जाता है उसके उचित मामले में बढ़ाये जाने की व्यवस्था की गई है। भिन्न-भिन्न स्थानों पर गोष्ठियों का आयोजन क के और प्रदर्शनियां लगाकर स्कीमों का प्रचार करने के भी प्रयास किये जा रहे

हैं। हाल ही में प्राइवेट सेक्टर में हिन्दी में प्रकाशित सर्वोत्तम विधि पुस्तकों को पुरस्कार देने की स्कीम का इस प्रकार पुनरीक्षण किया है जिससे कि वह अधिक युक्ति संगत हो जाये।

(ख) से (घ) संलग्न विवरण में दिये गये अनुसार। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 8245/84]

महाराष्ट्र मण्डल के अन्तर्गत बेलगाम में छंटाई अनुभाग "बी. एम. 3" और "बी. एम. 4" वा बन्द किया जाना

8539. **प्रो० मधु दंडवते : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय रेल डाक सेवा संघ, क्षेणी III बी. एम. डिवीजन, बेलगाम ने उन्हें भेजे गये 22 मार्च 1984 के अपने ज्ञापन में यह मांग है कि "बी. एम. 3" और बी. एम. 4" छंटाई अनुभागों को बंद किये जाने की स्थिति में, महाराष्ट्र सर्किल के अन्तर्गत बेलगाम में एक छंटाई कार्यालय खोला जाना चाहिये; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग के संबंध में सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। रेल डाक सेवा बी. एन. मंडल, बेलगांम के स्टाफ से प्राप्त हुआ है।

(ख) चलती गाड़ियों में छटाई कार्य को समाप्त कर छटाई अनुभागों को चरणबद्ध ढंग से समाप्त करने के लिए नीति निर्णय लिया गया था बी. एम. 3 और बी. एम. 4 छटाई अनुभागों को बदलने का तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि उन्हें अप्रैल, 1985 तक पारगमन अनुभागों में बदलने की संभावना है। मात्र बी. एम. मंडल के कर्मचारियों के लिये छटाई कार्यालय खोलने का प्रश्न ही नहीं उठता। पी. एम. जी कर्नाटक के नियंत्रणाधीन बेलगाम में मौजूदा छटाई कार्यालय, बेलगाम की डाक की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त है तथापि बी. एम. 3 और बी. एम. 4 छटाई अनुभागों को बदलते समय बी. एम. मंडल के कर्मचारियों के हितों को मद्देनजर रखा जायेगा।

उड़ीसा के कालाहांडी जिले में टेलीफोन सुविधायें

8540. **श्री रामबिहारी बहेरा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कालाहाड़ी जिले में उन खंडों, तहसीलों और उपमन्डलों के क्या नाम हैं जिन्हें अभी टेलीफोन सुविधाएं और खड, तहसील और उप मंडलीय मुख्यालयों के बीच संपर्क प्रदान किया जाना है;

(ख) इन क्षेत्रों में दूरसंचार सम्पर्क की व्यवस्था करने के लिये उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान इन क्षेत्रों को जोड़ने के लिये उड़ीसा सर्किल द्वारा क्या योजनाएं तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उड़ीसा के कालाहांडी जिले के सभी खंडों, तहसीलों और उप मंडलों में पहले ही टेलीफोन सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है। दुर्गम/पर्वतीय भूभाग और उसके औचित्य को सिद्ध करने के लिये अपर्याप्त परियात के कारण सभी खंडों, तहसीलों और उप मंडलों के बीच सीधे सम्पर्क की अभी व्यवस्था नहीं की गई है। टेलीफोन संपर्क सबसे नजदीकी टेलीफोन केन्द्र से दिये जाते हैं।

(ख) अनुबंध-एक व दो [**ग्रन्थालय में रखे गए देखिए संख्या एल. टी.** 8246/84] में दी गई उदारीकृत नीति के अनुसार कालाहाँड़ी जिले में दूरसंचार संपर्क मुहैया किये जा रहे हैं।

(ग) और (घ) 1983-84 के दौरान उपलब्ध कराये गये टेलीफोन एक्सचेंज और लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन नीचे दिये गये हैं :

स्थान	क्षमता
मीनापल्ली	25 लाइन एम.ए.एक्स-III
धर्मगढ़	35 लाइन एम.ए.एक्स III 50 लाइनों में विस्तार किया गया है।
जूनागढ़	25 लाइन एम.ए.एक्स-III 50 लाइनों में विस्तार किया गया है।
असुरगढ़	लंबी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर
फुलझारन	—वही—

एक ट्रंक लाइन भवानी पटना से नवरंगपुर तक भी बिछाई गई है।

1984-85 के दौरान कालाहांडी जिले में 25-25 लाइनों की क्षमता के टेलीफोन एक्सचेंज तथा पांच लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने का प्रस्ताव है।

उड़ीसा में डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोलना

8541. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर नये डाकघर, टेलीफोन एक्सचेंज और तारघर खोलने के प्रस्ताव हैं; और

(ख) वर्तमान एक्सचेंजों में से किस एक्सचेंज को स्व-चालित किये जाने की सम्भावना है ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बिजय एन. पाटिल) : (क) (एक) उन स्थानों के नाम, जहां नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है, संलग्न विवरण-I में दिये गये हैं।

(दो) 1984-85 के दौरान 25 नये टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है, परन्तु जिन स्थानों पर एक्सचेंज खोले जाने हैं, उनका अभी पता लगाया जाना है।

(तीन) 1984-85 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित तारघरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ख) 1984-85 के दौरान स्वचालित बनाये जाने वाले संभावित मौजूदा एक्सचेंजों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है ।

विवरण-1

उन स्थानों के नामों की सूची, जहां नए डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है :

ग्रामीण क्षेत्र में	शहरी क्षेत्र में
1. माणिक्यपुर	1. गोपबधु मार्ग
2. मोईमुरा	2. बाहमबारी
3. पारा	3. कामागढ़
4. बालीगराडा	4. सामतरपुर
5. बंगुरी सिउगा	5. मुराबिल
6. चड्ड़ेस	6. अम्माबली
7. पुरुषोत्तमपुर	7. सोसाला
8. सानसैलो	8. कुचिदा कालिज
9. मधुपुर	9. तिनिकोनिया चौक कुचिशल्ला
10. सानानंगा	10. बुरला मार्केट
11. रानियाडा	11. ओरिएट कोलदियरी ब्राण
12. सादापुर	12. चित्ती बाजार
13. सरधापल्ली	
14. गोपालपुर	
15. मुक्तापुर	
16. भतिसाना	
17. बिरीकोट	

18. चुदंगोपुर
19. गांधीकिया
20. बनियागांव
21. जिरेई
22. कुरादिका
23. ब्रह्मपुरा
24. मछिमापदार
25. झराबिदा
26. कायटा
27. ध्रुपदा
28. बोनिबिल
29. तेन्दरा
30. बीरकिशोरपुर

विवरण 2

जिन मौजूदा एक्सचेंजों को स्वचालित बनाये जाने की संभावना है, वे इस प्रकार है :—

1.	बालोसोर	1984-85 के दौरान
2.	धेनकनाल	7वीं योजना के दौरान
3.	तलचेर	
4.	विक्रमपुर	
5.	सम्बलपुर	
6.	हीराकुड	
7.	बुरला	
8.	तितलागढ़	
9.	सुन्दरगढ़	
10.	जैपोर	
11.	कोरापुट	
12.	भदरक	
13.	केन्द्रपाडा	
14.	बारीपाडा	
15.	छतरपुर	

16.	जाटनी	)	
17.	जयपुर रोड		
18.	क्योंझर	}	7वीं योजना के दौरान
19.	फुलबनी		
20.	बारबिल		
21.	दामन्डडोडी	)	

जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में गरम करने के ईंधन ऊर्जा स्रोतों की कमी

8542. **श्री पी. नामग्याल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ईंधन, लकड़ी और गरम करने के अन्य ईंधन/ऊर्जा स्रोतों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार वहां पर एल. पी. जी. सिलेंडरों के लिए रिफिलिंग सयंत्र की सुविधा सहित एक एल. पी. जी. डिपो खोलने पर विचार करेगी;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक खोला जायेगा; और

(घ) यदि नही, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गोशंकर मिश्र) : (क) जम्मू और काश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में ईंधन लकड़ी की कमी के बारे में सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) से (घ) तेल आयोग अपनी एल. पी. जी विपणन योजना के अन्तर्गत जम्मू और काश्मीर के लेह तथा कारगिल जिलों में एल. पी. जी. सुविधाओं को आरम्भ करने की योजनाओं पर विचार कर रहा है। परन्तु लद्दाख क्षेत्र की बहुत थोड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वहां सिलेण्डरों को भरने के लिए एल. पी. जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राजस्थान और हरियाणा द्वारा आनन्दपुर साहिब और मुकेरियां हाइडल चैनल में हिस्से की मांग

8543. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब द्वारा आनंद पुर साहिब और मुकेरियां हाइडल चनल का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था और इससे कुल कितने किलोवाट बिजली का उत्पादन किए जाने की संभावना है ;

(ख) क्या ब्यास नदी और भोंग बांध से भाखड़ा बांध जलाशय में आने वाला पानी विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है;

(ग) क्या राजस्थान और हरियाणा ने केन्द्रीय सरकार से विद्युत लाभ और खर्च में हिस्सा बटाने की अनुमति देने की मांग की है; और

(घ) क्या आनन्दपुर साहिब पनबिजली परियोजना के प्रश्न को सरकार को भेजा गया है और यदि हां, तो कब और उस पर अब तक कोई निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) पंजाब सरकार ने 134 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली आनन्दपुर साहिब जल-विद्युत परियोजना का 1974-75 में तथा 207 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली मुकेरियां जल-विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य 1976 में आरम्भ किया था।

(ख) से (घ) जी, हां। विचार-विमर्श जारी है तथा मामले का यथा समय पर निपटान हो जाना चाहिए।

बम्बई के पूर्वी उपनगरों में नए डाकघर

8544. **डा० सुब्रहमण्यम स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई के तेजी से विकासशील और बढ़ने वाले पूर्वी उपनगरों में कई स्थानों पर नए डाकघर खोलने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन बस्तियों में ऐसे डाकघर खोले जाने की आवश्यकता है; और

(ग) सरकार निकट भविष्य में किन-किन स्थानों पर नये डाकघर खोलना चाहती है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) निम्नलिखित इलाकों में डाकघरों की आवश्यकता है :—

1. माहुल	9. सानेगुरुजी नगर (मुलुंद पूर्व)
2. चेदानगर	10. एवराड नगर
3. गरोडीनगर	11. मानखुर्द
4. विखोरोली पश्चिम)	12. रामबाई कालोनी
5. कांजुर मार्ग	13. चैनक्या (मुलुंद)
6. भांदुप पूर्व	14. मीटानगर (मुलुंद)
7. डाक-तार कालोनी मुलुंद)	15. मंडले
8. प्रतीक्षानगर सिओन	16. चीता कैम्प

(ग) ऐसे स्थान जहां पर सरकार का निकट भविष्य में नए डाकघर खोलने का विचार है—(1) गरोदीनगर (2) चेदानगर (3) कांजुर पूर्व और (4) विखरोली (पश्चिम)। अन्य डाकघरों के संबंध में चरणबद्ध रूप से विचार किया जायेगा बशर्ते कि उपयुक्त स्थान उपलब्ध हो जांए।

कम्पनियों के रजिस्ट्रारों के कार्यालयों में इलेक्ट्रोनिक उपकरण शुरू करना

8545. **श्री आर प्रभु** : क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजीकृत कम्पनियों की संख्या 10,000 से अधिक है ।

(ख) क्या सरकार का विचार ग्राहकों को द्रुत सेवा के लिए कम्पनी रजिस्ट्रारों के कार्यालय में इलेक्ट्रोनिक उपकरण शुरू करने का है;

(ग) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने भारी संख्या में नई नियमित कम्पनियों की सेवा के लिए जनशक्ति और उपकरण सम्बन्धी आवश्यकता की कोई दीर्घावधि रूपरेखा तैयार की है; और

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान, वर्ष-वार सरकार ने कितना राजस्व अर्जित किया और कितनी धन राशि खर्च की तथा खर्च और राजस्व अर्जन का अनुपात क्या रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) : 31 दिसम्बर, 1983 तक भारत में शेयरों द्वारा सीमित 91,154 कम्पनियां कार्यरत थीं। वर्ष 1983 की अवधि में भारत में शेयरों द्वारा सीमित कम्पनियों के नवीन पंजीकरणों के आंकड़े 11,387 हो गये थे ।

(ख) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है । तथापि इलेक्ट्रोनिक उपकरण को, जब कभी भी आवश्यकता हुई तो निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भ करने पर विचार किया जायेगा ।

(ग) विभाग के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या, को कार्यमात्रा के अध्ययन के आधार पर कतिपय कार्यमात्रा की वृद्धि के अनुसरण में समय-समय पर निर्धारित एवं संशोधित किया जाता है। निधियों की उपलब्धता के अन्तर्गत वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, प्रत्येक कार्यालय को आवश्यक उपकरण भी दिए गये हैं ।

(घ) छठी पंच वर्षीय योजना के 1980-81, 1981-82, और, 1982-83 के वर्षों के राजस्व हेतु व्यय का अनुपात, जिसके लिए आँकड़े तुरन्त उपलब्ध हैं, वे निम्न प्रकार है :—

लाखों रुपये में

वर्ष	राजस्व	व्यय	व्यय राजस्व	अनुपात
1980-81	580.97	280.28	0.45:1	
1981-82	832.01	291.47	0.35:1	
1982-83	864.47	401.36	0.46:1	

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

8546 **श्रीमती संयोगिता राणे** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने तिब्बती शरणार्थी हैं तथा उनमें से कितनों का विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया है और कितनों को अभी स्थायी रोजगार दिया जाना है; और

(ख) तिब्बती शरणार्थियों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है और इस प्रयोजन हेतु इस वर्ष कितनी धन राशि का प्रावधान किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भारत में 66,120 तिब्बती शरणार्थी हैं जिनमें से 57,600 व्यक्तियों को जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पहले ही पुनर्वास दिया जा चुका हैं। 2,7 3 व्यक्तियों को जम्मू और काश्मीर, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पुनर्वास प्रदान करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने के लिए वचनबद्ध नहीं है, तथापि, उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए सहायता दी जाती है जिससे उन्हें अन्ततः स्वतः रोजगार प्राप्त हो जाता है। इस समय लगभग 5,' 00 तिब्बती शरणार्थी हैं जिन्हें अभी भी व्यवहार्य पुनर्वास सहायता की आवश्यकता है।

(ख) तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास और शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा अब तक 25.73 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि व्यय की गई है। इस प्रयोजन के लिए इस वर्ष के अन्तर्गत 1 89 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

रायायनी, महाराष्ट्र में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स संयंत्र में दुर्घटना विस्फोट

8547. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि रायायनी, पनवेल (महाराष्ट्र) में 21 मार्च, 1984 को हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लि० में दुर्घटना/विस्फोट हुआ था और जिससे जान और माल की क्षति हुई है,

(ख) यदि हाँ, तो कितनी क्षति हुई और उसके क्या कारण हैं,

(ग) प्रत्येक पारी में कर्मचारियों की संख्या कितनी हैं और हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लि० के कर्मचारियों को कितना नुकसान हुआ,

(घ) दुर्घटना/विस्फोट के क्षेत्र में श्रमिकों के लिए क्या उपचारात्मक सुरक्षा नियम निर्धारित किए गए और इन नियमों को कहां तक क्रियान्वित किया गया अथवा उस समय उल्लंघन किया गया,

(ङ) उसके लिए कौन कौन व्यक्ति जिम्मेदार हैं और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(च) क्या सरकार का विचार सुरक्षा नियमों में संशोधन करने का है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) दिनांक 21 मार्च, 1984 को एच. ओ. सी., रसायनी के नाइट्रिक एसिड संयंत्र में एक दुर्घटना हो गई थी जिसके परिणामस्वरूप नाइट्रिक एसिड संयंत्र में रिसाव हो गया । प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता लगता है कि यह गैस्केट की खराबी के कारण हुआ । ब्यौरों की और जांच पड़ताल की जा रही है । परिणामस्वरूप, साथ वाले रियेक्टर जिसे अनुरक्षण और निरीक्षण कार्य के लिए बन्द कर दिया गया था । पर कार्य कर रहे 8 व्यक्ति जल गए थे जिनमें से चार बाद में मर गए । संयंत्र की प्रत्यक्षत: कोई हानि नहीं है ।

(ग) इस संयंत्र में प्रत्येक पारी में एक पूर्ण कालिफ उत्पादन अधिकारी और 6 संचालन कर्मचारी हैं । हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों को कोई नुकसान नहीं हुआ था ।

(घ) से (च) रियेक्टर में अन्दर ही स्वचालित ताले और सुरक्षा उपायों की व्यकस्था है । दुर्घटनाग्रस्त कामगार एक अप्रयुक्त रियेक्टर पर कार्य कर रहे थे जो लगभग दिसम्बर, 1983 के मध्य से अनुरक्षण और निरीक्षण के लिए बन्द था और एसिज/रसायनों से पूर्णतया मुक्त था । एक तकनीकी समिति सुरक्षा नियमों सहित दुर्घटना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जांच पड़ताल कर रही है और इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर समुचित कार्यवाही की जाएगी ।

वर्ष 1984-85 के दौरान कोयले के लाने ले जाने के लिए कोयला वैगनों की आवश्यकता

8548. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या कोयला विभाग ने वर्ष 1984-85 के दौरान कोयला लाने ले जाने के लिए रेल वैगनों की संभावित आवश्यकता का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आवश्यकता के बारे में रेलवे मंत्रालय को सूचित कर दिया है; और

(ग) क्या रेल मन्त्रालय आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत हो गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1984-85 के लिए कच्चे कोयले की मांग योजना आयोग ने 155.70 मिलियन टन निर्धारित की है । इसके अलावा अनुमान है कि 5.50 मिलियन टन वाशरी मिडलिंग की मांग

भी होगी । इस मांग के अनुसार कोयले और मिडलिंग के परिवहन के लिए, कोयला विभाग का अनुमान है कि 1984–85 में 12 .36 मिलियन टन कोयला रेलों से भेजना पड़ेगा जिसके लिए 14,503 वैगनों की प्रतिदिन जरूरत पड़ेगी । यह जरूरत रेल मंत्रालय को सूचित कर दी गई है ।

(ग) चूंकि ऐसा लगा था कि 1984-85 में कोयले की ढुलाई के संबंध में रेलों की क्षमता उपर्युक्त जरूरत से कम रहेगी इसलिए योजना आयोग ने 1984-85 में कोयले की ढुलाई की समस्या पर विचार करने के लिए एक कार्य दल बनाया है । इस कार्य दल में अन्य सगठनों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ योजना आयोग, रेलवे बोर्ड और कोयला विभाग के प्रतिनिधि हैं । कार्य दल ने अभी अपनी रिपोर्ट तैयार नहीं की है और ऐसे तरीके निकालने के संबंध में चर्चा हो रही है जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि कोयले की कम ढुलाई के कारण उपभोक्ता क्षेत्रों को कोई परेशानी नहीं हो।

दिल्ली न्यायिक सेवा में पदोन्नतियां

8549. **श्री भोकू राम जैन** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्ष के दौरान दिल्ली न्यायिक सेवा के एक भी सदस्य की दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में पदोन्नति नहीं की गई है;

(ख) पदोन्नति में इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां । दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा में कोई पद रिक्त नहीं था ।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन, दिल्ली उच्चतर न्यायिक सेवा के काडर की पदसंख्या में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ।

सिक्किम में दूरसंचार सेवा

8550. **श्री पी. एम. सुब्बा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या गंगटोक टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन लाइनों में वृद्धि करने का विस्तार कार्य पूरा हो गया है;

(ख) कितने नये कनेक्शन उपलब्ध होंगे;

(ग) इसको कब तक उपलब्ध करा दिया गया; और

(घ) सिक्किम में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए विभाग की क्या योजना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हाँ।

(ख) लगभग 188 नए कनेक्शन उपलब्ध होंगे।

(ग) 30-6-1984 तक।

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सिक्किम में दूरसंचार सेवाओं में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव है :—

(एक) 1984-85 के सप्लाई कार्यक्रम में गांतोक में मौजूदा 900 लाइनों के एम. ए. एक्स-II के बदले 1200 लाइनों के एम. ए. एक्स-1 स्ट्रोजर की स्थापना

(दो) बेहतर ट्रंक संचार के लिए गांतोक-दार्जिलिंग नैरो बैंड माइक्रोवेव की जांच की जा रही है।

(तीन) एक अल्पकालिक उपाय के रूप में सिक्किम के तीन जिला मुख्यालयों अर्थात मानगन, नामची तथा गार्जिंग से यू. एच. एफ. प्रणाली, जब तक उपर्युक्त क्रम संख्या (दो) पर दिया गया माइक्रोवेव लिंक स्थापित नहीं हो जाता है तब तक 1984-85 के दौरान गांतोक तथा दार्जिलिंग के बीच दूसरी यू०एच० एफ० प्रणाली चालू करना।

भारतीय तेल निगम के पाइपलाइन्स मुख्यालय में कनिष्ठ आशुलिपिकों के पद के लिए चयन

8551. **श्री के० अर्जुनन** : क्या ऊर्जा मंत्री दिनांक 20.3.1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3735 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम के दिल्ली स्थित पाइपलाइन्स मुख्यालय में 1978-79 के दौरान कितने कनिष्ठ आशुलिपिकों का चयन किया गया;

(ख) कितने व्यक्तियों को दिल्ली से बाहर के लिए नियुक्ति पत्र भेजे गये और उनमें से कितने लोगों ने सेवा ग्रहण की;

(ग) क्या जिन लोगों ने दिल्ली से बाहर सेवा ग्रहण नहीं की, उन्होंने दिल्ली में नियुक्ति करने पर अनुरोध किया था, यदि हां, तो उसके अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या दिल्ली में नियुक्त न किए गए उम्मीदवारों में कोई महिला उम्मीदवार थी;

(ङ) क्या बाद में दिल्ली कार्यालय में नियुक्ति के लिए उन उम्मीदवारों को पेशवश भेजी गई जो योग्यता सूचि में नीचे थे तथा उन उम्मीदवारों के बारे में कोई विचार नहीं किया गया जिन्हें योग्यता सूचि में उच्च स्थान प्राप्त हुआ था तथा योग्यता दिल्ली से बाहर नियुक्त करने की पेशकश की गई थी और उन्होंने दिल्ली में ही नियुक्ति करने का अनुरोध किया था;

(च) यदि हां, तो पहले उन उम्मीदवारों की नियुक्ति को पेशकश न भेजने के क्या कारण हैं जिन्होंने पहले दिल्ली से बाहर नियुक्ति अस्वीकार कर दी थी; और

(छ) पेनल की कोई विशिष्ट वैधता न होने के क्या कारण हैं; और इसका क्या औचित्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1978 तथा 1979 के दौरान इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड के दिल्ली स्थित पाइपलाइन मुख्यालय में कनिष्ठ अशुलिपिक के पद के लिए 26 उम्मीदवारों का चुनाव किया गया था तथा उन्हें पैनेल में रखा गया था।

(ख) दिल्ली से बाहर के लिए 14 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे गये थे जिकमें से तीन उम्मीदवारों ने सेवा ग्रहण की थी।

(ग) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार जो उम्मीदवार पद ग्रहण नहीं करते हैं उनके नियुक्ति प्रस्ताव को वापिस ले लिया जाता है।

(घ) 2 महिला उम्मीदवार थीं

(ङ) जी, हां।

(च) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुसरण की जा रही प्रक्रिया के अनुसार जो उम्मीदवार नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता उसके नाम को पैनेल से निकाल दिया जाता है तथा उसके नाम पर भविष्य में होने वाले रिक्त पद के लिए विचार नहीं किया जाता है।

(छ) उम्मीदवारों को उपलब्धता/आवश्यकता पर निर्भर करते हुए पैनेल का प्रयोग किया जाता है। यह इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड में प्रचलित प्रक्रिया के अनुरूप है।

पर्यटन क्षेत्र में बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड का कार्य

8552. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बालमेर लारी एण्ड कम्पनी लिमिटेड ने हाल ही में पर्यटक कार्य प्रारम्भ कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में कम्पनी की उपलब्धियां और लाभप्रदता और संभावनाएं क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां,।

(ख) उपलब्धियां नीचे दी गयी हैं।

वर्ष	बिक्री (टर्न ओवर)	विदेशी मुद्रा अर्जन	लाभप्रदत्ता लाभ/हानि
1982-83	10.94	5-00	(4.17) (हानि)
1983-84	25.18	16.00	(3.50) (हानि)

1984-85 में बामर तारी कम्पनी को 55 लाख रुपये की आय होने की आशा है जिससे इसका खर्च और आमदनी बराबर हो जाऐंगे। 1985-86 से उन्हें लाभ होने की आशा है।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में लघु टेलीफोन एक्स चेंज खोले जाना

8553. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पिछले चार वर्षों के दौरान कुल कितने लघु टेलीफोन एक्सचेंज खोले गये हैं;

(ख) उनका जिला वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1984-85 में ऐसे एक्सचेंज किन-किन स्थानों पर खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) पिछले 4 वर्षों में उत्तर-प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथोड़ागढ़ जिले में 18 छोटे टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए हैं।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण—1 में दी गई है।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण—2 में दी गई है।

विवरण

उत्तर-प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में पिछले 4 वर्षों के दौरान खोले गए छोटे टेलीफोन एक्सचेंजों का जिलेवार विवरण-I

स्थान का नाम	एक्सचेंज की किस्म	क्षमता	खोले जाने का वर्ष
1	2	3	4
अल्मोड़ा जिला			
1. भिकिया सैन	एम. ए. एक्स-III	25 लाइन	1980-81
2. सोमेश्वर	वही	वही	1981-82
3. मझकाली	वही	वही	वही
4. मसी	वही	वही	वही

1	2	3	4
5. स्यालदाह	एम. ए. एक्स-III	25 लाइन	1981-82
6. धारदारी	वही	वही	वही
7. बारेछिना	वही	वही	1982-83
8. कसारा	वही	10 लाइन	वही
9. कौसानीशाते	वही	25 लाइन	वही
10. कफालिजैरे	वही	वही	वही
11. बैजनाथ	वही	25 लाइन	1983-84
पिथौरागढ़ जिला			
1. चम्पावत	वही	वही	1980-81
2. दिदिहाट	वही	वही	वही
3. धारचूला	सी. बी.एन.एम-50	50 लाइन	वही
4, जूलाघाट	एम.ए. एक्स-III	25 लाइन	1981-82
5. मनसायरी	सी.बी.एन. एम.	50 लाइन	वही
6. थाल	एम. ए. एक्स-III	25 लाइन	1982-83
7. अस्कोट	वही	वही	1982-83

विवरण—2

उन स्थानों के नाम जहां वर्ष 1984-85 के दौरान एक्सचेंज खोले जाने हैं

स्थान का नाम	किस्म	क्षमता
अल्मोड़ा जिला		
1. लामगराह	एम. ए. एक्स-III	25
2. दानिया	वही	वही
3, कोसी	वही	वही
पिथौरागढ़ जिला		
1. वेरिया	वही	वही
2. देवीधुरा	वही	वही
3. चौरा मेहता	वही	वही

ये एक्सचेंज न्यूनतम प्रतीक्षा सूची, मांग की प्राथमिकता और सामान की उपलब्धता के होने पर ही खोले जाएंगे।

बिहार में कोयले पर आधारित नए उर्वरक संयंत्र की स्थापना

8554. **श्री कुंवर राम** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने अगली योजना अवधि में बिहार में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं,

(ख) क्या नई तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट पर कार्यवाही की गई है, और

(ग) इस बारे में निर्णय कब तक किए जाने की संभावना है ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) से (ग) कोयले पर आधारित तालचर और रामागुण्डम में चल रहे दो संयंत्र अभी स्थिर नहीं हुए हैं। इन दो संयंत्र को चलाने से कोयले पर आधारित संयंत्रों के स्थापित हो जाने के बाद ही कोयले पर आधारित और संयंत्रों को स्थापित करने के लिए कोई और निवेश करने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है बिहार राज्य में कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के बारे में बिहार सरकार के सुझाव पर उसके बाद ही विचार किया जा सकता है ।

उड़ीसा में नए स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना

8555. **श्री हरिहर सोरन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में नए स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों की स्थापना के लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है;

(ख) इन स्वचालित टेलीफोन केन्द्रों के कब तक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं;

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान 25-25 लाइनों के 25 नए एम. ए- एक्स-III एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है। स्थान अभी निर्धारित किए जाने हैं। 1984-85 के पश्चात नए एम. ए· एक्स-III एक्सचेंज खोलने का अभी कोई कार्यरूप नहीं है ।

(ग) योजना प्राक्कलन मंजूरी के विभिन्न चरणों में हैं। आवंटित किए गए उपस्कर के सम्बन्ध में आदेश विनिदेशन जारी कर दिये गए हैं ।

डाक-तार विभाग में पदोन्नति नियम और रोस्टर योजना समाप्त किया जाना

8556. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की पदोन्नति की रोस्टर योजना को त्याग दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो रोस्टर योजना को समाप्त करने के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार द्वारा रोस्टर योजना में दिये गए पदोन्नति के अधिकार की रक्षा के लिए कोई नियम बनाये गये हैं; और

(घ) समयबद्ध पदोन्नति नियम बनाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। डाक तार विभाग के कुछ प्रचालन सवर्गों में 30-11-83 से समयबद्ध एक पदोन्नति योजना के अन्तर्गत दी गई पदोन्नति के अतिरिक्त डाक तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की पदोन्नति और रोस्टर योजना लगातार लागू है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) 30-11-83 से लागू समयबद्ध एक पदोन्नति योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के समुदायों से सम्बन्ध रखने वाले कर्मचारियों के हितों की पर्याप्त रूप से सुरक्षा की जाएगी। मूल ग्रेड में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारियों सहित इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कर्मचारी सोलह वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दूसरे उच्चतर वेतन-मान में पदोन्नति किया जाएगा, बशर्ते कि विभागीय पदोन्नति समिति उसके नाम का अनुमोदन करें।

(घ) विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति की बेहतर सम्भावनाओं के लिए संयुक्त सलाहकार तन्त्र की डाक तार विभागीय समिति में सेवा संगठनों की लगातार मांग पर समयबद्ध एक पदोन्नति योजना 30-11-83 से लागू की गयी है।

दुरदर्शन पर "सोज ओपेरा" का टेली कास्ट

8557. **श्री राम अवध:** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन पर "सोज ओपेरों" का टेली कास्ट करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) ऐसा प्रतीत होता है कि संदर्भ "सोप ओपेरा" को टेलीकास्ट करने के बारे में है मैक्सिकों में सफलतापूर्वक चलाए गए घटना दर घटना से विकसित होने वाली कहानी के साथ रोंगटे खड़े करने वाली नाटकीय शैली में "सोप ओपेरा" प्रकार के कार्यक्रमों को तैयार कर टेली कास्ट करने की योजना है। दूरदर्शन का सामाजिक रूप से संगत विषयों पर भारत के लोगों को शिक्षित करने के लिए इस फार्मेट को अपनाने का प्रस्ताव है। एक मोटी कहानी रूपरेखा अब तैयार है और घटनाओं का निर्माण करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत के बीच विदेशी इक्विटी वाली औषधि कम्पनियों की गतिविधियों का ब्यौरा

8558. **श्री तारिक अनवर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधि कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके पास 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत के बीच विदेशी इक्विटी है और उनकी कुल विदेशी इक्विटी कितनी है,

(ख) उन कम्पनियों को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत जिन बल्क औषधियों का उत्पादन करने की अनुमति दी गई थी उनके नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान कम्पनी वार वर्षवार उनकी मंजूर शुदा क्षमता और उत्पादन का ब्यौरा क्या है,

(ग) उनमें इन्टर-मिडियेट अथवा बेसिक (मूल) कि स्तर पर निर्माण कार्य होता है और प्रत्येक मामले में इन्टरमीडिएट अथवा बेसिक [मूल] कच्चे माल का नाम क्या है,

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक कम्पनी के बल्क औषधियों और फार्मूलेशन उत्पादन के कारखाना मूल्य क्या थे,

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितने मूल्यों का आयात, निर्यात और विदेशों को भेजी गई रकमों का ब्यौरा क्या है,

(च) संयंत्र, मशीनरी, उपकरण और भवनों आदि पर पिछले पांच वर्षों के दौरान वर्षवार किए गए पूंजी निवेश का ब्यौरा क्या है, और

(छ) उनकी सहायक कम्पनियों के नाम क्या हैं और इन कम्पनियों की गतिविधियां क्या हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) 25% से 40% के बीच की विदेशी शेयर पूंजी वाली औषध कम्पनियां तथा प्रत्येक मामले में विदेशी शेयर पूंजी की प्रतिशतता अनुबन्ध-I में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया—देखिए संख्या एल. टी. 4247/84]

(ख) और (ग) 18 कम्पनियों के मामले में उपलब्ध सीमा तक सूचना अनुबन्ध-II में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल. टी. 8247/84] दो कम्पनियों, अर्थात् मैसर्स कार्टर वैलेस एवं मैसर्स इन्फार [इण्डिया] लिमिटेड [भूतपूर्व ओरगेनान लिमिटेड] के सम्बंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) उपलब्ध सीमा तक सूचना अनुबन्ध-III में दी गई है। [ग्रंथालय में रखा गया देखिये —संख्या एल. टी. 8247/84]

(ङ) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दूरदर्शन के लिए "सोफ्टवेयर" कार्यक्रम संबंधी कार्यदल पर रिपोर्ट

8559. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूरदर्शन के लिए "सोफ्टवेयर" कार्यक्रम बनाने के कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) जी, हां। दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम सम्बन्धी योजना तैयार करने वाले कार्यदल ने अपनी विशाल रिपोर्ट, जो तीन खण्डों में है, 2 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत की है और उसने सिफारिशों की सूची अलग से संलग्न नहीं की है। सिफारिशों को छांटने की दृष्टि से रिपोर्ट को देखा जा रहा है। मुख्य सिफारिशों की सूची यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

(ग) कार्यदल की सिफारिशों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले उनकी विस्तार से जांच की जानी होगी।

मजदूरों, सफाई कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की ठेके के आधार पर नियुक्ति

8560. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कार्यालयों, केन्द्रीय सेवाओं और नियमों में, बहुत से स्थानों पर मजदूरों, सफाई कर्मचारियों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति ठेका प्रणाली के आधार पर की जा रही है और यदि हां, तो ऐसे निगमों और कार्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि ठेकेदारों द्वारा इन कर्मचारियों और मजदूरों का शोषण किया जाता है और यदि हां, तो इस व्यवस्था को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

"सोयूज" के प्रक्षेपण का दूरदर्शन पर प्रसारण

8561. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने दिनांक 3 अप्रैल, 1984 को "सोयूज" के छोड़े जाने और अन्तरिक्ष केन्द्र सैल्यूत-7 के साथ जुड़ने, प्रवेश करने तथा अन्तरिक्ष में स्वीडन लीडर राकेश शर्मा की प्रधान मंत्री से सीधी बातचीत का सीधा प्रसारण किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने विशेषज्ञ/वैज्ञानिक के किसी साक्षात्कार वार्ता अथवा इस अन्तरिक्ष उड़ान के महत्व के बारे में किसी कार्यक्रम की कोई व्यवस्था नहीं की थी;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या ऐसी वार्ता अथवा ऐतिहासिक महत्व के अवसर आयोजित करने की पहले परम्परा रही है;

(च) क्या यह भी सच है कि आकाशवाणी ने दिनांक 3 अप्रैल, 1984 को सायं 7.30 बजे दिल्ली में इस बिषय पर एक वार्ता प्रसारित की थी; और

(छ) यदि हां, तो तत्सबधी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत): (क) जी, हां ।

(ख) बकानोर कोस्मोड्रोम, सोवियत संघ से सोयूज टी-II अन्तरिक्ष यान के छोड़े जाने का 3.4.84 को सांय 6.00 बजे जीवन्त टेलीकास्ट किया गया था ।

(2) सोयूज टी-II के अन्तरिक्ष केन्द्र सेल्पुत्स-7 के साथ जोड़ने का भी 4.4.84 को रात 7.55 बजे जीवन्त टेलीकास्ट किया गया था ।

(3) दूरदर्शन ने सैल्युत-7 अन्तरिक्ष केन्द्र में दल के प्रवेश करने का 4-4-84 को रात 11.05 बजे जीवन्त टेलीकास्ट किया था ।

(4) 5 अप्रैल को रात 8.05 बजे अन्तरिक्ष यात्रियों के साथ प्रधान मंत्री की सीधी बातचीत को राष्ट्रीय संजाल पर दिखाया गया था ।

(ग) जी, नहीं । दूरदर्शन ने अन्तरिक्षयान के छोड़े जाने से पहले दो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किये थे । "काउंट डाऊनहैज बिगन" नामक प्रथम कार्यक्रम को 1-4-84 को टेलीकास्ट किया गया था जिसमें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डा० अरूणाचलम, वायु सेना के सलाहकार श्री एस. के. साहिश्र और एयर मार्शल डा० मुल्ख राज जैसे वैज्ञानिकों की भ ट

वार्ताएं शामिल थी । कार्यक्रम का संचालन डा० श्री जी० एच० क्रेशवानी ने किया था । अंतरिक्ष-यान के छोड़े जाने से पहले दूसरा कार्यक्रम 2-4-84 को टेलीकास्ट किया गया था। इसका शीर्षक था "अन्तरिक्ष उड़ान" और इसका संचालन डा० विश्नोई ने किया था । "स्पेस कोसियसनस" नामक एक अन्य कार्यक्रम 10-4-84 को टेलीकास्ट किया गया था। इसे योजना आयोग के मुख्य सलाहकार और एक प्रख्यात /अन्तरिक्ष वैज्ञानिक प्रो० यशपाल द्वारा प्रस्तुत किया गया था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां । दूरदर्शन महत्वपूर्ण घटनाओं पर कर्टेन रेजर कार्यक्रम अवश्य टेलीकास्ट करता है ।

(च) जी, हां ।

(छ) आकाशवाणी ने रात 7.35 बजे "सामयिकी" में विज्ञान लेखक श्री गुणाकर मूले की "भारत सोवियत अन्तरिक्ष सह यात्रा" नामक वार्ता प्रसारित की है ।

लार्सन एण्ड टूब्रो द्वारा समुद्र तट से दूर छिद्रण कार्य

8562. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्सन एण्ड ट्यूब्रो का विचार समुद्र तट दूर तेल हेतु छिद्रण के क्षेत्र में कार्य शुरू करने का है;

(ख) क्या उक्त कम्पनी का विचार समुद्र तट से दूर पेट्रोलियम उद्योग को गतिविधियां और विकास में भाग लेने के लिए चलते फिरते तटदूर-छिद्रण एकक चलाने का है;

(ग) क्या उक्त कम्पनी ने इस प्रयोजन के लिए एकाधिकार अवरोधक व्यापार व्यवहार आयोग से स्वीकृति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी को इस प्रकार की स्वीकृति कब दी जायेगी; और

(ङ) उक्त कम्पनी द्वारा समुद्र तटदूर छिद्रण कार्यों के संचालन और विकास में कितनी धनराशि का निवेश किए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र): (क) से (ङ) जी हाँ। मैसर्स वार्सन एण्ड ट्यूब्रो ने 100 करोड़ रुपये (लगभग) की अनुमानित लागत पर दो अपतटीय जैक अप रिगों के अधिग्रहण के लिए पेट्रोलियम विभाग को एक आवेदन पत्र दिया है और दूसरा आवेदन पत्र एम. आर. टी. पी. अधिनियम के अंतर्गत इस प्रयोजन के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कम्पनी कार्य को दिया है । मामले पर विचार किया जा रहा है ।

विदेशों को भेजे गये कुशल और अकुशल श्रमिकों की संख्या

8563. **श्री कृष्ण प्रतापसिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न ऐजेंसियों द्वारा ठेका आधार पर विदेशों, विशेष रूप से खाड़ी देशों

को भेजे जाने वाले कुशल और अकुशल श्रमिकों से सम्बन्धित कोई आंकड़े राष्ट्रीय स्तर पर रखे जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो देशवार, गत तीन वर्षों में ऐसे कितने श्रमिक भेजे गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऐसे श्रमिकों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार का विचार सम्बन्धित देशों के साथ कोई द्विपक्षीय ठेका करने का है और यदि नहीं; तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन उत्प्रवासी श्रमिकों की संख्या दी गई है, जो विदेशों में गये।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी हां।

विवरण

देश	वर्ष		
	1981	1982	1983
यू.ए.ई.	40,5,70	19,277	25,559
ओमन	37,258	39,792	49,120
वहरीन	13,799	17,069	18,894
इराक	44,158	35,268	13,001
कुवेत	5,766	9,764	14,490
कतमर	19,319	14,357	7,772
लीबिया	19,319	10,433	5,900
एस.अरेबिया	86,384	78,297	83,235
जाईन	3,036	1,351	754
वाई.ए.आर.	1,104	3,019	518
पी.डी.आर.वाई.	1,380	279	1,554
अन्य	3,864	10,639	4,198
कुल =	2,75,987	2,39,545	2,24,995

सुपर ताप बिजली परियोजना के लिए सऊदी ऋण

8564. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सुपर ताप बिजली परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिये सऊदी ऋण लेने का सरकार का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन सी सुपर ताप बिजली परियोजनाओं के लिये सऊदी ऋण लिये जाने की आशा है; और

(ग) उन विद्युत परियोजनाओं के लिये कितना सऊदी ऋण की उपलब्ध कराये जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना (3X500 मेगावाट का सोपान) की आंशिक वित्त व्यवस्था के लिए 50 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि का साऊदी ऋण प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य

8565. **श्री बनवारी लाल बेला** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : राजस्थान में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का कार्य कब से और किन-किन स्थानों पर चल रहा है ?

उर्जा मन्त्रालय पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग सन 1956 से राजस्थान में तेल तथा गैस की खोज कर रहा है । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य-कलाप पूरे पश्चिमी राजस्थान शेल्फ में फैले हुये हैं ।

मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये गैस एजेंसियों का आबंटन

8566. **श्री निहाल सिंह** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में खोले जाने वाली गैस की कितनी एजेन्सियों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे और उनमें से कितनी गैस एजेन्सियां शिक्षित, बेरोजगार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित की गई हैं; और

(ख) 31 मार्च, 1984 तक अनुसूचित जातियों और अनसूचित जनजातियों से संबद्ध जिन व्यक्तियों को गैस की एजेन्सियां आबंटित की गई तथा जिनके मामले विचाराधीन हैं, उनकी सख्या, नाम और ब्यौरा क्या है ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र):(क) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :

राज्य का नाम	पिछले दो वर्षों अर्थात 1982-83 और 1983-84 के दौरान कुल स्थान जिनके लिये आवेदन पत्र मांगे गये थे	कालम [2] में से अनुसूचित जाति लिये आरक्षित
मध्य प्रदेश	57	19
उत्तर प्रदेश	96	25

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित खाना पकाने की गैस की 44 डिस्ट्रीब्यूटर शिप में से 11 मामले के चुनाव, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, के बारे में अंतिम रूप से निर्णय लिया जा चुका है और डिस्टीब्यूटर शिपें दी जा चुकी हैं/ दी जा रहीं हैं।

क्र०सं०	स्थान तथा श्रेणी	उन अनूसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों के नाम जिनको डिस्टीब्यूटर शिपें आबटित की गई है/आबंटित की जा रही हैं
	मध्य प्रदेश	
1.	भिलाई [अनुसूचित जन जाति]	श्री एस.एन. भेडिया को दी गई
2.	रायगढ़ [अनु०जन जाति]	श्री यशवंत राज सिंह को दी गई।
3.	शाहडोस [अनु० जन जाति]	श्री दिगम्बर सिंह दुबे को दी गई।
4.	जगदलपुर [अनु० जन जाति]	श्री प्रसाद नेतम को दी गई।
5.	राजधारा भरांढ़ातो (अनु० जाति]	श्री शिवदास काम्बले को दी जा रही है।
6.	छिंदवाड़ा [अनु० जन जाति]	श्री बी.पी. पंडित को दी जा रही है।
	उत्तर प्रदेश	
7.	गोरखपुर [अनु०जाति]	श्री प्रहलाद को दी गई।
8.	गाजीपुर [अनु०जाति]	श्री राम राव सोनकर तथा श्री महेन्द्रकुमार [साझेदारी में] को दी गई।
9.	रेनुकूट [अनु० जाति]	श्रीमती लक्ष्मी राकेश को दी गई। [जिन्होंने बाद में छोड़ दी]
10.	फैजाबाद [अनु०जाति]	श्री रामू को आबंटित।
11.	एटा [अनु०जाति]	श्री विनोद कुमार को आबंटित।

शेष 33 मामलों के संबन्ध में, चुनाव करने का कार्य विभिन्न अवस्थाओं में है जैसे कि आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल, साक्षात्कारों करना, क्षेत्रीय जांच करना, तेल चयन बोर्ड द्वारा अंतिम रूप से बाधित करना आदि और इन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को दिया जायेगा :

कटक और भुवनेश्वर में टेलिफोन कनैक्शन

8567. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1983 तक उड़ीसा में भुवनेश्वर और अन्य नगरों में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए गए, और

(ख) निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु शेष कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) 1-4-1983 से 31-12-1983 तक प्रदान किए गये टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या इस प्रकार है : —

	1-4-83 को लाइनों की संख्या	31-12-83 तक दी गई नई टेलीफोन लाइनें
कटक	4681	231
भुवनेश्वर	4263	276
बहरामपुर	1377	286
सम्बलपुर	1565	80
राऊरकेला	3147	3
अन्य नगर	13487	467
योग	28520	1,343

(ख) नये एक्सचेंज खोल कर तथा उपस्कर, केबिल एवं अन्य साज-समान उपलब्ध होने पर मौजूदा एक्सचेंजों का विस्तार करके उत्तरोत्तर रूप से नये कनेक्शन उपलब्ध कराके लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

भारतीय कंपनियों के फार्मूलेशन क्षमता के विस्तार के लिए आवेदनों पर पुनर्विचार

8568. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि नई औषध नीति के पैरा 12 (तेरह) के अन्तर्गत भारतीय कम्पनियों को स्वदेशी बल्क डगों की खपत के आधार पर हर फर्मूलेशन क्षमता पर विस्तार करने की अनुमति दी जा रही है,

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे फार्मूलेशन क्षमता के विस्तार के लिए भारतीय कम्पनियों के कितने आवेदनों को नामंजूर किया गया है, और

(ग) क्या औषध उद्योग के भारतीय क्षेत्र की सहायता करने के लिए सरकार का इन आवेदनों पर पुनर्विचार करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) 1981 से 1983 तक की 3 वर्ष की अवधि के दौरान, भारतीय कंपनियों के तीन आवेदन-पत्रों को प्रत्यशत: रद्द किया गया था जो स्वदेशी प्रपुंज औषधों की खपत पर आधारित अतिरिक्त फार्मूलेशन क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए थी, क्योंकि सम्बन्धित कम्पनियां प्रपुंज औषधों तथा फार्मूलेशनों के उत्पादन के मूल्य के बीच 1:10 के निर्धारित अनुपात मानदण्डों को पूरा नहीं करती थी । इन कन्पनियों ने अभ्यावेदन दिए हैं । औषध नीति की भी राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद से परामर्श करके पुनरीक्षा की जा रही है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गोदावरी बेसिन में तेल और गैस के लिए खुदाई करने के लिए स्थानों का निर्धारण

1569. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने गोदावरी बेसिन में तेल और गैस की खुदाई के लिए 70 स्थान निर्धारित किये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि गोदावरी बेसिन में तेल की तुलना में हाइड्रो-कार्बन की मात्रा अधिक है तथा इस क्षेत्र में भारी मात्रा में गैस के भण्डार मिलने की अच्छी संभावना है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग बिजली उत्पादन तथा उर्वरक और पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए गैस का वाणिज्यिक दोहन करने का विचार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस बारे में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वर्तमान योजनाओं के अनुसार, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग चालू वर्ष से सातवीं योजना के अन्त तक की अवधि के दौरान लगभग 150 स्थानों पर खुदाई करेगा । कार्य की प्रगति तथा इस अन्वेषी कार्य के परिणामों के आधार पर इन योजनाओं में संशोधन किया जायेगा ।

(ख) गोदावरी बेसिन को तेल तथा गैस दोनों के लिए संभावनाओं वाला क्षेत्र समझा गया है।

(ग) से (ड) उत्पादन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए बेसिन में तेल तथा गैस के भण्डारों की मात्रा का मूल्यांकन किया जा रहा है।

औषध प्रौद्योगिकी में अन्तराल का नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड रिसर्च द्वारा अध्ययन

8570. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड रिसर्च द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि देश में औषध प्रौद्योगिकी में बहुत अधिक अन्तराल है,

(ख) यदि हां, तो उन औषधियों का ब्यौरा क्या है जहां प्रौद्योगिकी को अध्ययन बनाने की आवश्यकता है, और

(ग) प्रौद्योगिकी का देश में विकास तथा विदेशों से निरंतर विकसित प्रौद्योगिकी मंगाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) नेशनल काउंसिल आफ एप्लायड रिसर्च द्वारा "भारतीय भेषज उद्योग-समस्याएं और सम्भावनाएं" शीर्षक से किए गए अध्ययन से निम्न प्रकार पता चलता है:—

"बल्क औषधों के उत्पादन में आधुनिक प्रौद्योगिकी शुरूआत की निश्चित रूप से आवश्यकता है।

आवश्यकताओं की निदर्शी सूची निम्नलिखित है:—

1. मूलभूत एन्टीबायोटिक्स: मोल्ड्स के अधिक उत्पादकता वाले स्ट्रेन्स, साधनों में सुधार, फेर्मेन्टेशन प्रक्रियाएं और एक्सट्रेक्शन पद्धतियां, मानवीय गलतियों को न्यूनतम करने के लिए फर्मेन्टेशन प्रक्रिया का परिकलन करना।

2. सेमी-सिन्थेटिक एन्टीबायोटिक्स: 7-ए. डी, सी. ए. जैसे मध्यवर्तियों का उत्पादन।

3. कोर्टिकोस्टेरियड्स और सैक्स हारमोन्स: नए कम्पाउन्डस और प्रारम्भिक सामग्रियों के रूप में कोलेस्टेरोल और स्टीग्मेस्टेरोल के प्रयोग के साथ और अधिक मितव्ययी प्रक्रियाएं।

4. विटामिन्स: बी-6 और पेन्टोथिनेट्स।

5. सामान्य सिन्थेटिक औषध: कोलतार और पेट्रो-रसायन सामग्रियों से निकाले गए मध्यवर्तियों का औद्योगिक उत्पादन के विकास द्वारा अधिक मूल अवस्था से प्रारम्भण।

6. इम्यूनोलोजिक्स: पोलियो और खसरा के लिए टीके, विकसित एन्टी-रेबीज टीके ।

7. रेडियो और एक्सरे कन्ट्रास्ट मीडिया ।

8. नैदानिक स्ट्रीप्स और आटोमेटिड विश्लेषण में प्रयोग किए गए एन्टाइम्स ।

9. विदेशों में विकसित नई औषध, जो अभी भारत में प्रारम्भ नहीं की गई ।

(ग) एन. सी. ए. ई. आर. के अध्ययन में व्यक्त किया गया विचार, इस विषय का केवल पहलू है । राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा प्रौद्योगिकी विकास आदि सहित औषध उद्योग के विभिन्न पहलूओं पर उपयुक्त सिफारिशें किए जाने की सम्भावना है। सरकार के निर्णय, एन. डी. पी. डी. सी. से सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात ही लिए जाएंगे ।

मंत्रालय द्वारा किराये पर लिए गए भवनों का ब्यौरा

8571. **श्री के. बी. एस. मणि : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उनके मंत्रालय के विभिन्न कार्यालय अधीनस्थ कार्यालय किराये के भवनों में हैं, यदि हां, तो कब से;

(ख) प्रत्येक कार्यालय का नाम क्या है और उन भवनों का मासिक किराया कितना है जिनमें ये कार्यालय हैं;

(ग) प्रत्येक भवन को किराये पर लिये जाने की तारीख से 29 फरवरी, 1984 तक प्रत्येक भवन की बाबत कुल कितने किराये का संदाय किया गया है;

(घ) क्या यह सच है कि उनका मंत्रालय इन कार्यालयों को किराये के भवनों से हटाकर सरकारी भवनों में स्थानान्तरित करने का इच्छुक नहीं है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) यदि उपरोक्त (घ) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके कारण क्या हैं और राजकोष के भार को कम करने के लिए इन कार्यालयों को किराये के भवनों से स्थानान्तरित करने के लिये अब तक क्या प्रभावी कदम उठाये गये हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां, कुछ कार्यालय दिल्ली में किराये के भवनों में हैं । ये कार्यालय जिस अवधि से किराए के भवनों में हैं, वह अवधि संलग्न विवरण में बताई गई है ।

(ख) और (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) संपदा निदेशालय से, जो कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करता है, सरकारी कार्यालय स्थान के आबटंन के लिए समय-समय पर बात-चीत की गई है । किन्तु उक्त निदेशालय के लिए प्रश्नगत कार्यालयों के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराना संभव नहीं हुआ है ।

कार्यालय का नाम	विवरण		
	वह अवधि जिससे दिल्ली में किराए के भवनों में है	मासिक किराया	किराए पर लेने के दिन से 29.2.1984 तक संदाय किया गया कुल किराया
वेतन और लेखा कार्यालय, विधि कार्य विभाग	सितम्बर, 1979	4,135.35	2,23,314.30
विधायी विभाग			
(i) राजभाषा खंड	जून, 1963		
(ii) विधि साहित्य प्रकाशन	जून, 1963		
(iii) वेतन और लेखा कार्यालय	अक्तूबर, 1976	10,138.75	24,64,327.24
(iv) विधि साहित्य प्रकाशन का एक भाग	मार्च, 1976	4,260.00	4,08,60.00
कंपनी कार्य विभाग			
(i) विभाग का एक भाग	30 जनवरी, 1973	1,03,730.95	99,35,849,35
(ii) कंपनी रजिस्ट्रार (दिल्ली और हरियाणा)	30 जनवरी, 1979	65.925.50	63,14,661.50
(iii) शासकीय समापक, दिल्ली	जनवरी, 1974	16,374.00	19,97,628.00
(vi) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग	7 मई, 1971	16,800.00	23,85,600.00
(v) निदेशक, अन्वेषण			
(vi) रजिस्ट्रार, अवरोधक व्यापार करार			

न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाना

8572. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधीनस्थ न्यायपालिका में सेवानिवृत्ति का आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने सम्बन्धी .983 के अखिल भारतीय मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन के संकल्प को देखा है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में क्या नीति सम्बन्धी निर्णय लिया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी है और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है, यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार सभी राज्यों को एक समान नीति अपनाने को सलाह देने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) मुख्य न्यायाधीश सम्मेलन, 1983 में "अधीनस्थ न्यायपलिका की सेवा की शर्तें" मद के अधीन एक विषय के रूप में न्यायिक अधिकारियों का सेवानिवृत्ति की आयु पर विचार-विमर्श किया गया था और उसमें यह सुझाव दिया था कि सम्मेलन राज्य सरकारों को यह सिफारिश करे कि न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होना चाहिए ।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केवल गुजरात राज्य ने ही प्रधान न्यायधीश, नगर सिविल न्यायालय, अहमदाबाद और मुख्य न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय, अहमदाबाद और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट अहमदावाद की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की है । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष है किन्तु ऊपर उल्लिखित अधिकारियों के बारे में आयु बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी, देखिए तारीख 13-1-1972 और 25-5-1977 के सरकारी संकल्प ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन का दिल्ली में नये वितरक नियुक्त करने संबंधी निर्णय

8573. **श्री आर० एन. राकेश** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन, बड़ौदा ने अपने उत्पादों की बिक्री के लिए, दिल्ली में नये वितरक नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस निगम के उत्पादों की बिक्री के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम को एक एजेंट बनाया था;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त भाग (क) के अनुसार कितने आवेदन-पत्र प्राप्त हुए, उनमें

से कितने आवेदन पत्र वैध थे, स्वीकृत और अस्वीकृत आवेदन-पत्रों का ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या मानदंड अपनाए गए;

(घ) क्या उपर्युक्त भाग (ख) के अनुसार सरकार ने निजी क्षेत्र में कोई वितरक नियुक्त न करने का निर्णय लिया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या उक्त निगम ने आवेदन-पत्र प्राप्त करने की निश्चित तारीख को बढ़ा दिया था; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और केवल उन आवेदकों में से जिनका आवेदन-पत्र बढ़ाई गई अवधि के अन्दर प्राप्त हुआ था, वितरक नियुक्त किये जाने के क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय, (पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शकर मिश्र) : (क) प्लास्टिक के लिए नये वितरकों की नियुक्ति करने के लिए इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड (आई० पी० सी० एल०) द्वारा आवेदन पत्र आमन्त्रित किये गए थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्राप्त किए गए 116 आवेदन-पत्रों में से, 47 आवेदन-पत्रों को प्रारंभिक जांच-पड़ताल के पश्चात् रद्द कर दिया गया था, क्योंकि वे निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त हुए थे, आवेदनकर्त्ता प्रतियोगी कच्चे माल का डीलर अथवा वितरक था अथवा आवेदनकर्ता या उसके सहोगी इण्डियन पेट्रो-कैमिल्स कारपोरेशन लिमिटेड के पहले से ही वितरक हैं।

(घ) उपर्युक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) और (च) आवेदन-पत्रों को प्राप्त करने की अंतिम तिथि को 24 अक्तूबर 1983 से बढ़ाकर 30 नवम्बर 1983 कर दिया गया था, क्योंकि विज्ञापन देर से प्रकाशित हुआ था और उसे हिन्दी में भी विज्ञापित करने पर विचार किया गया था। इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा अभी वितरकों को नियुक्त नहीं किया गया है।

टेलिकॉम कारखानों का विस्तार

8574. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलिकॉम कारखानों को 1979 में मान्यता दी गई थी और क्या यह भी सच है कि इनको मान्यता देने का उद्देश्य छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक उत्पादन को 20 करोड़ से बढ़ाकर 60 करोड़ रुपये करना था;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन में अब तक कुल कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) "टेलिकाम" कारखानों के विस्तार के लिए सातवीं योजना में क्या व्यवस्था की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दूरसंचार फैक्टरियों का अगस्त, 1978 में पुनर्गठन किया गया था तथा आधुनिकीकरण एवं विविधता के अतिरिक्त धीरे-धीरे उत्पादन इस पुनर्गठन के उद्देश्यों में से एक था।

(ख) वर्ष 1978-79 के 16.6 करोड़ रुपये के उत्पादन से 1983-84 में उत्पादन बढ़ाकर 32.4 करोड़ रुपये हो गया।

(ग) सातवीं योजना में की जाने वाली व्यवस्था को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

औषधियों के लिए दुहरा मूल्य फार्मूला

8575. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा उचित मूल्यों पर औषधियां उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 1962 में औषधों के मूल्य स्थिर कर दिए गए हैं, 1970 में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश कार्यान्वित किया गया था और 1979 में नई औषध मूल्य नीति आदेश कार्यान्वित किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो औषध उद्योग के विकास में सफलता के लिए दोहरा मूल्य फार्मूला जैसा कि चीनी और सीमेंट उद्योग में है, किस तरह बनाने का सरकार का विचार है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 में निर्दिष्ट मूल्य नियंत्रित वल्क औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण यह सुनिश्चित करता है कि वे उपभोक्ताओं को उचित और तर्कसंगत मूल्यों पर उपलब्ध हैं। मूल्य नियत्रण में, समय-समय पर लागतों में परिवर्तन के आधार पर मूल्य में परिवर्तन शामिल है।

(ख) जी, हां।

(ग) औषधों के सम्बन्ध में दोहरे मूल्य फार्मूला का कोई प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा में सरकारी उद्योगों के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेना

8576. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों के भाग लेने के बारे कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों की संख्या और नाम क्या है जिनमें ऐसी योजना कार्यान्वित की गई है; और

(ग) उपर्युक्त योजना को तत्काल कार्यान्वित करने के लिए सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों को क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे जाने का प्रस्ताव है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) सरकार ने हाल ही में प्रबन्ध में श्रमिक सहभागिता की नई व्यापक योजना सरकार के संकल्प तारीख 30 दिसम्बर, 1983 को शुरू की है (भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग-I, खण्ड I में तारीख 30 दिसम्बर, 1983 को प्रकाशित)। यह योजना केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों पद लागू होती है। यह व्यापक योजना है तथा इसमें प्रतिनिधित्व, विभिन्न स्तरों पर कार्य तथा मानीटरिंग आदि जैसे विभिन्न पहलुओं सम्बन्धी उपबन्ध हैं। राज्य सरकारों (उड़ीसा सहित) से 9-1-1984 को अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक क्षेत्र के अपने उपक्रमों में इस योजना को लागू करें।

रामगुन्डम, आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

577 **श्री जी० भूपति** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक केन्द्र के रूप में रामगुन्डम के बढ़ते हुए महत्व को देखते हुए आन्ध्र प्रदेश के करीम नगर जिले में रामगुन्डम में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) देश में दूरदर्शन का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है करीम नगर में अल्प शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है जो लगभग 25 किलोमीटर की परिधि के भीतर सेवा उपलब्ध करेगा। आन्ध्र प्रदेश में दूरदर्शन सेवा के और विस्तार पर विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

तेल अनुसंधान के बारे में रूस के साथ प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर

8578. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल अनुसंधान के बारे में भारत-रूस ने किसी प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो सोवियत प्रतिनिधि मन्डल के नेता और सदस्यों के नाम, उनके पद और उनके साथ बातचीत करने वाले समक्ष व्यक्तियों के नाम और पद क्या हैं और इस बातचीत के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) क्या यह भी सच है कि रूस कुछ विशेषज्ञ भारत में नियुक्त करने के लिए सहमत हो गया है और यदि हां, तो उनके नाम और पद क्या हैं और उनके भारत कब तक पहुंचने की सम्भावना है और वे भारत में कब तक रहेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय तथा सोवियत प्रतिनिधि मण्डलों की रचना दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

कार्य-दल में तेल की खोज तथा उत्पादन के क्षेत्र में सहयोग देने पर ही विचार-विमर्श हुए थे। भूकम्पीय आंकड़ों को प्राप्त करने और उनका संसाधन करने, पेट्रोलियम भू-विज्ञान, वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों के बीच आदान प्रदान, सोवियत विशेषज्ञों की भारत में प्रतिनियुक्ति और भारतीय विशेषज्ञों की सोवियत रूस में प्रतिनियुक्ति और संबन्धित क्षेत्रों में भारतीय इन्जीनियरों तथा भूवैज्ञानिकों को सोवियत संघ में प्रशिक्षण देने के क्षेत्र में सहयोग को और अधिक तेज करने पर दोनों पक्ष सहमत हैं।

(ग) जी, हां। परन्तु सोवियत पक्ष द्वारा विशेषज्ञों का निर्धारण अभी किया जाता है।

विवरण

सोवियत पक्ष	भारतीय पक्ष
1. श्री डी.ए. ताकोएव, तेल उद्योग के उप-मंत्री, सोवियत पक्ष के कार्यदल के अध्यक्ष।	1. श्री ए.एस. गिल, सचिव, पेट्रोलियम विभाग, ऊर्जा मंत्रालय, भारतीय पक्ष के कार्य-दल के अध्यक्ष।
2. श्री.वी.टी. कुबतकिन, वी/ओ. "जारुबेजनेफ्ट" के अध्यक्ष, तेल मंत्रालय	2. श्री आर. वासुदेवन, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, पेट्रोलियम विभाग
3. श्री ए.सी. सफ्रोनोव, विदेश संबंध विभाग के अध्यक्ष, तेल मंत्रालय	3. श्री के. पद्मनाभैया, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम विभाग
4. श्री बी.ए. किसिन, वी/ओ. "जारुबेजनेफ्ट" में बिभागाध्यक्ष, तेल मंत्रालय	4. श्री एल.एम. गोयल, संयुक्त सचिव, पेट्रोलियम विभाग
5. श्री वाई.बी. आगाबाबोव, वी/ओ. "जारुबेजनेफ्ट" में विभागाध्यक्ष, तेल मंत्रालय	5. श्री विनय बंसल, निदेशक, पेट्रोलियम विभाग
6. श्री वी. बी. लेविएन्ट, मुख्य भू-वैज्ञानिक, कम्प्यूटर सेंटर, तेल मंत्रालय	6. कर्नल एस.पी वाही, अध्यक्ष, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग
7. श्री वी.एम. ग्राइभिन, वी/.ओ. टेक्नो-एक्सपोर्ट" के विशेषज्ञ	7. श्री एस.एन. तालुकदार, सदस्य (अंवेषण), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

8. श्री एल.एन. कोलोदकिन, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के विभाग, स्टेट कमेटी फार फॉरेन इकोनामिक रिलेशन्स के वरिष्ट विशेषज्ञ । कार्य-दल के सचिव

9. श्री वाई.बी. ड्मित्रेन्को, इकोनामिक काउंसलर के सहायक, यू.एस.एस. आर. दूतावास, भारत

8. श्री आर.एन. मिश्र, महा-प्रबंधक (एम), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

9. श्री पी.के. चन्द्र, महाप्रबंधक (अन्वेषण), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

10. श्री के. दामोदरन, उप-महाप्रबन्धक (उत्पादन), तेल एव प्राकृतिक गैस आयोग

11. श्री एल.एन. सरीन, निदेशक, इन्स्टीट्यूट आफ ड्रिलिंग टैक्नोलाजी, तेल एंव प्राकृतिक गैस आयोग

12. श्री जे.एस. मिश्र, उप-महाप्रबन्धक (भूगर्भीय), तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग

कीटनाशक दवाओं का उत्पादन करने वाली कंपनियां

8579 **श्री मोहन लाल पटेल : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) देश में कौन-कौन सी कम्पनियां कीटनाशक दवाओं का उत्पादन कर रही हैं,

(ख) क्या दो वर्षों के दौरान देश में कीटनाशक दवाओं के एकक स्थापित करने के लिये कोई नये आवेदनपत्र प्राप्त हुये हैं, प्राप्त हुये आवेदनों का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा कीटनाशक औषधि अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेन्स देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है,

(ग) क्या गत दो वर्षों के दौरान किन्हीं विद्यमान एककों ने कीटनाशक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने के लिये अपने एकक का विस्तार करने के लिये भी सरकार से सम्पर्क किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) उपलब्ध जानकारी पर आधारित विवरणपत्र संलग्न है' **[ग्रन्थालय में रखा गया—देखिये संख्या एल.टी.** 8248/84]

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में नये पेस्टीसाईडस एकक स्थापित करने के लिये औद्योगिक लाइसेंसों के लिये प्राप्त आवेदनपत्रों को दर्शाने वाला विवरणपत्र संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखा गया-देखिये संख्या एल.टी.** 8248/84] इन्सैक्टीसाइडस अधिनियम के अन्तर्गत निर्माण लाइसेंस संबंधित राज्य के कृषि निदेशक द्वारा जारी किये जाते हैं।

(ग) तथा (घ) पिछले दो वर्षों के दौरान अधिक क्षमता के पुनः अनुमोदन के लिये प्राप्त आवेदनपत्रों को दर्शाने वाला विवरणपत्र संलग्न हैं।

ग्रामीण जनता के लिए सस्ते ऊर्जा स्त्रोतों का विकास

8580. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि.:

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 80-90 प्रतिशत जनता अपना भोजन तैयार करने के लिए ईधन के रूप में लकड़ी का प्रयोगे कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पैकिंग, निर्माण कार्य आदि में प्रयोग के लिये लकड़ी के दोहन के परिणामस्वरुप पेड़ो के आहिस्ता-आहिस्ता कटाव से लकड़ी की निरन्तर कमी होती जा रही है; और

(ग) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली गरीब जनता के प्रयोग के लिए नए और सस्ते ऊर्जा स्त्रोत का विकास करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां।

(ख) जी हाँ।

(ग) ईधन वाली लकड़ी के तीव्र उत्पादन करने की लोकप्रियता के माध्यम से निम्न-कोटी वाली भूमि के पेड़ों पर रक्षा कवरों, उन्नत प्रकार के चूल्हों के प्रदर्शन की राष्ट्रीय परि-योजना के द्वारा ईधन वाली लकड़ी की बचत, बायोगैस की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन गरीब किसानों के लिए राजसहायता में वृद्धि करना, ग्रामीण गरीब जनता के लिए सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समन्वित ऊर्जा परियोजना का कार्यान्वियन आदि ऊर्जा के नए और सस्ते स्त्रोतों के विकास के लिए उठाये गए कदम हैं।

निर्माणाधीन पन-बिजली परियोजनाएं

8581. **श्री अमर सिंह राठवा : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पन बिजली योजनाऐं निर्माणाधीन हैं और वे कहां-कहां पर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य बहुत धीमा है, यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि सम्बन्धित राज्य सरकारों ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता मांगी; और

(घ) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफमोहम्मद खां) : (क) निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं और उनके स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) कुछ जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण अनेक कारणों से प्रभावित हुआ है जैसे निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता, भूमि अधिग्रहण में विलम्ब, वन-भूमि प्राप्त करने में

विलम्ब, भू-तकनीकी समस्याएं, सिविल कार्यों में विलम्ब, संविधात्मक और प्रशासनिक समस्याओं के साथ औद्योगिक संबंधी तथा अन्तर्राज्यीय पहलुओं की समस्याएं ।

(ग) और (घ) राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है । इन परियोजनाओं के लिए निधियां संबंधित राज्यों के वार्षिक योजना परिव्ययों में प्रदान की जाती है। निधियों के आबंटन के लिए प्रस्ताओं को योजना आयोग को भेजा जाता है और और आबंटन साधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य और परियोजना प्राधिकारियों के साथ परामर्श करके किए जाते हैं ।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं०	परियोजना का नाम	स्थान	प्रतिष्ठापित क्षमता (मैगा०)
1	2	3	4
	उत्तरी क्षेत्र		
	हरियाणा :		
1.	पश्चिमी यमुना नहर	अम्बाला जिला	6x8
	हिमाचल प्रदेश		
2.	बिनवा	कांगड़ा जिला	2x3
3.	आन्ध्र	रोहरू शिमला के पास	3x5
4.	रोंगटोंग	स्पीति घाटी	3x05
5.	भाभा [संजय]	स्पीति घाटी	3x40
6.	बनेर	कांगड़ा जिला	2x3
7.	थिरोट	कांगड़ा जिला	3x1
8.	गज	कांगड़ा जिला	3x3.5
	पंजाब		
9.	मुकेरिया	होशियारपुर जिला	3x15+6x19.5
10.	आनन्दपुर साहिब	होशियारपुर जिला	4x33
11.	थीन यूबीडीसी चरण-2 सहित	गुरदासपुर जिला	4x120+3x15

1	2	3	4
राजस्थान			
12.	माही बजाज़ सागर	बांसवाडा जिला	2x25+2x45
13.	अनूपगढ़	श्री गंगनागर	6x1.5
जम्मू व काश्मीर			
14.	अपर सिंध चरण-2	श्रीनगर जिला	2x34
उत्तर प्रदेश			
15.	मनेरी भाली चरण-1	उत्तरकाशी जिला	3x30
16.	मनेरी माली चरण-2	उत्तरकाशी जिला	4x76
17.	लकवार व्यासी	देहरादून जिला	3x100+2x60
18.	टेहरी	टेहरी जिला	4x250
19.	विष्णु प्रयाग	चमेली जिला	4x120
केन्द्रीय			
20.	सलाल	ज्योतिपुरम ज. व. क. में	3x115
21.	दुलहस्ती	किश्तवार (दोद जिला) ज. व. क. में	3x130
22.	चामेरा	चम्बा जिला हि० प्र० में	3x100
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात			
23.	उकई एल. बी. सी.	पंच महल	2x2.5
24.	कदाना पी. एस. एस.	पंच महल	4x60
मध्य प्रदेश			
25.	मोघबाट	वस्तर जिला	4x125
26.	बरगी	जबलपुर जिला	2x45
27.	हसदेव-बांगो	बिलासपुर जिला	3x40

1	2	3	4
	महाराष्ट्र		
28.	पेथन पी. एस एस	औरंगाबाद जिला	1x12
29.	भीरा ढेल रेस	कोलाबा जिला	2x40
30.	बण्डारधारा	अहमदनगर जिला	1X10—1X35
31.	तिल्लारी	कोलहापुर जिला	1x60
32.	पावना	पुने जिला	1x10
33.	खडकवासला	पुने जिला	2x8
34.	भाटसा	थाना जिला	1x15
	मध्यप्रदेश महाराष्ट्र (संयुक्त परियोजना) :		
35.	पेंच	रामटक नागपुर के पास	2x80
	दक्षिणी क्षेत्र		
	आंध्र प्रदेश		
36.	श्री सैलम चरण-1	करनूल जिला	1x110
37.	श्री सैलम चरण-2	करनूल जिला	3x110
38.	नागार्जुनसागर पी.एस.एस.चरण-2	नालगोंडा	3x100
39.	नागार्जुन सागर एल.बी.सी.	नालगोंडा	2x30
40.	बलिमेला डी.पी.एच.	कोरापुट जिला	2 × 30
41.	अपर सिलेरू चरण-2	विशाखापतनम	2 × 60
42.	पेन्ना अहोबिलम	अनन्तपुर जिला	2 × 10
43.	पोचमपोड	आदिलाबाद	3 × 9
	कर्नाटक		
44.	कालीनदी चरण-1	उत्तरी कांगड़ा जिला	2 × 50 (सुपा बांध बिजलीघर)

1	2	3	4
45.	कालीनदी चरण-2	उत्तरी कांगड़ा जिला	4x32+4x27+2x27
46.	वारही	शिमोगा जिला	2x115 (भूमिगत बिजलीघर)
47.	गंगावेली	उत्तरी कनार जिला	+2×4.5 (मनीबांध बिजलीघर) 2×105
48.	घाटप्रभा	बेलगाम प्रभा	2x16
केरल			
49.	हदामलियार	इदुक्की जिला	2x37.5
50.	इदुक्की चरण-2	इदुक्की जिला	3x130
51.	काक्कड	विदलोन जिला	2x25
62.	कल्लाडा	विदलोन जिला	2x7.5
53.	कोवर पेरियार	इदुक्की जिला	3x68
तमिल नाडु			
54.	कदम पराई	कोयम्बटूर जिला	4X100
55.	सेरवालार	तिसनेलवेली	1X20
56.	लोवर मेत्तुर	सलेम जिला	8X15
57.	कुण्2ाह फेज 5	नीलगिरी ज़िला	1X20
58.	लोवर मवानी	कोयम्बटूर जिला	4X2
59.	वैगाई	मदुराई जिला	2X3
60.	पाइकारा	नीलगिरी जिला	1X2
61.	परसेन्स घाटी (कुण्डाज फेज 6)	नीलगिरी जिला	1X30
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार			
62.	पूर्वी मंडक नहर	पश्चिम चम्पारन जिला	3X5
63.	उत्तरी कोयल	पालामल जिला	2X12

1	2	3	4
64.	सोन पश्चिमी लिंक नहर	रोहतास	4X1.65
	उड़ीसा		
65.	रेंगली	दनकनाल जिला	2X30
66.	अपर कोलाब	कोरापुट जिला	3X80
67.	अपर इन्द्रावती	कोरापुट जिला	4X150
68.	हीराकुड चरण 3	सम्बलपुर जिला	1X37.5
	पश्चिम बंगाल		
69.	राम्मन जरण 2	दार्जिलिंग जिला	4X12.5
	दामोदर घाटी निगम		
70.	पचेट पहाड़ी	धनबाद जिला बिहार	1X40
	केन्द्रीय		
71.	कोयल कारो	सिंहभूम जिला बिहार	4X172.5+1X20
	उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
	असम		
72.	कारबी लांगपी (लोवर बोरपानी)	मिक्करी	2×50
	मेघालय		
73.	युमिसम युमतुरु चरण 4	खासी पहाड़ी	2X30
	नागालैंड		
74.	दिखु	8 मोकोकोहंग	1X0.25+ 1X0.75
	एन ई ई पी सी ओ		
75..	कोपिली-खामडोग	(असम मेघालय सीमा)	2X50 (कोपिल बिजलीघर)
76.	दोयांग	(वोखा-नागालैंड)	3X35

बंगलौर से कन्नड़ कार्यक्रमों का प्रसारण

8582. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर, मन्डी, और कोडागू जिलों के लोग जो टी. वी. रिले से मनोरंजन हेतु काफी उम्मीद कर रहे थे निराश हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र बंगलौर से किसी भी कन्नड़ कार्यक्रमों को रिले करने की स्थिति में नहीं होगा;

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा क्या मुख्य कारण बताये गये;

(घ) क्या उनका मंत्रालय इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार कर रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ङ) मैसूर में अन्य शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर लगाया जा रहा है । बंगलौर और कोडैकनाल के प्रस्तावित उच्च शक्ति (10 किलोवाट) वाले ट्रांसमीटरों द्वारा मैसूर और मांड्या जिलों के बड़े भागों को कवर किए जाने की उम्मीद है। बंगलौर ट्रांसमीटर से कन्नड कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने की व्यवस्था कर दी गई है। तथापि, मैसूर का अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर इन कार्यक्रमों को तब तक रिले नहीं कर सकेगा जब तक मैसूर में माइक्रोवैव लिंक उपलब्ध नहीं हो जाता । बंगलौर से मूल रूप से टेलीकास्ट होने वाले कार्यक्रमों को रिले करने के लिए बंगलौर के साथ माइक्रोवि लिंक की व्यवस्था करना भावी योजनाओं में संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

तेल की खोज सम्बन्धी उपकरणों का देश में निर्माण

8583. **श्री नवीन रवाणी** :

श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने तेल की खोज संबंधी उपकरणों का देश में निर्माण करने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) तट-दूर और तट-पर तेल की खोज के लिए प्रयोग किए जा रहे वर्तमान उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पास अपने कितने पोत हैं और कितने विदेशी पोत का प्रयोग किया जा रहा है तथा किन शर्तों पर प्रयोग किया जा रहा है; और

(ङ) देश में तेल की खोज को बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 1984-85 के दौरान खोज करने संबंधी उपकरणों की वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रत्येक गांव म बिजली

8584. **श्री नवीन रावणी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रत्येक गांव में बिजली उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं और 31 दिसम्बर, 1983 को सौराष्ट्र क्षेत्र के कितने गांवों में बिजली उपलब्ध नहीं थी;

(ग) उनका कब तक विद्युतीकरण किए जाने की आशा है; और

(घ) वर्ष 1984-85 में देश में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्युतीकरण के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है और इस योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) गुजरात राज्य में जनगणना वाले कुल 18275 आबाद गांव में से 4779 गांव सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थिति हैं 31.12.1983 की स्थिति के अनुसार सौराष्ट्र क्षेत्र में 4190 गांव विद्युतीकृत किये गए थे तथा इस क्षेत्र में 589 गांवों को अभी विद्युतीकृत किया जाना है। सातवीं योजना के मध्य तक राज्य में गांवों का शत-प्रतिशत विद्युतीकरण हो जाने की संभावना है जोकि इस बीच की अवधि में साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए देश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के लिए प्रारक्षित वित्तीय परिव्यय 404.48 करोड़ रु० है। गुजरात के लिए प्रारक्षित परिव्यय 17.51 करोड़ रु० है।

इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के कलकत्ता क्षेत्र के गबन के मामले की जांच करना

8585. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्षों पहले इण्डियन ड्रग्स एन्ड फार्मास्युटिकल्स लि० के कलकत्ता क्षेत्र में गबन का मामला था,

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का गबन किया गया था, और

(ग) क्या कोई जांच शुरू की गई थी और जांच के निष्कर्षों के अनुसार कार्यवाही की गई थी,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी हां, ।

(ख) निहित राशि 18,64 लाख रुपये है ।

(ग) इस मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच पड़ताल की गई थी तथा आई. डी. पी. एल. आवश्यक कार्यवाही हेतु इस रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है ।

पाइपलाइन के माध्यम से कोयले की ढुलाई

8586. **श्री ए. के. राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइन के माध्यम से कोयले की ढुलाई की कोई योजना है, यदि हां, तो रेलों और सड़क से कोयले की ढुलाई के तुलनात्मक व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जो पाइप लाइन के माध्यम से कोयले की ढुलाई करते हैं तथा यह ढुलाई कितनी दूरी तक की जाती है, और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) योजना आयोग ने कोयला स्लरी परिवहन प्रणाली पर एक कार्यकारी दल का गठन किया है । कार्यकारी दल के अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने के बाद भारत में स्लरी पाइप लाइन द्वारा कोयले के परिवहन पर सभी पहलुओं से विचार किया जाएगा ।

(ख) योजना आयोग के अनुसार, निम्नलिखित देशों में कोयले की स्लरी पाइप लाइन उनके नाम के आगे दी गई लम्बाई में है :—

देश का नाम	पाइप लाइनों की लम्बाई (किलोमीटरों में)
1. अमेरिका	439 और 174
2. सोवियत रूस	250,65 और 60
3. पोलैंड	210
4. फ्रांस	18 और 10

कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टों की उपलब्धता

8587. **श्री ए. के. राय.** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी गैर सरकारी और सरकारी लिमिटेड कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट किसी एक केन्द्रीय स्थान पर उपलब्ध है, यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या किसी केन्द्रीय स्थल पर सभी गैर सरकारी और सरकारी लिमिटेड कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्ट कम्प्यूटर, तैयार करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो उस पर खर्च होने वाली धनराशि सहित तथ्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या कम्प्यूटरीकृत जानकारी आम जनता को उपलब्ध होगी ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सभी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की वार्षिक रिपोर्टें सम्बधित कम्पनी रजिस्टरों के पास उपलब्ध हैं। ये रिपोर्टें अनुसंधान और सांख्यिकी प्रभाग, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के पास भी उपलब्ध हैं।

(ख) नहीं श्रीमान जी। इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डाक और तार विभाग में परिचालन कर्मचारियों की भर्ती पर प्रतिबन्ध

8588. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाक और तार विभाग में परिचालन कर्मचारियों (लाइन मैन, मैकेनिक, टेकनीशियन, टेलीफोन आपरेटर आदि जैसे) की भर्ती पर लगाये गये प्रतिबन्ध से लोगों को हो रही असुविधा के बारे में जानकारी है क्योंकि इसके कारण दूर संचार सुविधाओं के प्रसार को धक्का पहुंचा है और वर्तमान कमी में बढ़ोतरी हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न कार्यों के लिये पहले से चुने गये और प्रशिक्षण दिये गये लोगों में से परिचालन श्रेणी के कर्मचारियों की न्यूनतम और आवश्यक भर्ती को मंजूरी देने के लिए इस प्रतिबन्ध में छूट दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिबन्ध काल के दौरान परिचालन दक्षता बनाए रखने और दूर संचार सुविधाओं के पर्याप्त प्ररूप को सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) से (ग) इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि आर्थिक मितव्यता के बतौर भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों, जो भारत सरकार के सभी मंत्रालयों पर समान रूप से लागू होते हैं, के परिणास्वरूप ही डाक तार विभाग में नई भर्ती या नये पदों को सृजन पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। इन परिस्थितियों में, डाक तार सेवाओं में आवश्यक विस्तार के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्टाफ को यदि कोई कठिनाई होगी, तो प्रतिबन्ध हटाए जाने तक उसका समाधान मौजूदा साधनों से ही करना होगा। फिर

भी अत्यन्त अपवाद स्वरूप मामलों में प्रतिबन्ध में छूट देने तथा आवश्यक कार्मिकों के सृजन के लिये मंजूरी देने के लिए वित्त मंत्रालय से संपर्क किया जाता है।

स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालने के लिए कदम उठाना

8589. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेडियो, टेलीविजन तथा क्षेत्रीय प्रचार, गीत और नाटक प्रभाग प्रकाशन प्रभाग और फिल्म प्रभाग जैसे संचार साधनों के माध्यम से भारत तथा विदेशों में 19 वीं और 20 वीं शताब्दी के दौरान हुए स्वतन्त्रता सग्राम की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में की गई कारंवाई का स्वरूप क्या है और प्रत्येक क्षेत्र में तैयार की गई परियोजना की संक्षिप्त रूप रेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वतन्त्रता संग्राम पर विभिन्न चरणों में प्रकाश डालने के लिये जल्द कदम उठायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री श्री एच.के.एल.भगत) : (क) जी, हां।

(ख) उठाये गये/उठाये जाने के लिये प्रस्ताविक कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता

विवरण

भारत तथा विदेशों में 19 वीं तथा 20 वीं शताब्दियों के दौरान स्वतन्त्रता संग्राम की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिये इस मंत्रालय के अधीन माध्यम एककों द्वारा उठाये गये कदम नीचे दिये गये हैं—

1. **आकाशवाणी**

1. 1857 से 1947 तक की अवधि के दौरान के स्वतन्त्रता आन्दोलन के इतिहास पर रूपकों की एक शृंखला प्रसारित करने का प्रस्ताव है। यह 1984 से आरम्भ होगी।
2. हस्तियों तथा उनसे सम्बन्धित घटनाओं पर उपयुक्त रूपक विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित किये जायेंगे।
3. पहले प्रसारित किये गये उत्कृष्ट रूपकों को मार्च 1984 से पुन: प्रसारित किया जा रहा है।

2. दूरदर्शन

दूरदर्शन विभिन्न फार्मेटों तथा भाषाओं में कार्यक्रमों को टेलीकास्ट करने की योजना बना रहा है जो नीचे दी गई हैं :—

1. प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों की संक्षिप्त जीवनियां ।
2. जीवित स्वतन्त्रता सेनानियों के साथ भेंट वार्ताएं ।
3. युवकों को शिक्षित करने के दृष्टिकोण से स्वतन्त्रता संग्राम की घटनाएं ।
4. स्वतन्त्रता सेनानियों में लोकप्रिय विशेष गीत ।
5. स्वतन्त्रता संग्राम के विषयों पर विशेष रूप से तैयार कराये गये नाटक ।
6. स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रेरित करने वाली कला/परफार्मिंग कलाओं साहित्य पर कार्यक्रम ।
7. स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान जब्त किये गये देशभक्ति से युक्त साहित्य तथा लेखनों, जिन्होंने स्वतन्त्रता सेनानियों को प्रेरित किया, से सम्बन्धित विशेष कार्यक्रम ।
8. उन लेखकों, कलाकारों, पत्रकारों प्रशासकों तथा आम व्यक्तियों, जिन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम को देखा, के साथ संस्मृति का कार्यक्रम ।
9. स्वतन्त्रता आंदोलन की घटनाओं, हस्तियों, इतिहास तथा विकास पर विशेष कार्यक्रम ।
10. अपेक्षाकृत कम विख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों पर कार्यक्रम ।
11. स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान प्रयुक्त किये गये नारे ।
12. स्वतन्त्रता आन्दोलन में छात्रों किसानों, लेखकों, पत्रकारों आदि जैसे विभिन्न वर्गों की भूमिका पर परिचर्चा ।

3. फिल्म प्रभाग

फिल्म प्रभाग द्वारा अब तक 45 डाकुमेंट्री फिल्में बनाई गई हैं । 20 वीं शताब्दी तक की अवधि के स्वतन्त्रता संग्राम की विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं पर इस प्रकार की लगभग 40 डाकुमेंट्री फिल्में और बनाने की भी योजना है ।

4. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय स्वतंत्रता सेनानियों पर पुस्तिका मालाओं की शृंखलाएं प्रकाशित कर रहा है । अब तक लाला लाजपत राय उधमसिंह, मदनलाल ढिंगरा, अश्फाकतुल्ला खां तथा बहादुर शाह जाफर पर पुस्तिकाएं प्रकाशित की जा चुकी हैं । डा० राजेन्द्रप्रसाद तथा सचिन्द्र नाथ सन्याल पर पुस्तिकाएं प्रकाशनाधीन हैं ।

5. **पत्र सूचना कार्यालय**

पत्र सूचना कार्यालय का स्वतन्त्रता संग्राम के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए स्वतन्त्रता संग्राम से सम्बन्धित विषयों तथा स्वतन्त्रता सेनानियों के जीवन पर लेख और फोटो जारी करने का प्रस्ताव है।

6. **क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय**

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय सामान्यतया: लोक मान्य तिलक, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, इत्यादि जैसे प्रख्यात स्वतन्त्रता सेनानियों से सम्बन्धित फिल्मों के प्रदर्शन के माध्यम से स्वतन्त्रता संग्राम के विषयों पर प्रकाश डालता है। वह मौखिक संचार कार्यक्रमों की भी व्यवस्था करता है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा प्रकाशित मुद्रित प्रचार सामग्री का भी वितरण करता है। स्वतंत्रता संग्राम की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालने के लिये स्वतन्त्रता दिवस और गणतन्त्र दिवस का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है।

7. **प्रकाशन विभाग**

प्रकाशन विभाग ने स्वतंत्रता संग्राम पर हिस्ट्री आफ फ्रीडम मूवमेंट इन इन्डिया "इन्डियास स्ट्रगल: क्वार्टर आफ ए से घूरी" जैसे अनेक पुस्तके प्रकाशित की हैं। इसके अलावा, इस वर्ष इस विषय पर कुछ और पुस्तकें प्रकाशित करने के बारे में विचार किया जा रहा है।

8. **गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग**

गवेषणा और सन्दर्भ प्रभाग ने 1982 में और इससे आगे स्वतंत्रता सेनानियों अर्थात् "आचार्य विनोबा भावे," सुब्रमण्या भारती" "वीर सावरकर है, "डा० बी.आर. अम्बेडकर "मौलाना अबुल कलाम आजाद," "लाला लाजपत राय," "कस्तूरबा गांधी," इत्यादि पर बैकग्राउंडर निकाले हैं।

9. **गीत और नाटक प्रभाग**

गीत और नाटक प्रभाग ने 1969 के दौरान जलियाबाला बाग, अमृतसर में चरित्रों के साथ "ध्वनि और प्रकाश" माध्यम विकसित किया है तथा "विजन 1919" प्रस्तुत किया है। यह स्वतंत्रता आन्दोलन जैसे विषयों पर अत्यन्त लोकप्रिय सिद्ध हुआ और "बढ़ते कदम" नामक परियोजनाओं, जिनमें स्वतंत्रता आन्दोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दिया है, की 1971 और 1976 के बीच दिल्ली; भोपाल और भारत के अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रस्तुत किया गया था। बीच में 1975 में दिल्ली में "बहादुर शाह जफर" भी प्रस्तुत किया गया था जिसके बाद 1976 और 1982 के बीच मद्रास, मदुरे, कोयम्बतुर और पांडिचेरी में तमिल में "सुब्रमण्या भारती" प्रस्तुत किया गया था; 1982 के दौरान "रानी झांसी में प्रस्तुत की गई थी।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के लिये प्रतीक्षा सूची

8590. **प्रो० नारायण चंद पराशर** :क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि.

(क) क्या (एक) शहरी क्षेत्रों (दो) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोनों के लिये पिछली बकाया प्रतीक्षा सूची को निपटाने के लिए 31 मार्च, 1984 तक कोई प्रयास किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रयास किया गया और उसका क्या प्रभाव पड़ा;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लाइन स्टोर्स और स्विचिंग उपकरणों का कोई निश्चत हिस्सा निर्धारित किया गया है जिससे कि भविष्य में वे शहरी क्षेत्रों के बराबर आ सकें;

(घ) यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये इस सम्बन्ध में सही सही कितना हिस्सा निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं और क्या सरकार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में दूर संचार सुविधाओं की व्यवस्था में समता लाने के लिए वास्तव में इच्छुक है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हाँ, ।

(ख) लम्बित माँग को उपलब्ध साधनों द्वारा ही पूरा करने के लिये यथासम्भव प्रयत्न किए गये हैं। इस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में देश में 1983-84 के दौरान 2 लाख से अधिक कनेक्शन प्रदान किए गये।

(ग) जी नहीं।

(घ) लागू नहीं होता है ।

(ङ) और (च) शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति लाइन निवेश लागत अधिक है। राजस्व कम है तथा प्रतीक्षा सूची बहुत कम है। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में फालतू क्षमता उपलब्ध है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में नए एक्सचेंज खोलने पर अधिक बल न देकर अधिक सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने पर बल दिया जाता है।

बाड़मेर, राजस्थान में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति

8591. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के सीमावर्ती जिले बाड़मेर में केन्द्रीय क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय की स्थापना कब की गई थी;

(ख) इस कार्यालय में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी कुल कितने समय तक नियुक्त रहा; और

(ग) क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी की नियुक्ति कब की जाएगी और प्रचार कार्य को तेज किया जायेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : राजस्थान में बाड़मेर में क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय (सीमा) की स्थापना अप्रैल, 1965 में की गई थी।

(ख) क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय का प्रमुख क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी है। बाड़मेर में क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी निम्नलिखित अवधियों के दौरान तैनात रहा :—

(1) अक्तूबर, 1965 से अक्तूबर, 1967 तक;

(2) अक्टूबर, 1968 से जून, 1970 तक; और

(3) जुलाई, 1970 से सितम्बर, 1976 तक।

(ग) बाड़मेर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी का पद क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी (सीमा) के संवर्ग में शामिल है। इस संवर्ग में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से कार्मिकों की भर्ती करने की कार्रवाई को उच्च न्यायालय द्वारा अगले आदेश तक रोक दिया गया है। तथापि, यूनिट के कार्य में हर्जा नहीं होने दिया जा रहा है और जोधपुर के क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी अपने कार्य के अलावा इस यूनिट के काम को भी देख रहे हैं।

पाइप लाइन के जरिए खाना बनाने की गैस की सप्लाई

8592. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइप लाइनों के जरिये खाना बनाने की गैस की सप्लाई करने के सम्बन्ध में कोई विदेशी तकनीकी सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी, हां। पाइप लाइनों के जरिये तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन का सम्भाव्यता अध्ययन तैयार करने के लिए, इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा निम्नलिखित पार्टियों की सेवाओं को प्राप्त किया गया है :—

(क) मथुरा—जालंधर पाइप लाइन के सम्बन्ध में मैसर्स स्नामप्रोगैत्ती, एस. पी. ए., इटली।

(ख) बम्बई—पुणे पाइप लाइन के सम्बन्ध में मैसर्स विलियमस ब्रादर्स इंजीनियरी कंपनी, यू. एस ए.।

आशा है कि मैसर्स स्नामप्रोगेत्ती अपने सम्भाव्यता अध्ययन को जून, 1984 के अंत तक पूरा कर लेंगे, जबकि मैसर्स विलियम्स ब्रादर्स इंजीनियरी कंपनी द्वारा अपने अध्ययन को इस वर्ष के अन्त तक पूरा कर लेने की सम्भावना है।

तदर्थ आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण

8593. **श्री भीखाभाई :** क्या **संचार मंत्री** तदर्थ आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति के लिए आरक्षण के बारे में दिनांक 27 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 430 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि 1980 से आज तक सीधी भर्ती किए गए और पदोन्नति वर्ग के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन· पाटिल) : तदर्थ आधार पर की जाने वाली पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में अनुदेश अप्रैल, 1983 में ही जारी कर दिये गए थे। तत्पश्चात् डाक-तार निदेशालय से की गई सभी तदर्थ पदोन्नतियों में उक्त अनुदेशों का पालन किया जा रहा है। फिर भी, डाक-तार विभाग की दूर-संचार शाखा में अल्प अवधि के पदों पर स्थानीय पदोन्नति अखिल भारतीय आधार पर न करके सर्किल आधार पर की जाती है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पास यह मामला विचाराधीन है कि क्या उनके आदेशों के अनुसार आरक्षण ऐसी पदोन्नतियों पर भी लागू होता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से स्पष्टीकरण मिलते ही उनके आदेशों को लागू करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

समुद्र के नीचे केवल बिछाने के लिए भारत और संयुक्त अमीरात के बीच समझौता

8594. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्द महासागर के कई देशों को जोड़ने के लिए समुद्र के नीचे केवल बिछाने हेतु हाल ही में भारत और सयुक्त अरब अमीरात के बीच कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसकी विस्तृत रूपरेखा क्या है और इसमें कितनी पूंजी परिव्यय होगा;

(ग) इसके अन्तर्गत आने वाले स्थानों के नाम क्या हैं;

(घ) धन, जन-शक्ति, उपकरण और अन्य क्षेत्रों में भारत का क्या योगदान होगा; और

(ङ) इसे पूरा करने के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) भारत और संयुक्त अरब अमीरात को जोड़ने वाली अन्त:समुद्री टेलीफोन केवल प्रणाली की स्थापना, प्रचालन और अनुरक्षण के लिए दिनांक 26 मार्च, 1984 को भारत की विदेश संचार सेवा और संयुक्त अरब अमीरात की अमीरात दूरसंचार कार्पोरेशन लिमिटेड के बीच समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए;

(ख) उपर्युक्त समझौता-ज्ञापन में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि अन्तः समुद्री केवल की क्षमता 1200 टेलीफोन तुल्य परिपथों से कम की नहीं होगी। संयुक्त स्वामित्व वाले इस केवल के कुल पूंजीगत परिव्यय का अनुमान 980 लाख अमरीकी डालर का है।

(ग) यह केबल बम्बई (भारत) और फुजेराह (संयुक्त अरब अमीरात) के बीच बिछाने की योजना है।

(घ) इस केबल के पूंजीगत परिव्यय के भारतीय अंश का अनुमान, 48 करोड़ रुपये है। अन्त:समुद्री प्रणाली एक अत्यधिक परिष्कृत उपस्कर है और इसे ज्ञात विदेशी विनिर्माताओं से मिलजुलकर खरीदा जाना है।

(ङ) समझौते के ज्ञापन में इस केबल के सेवा के लिए तैयार होने की तारीख 31 दिसम्बर, 1986 बताई गई है।

चालू कोयला परियोजना

8595. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन सी कोयला परियोजनाएं चल रही हैं और वह इस समय किस चरण में हैं;

(ख) उनका कुल पूंजी परिव्यय कितना है और उनका कोयला निकालने का लक्ष्य क्या है; और

(ग) उन्हें पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 31-12-1983 के अनुसार, कोयला क्षेत्र में 125 कोयला खनन परियोजनाओं और 14 गैर-खनन परियोजनाओं (कुल 139 परियोजनाएं) पर काम चल रहा था जिनमें से प्रत्येक की लागत रुपए 5 करोड़ या उससे अधिक थी। इन परियोजनाओं में से 12 पूरी हो गई हैं, 74 मूल समय-सारणी के अनुसार पूरी हो रही हैं तथा शेष 53 परियोजनाएं समय-सारणी से पीछे चल रही हैं।

(ख) इन परियोजनाओं पर होने वाला पूंजी परिव्यय मंजूरी के समय रुपये के सतत मूल्य पर रुपये 3927 करोड़ है। इन 125 कोयला खनन परियोजनाओं के पूरा होने पर इनकी उत्पादन क्षमता 150 मिलियन टन प्रति वर्ष होगी। इसके अलावा, सेन्ट्रल कोलफील्डस लि० में अग्रिम कार्रवाई प्रस्ताव कार्यान्वयन के अधीन है जिनका पूंजी परिव्यय रुपये 24 करोड़ है तथा प्रस्तावित क्षमता 30 मिलियन टन प्रति वर्ष है।

(ग) यह परियोजनाएं आने वाले वर्षों में पूरी हो जाएंगी तथा जो परियोजनाएं इस समय हाथ में हैं वह सभी 1993-94 तक पूरी हो जाने की आशा है।

बंगाली फिल्म का निर्यात

8596. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग पिछड़ रहा है जबकि एक समय कलकता फिल्म निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केन्द्र था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और बंगाल की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा के साथ बंगाली फिल्मों के और अधिक निर्माण को सुनिश्चित करने और इस प्रकार इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) यह कहना पूरी तरह सही नहीं है कि पश्चिम बंगाल में फिल्म उद्योग इस समय पिछड़ रहा है, यद्यपि यह सही है कि बंगला फिल्मों के निर्माण में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कुछ अन्य भारतीय भाषाओं की फिल्मों के निर्माण में हुई है। बंगला फिल्मों की गुणवत्ता भी बेहतर रही है और उन्होंने राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार तथा देश के लिए मान्यता अर्जित की है।

फिल्मों का निर्माण मुख्यतया निजी हाथों में है। इसके अलावा, लोक प्रदर्शन के लिए फिल्मों के प्रमाणन को छोड़कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो केन्द्रीय सरकार के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, गुणवत्ता फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करके देश में अच्छे सिनेमा के निर्माण के प्रोत्साहन देता है। देश के अन्य भागों की भांति यह सुविधा पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग को भी उपलब्ध है। छठी पचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पूर्वी क्षेत्र में 16 मिलीमीटर की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 80.45 लाख रुपये की लागत से कलकत्ता में 16 मिलीमीटर की फिल्मों के निर्माण हेतु सुविधाए उपलब्ध करने के लिए एक विशेष परियोजना स्थापित की है। पश्चिम बंगाल में निजी उद्यमी इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।

दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर नये टेलीफोन कनेक्शन

8597. **श्री बया राम शास्त्र** : ; क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन के लिए श्रेणी-वार, कितने लोग पंजीकृत हैं;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने नये टेलीफोन कनेक्शन दिए गए हैं और वर्ष 1984-85 के दौरान कितने कनेक्शन देने का विचार है; और

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शन देने में, डाक्टरों और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए क्या मानदण्ड अपनाए जाते हैं; इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) दिल्ली में 31-3-1984 तक टेलीफोन कनेक्शनों के लिए दर्ज व्यक्तियों की श्रेणीवार संख्या नीचे दी गई है :—

ओ. वाई. टी.—सामान्य		5,833
ओ. वाई. टी.—विशेष		3,066
गैर ओ. वाई. टी./सामान्य		97,834
गैर ओ. वाई. टी./विशेष		4,526
गैर ओ. वाई. टी/एस. एस.		614
	कुल	1,11,873

(ख) 1983-84 के दौरान कुल 25,222 टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और 1984-85 के दौरान लगभग 30,000 कनेक्शन दिए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) डाक्टर "गैर ओ. वाई. टी.—विशेष श्रेणी" के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के अधिकारी हैं। केवल आयुर्वेद, हेम्योपैथी, दन्त चिकित्सा एवं मनश्चिकित्सा सहित मैडीसन या सर्जरी की स्वीकृत प्रणाली में मान्यता प्राप्त डिग्री या डिप्लोमा रखने वाले ही डाक्टर के बतौर इस श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण कराने के पात्र हैं।

जहां तक सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का सम्बन्ध है, केवल ऐसे व्यक्ति ही जो विज्ञान, प्रौढ़ शिक्षा या पददलितों के उत्थान के लिए राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है, "गैर—ओ. वाई. टी. विशेष श्रेणी" के अन्तर्गत पंजीकरण कराने के पात्र हैं।

नये कनेक्शनों के लिए दी गई लाइनों का 20 प्रतिशत इस श्रेणी के लिए आरक्षित रहता है तथा इसके लिए आरंभिक जमा वही है जो कि सामान्य श्रेणी के लिए होता है।

फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश में एस. टी. डी. की सुविधा

8598. **श्री दया राम शाक्य : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने लोक सभा में कोई आश्वासन दिया था कि निकट भविष्य में फरुखाबाद जिले में एस. टी. डी. सुविधा उपलब्ध कर दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो इसके कब तक उपलब्ध कर दिये जाने की सम्भावना है; और

(ग) यदि निकट भविष्य में इसके उपलब्ध कराये जाने की सम्भावना नहीं है; तो उसके क्या कारण हैं ?

सन्चार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन: पाटिल) : (क) ऐसे आश्वासन का हमारे पास कोई रिकार्ड नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) किसी स्थान पर एस.टी.डी. सुविधाओं की व्यवस्था करना निम्नलिखित कार्य पदों के पूर्ण होने पर निर्भर करता है :—

1. ऐसे स्थान पर उपयुक्त टाइप के आटोमेटिक एक्सचेंज की संस्थापना, यदि वह पहले से मौजूद नहीं है।

2. उस स्थान को राष्ट्रीय परिपथ जाल से जोड़ने के लिए विश्वसनीय संचारण माध्यम से चालू करना यदि वह पहले से ही उपलब्ध न हो।

3. उस स्थान के स्थानीय एक्सचेंज में एस.टी.डी. सयोजन उपस्कर की संस्थापना।

4. उस ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज में उपस्कर की संस्थापना जिससे स्टेशन को जोड़ना है।

फरुखाबाद के मामले में उपर्युक्त कार्य मदों के सातवीं योजना की अवधि में पूर्ण होने की संभावना है।

दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र पर हिन्दी फिल्मों का प्रसारण

8599. **श्री के. प्रधानी** : क्या सूचना और प्रसासण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र से हिन्दी फीचर फिल्म प्रर्दशित करने के लिए दूरदर्शन द्वारा दिए जाने वाले प्रभारों के भुगतान की एक नई पद्धति शुरू की गई है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न फर्मों द्वारा इसका आंशिक भुगतान किया जाता है और इस आशय की सूचना फिल्म दिखाने के दौरान बीच में प्रदर्शित कर दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो फिल्म के चयन की तथा उसके वित्तपोषण की क्या विधि है तथा प्रायोजित फर्मों द्वारा किस प्रकार आंशिक भुगतान किया जाता है और क्या पूरे देश को सभी दूरदर्शन केन्द्रों से दिखाई जाने वाली सभी हिन्दी और क्षेत्रीय फीचर मिल्मों के सम्बन्ध में यही पद्धति लागू होती है; और

(ग) इस व्यवस्था के अन्तर्गत दूरदर्शन को कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा सन्सदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के एल. भगत) : (क) जी, नहीं। फिल्मों के कुछ भागों को विभिन्न फर्मों द्वारा दूरदर्शन को भुगतान करने पर प्रायोजित किया जाता है और इस आशय की सूचना दी जाती है।

(ख) टेलीकास्ट किए जाने के लिए फिल्मों के चयन की निश्चित पद्धति है। दूरदर्शन के विभिन्न केन्द्रों से हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में टेलीकास्ट की जाने वाली सभी फिल्में प्रायोजकता के लिए खुली हैं। तथापि, इस समय रविवार को राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाने वाली केवल हिन्दी फिल्मों ने ही प्रायोजकों को आकर्षित किया है। ये प्रायोजकताएं कार्यक्रमों की प्रायोजकता हेतु सरकार द्वारा अनुमोदित दर सूची से विनियमित होती हैं। प्रायोजकताओं से अर्जित राजस्व, दूरदर्शन की वाणिज्यिक प्राप्तियों का अंग है।

(ग) दूरदर्शन, राष्ट्रीय संजाल पर टेलीकास्ट की जाने वाली फीचर फिल्म की प्रत्येक आधे घंटे की प्रायोजकता के लिए 70,000/-रुपए की राशि अर्जित करता है।

उडीसा में चल रही कोयला परियोजनाएं

8600. **श्री के प्रधानी**। क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन सी कोयला परियोजनाएं चल रही हैं और वे क्रियान्वयन की किस स्थिति में हैं; और

(ख) उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) उड़ीसा राज्य में सात कोयला खनन परियोजनाएं हैं जिनका कार्यान्वयन चल रहा है। इन परियोजनाओं में से चार परियोजनाएं सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० के क्षेत्राधिकार में हैं और शेष तीन वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के अधीन हैं। इन परियोजनाओं की कुल स्वीकृत लागत रु० 199.64 करोड़ है और पूरा हो जाने पर उनकी कोयले की उत्पादन क्षमता 10.95 मिलियन टन होगी।

(ख) कोयला कम्पनियों से कहा गया है कि वे इन परियोजनाओं के निर्माण की गति तेज करने के लिए कदम उठाएं। उनसे यह भी कहा गया है कि जहां कहीं अपेक्षित हो वहां संशोधित परियोजना रिपोर्ट भी तैयार करें।

रायगढ़ (उड़ीसा) में नया सब-डिवीजन बनाना

8601. **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकास और प्रशासन के लिए आदिवासी, क्षेत्रों पिछड़े क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में टेलीफोन सब-डिवीजन और डिवीजन बनाने का मानदण्ड क्या है;

(ख) यदि वर्तमान नीति के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों के मानदण्ड और शर्तों के कुछ उपाय हैं तो कोरापुट जिले के वर्तमान सब डिवीजन को दो भागों में विभाजित करके रायगढ़ में एक नया सब डिवीजन बनाने का क्या कारण है;

(ग) क्या गुनुपुर क्षेत्र का पार्लखमुन्डी से सम्पर्क समाप्त कर रायगढ़ में शामिल करने का निर्णय उड़ीसा सर्किल द्वारा किया जाएगा;

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि हां, तो निर्णय कब किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) मंडलों तथा उप मंडलों के सृजन के सामान्य क्षेत्रों, दुर्गम भू-भाग तथा पिछड़े क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदन्ड विवरण में दिये गये हैं।

(घ) इस समय कोरापुट जिले में एक तार उप मन्डल है जिसका मुख्यालय जैपोर में है।

दूर-दूर स्थित परिसंपत्तियों के लिए बरडामपुर मंडल में एक अतिरिक्त उप-मंडल का सृजन करने के मामले पर उस समय विचार किया जाएगा जब मानदंडों के अनुसार कार्यभार के आधार पर उनका औचित्य सिद्ध होगा ।

(ग) से (ङ) पर्वतीय भू-भाग तथा एक्सट्रा हाई टेंशन पावर लाइनों के कारण भारी मात्रा में पावर समानांतरता के कारण गुनुपुर को पारलाखेमुंडि से काटने तथा रायगडा के साथ भू-लाइनों द्वारा जोड़ना इस समय व्यवहार्य नहीं है ।

विवरण

डिवीजनल इंजीनियर और श्रेणी-II इंजीनियरिंग अधिकारियों के लिए मानदंड

I. सामान्य क्षेत्र		मंडल इंजीनियर यूनिटों में	वर्ग-ख यूनिटों में
क.	सज्जित क्षमता वाले एक्सचेंज		(उप–डिवीजनल अधिकारी)
(I)	99-लाइन और कम	15 प्रति एक्सचेंज	35 प्रति एक्सचेंज
(II)	100-499 लाइन	35 प्रति एक्सचेंज	125 प्रति एक्सचेंज
(III)	400-999 लाइन	110 प्रति एक्सचेंज	475 प्रति एक्सचेंज
(IV)	1000-1999 लाइन)	360 प्रति एक्सचेंज	1100 प्रति एक्सचेंज
(V)	2000-2999 लाइन)	640 प्रति एक्सचेंज	1675 प्रति एक्सचेंज
(VI)	3000-4999 लाइन	1640 प्रति एक्सचेंज	3300 प्रति एक्सचेंज
(VII)	5000-लाइनें तथा अधिक	1175 प्रति एक्सचेंज	5500 प्रति एक्सचेंज
ख.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	0.25 प्रति चालू कनेक्शन	उपर्युक्त (I) और (II) से संबंधित डी.ई.एल. पर 0.6 प्रति चालू कनेक्शन, उपर्युक्त (IV) से (II) तक संबंधित डी.ई.एल. पर 0.8 प्रति चालू कनेक्शन
ग.	विशेष सेवा पोजीशनें :		
	आटोमैनुअल पोजीशनों सहित		
(1)	उपर्युक्त (I) से (IV) तक संबंधित	2 प्रति पोजीशन	10 प्रति पोजीशन

	(II) उपर्युक्त (V) से (VII) तक संबंधित	4 प्रति पोजीशन	15 प्रति पोजीशन
घ.	एस.टी.डी/एस.एल.ओ.डी/एम.एल.ओ.डी सर्किट-आवक व जावक दोनों	1प्रति पो सर्किट	3 प्रति सर्किट
ङ.	टेलेक्स एक्सचेंज	5 प्रति लाइन सज्जित क्षमता	1.0 प्रति एक्सचेंज + 4 प्रति चालू कनेक्शन
च.	टेलेक्स उपभोक्ता, किराये पर एवं विभागीय टेलीप्रिंटर सेवा सर्किट	—	15 प्रति चालू लाईन/ सर्किट
छ.	पी.बी. एक्स/पी.ए.बी. एक्स-99 या कम एक्सटेंशन की सज्जित क्षमता वाला	—2 प्रति एक्सचेंज	10 प्रति एक्सचेंज
	(II) 100 एक्सटेंशन और अधिक	6 प्रति एक्सचेंज	40 प्रति एक्सचेंज
ज.	सभी प्रकार के एक्सटेंशन	1.0 प्रति एक्सटेंशन	0.3 प्रति एक्सटेंशन
झ.	एन.ई. लाइनें/नेाइवेट वायर/ एल.डी.पी.सी.ओ. ट्रंक/तार संरेखण	1 प्रति लाइन	4 प्रति लाइन
	(I) सी.8, एन.सी.जे.	0.5 प्रति कि.मी.	2.7 प्रति कि.मी.
	(II) अन्य संरेखण	0.4 प्रति कि.मी.	1.3 प्रति कि.मी.
ट.	तारघर :		
	(I) केन्द्रीय तारघर	25 प्रति तारघर	40 प्रति तारघर
	(II) विभागीय तारघर	12 प्रति तारघर	20 प्रति तारघर
	(III) संयुक्त डाक/तारघर	0.3 प्रति तारघर	4 प्रति तारघर
ठ.	कैरियर/रिपीलर/पी.एफ.टी. प्रणाली	15 प्रति लाइन	65 प्रति प्रणाली 5 प्रति चैनल
ड.	ट्रंक एक्सचेंज सहित		
	(I) 9 ट्रैफिक निपटान पोजीशनें या कम	15 प्रति पोजशन	75 प्रति पोजीशन
	(II) उपर्युक्त एक्सचेंजों में रिकार्ड/ पूछताछ पोजीशनें	2 प्रति पोजीशन	10 प्रति पोजीशन

	(III) 10 से 15 परियात निपटान पोजीशन	25 प्रति पोजीशन	500 प्रति एक्सचेंज 150 प्रति ओ. जी. पोजीशन 100 प्रति सी. आई. टी./आई.टी. पोजीशन
	(IV) 16 परियात निपटान पोजीशनें	35 प्रति पोजीशन	100 प्रति एक्सचेंज 175 प्रति ओ.जी. पोजीशन 105 सी. आई. टी./आई.सी पोजीशन
	(V) रिकार्ड उपर्युक्त (III) व (IV) में रिकार्ड/पूछताछ पोजीशन	4 प्रति पोजीशन	15 प्रति पोजीशन
ङ.	अधीनस्थ प्रभारी	170 प्रति ग्रेड-ख इंजीनियरी प्रभारी अर्थात् एस.डी. ओ.टी/एस.डी.ओ. पी. ए.ई. (इंडोर), ए.ई. (ट्रंक)	15 प्रति ई. एस.
ण.	स्वीकृत स्टाफ (इंजी. सुपरवाईजरों सहित)	2.5 प्रति पद	5 प्रति पद-आउट डोर स्टाफ 8 प्रति पद-इंडोर ट्रंक स्टाफ
त.	निरन्तर कार्यभार	1350 प्रति मंडल	800 प्रति एक्सचेंज

(थ) इंजीनियरी अधिकारियों का मूल्यांकन अस्थित् कार्यभार अर्थात "क" से "ग" तक के कुल कार्यभार के आधार पर ही करना पड़ेगा .

उप मंडल अधिकारियों के लिए मंडल का कुल ग्रुप "ख" कार्यभार 6800 से विभाजित किया जाना चाहिए था 0.5 से अधिक का अंश अगले पूर्णांक में पूरा कर लिया जाएगा ।

एक तार इंजीनियरी मंडल का विभाजन तभी किया जाता है जब मंडल इंजीनियर स्तर पर कुल कार्यभार लगातार कुल 11,250 यूनिटों से अधिक हो तथा इस प्रकार बनने वाले दो मन्डलों में से किसी एक का कार्यभार लगा 4065 यूनिटों से कम न हो तार

II. दुर्गम भू-मार्गों के लिए छूट

दुर्गम भू-मार्गों के लिए अर्थात भारत सरकार द्वारा स्वीकृत दुर्गम भू-मार्ग	उपर्युक्त (क) और (ख) पर दी गई यूनिटों पर 25 प्रतिशत	उपर्युक्त (क) और (ख) पर दी गई यूनिटों पर 25 प्रतिशत

उपर्युक्त "क" से "थ" पर की गई गणना के अनुसार यूनिटों में शामिल किया जाता है।

III. पिछड़े क्षेत्र

पिछड़े क्षेत्रों में मंडलों के लिए अर्थात ऐसे मंडल जहां 500 लाइनों से ऊपर सज्जित क्षमता वाला एक्सचेंज नहीं है, गत वर्ष के दौरान खोले गये प्रति नये एल.डी.पी.सीओ. कनेक्शन के लिये 4 यूनिट की छूट दी जाती हैं।

आदिवासियों पर फिल्म बनाने के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा ऋण

8602. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने आदिवासियों पर फिल्म बनाने के लिए ऋण प्रदान किए है;

(ख) यदि हां, तो उन फिल्मों के नाम और भाषाएं क्या हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने निगम द्वारा आदिवासियों पर फिल्म बनाने तथा फिल्मों के निर्माताओं को ऋण देने के लिए धनराशि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा आदिवासियों पर विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म बनाने के लिए निगम ने क्या नीति तैयार की है तथा क्या इन फिल्मों के निर्माताओं को और राज्य सरकार फिल्म विकास निगमों को सूचित करने के लिए मार्ग निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) आदिवासियों पर फिल्म बनाने और उन्हें ऋण सहायता प्रदान करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को क्या मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच.के एल. भगत): (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने अब तक विशिष्ट रूप से आदिवासियों पर फिल्में बनाने के लिए ऋण उपलब्ध नहीं किए हैं। तथापि समस्याओं सहित सामाजित संगतता की समस्याओं पर प्रकाश डालती हैं। "चिरूथा" और "आक्रोश" जैसी फिल्में इस श्रेणी में आती हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) मंत्रालय ने अकेले आदिवासियों पर फिल्मों के निर्माण या वित्त पोषण के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं।

छठी योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं के लिए नियत की गई धन राशि

1603. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ग) स्थापित की गई विद्युत परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य इस समय किस स्थिति में है; और

(ङ) इनके कब तक पूरे हो जाने और कार्य आरम्भ कर चालू हो जाने की संभावना है?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र के लिए छठी योजना का परिव्यय 410 करोड़ रुपए था।

(ख) राज्य सरकार ने योजना अवधि के पहले चार वर्षों में विद्युत क्षेत्र पर 321.45 करोड़ रुपए खर्च किये हैं। योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात 1984-85 में लगभग 96 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

(ग) से (ङ) छठी योजना अवधि के दौरान तलचेर ताप विद्युत केन्द्र के अन्तर्गत 220 मेगावाट की क्षमता वाला 5 और 6 यूनिटें (2x 110 मेगावाट), अभी तक चालू की जा चुकी है। निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं के नाम, चालू करने की संभावित तारीखें, और वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

क्र०सं०	परियोजना का नाम	चालू करने की संभावित तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
1.	रेगाली (2×50 मंगावाट)	यूनिट-1	84-85	बिजली घर का कंक्रीटिंग तथा चिनाई कार्य लगभग पूरा होने वाला है। रेडियल क्रेस्ट गेटों की प्रतिष्ठापना का कार्य चल रहा है। यूनिट-1 के स्वाइरल केसिंग का कार्य पूरा कर दिया गया है तथा संक्रील केस के कंक्रीटिंग का कार्य अभी चल रहा है। यूनिट-2 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब फोन का उत्थापन कार्य पूरा हो गया है तथा स्क्रील केस का उत्थापन कार्य चल रहा है।
2.	अपर कोलाब (3×80 मेगावाट)	यूनिट-1	85-86	परियोजना पर कार्य अग्रिम अवस्था में है। पेन स्टाक सुरंगों की खुदाई का कार्य पूरा हो गया है तथा पेन-स्टाक सुरंगों के लिए स्टील लाईनर की गढ़ाई का कार्य तथा पेन स्टाक का कार्य चल रहा है। बिजली घर तथा टेलरेस चैनल का कार्य चल रहा है।
		यूनिट-2	85-86	
		यूनिट-3	86-87	

1	2		3	4
3.	हीराकुन्ड परियोजना चरण-3 (1×37X5 मेगावाट	यूनिट-7	86-87	यूनिट के पिट क्षेत्र में खुदाई का कार्य, विद्युत चैनल को चौड़ा करने का कार्य तथा उमड़मार्ग/ रेगुलेटर का कार्य चल रहा है।
4.	अपर इन्द्रावती (4X150 मेगावाट)	यूनिट-1	88-89	संरचनात्मक कार्य पूरे होने वाले हैं। भवन का निर्माण खुदाई, चिनाई/कंकीटिंग कार्य चल रहा है। हैड रेस चैनल की खुदाई का कार्य तथा बिजली घर की नींव का कार्य भी चल रहा है।
		यूनिट-2	88-89	
		यूनिट-3	89-90	
		यूनिट-4	89-90	

"इण्डियन ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी" की समस्याओं पर की गई कार्यवाही

8604. **श्री चिंतामणि जैना :** क्या **सूचना और प्रसारण** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इण्डियन ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसायटी" का एक शिष्टमण्डल प्रधान मन्त्री से मिला था और उसने समाचार पत्रों के सामने रही कुछ समस्याओं को उनके सामने रखा था ;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तुत की गई समस्याओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन समस्याओं को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) : जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधि मण्डल द्वारा उठाए गए मुद्दे (1) उस उपबंध, जिसमें कर योग्य आय की गणना करने के प्रयोजन के लिए विज्ञापनों पर व्यय के 20 प्रतिशत डिसअलाउन्स की व्यवस्था है, को हटाने, (2) स्वदेशों अखबारी कागज को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध कराने, आयातित अखबारी कागज पर शुल्क को हटाने तथा राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अखबारी कागज के आयात का काम प्रभावी रूप से किए जाने; तथा (3) आधुनिकीकरण के लिए मुद्रण मशीनरी इत्यादि के आयात पर शुल्क काफी कम करने से संबंधित थे ।

(ग) ये मुद्दे सरकार के विचाराधीन रहे हैं और उन पर संबंधित विभिन्न विभागों, मन्त्रालयों, संगठनों के परामर्श से समय समय पर यथासंभव हदतक उपयुक्त कार्यवाही की गई है ।

अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह के लिए डाइरेक्ट रिसिविंग टी. वी. सेटों की व्यवस्था

8605. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी नेताओं ने प्रधान मन्त्री को उसके कार निकोबार दौरे के समय कार निकोबार में टी- वी. रिले केन्द्र ननाने के लिए अभ्यावेदन दिया है;

(ख) यदि हां, तो आदिवासी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय के पास संघ शासित क्षेत्र अन्दमान और निकोबार में जिन स्थानों पर टी. वी. रिले केन्द्र स्थापित किए जाने का प्रस्ताव नहीं है, उनके स्थानों में डाइरेक्ट रिसिविंग टेलीविजिन सेटों कों सप्लाई करने संबंध कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह में पहली बार ऐसे कितने सैट उपलब्ध कराए जायेंगे. और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(क) से (ङ) तक : कार निकोबार में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने के लिए अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर वनाम सीधे सग्रहण सैटों की लागत सम्बन्धी भाविता निश्चित करने के लिए अध्ययन हाथ में है। मामला विचाराधीन है

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बगाल के माजू गांव में ड्रिलिंग कार्य

8606. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के हाथ में इस समय कौन-कौन सी ड्रिलिंग परियोजनाएं हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले में पुलिस थाना जगतबलम्मपुर के माजू गांव में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किये जा रहे ड्रिलिंग कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ग) ड्रिलिंग कार्य कब तक पूरा हो जाएगा;

(घ) इस परियोजना की सम्भावना क्या है; और

(ङ) इससे कितनी मात्रा में तेल और गैस प्राप्त होने की आशा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 1.4.1984 की स्थित के अनुसार तेल और प्राकृतिक गैस आयोग तटवर्ती क्षत्रों में 43 स्थानों पर तथा अपतटीय क्षेत्रों में 14 स्थानों पर खुदाई कर रहा था।

(ख) माजू—1 में खुदाई कार्य 4020 मीटर की गहराई तक पूरा किया जा चुका है।

(ग) खुदाई कार्य को पूरा किया जा चुका है और कुएं के परिक्षण के लिए तैयारियां की जा रही हैं।

(घ) और (ङ) कुएं के परिक्षण को पूरा किये जाने के पश्चात ही मिलन वाले संभावित तेल और गैस की सम्मावना और मात्रा का पता चल सकता है।

हुगली जिले के चंडीतल्ला, हरीयाल और सेरामपुर में तेल के लिए किए जा रहे सर्वेक्षण

8607. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हुगली जिले के चंडीतल्ला, हरियाल और सेरामपुर में तेल के लिए प्राथमिक सर्वेक्षण आयोजित किए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) एकत्र किए गये भू-भौतिकीय आंकडों पर आगे कार्यवाई की जा रही है।

दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र की स्थापना

8608. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड दूर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में 75 करोड़ रुपए की लागत पर एक एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड की 18.2 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) में एक एल.पी.जी. बाटलिंग संयंत्र स्थापित करने की योजना है। इस संयंत्र के दिसम्बर, 1986 तक चालू हो जाने की आशा है।

"ईस्टर्न कोलफील्डस लि०" के लक्ष्य

8609. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ईस्टर्न कोलफील्डस लि०" को 1983-84 के दौरान 250 लाख टन के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी है;

(ख) यदि नहीं, तो उसमें क्या कमियां हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए "ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०" के लक्ष्य क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का उत्पादन लक्ष्य 25.00 मिलियन टन निश्चित किया गया था किन्तु कोल इण्डिया लि० ने इसे संशोधित करके 24.00 मिलियन टन कर दिया। वर्ष 1983-84 के दौरान ई.को.लि. का कुल (अनतिम) उत्पादन 22.93 मिलियन टन रहा और इस प्रकार संशोधित लक्ष्य की तुलना में 1.07 मिलियन टन या 4.4% की कमी रही। लेकिन अगर ई.को.लि. के 1983-84 के उत्पादन की पिछले वर्ष के उत्पादन से तुलना की जाए तो यह 0.25 मिलियन टन अथवा 1.1% अधिक रहा।

ई.को.लि में वर्ष 1983-84 में उत्पादन में कमी के अनेक कारण हैं, जैसे बिजली की कम सप्लाई, कर्मचारियों में अनुपस्थिति की प्रवृत्ति, नयी खानें न खुल सकना क्योंकि स्थानीय लोग भू-वंचितों आदि को रोजगार देने के लिए नियत की गई सीमा से अधिक रोजगार मांगते हैं, आदि।

(ग) वर्ष 1984-85 के लिए ई.को.लि. का उत्पादन लक्ष्य 25.10 मिलियन टन नियत किया गया है।

1984-85 के दौरान राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियों के बारे में वृत्त चित्रों/लघु फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाया जाना

8. 10 **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों ने अपनी उपलब्धियों के बारे में 1984 85 के दौरान दूरदर्शन पर विशेष वृत्त चित्र और लघु फिल्में दिखाने के लिए दूरदर्शन से अनुरोध किया है;

(ख) उनके नाम क्या हैं और कितनी फिल्मों के निर्माण का सुझाव है और उसकी लागत क्या है;

(ग) क्या उन प्रस्तावों पर कोई निर्णय ले लिया गया है और तत्सम्बन्धी आंकड़े और दिए गए ठेकों का ब्यौरा क्या है;

(घ) राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में एक टी.वी. फिल्म दिखाने की योजना का प्रयोजन क्या है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान 16 फरवरी, 1984 के "न्यूज टाईम्स" हैदराबाद में दूरदर्शन रैकट इन कलोज अप" शीर्षक से छपे लेख की ओर आकर्षिक किया गया है; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) किसी भी राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ने 1984-85 में अब तक दूरदर्शन से अपनी उपलब्धियों पर ठाकुमेंट्री या लघु फिल्में टेलीकास्ट करने का अनुरोध नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) राष्ट्रीय संजाल में शामिल करने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का नियोजन किया जाता है जिनका देश व्यापी महत्व और संगतता हो।

(ङ) जी, हां।

(च) रिपोर्ट में उन राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बारे में कहा गया है जो दूरदर्शन के कर्मचारियों और सेवा निवृत दूरदर्शन कर्मचारियों को दूरदर्शन के लिए डाकुमेंट्री फिल्मों/लघु फिल्मों के निर्माण के लिए संविदाएं देते हैं। राज्य सरकारों और सार्व-

जनिक क्षेत्र के उपक्रमों की इन फिल्मों के ब्यौरों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। इसलिए इस संबंध में किसी पूछताछ का प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, सरकार इस बात के लिए उत्सुक है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपने कार्य निष्पादन की डाकुमेंट्री फिल्में बनानी चाहिए जिन्हें दूरदर्शन पर और सिनेमाघरों में दिखाया जा सके।

नेशनल फर्टिलाइजर लि. द्वारा गुना में गैस से चलने वाले उर्वरक संयन्त्र की स्थापना

8611. **डा. वसन्त कुमार पंडित** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या नेशनल फर्टिलाइजर लि. ने गुना जिले की राघवगढ़ तहसील में विजयपुर बम्बई हाई को गैस से चलने वाला उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की परियोजना का कार्य शुरू कर दिया है,

(ख) यदि हां, तो 31 दिसम्बर, 1983 तक किए गए भूमि अधिग्रहण, निर्माण कार्य आदि और इसके पूरे होने के समयबद्ध लक्ष्य का ब्यौरा क्या है, और

(ग) नेशनल फर्टिलाइजर लि. परियोजना का पूरा ब्यौरा क्या है और अगले तीन वर्षों का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) मैं नेशनल फर्टिलाइजर्स लि. (एन एफ. एल.) द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विजयपुर, तहसील राघागढ़, गुना स्थित गैस पर आधारित उर्वरक संयन्त्र से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रकचर स्थापित करना था प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो गया है। 31 दिसम्बर, 1983 तक निम्नलिखित कार्य निष्पादित कर दिया गया था।

(i) स्थान का सर्वेक्षण तथा मिट्टी की जांच पूर्ण की गई।

(ii) भूमि के अधिग्रहण के लिए वन विभाग तथा कृषि विभाग की अनुमति प्राप्त की गई थी।

(iii) गमन-मार्ग का निर्माण, निर्माण के लिए जल तथा पावर की आपूर्ति की व्यवस्था से सम्बन्धित कार्य प्रगति पर था।

इन कार्यों को पूर्ण करने का सम्भावित समय नीचे दिया गया है :—

1. भूमि अधिग्रहण के कार्य की समाप्ति —मई, 1984
2. गमन-मार्ग का निर्माण —जून, 1984
3. निर्माण के लिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था —मई, 1984
4. निर्माण के लिए पावर की आपूर्ति की व्यवस्था —जून, 1984

(ग) परियोजना की रूपरेखा तथा पहले तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

परियोजना की झलक

1. स्थान :	विजयपुर, जिला गुना (मध्य प्रदेश)
2. उत्पाद:	
यूरिया	726,000 टन प्रति वर्ष
अमोनिया	445,500 टन प्रति वर्ष
3. संयंत्र क्षमताएं :	
अमौनिया	1350 टन प्रति दिन
यूरिया	2×1100 टन प्रति दिन
4. कच्चा माल	
प्राकृतिक गैस-फीड	$435X10^6$ एन एम^3 (एनम
प्राकृतिक गैस ईंधन	$175X10^6$ एन एम^3/एनम
5. उपयोगिताएं	
पावर	16 मैगावाट
जल	12.5 एम जी डी
6. पूंजी अपेक्षाएं	(करोड़ों में)
परियोजना लागत	(587.1 करोड़)

प्रमुख तीन वर्षों में मुख्य कार्यकलापों के पूर्ण होने की समयसूची

क. स्थान के श्रेणीकरण एवं समतल कार्य को पूर्ण करना—"जीरो" तारीख से 11 महीने।

ख. मुख्य संयंत्र के सिविल कार्यों की शुरूआत "जीरो तारीख से 7 महीने।

ग. जल शोधन संयंत्र को चालू करना "जीरो तारीख से 27 महीने।

घ. मुख्य संयंत्र के निर्माण कार्य का पूरा होना "जीरो तारीख से 36 महीने।

बम्बई के ताजमहल डाकघर से भिवन्डी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजी गई वस्तुओं का रास्ते में गायब हो जाना

8612. **श्री भीखाभाई :**

श्री दया राम शाक्य :

श्री बाबू राव परांजपे : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाकघर अधीक्षक, थाणे के दिनांक 2-11-81 और 8-7-1983 के पत्र संख्या सी. आर. एम. केस-2 :81-82 के अनुसार कपड़ा आयुक्त द्वारा ताजमहल डाकघर,

बम्बई से भिवण्डी में बहुत से व्यक्तियों को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गई बहुत सी वस्तुएं रास्ते में गायब हो गईं ;

(ख) अब तक जांच पूरी न होने के क्या कारण हैं और

(ग) डाकघर अधीक्षक, थाणे के दिनांक 17-8-83 के पत्र संख्या सो. आर./एम. केस-82 के अनुसार पंजीकृत संघों जैसे मार्फत पत्रों को माल सुपुर्द न करने के क्या कारण हैं ?

सचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। दिनांक 2-11-81 के पत्र संख्या सी. आर./एम. केस-2/81-82 में निम्न मामलों को उठाया गया है :

(i) ताजमहल आर. एल. संख्या 5163 दिनांक 8-10-80

(ii) ताजमहल आर. एल संख्या 5101 दिनांक 27-10-80

(iii) ताजमहल आर. एल. संख्या 1713 दिनांक 13. 11. 80

पंजीकृत पत्र सं० 5163 और 5101 गलत वितरित किए गए थे। पंजीकृत पत्र संख्या 5101 की विषय वस्तु प्रेषिती द्वारा बाद में प्राप्त की गई। पजीकृत पत्र सं० 1713 प्रेषक को लौटा दिया गया था क्योंकि प्रेअती नहीं मिला था।

दिनांक 8. 7. 83 के पत्र सं० सी. आर. एम. केस 2/81-82 में निम्न मामलों को उठाया गया है :—

1. ताजमहल आर. एल. सं० 2524 दिनांक 7. 11. 81
2. ताजमहल आर. एल. सं० 1606 दिनांक 3. 7. 81
3. ताजमहल आर. एल. सं० 1605 दिनांक 3. 7. 81
4. ताजमहल आर. एल. सं० 1612 दिनांक 3. 7. 81
5. ताजमहल आर. एल. सं० 1713 दिनांक 13. 11. 80
6. ताजमहल आर. एल. सं० 4087 दिनांक 28. 1. 81

शिकायत का समय समाप्त हो गया था और सम्बन्धित रिकार्ड उपलब्ध नहीं था और इसीलिए जांच नहीं की गई थी।

(ख) दिनांक 2. 11. 81 के पत्र के सम्बन्ध में जांच पूरी की गई थी और पंजीकृत पत्र के गलत वितरण के लिए उत्तरदायी कर्मचारी के विरुद्ध उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी।

दिनांक 8. 7. 83 के पत्र के सम्बन्ध में शिकायत का समय समाप्त हो गया था और कोई जाँच नहीं की जा सकी और सम्बन्धित रिकार्ड को नष्ट कर दिया गया था। अधीक्षक डाकघर थाणे पश्चिम ने शिकायतकर्ता को, जब वह उनसे मिला व्यक्तिगत रूप में सूचित कर दिया था।

(ग) दिनांक 17. 8. 83 का पत्र सं० सी- आर./एम. केस/82 दिनांक 9. 8. 83 के पत्र की पावती थी। पंजीकृत डाक वस्तुएं विभाग के नियमों के अन्तर्गत प्राधिकार के उपर्युक्त पत्र के अभाव में केन्द्र पार्टी को वितरित नहीं की जा सकी। शिकायतकर्त्ता को जब उसने उस विषय वस्तु पर अधीक्षक डाकघर थाणे पश्चिम से विचार विमर्श किया तो उसे तदनुसार सूचित कर दिया गया था।

आयकर अपील अधिकरण के सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं का ब्यौरा

8613. **श्री राम विलास पासवान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय कर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पिछले 18 मास के दौरान की गई यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकरण के कुछ सदस्यों ने दिसम्बर, 1983 में एक औद्योगिक घराने के खर्च पर एक चार्टर्ड विमान से कानपुर की यात्रा की थी; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) आय कर अपील अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अक्तूबर, 1982 से मार्च, 1984 के दौरान किए गए सरकारी दौरे का विवरण दर्शित करने वाला विवरण संलग्न है।

(ग्रन्थालय में रखा गया—देखिए संख्या एल. टी. 8249/84)

(ख) अधिकरण के किसी भी सदस्य ने दिसम्बर, 1983 के दौरान कानपुर का कोई सरकारी दौरा नहीं किया था। सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि अधिकरण के किसी सदस्य ने इस मास के दौरान कानपुर की निजी यात्रा की थी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में तालचेर स्थित हाण्डिुजा कोयला खान को बन्द करने सम्बन्धी निर्णय

8614. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** :

श्री रेणुपद दास : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में तालचेर स्थित हाण्डिधुआ कोयला खान को बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या खानों से प्रति माह 35,000 टन कोयला निकालता था;

(ग) क्या अतिरिक्त नये लोग लगाने से उस खान से अतिरिक्त 1000 टन कोयला निकल सकता है;

(घ) यदि हां, तो उस खान को बन्द किए जाने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या अतिरिक्त नए लोग लगाकर उत्पादन बढ़ाने की दिशा में को उपाय किए गए थे;

(च) क्या यह सच है कि इस कोयला खान अच्छी किस्म का कोयला निकलता है;

(छ) क्या उड़ीसा कोल माइन्स लेबर फेडरेशन से उक्त कोयला खान को पुन: खोलने का आग्रह करते हुए और उत्पादन बढ़ाए जाने के तरीके सुझाते हुए, कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ज) यदि हां, तो सरकार उप ज्ञापन पर क्या कदम उठा रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (घ) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० ने तालचेर में हांड़ी घुआ कोलियरी में उत्पादन करना 27. 2. 1984 से बंद कर दिया है। इसके कारण थे : सतह से पानी भर जाने के खतरे के कारण खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा लगया गया प्रतिबंध और पानी निकालने का काम चलाते रहना।

(ख) जी, नहीं 1 अप्रैल, 1983 से फरवरी, 1984 तक की अवधि में खान में केवल 20, ५00 टन कोयले का उत्पादन हुआ है।

(ग) और (ङ) खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण अतिरिक्त कर्मचारी लगाना संभव नहीं था। व्यावहारिक दृष्टि से तो मानसून के दौरान लगभग 3 महीने तक कोई उत्पादन संभव नहीं है और विद्यमान श्रमिकों का ही उपयोग क्षेत्र की अन्य खानों में करना पड़ता है।

(च) जी, हां।

(छ) जी, हां।

(ज) उपयुक्त भाग (क) और (घ) के उत्तर में बताई गई स्थिति को देखते हुए इस बात का प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में वक्फ की सम्पत्ति को किराए पर दिया जाना

8615. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 मार्च, 1984 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि राजधानी के विभिन्न भागों, विशेषकर दक्षिण दिल्ली के आलीशान इलाकों में दिल्ली वक्फ बोर्ड का करोड़ों रुपये की भूमि और अन्य सम्पत्ति किराए पर दी जा रही है

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी इकट्ठा की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ऐसी कोई जांच नहीं की गई है । किन्तु एक मामला जहां मस्जिद मोठ के पास वक्फ बोर्ड की भूमि पर एक बहुमंजिली भवन का निर्माण किया जा रहा है, दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निवारण शाखा को सौंप दिया गया है, और उसका अन्वेषण कार्य चल रहा है । तथापि, यह कहा जा सकता है कि दिल्ली प्रशासन ने भी इस बात का उल्लेख किया है कि उपराज्यपाल ने पूर्वतन दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह निदेश जारी किए थे कि वह दिल्ली के प्रशासक से पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना किसी भी रीति से किसी भी संपत्ति का अन्तरण न करें । वर्तमान वक्फ बोड को सलाह दी गई है कि वह इसके पूर्व कि उक्त निर्देशों के अधीन सम्पत्ति के अन्तरण पर निर्बधनों को समाप्त किया जा सके, वक्फ सम्पतियों को किराए पर देने के लिए नियम और मार्गदर्शक सिद्धांत बनाए ।

केरल में स्टाफ क्वार्टरों की मांग

8616. **श्री वी. एस. बिजयराघवन :**

श्री एम. एम. लारेंस : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सर्किल में कितने प्रतिशत कर्मचारियों के लिए स्टाफ क्वार्टरों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) उपलब्ध क्वार्टरों की कुल संख्या क्या है और कुल मांग कितनी है;

(ग) लक्ष्य को पूरा करने के लिए और कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है; और

(घ) क्या मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त धनराशि और भूमि उपलब्ध कराई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क)

	डाक		दूरसंचार	कुल
	7.25 प्रतिशत के लिए छठी योजना के दौरान 844 क्वार्टर		5 प्रतिशत के लिए छठी योजना के दौरान 741 क्वार्टर	1585
(ख)	उपलब्ध कुल क्वार्टर	387	312	699
	मांग	1500	812	2312
(ग)		593	500	1093

(घ) जी नहीं। छठी योजना में निधि की कमी के कारण इस मांग को केवल अगली योजना में ही पूरा किया जा सकेगा।

केरल के लिए केबलों का आबंटन

8617. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में बड़ी संख्या में पेड़-पौधों और नारियल के पेड़ों के कारण वहां अधिक केबलों की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो अधिक केबलों के आबंटन की मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो मांग पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) महाप्रबंधक, दूरसंचार, केरल सर्किल, त्रिवेन्द्रम द्वारा मांगे गये विभिन्न आकार एवं लम्बाई के केबिल उच्च प्राथमिकता के आधार पर आबंटित/सप्लाई किए जा रहे हैं :

पालघाट में हाई पावर ट्रांसमीटर की स्थापना

8618. **श्री वी. एस. विजयराघवन** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह मांग की गई है कि पालघाट केरल में प्रस्तावित टी. वी. केन्द्र हाई पावर ट्रांसमीशन केन्द्र होना चाहिये;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) हाई पावर ट्रांसमीशन केन्द्र पर कितनी अतिरिक्त धनराशिखर्च होगी और उससे कितने और अधिक क्षेत्र लाभान्वित होंगे; और

(घ) पालघट में हाई पावर ट्रांसमीशन स्थापित करने में यदि कोई कठिनाईयां है तो वे क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) एक शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर 270 लाख रुपए की लागत आती है तथा वह लगभग 125 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है, जबकि एक अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर पर 23 लाख रुपए की लागत आती है तथा वह लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है।

हाथ में ली गई स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर केरल के कुल 12 जिलों में से 11 जिलों में लगभग 77.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है। पालघाट जिले के बड़े भाग में दूरदर्शन सेवा पालघाट के प्रस्तावित अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर तथा कोचीन के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर से उपलब्ध होने की उम्मीद है। पालघाट में उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें इस सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

मैसर्स मोदी इन्डस्ट्रीज़ नेशनल स्टेन्डर्डज डकनस लिमिटेड और बोल्टाज़ लिमिटेड द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन

8619. **श्री ईरा मोहन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा मैसर्स मोदी इन्डस्ट्रीज, मैसर्स नेशनल स्टैन्डर्ड्स डकन्स लिमिटेड और मैसर्स बोलटाज लिमिटेड के बारे में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करने से संबंधित रिपोर्टों पर कार्यवाही की गई है; और

(ख) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा अभी ऐसे कितने मामलों की जांच की जा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने कम्पनी कार्य विभाग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 22 (3) (ख) के अन्तर्गत उसको निर्दिष्ट किये जाने पर मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज, मैसर्स नैशनल स्टेन्डर्ड डकन लिमिटेड और मैसर्स वोल्टाज लिमिटेड से एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्राप्त प्रस्तावों के सम्बन्ध में ये रिपोर्ट दे दी थीं। ये रिपोर्ट इस तरह से, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के उल्लघनों से सम्बद्ध नहीं थी और इस प्रकार से इन रिपोर्टों के आधार पर एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ख) आयोग के सामने इस प्रकार का कोई मामला अनिर्णीत नहीं है।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इसके सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देना

8620. **श्री भीखाभाई** . क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय/विभागों/उनके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों में "क" "ख" और "ग" श्रेणियों के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों सहित श्रेणीवार कुल कितने कर्मचारी है;

(ख) उनके मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों सहित अब तक कुल कितनी रिक्तियों बकाया चली आ रही है;

(ग) क्या यह सच है कि उनके नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रमों सहित उनके मंत्रालय/विभाग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है; और

(घ) बकाया चले आ रहे रिक्त पदों को भरने तथा अनुसूचित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व देने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) से (ग) 1 जनवरी, 1983 के दिन की स्थिति के अनुसार इसे मंत्रालय और इसके माध्यम एककों के कर्मचारियों की संख्या, आगे ले जाई गई पिछली रिक्तियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों को दिया गया श्रेणीवार प्रतिनिधित्व इस प्रकार है :—

समूह	पदों की कुल संख्या	पिछली रिक्तियों की संख्या	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के प्रतिनिधित्व की प्रतिशतता	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
"क"	1880	22	5.28	1.35
"ख"	3612	57	11.86	2.35
"ग"	11904	366	15.16	4.78

(घ) सरकार की घोषित नीति के अनुसार, 15 प्रतिशत पद अनुसूचित जातियों के लिए तथा $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत पद अनूसूचित जनजातियों के लिए अरक्षित होते हैं। पिछली रिक्तियों को 3 वर्ष तक के लिए आगे ले जाया जाता है। इस नीति के अनुसरण के, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाते हैं कि मंत्रालय में विभिन्न पदों ग्रेडों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण की लक्ष्य प्रतिशतता तथा वास्तविक प्रतिनिधित्व के बीच अन्तर यथासंभव कम से कम रहे।

पेट्रो-रसायन वस्तुओं के लिए इंडियन पेट्रो-कैमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड की एजेन्सियां/डीलरशिप

8621. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक पेट्रो-रसायन वस्तुओं के लिए फर्मों तथा अन्य व्यक्तियों को कितनी एजेन्सिया/ डीलरशिप प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक प्रतिशतता क्या है ।

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय, देश में, इण्डियन पेट्रो-कैमिकल्स कार्पोरेशन के पालिब्टाडीन रबड़ के 7 डीलर और प्लास्टिक्स के 44 वितरक हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नही होता ।

मध्य प्रदेश में गोबर गैस संयत्र

8622. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में 1980, 1981, 1982 और 1983 में खादी ग्रामोद्योग आयोग की फ्रैश योजना के अंतर्गत जिला-वार कुल कितने गोबर गैस संयंत्र लगाये गये;

(ख) क्या मध्य प्रदेश में सामुदायिक गोबर गैस संयन्त्र परियाजना अभी तक सफल नहीं हुई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस बारे में अब तक की उपलब्धि क्या है;

(ग) क्या सरकार का ध्यान सस्ते (1000 रुपये) सुवाह्य गोबर गैस संयन्त्र बनाने के लिये गुजरात में खोजी गई नई बायोगैस-तकनीक की ओर आकर्षित किया गया है; यदि हां, तो खादी ग्रामोद्योग निगम की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) क्या सरकार राजसहायता और बैंक ऋणों की वित्तीय दायित्व वहन करने के बजाये ग्रामीणों को पट्टे पर गोबर गैस सयन्त्र देने की एक नई योजना पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) : संदर्भाधीन अवधि के दौरान, मध्य प्रदेश में वर्ष 1980-81 से वर्ष 1982–83 के दौरान के वी.आई.सी. तकनीकी मार्गदर्शन के अधीन, मध्य प्रदेश में स्थापित कुल बायोगैस संयन्त्रों की संख्या निम्न प्रकार से हैं :—

वर्ष	लगाये गये बायोगैस संयन्त्रों की कुल संख्या
1890-81	210
1981-82	169
1982-83	105

इन वर्षों का जिलेवार ब्यौरा प्राप्त होने पर लोक सभा के पटल पर रख दिया जायेगा।

(ख) जी नहीं। मध्य प्रदेश में अब तक सामुदायिक/संस्थागत बायोगैस कार्यक्रम के अन्तर्गत 18 परियोजनाएं स्वीकृति की गई हैं। इन्दौर में एक परियोजना शुरू की गई है जो सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है।

(ग) जी हां। गुजरात में एक सस्ते और सफरी गोबर गैस संयन्त्र के विकास सूचना मिली है। के. वी. आई. सी. के पास अभीतक इस संयन्त्र के निष्पादन की सूचना नहीं है।

(घ) जी नहीं। वर्तमान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन वर्तमान योजना को वर्ष 1984-85 के दौरान जारी रखने का प्रस्ताव किया गया है।

फिल्म प्रभाग में चीफ प्रोड्यूसर के पद का भरा जाना

8623. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि फिल्म प्रभाग में चीफ प्रोड्यूसर का पद अप्रैल, 1983 से रिक्त पड़ा हुआ है;

(ख) क्या सरकार फिल्म प्रभाग के चीफ प्रोड्यूसर के पद पर किसी योग्य व्यक्ति को नियुक्त करने में समर्थ नहीं हुई है;

(ग) क्या इसके कारण फिल्म प्रभाग के प्रशासन और उत्पादन पर प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या वर्ष 1984-85 के लिए भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन के विशेष वृत्तचित्रों के लिए तदर्थ आधार पर एक सेवानिवृत्त व्यक्ति को प्रोड्यूसर के पद पर नियुक्त किया गया है;

(ङ) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 फरवरी, 1984 के "ब्लिट्ज" साप्ताहिक समाचार पत्र में "फिल्म डिवीजनल 2 करोड़ वाइअस" शीर्षक लेख की ओर दिलाया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (एच.के.एल. भगत): (क) और (ख) फिल्म प्रभाग में मुख्य निर्माता का पद अप्रैल, 1983 से रिक्त पड़ा है। भर्ती नियमों के अनुसार इस पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरा जाना होता है। इस बार रिक्त अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित बिन्दु पर हुई और उसको संघ लोक सेवा आयोग ने केवल अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से ही आवेदन पत्र मांगते हुए जनवरी, 1983 में विज्ञाप्ति किया था। तथापित, इस पद के लिए अनुसूचित जातियों का कोई भी अभ्यार्थी उपयुक्त नहीं पाया गया तथा संघ लोक सेवा आयोग ने जुलाई, 1983 में इस मंत्रालय को सलाह दी कि 6 माह की अवधि के बाद नया मांग पत्र उन्हें भेजा जाये। तदनुसार पद के लिए नया मांग पत्र संघ लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया और पद को 25 फरवरी, 1984 को पुनः विज्ञापित कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं मुख्य निर्माता के चालू कार्यों को फिल्म प्रभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा देखा जा रहा है।

(घ) भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की विशेष डाकुमेंट्री फिल्मों की देख रेख करने के लिये किसी भी सेवानिवृत व्यक्ति को निर्माता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है। तथापि, इन में से कुछ डाकुमेंट्री फिल्मों को फिल्म प्रभाग द्वारा एक सेवानिवृत मुख्य निर्माता, जिन्होंने इस प्रयोजन के लिये अपनी सेवा निःशुल्क प्रस्तुत की है, के पर्यवेक्षण में अपने कर्मचारियों की सहायता से बनाया जा रहा है।

(ङ) और (च) जी, हां। तथापि, यह तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं है तथा उसमें लगाये गए आरोपों में कोई सार नहीं है।

जमशेदपुर में बेतिया कैम्प के शरणार्थी परिवारों को पुनर्वास

8624. **श्री अजित बाग** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1977 से भी पहले से बेतिया कैम्प के 52 शरणार्थी परिवार जमशेदपुर में अभी भी पुनर्वास हेतु इन्तजार कर रहे हैं;

(ख) क्या जमशेदपुर में साम्प्रदायिक तनाव से उत्पन्न स्थिति में सुधार होते ही उनका जमशेदपुर में पुनर्वास करने का प्रस्ताव किया गया था;

(ग) क्या सरकार द्वारा शेष परिवारों को जमशेदपुर में बसाने के प्रयास किये जा रहे हैं चूंकि साम्प्रदायिक उपद्रवों से उत्पन्न स्थिति में इस बीच सुधार हुआ है;

(घ) क्या सरकार ने बेतिया कैम्प के बकाया परिवारों का जमशेदपुर में ही बसाने के प्रयास करने हेतु बिहार राज्य सरकार से आग्रह किया गया है;

(ङ) क्या यह सच है कि इन शरणार्थियों के पुनर्वास हेतु भूमि अर्जित कर ली गई है;

(च) क्या जमशेदपुर में पहले से ही विस्थापित 25 परिवारों से रहन-सहन की शोचनीय परिस्थितियों के होने के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(छ) यदि हाँ, तो परिस्थितियों में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) राज्य सरकार के परामर्श से यह निर्णय किया गया है कि इन परिवारों को पुनर्वास के लिये जमशेदपुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर भेज दिया जाये।

(ङ) इन प्रवासियों के पुनर्वास के लिए स्थलों का चयन राज्य सरकार ने करना है।

(च) और (छ) इन परिवारों की शिकायतों की जांच करने और अनुमोदित पेटर्न के अनुसार आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसीन की कीमत में वृद्धि

8625. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एण्टीबायोट्रिक्स लि० ने सरकारी निर्देशों की अवहेलना करके क्षयरोग निरोधी औषध—स्ट्रेप्टोमाइसिन की कीमतों में वृद्धि कर दी है,

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) मूल्यों को कम करने लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) जी नहीं; मैं हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि० टी.बी. के इलाज में प्रयुक्त वल्क स्ट्रेप्टोमाइसिन एवं स्ट्रेप्टोमासिन इंजेक्शन का विक्रय उन मूल्यों पर कर रहे हैं जो सरकार द्वारा निर्धारित अधिकत्तम मूल्य से अधिक नहीं है।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० द्वारा औषधियों का उत्पादन

8626. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स में कदाचार और भारी अनियमितताओं के समाचार प्राप्त हुए हैं,

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी के प्रबन्धकों द्वारा करोड़ों रुपये के सरकारी धन की बर्बादी की जाती है;

(ग) क्या कम्पनी के विभिन्न एकक अपनी पूर्ण क्षमता के अनुसार कार्य नहीं कर रहें हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी कारणक्या है, और

(ङ) अधिष्ठापित क्षमता सहित निम्नलिखित औषधियों के मार्च, 1981 से अब तक के के उत्पादन का ब्यौरा क्या है (एक) पेंसीलीन (दो) स्ट्रेप्टोमाइसिन (तीन) एम्पीसीलीन और (चार) विटामीन (सी)

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार को कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) न्यूमाइसिन संयन्त्र, जेंटामाइसिन संयन्त्र, एम्पिसिलिन संयन्त्र तथा विटामिन "सी" संयन्त्र के कार्यकरण के सम्बन्ध में सूचना क्रमश: लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 7790, 7920,7921 तथा 922 दिनांक 17 अप्रैल, 1984 को दी गई थी।

हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० के प्रबन्धकों के अनुसार पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एम्पिसिलिन और विटामिन सी का उत्पादन 1980-81, 1981-82 और 1982-83 में निम्न प्रकार था—

मद	इकाई	1980-81	1981-82	1982–83
पेनिसिलिन प्रथम क्रिस्टल	एम.एम.यू.	134.99	140.15	102.52
बल्क	,,	90.65	83.86	68 52
स्ट्रेप्टोमाइसिन	एम.टी.	91.01	107.54	120.12
एम्पिसिलिन	,,	7.01	5.89	14.59
बिटामिन सी		27.55	1.74	शून्य

1982-83 में पेंसिलिन का उत्पादन कम था क्यों कि पेंसिलिन व्यवसाय के लिए उसकी मांग स्थिर रही और 6 ए.पी.ए. के उत्पादन के लिए पेंसिलिन की मांग में अभी तेजी आनी थी।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० का विस्तार कार्य गैर-सरकारी परामर्शदाताओं द्वारा कराया जाना

8527. **श्री राम कृष्ण मोरे :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० के प्रबन्धक अपने संयंत्र का विस्तार कार्य भारी फीस दे कर गैर सरकारी परामर्शदाताओं से करवाते हैं जबकि उनके अपने प्रशिक्षित और अनुभवी कर्मचारी खाली बैठे रहते हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं,

(ग) कम्पनी में कुप्रबन्ध और उसे हो रहे भारी घाटे के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इसके कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहें हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० (एच.ए.एल.) के प्रबन्ध मंडल के मतानुसार कंपनी के पास पूर्णतया व्यावसायिक परामर्शी इन्जीनियरिंग दल नहीं है इसलिए, कम्पनी ने अपने विस्तार कार्यक्रमों और फार्मूलेशन संयन्त्र II के लिए बाहरी परामर्शदाताओं अर्थात् फैक्ट इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन आर्गेनाइजेशन (एक सार्वजनिक क्षेत्रीय संगठन) की सेवाएं प्राप्त की। इन संगठनों को अदा किया गया परामर्शी शुल्क परियोजना लागतों के 2.5 प्रतिशत से कम है।

(ग) और (घ) भारी संचयी नकद हानियों की स्थिति से निपटने के लिए एच.ए.एल. के पूंजी की पुनः संरचना की गई है।

एच.ए.एल. सहित सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध कम्पनियों के कार्य निम्न पर निष्पादघ पर नियमित रूप से निगरानी रखी जा रही है ताकि उन क्षेत्रों की शिनाख्त की जा सके जहां सुधार किए जा सकते हैं।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसीन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिक आयात

8628. **श्री राम कृष्ण मोरे :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि० ने देश में स्टेप्टोमाइसिन के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी का आयात किया है यद्यपि इसके लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है,

(ग) क्या उक्त कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक ने प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अनेक देशों का दौरा किया, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० (एच.ए.एल.) को स्ट्रेप्टोमाइसिन संयन्त्र 1962 में मेसर्स मर्क एण्ड कम्पनी, यू.एस.ए द्वारा आपूर्ति की गई प्रौद्योगिकी से स्थापित किया गया था। उस समय स्वदेशी प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं थी।

(ग) और (घ) स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए बेहतर प्रौद्योगिकी प्राप्त करने हेतु एच.ए.एल. के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध दिदेशक ने मई, 1983 में चीन का दौरा किया। कम्पनी चीन से स्ट्रेप्टोमाइसिन की प्रौद्योगिकी को आयात करने की सम्भावना की जांच कर रही है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में कम विकास दर

8629. **श्री बी.वी. देसाई** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1970 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कम विकास की दर के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ द्वारा इसका उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम से बड़ी कम्पनियां हतोत्साहित हुई हैं और जटिल प्रक्रिया के कारण बिलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हाँ, तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल संघ ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में कोई परिवर्तन करने की माँग की है;

(ङ) यदि हाँ तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सुझाव स्वीकार कर लिए हैं; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 1970 से भारतीय अर्थ व्यवस्था में उत्प्लावनता और वृद्धि दिखलाई दी हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण पर निगरानी रखना है तथा वृद्धि में अवरोध पैदा नहीं करना है।

(ख) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल द्वारा दिए गये इस प्रकार के किसी भी वक्तव्य की सरकार को जानकारी नहीं है।

(ग) सिवाय तथ्य के कि बड़ी कम्पनियों से प्राप्त प्रस्ताव जिससे सामान्य जनहितकारी आर्थिक शक्ति के संकेन्द्रण में वृद्धि होने की सम्भावना हो, को सामान्यत: हतोत्सहित किया जाता है, और माननीय सदस्य द्वारा दिए गये अन्य सुझाव एवं धारणायें सही नहीं हैं।

(घ) और (च) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल ने सुझाव दिया है कि एका-अधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21 और 22 विलम्ब होता है और कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है और इसको अधिनियम से निकाल दिया जाना चाहिए उपरोक्त कारणों के लिये भारतीय वाणिज्य और उद्योग मण्डल के ये सुझाव स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर लि० को सुफला अमोनिया और मेथनेल संयत्रों की पुर्नस्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी योजना

8630. **श्री. बी. बी. देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के उपक्रम राष्ट्रीय केमिकल्स और फर्टिलाइजर लि. चैम्बूर, ने सुगमता, अमोनिया और मेथनेल संयत्रों की पुर्नस्थापना और आधुनिकीकरण के लिए एक 83.82 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका मूल उद्देश्य पुराने संयंत्रों के कार्य निष्पादन को बनाये रखने के लिए उनकी पुर्नस्थापना है ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्रियान्वयन के बारे में अंतिम निर्णय कब तक किया जायेगा।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) सरकार, सल्फा संयंत्र की पुन: स्थापना की योजना को अनुमोदित कर चुकी है और इस पर कार्य प्रारम्भ हो गया है।

मेथनोल संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार की योजना विचाराधीन है।

रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिये प्रस्ताव

8631. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने कोयला विभाग के 3 X 20 मेघावाट के रक्षित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है ;

(ख) यदि हां तो यह प्रस्ताव, जो पिछले तीन वर्षों से लम्बित था, अलाभकारी और बहुत अधिक पूंजी निवेश वाला पाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या रक्षित एककों को चालू करने पर लगभग 100 करोड़ रुपये की कुल लागत आने का अनुमान है ;

(घ) क्या कोयला विभाग ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और सेन्ट्रल लिमिटेड कोलफील्ड्स की कोयला खानों के लिए बड़े आकार के एककों का सुझाव दिया है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव को अस्वीकार करने के मुख्य कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी नहीं कोल इंडिया लि. के क्षेत्रों के लिए 2 X 10 मे. वा. के तीन ग्रहीत बिजली घरों की स्थापना के प्रस्ताव का संबंधित एजेंसियां मूल्यांकन कर रही हैं।

(ग) इन बिजली घरों के लिए वर्तमान लागत अनुमान लगभग रु. 130 करोड़ है।

(घ) इन बिजली घरों के अलावा, कोल इंडिया लि. बड़े ग्रहीत बिजली संयंत्रों की की स्थापना के लिए भी साध्यता की जांच कर रहा है ;

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

एस. टी. डी. टेलीफोन के बिलों के गलत मीटर किये जाने की शिकायतें

8632. **प्रो. पी. जे. कुरियन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एस. टी. डी. टेलीफोन बिलों के गलत मीटर किये जाने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं ;

(ख) टेलीफोन प्रयोक्ताओं की इस आशंका को कि इन बिलों में एक्सचेंज स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) टेलीफन प्रयोक्ताओं को टेलीफोन कर्मचारियों द्वारा उनके टेलीफोनों में छेड़छाड़ किये जाने के कारण ही अधिक राशि के बिल भेजे जाने को रोकने के लिये 1984 में क्या नवीनतम सतर्कता उपाय किये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) फालतू राशि के बिल संबंधी कुछ शिकायतें हमें मिलती हैं किन्तु बड़ी संख्या में जारी किये जाने वाले बिलों की तुलना में इनकी संख्या काफी कम है।

(ख) और (ग) एक्सचेंज स्तर पर एस टी डी सुविधाओं के दुरुपयोग का पता लगाने व उसे समाप्त करने के उद्देश्य से निम्न लिखित कदम उठाए जा रहे हैं:—

(एक) भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज में लगे हुए उपभोक्ताओं के मीटरों को सील लगाने तथा अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए मीटर कक्ष को ताला लगाने की हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

(दो) अनधिकृत व्यक्तियों का मुख्य वितरण प्रेस कक्ष में प्रवेश निषध कर दिया गया है ताकि मीटर के तारों को काटने की संभावना से बचा जा सके।

(तीन) मीटरों सम्बद्ध लाइनों व उपस्करों की आकस्मिक जाँच करने के प्रयोजन से महानगरीय जिलों में उड़ेन दस्तावेज का गठन किया गया है ।

(चार) निरीक्षण में कड़ाई बरती जा रही है। बाह्य प्लांट में एस टी डी सुविधाओं के दुरुपयोग की संभावनाओं से बचने की पुष्टि से निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा रही है :—

(एक) वितरक प्लांटों को ऊंचा उठाया जा रहा है तालबंद किया जा रहा है ।

(दो) केबिनेटों एवं पिलरों को ताला लगाया जा रहा है।

(तीन) लाइनों के अधिकृत दिशा परिवर्तन को संक्षेप अपराध बनाने के लिए भारतीय तार अधिनियम की धारा 25 में उपयुक्त संशोधन किया जा रहा है। 1983 में कोई नए उपाय नहीं किए गए हैं अपितु मौजूदा उपायों पर अमल करने पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है ।

अभ्रक खान, लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर और डोलोमाइट और बीड़ी कल्याण संगठनों में "ग" श्रेणी के कुछ पदों में पदोन्नति के अवसर न होना

8633. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी कल्याण संस्थानों अर्थात अभ्रक खानों, लोह अयस्क अभ्रक अयस्क, चूना पत्थर और डोलमाइट खानों और बीड़ी कल्याण संगठनों में "ग" श्रेणी के कुछ ऐसे पद हैं, जिनमे पदोन्नति के अवसर नहीं हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन पदों के नाम क्या है ; उनका वेतन मान क्या है तथा इन पदों पर कितने कर्मचारी कार्यकर रहे हैं ;

(ग) ऐसे कर्मचारी को, जो 15 वर्षों से बिना किसी पदोन्नति के कार्य कर रहे हैं या वेतन मान की अधिकतम सीमा पर रुके पड़े हैं, राहत प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ; और

(घ) कर्मचारियों में फैली निराशा को दूर करने के लिए सरकार का विचार तुरन्त कार्यवाही करने का है ;

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें पदों के नाम, वेतनमान और ऐसे पदों में काम कर रहे व्यक्तियों की संख्या दिखाई गई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार ऐसे कर्मचारियों को राहत दी जा रही है ।

(घ) वर्तमान भर्ती नियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ताकि ऐसे कर्मचारयों के लिए बेहतर पदोन्नति अवसर प्रदान किए जा सकें ।

विवरण

क्रमांक	पद का नाम	वेतनमान	पदों संख्या
1	2	3	4
1.	सिस्टर इन चार्ज	550-750/- रु·	3
2.	सहायक सचिव	550-900/- रु.	1
3.	हैड मास्टर	440-750/-रु.	2
4.	आशूलिपिक	425-700/- रु.	8
5.	हिन्दी अनुवादक	425-700/- रु.	1
6.	वैद्य	425-740/- रु.	29
7.	प्रयोगशाला तकनीशियन	380-560/- रु.	7
8.	मैकेनिक	380-560/- रु.	1
9.	फार्मेस्टिक	330-560/- रु	80
10.	लेडी हैल्थ विजीटर	330-560/- रु.	3
11.	फील्ड वर्कर	330-560/- रु.	4
12.	रेडियोग्राफर	330-560/- रु.	3
13.	सहायक पुस्तकाध्यक्ष	330-560/- रु.	1
14.	एक्स-रे-तकनिशयन	330-560/- रु.	4
15.	सिनेमा आपरेटर	330-480/- रु.	15
16.	होस्टलवार्डन	260-400/- रु.	1
17.	लेडी सोशल वर्कर	260-400/- रु.	5
18.	मेम्स सुपरवाइजर	260-400/- रु.	5
19.	प्रयोगशाला सहायक	260-400/- रु.	5
20.	व्यस्क शिक्षा प्रशिक्षक	260-400/- रु.	2

1	2	3	4
21.	बिजली मिस्त्री	260-350/ रु.	3
22.	पलम्बर	260-350/ रु.	1
23.	ड्राइवर	260–350/ रु.	127
24.	ड्राइवर व सिनेमा आपरेटर	260–550/ रु.	6
25.	मिड-वाइफ	260-350/- रु.	21
26.	पम्प ड्राइवर	260-350- रु.	2
27.	स्टोर कीपर	260-400/- रु.	1
28.	केयरटेकर	260-400/-रु.	2

निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए राज्यों को धन का आवंटन

8634. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन :**

श्री ईरा मोहन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्धनों को विधिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1983-84 में राज्यों की राज्यावार कितनी रकम आबंटित की है ; और

(ख) प्रत्येक राज्य ने कितनी रकम व्यय की है ; और

(ग) ग्रामीण, विशेषकर अनुसूचित जातियों और असुसूचित जन-जातियों और कमजोर वर्गों को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) केन्द्रीय सरकार विधिक सहायता देने के लिए राज्यों को कोई रकमें आबंटित नहीं करती। फिर भी, विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति की सिफारिशों पर, केन्द्रीय सरकार राज्यों के विधिक सहायता और सलाह बोर्डों की तथा विधिक सहायता देने के लिए और अन्य संबद्ध विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अन्य संस्थानों की भी सहायता अनुदान देती है। इसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और वह सदन के समक्ष रख दी जाएगी।

(ग) विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति द्वारा बनाई गई आदर्श स्कीम के अनुसार, जिसके पेटर्न पर राज्यों से स्कीमें बनाने की अपेक्षा की जाती है, निःशुल्क विधिक

सहायता और सेवाएं उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जिनकी सभी स्त्रोतों से आय 6,000/- रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं है। यह स्कीम ग्रामीण और नगरीय क्षेत्र के रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान रूप से लागू होती हैं। महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की बाबत, निःशुल्क विधिक सहायता का पात्र होने के लिए आय की कोई सीमा नहीं है। एकीकृत विकास कार्यक्रम के अधीन, विधिक सहायता देने में कमजोर वर्गों के हितों पर भी विचार किया जाता है।

विवरण

1983-84 के दौरान राज्य सरकारों, आदि को दिये गये सहायता अनुदान के ब्यौरे दर्शित करने वाला विवरण।

क्रम सं०	संस्था/राज्य विधिक सहायता बोर्ड, आदि का नाम	अनुदान की रकम (रुपए)	प्रयोजन
1	2	3	4
1.	गवर्नमेंट लां कालेज, पांडिचेरी	20,000/—	विधिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन
2.	नागालैण्ड सरकार, कोहिमा	1,00,000/—	विधिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वियन जिसके अन्तर्गत राज्य में विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना करना भी है
3.	उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति	3,84,000/—	उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में विधिक सहायता देने के लिये
4.	दिल्ली विधिक सहायता और सलाह3, बोर्ड	74,000/—	दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में विधिक सहायता कार्यक्रम
5.	जिला विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, मैसूर	3,500/—	विधिक सहायता कैम्पों का आयोजन
6.	विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला	2,000/—	किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में विधिक सहायता कैम्प का आयोजन

1	2	3	4
7.	महाराष्ट्र राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	50,000/—	महाराष्ट्र राज्य के दस महाविद्यालयों में विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना पर होने वाले खर्चे की 50 प्रतिशत पूर्ति करने के लिये
8.	गवर्नमेंट आर्ट्स कालेज, अलवर (राजस्थान)	10,000/—	विधिक सहायता कैम्प, पेम्पलेटों का प्रकाशन और विधिक साक्षरता कार्यक्रम
9.	सिक्किम राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, गंगटोक (सिक्किम)	7,500/—	विधिक सहायता कैम्पों का आयोजन
10.	राजस्थान राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान)	1,000/—	"स्थान और किराया नियंत्रण अधिनियम" नामक पेम्पलेट की लगभग 1100 प्रतियों के प्रकाशन के लिए
11.	जम्मू-कश्मीर विधिक सहायता समिति	30,000/—	जम्मू-कश्मीर राज्य में विधिक सहायता क्लिनिकों की स्थापना
12.	श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय विधि स्नातकोत्तर विभाग, विधि संकाय, तिरुपति (आंध्र प्रदेश	5.000/—	विधिक सहायता क्लिनिक कार्यक्रम
13.	गवर्नमेंट लां कालेज, कालीकट (केरल)	6,000/—	विधिक सहायता क्लिनिक कार्यक्रम
14.	विधि विभाग, जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय, जम्मू (तवी)	10,000/—	विधिक सहायता केन्द्र चलाने के लिये
15.	विधि विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश)	10,000/—	विधि विभाग में विधिक सहायता क्लिनिक
16.	गोवा, दमण और दीव सरकार, पणजी (गोवा)	25,000/—	गोवा, दमण और दीव संघ राज्यक्षेत्र में विधिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

1	2	3	4
17.	मेघालय राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, शिलांग (असम)	75,000/—	मेघालय राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन
18.	उड़ीसा विधिक सहायता और सलाह बोर्ड, कटक	1,00,000/—	विभिन्न विधिक सहायता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन
19.	तमिलनाडु विधिक सहायता और सलाह बोर्ड	1,00,000/—	विधिक सहायता कैम्पों का आयोजन
20.	केरल विधिक सहायत सोसाइटी, केरल उच्च न्यायालय, कोचिन	50,000/—	केरल राज्य में विधिक सहायता कार्यक्रम का कार्यान्वयन

बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

8635. **श्री वृद्धि चन्द जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों व विशेषकर राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में अत्यधिक गर्मी के कारण अधिक तापमान और तेज हवाओं के चलने से मशीनों में रेत घुस जाने के कारण टेलीफोन एक्सचेज प्राय: खराब पड़े रहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में एलेक्ट्रानिक एक्सचेंज न लगाने के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) देश में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजी की कमी के कारण इस समय बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर में इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित करना फिलहाल सम्भव नहीं होगा।

राजस्थान में बाड़मेर-जोधपुर एक्सियल केबल परियोजना

8636. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान की बाड़मेर-जोधपुर को एक्सियल केबल परियोजना में अब तक कितनी प्रगति हुई है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त परियोजना का कार्य किस निश्चित तिथि तक पूरा हो जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) योजना को मंजूरी दे दी गई है और उपस्कर तथा संस्थापना सामग्री के लिए आदेश दे दिए गए हैं।

(ख) योजना के वर्ष 1988-89 में चालू हो जाने की सम्भावना है।

गोहाटी तेल शोधक कारखानों की तेल टंकी का फटना

8637. **श्री विलास मुत्तेमवार :**

श्री राम लाल राही : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 मार्च, 1984 के "नवभारत टाइम्स" के पृष्ठ पांच पर "तेल की टंकी फटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रम गोहाटी "तेल शोधक की तेल टंकी" फटने से कितना नुकसान हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं;

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई हैं; और

(ङ) क्या ऐसी दुर्घटना पहले भी हुई है और यदि हां, तो कब और उसके क्या कारण थे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) जी हां। गोहाटी रिफाइनरी में स्थित गैसोलीन टैंक संख्या 10 में 4 मार्च, 1984 को रिसाव हो गया था। तथापि, 546 मी० टन मोटर स्प्रिट उत्पादन की शुद्ध हानि हुई थी जिसका मूल्य 12.04 लाख रुपये था।

(ग) और (घ) टैंक में रिसाव धातु में जंग लगने के कारण कट जाने से हुआ था। इसके लिये किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता।

(ङ) जी नहीं।

भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड और हिमाचल प्रदेश द्वारा पुल की लागत को आपस में बांटना

8638. **प्रो. नारायण चन्द पराशर : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार अथवा उस राज्य के जनता के प्रतिनिधियों ने भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड से बिलासपुर और ऊना जिलों के विभिन्न भागों में 6 पुलों जिनकी आवश्यकता हिमाचल प्रदेश की भूमि पर भाखड़ा बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप गोविंद सागर झील बनाने के कारण हुई लागत को आपस में बांटने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड और केन्द्रीय सरकार ने इन पुलों के निर्माण को किस सीमा तक वित्त पोषित करने का निर्णय किया है और इस सम्बन्ध में हिस्से के रूप में कुल कितनी राशि दी है;

(ग) यदि नहीं, तो भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड और केन्द्रीय सरकार द्वारा उस क्षेत्र जहां पर पड़ोसी राज्यों को सिंचाई और विद्युत उपलब्ध कराने के कारण विपरीत प्रभाव पड़ा, में रहने वाले लोगों के प्रति अपने दायित्व के निर्वाह के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) जी हां। छः पुलों में से (1) देहर में पुल (2) अलही खंड पर पुल (3) भाजवानी पर पुल की लागत के बंटवारे से संबंधित प्रस्तावों की भाखड़ा ब्यास प्रबन्ध बोर्ड द्वारा जाँच की गई थी। शेष तीन पुलों के बारे में पूर्ण ब्यौरे अभी बी.बी.एम.बी को प्राप्त नहीं हुये हैं।

भारत सरकार, परिवहन मंत्रालय द्वारा गठित अन्तर्विभागीय दल द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार प्रतिस्थापन/एवर्ज पुलों का जलाशय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर बी.बी.एम.बी के खचे पर पहले ही निर्माण किया चा चुका है। बी.बी एम.बी. के भागीदार राज्य नये पुलों के निर्माण लागत को बांटने के लिये सहमत नहीं है क्योंकि वे समझते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है। ऊर्जा मन्त्रालय द्वारा व्यय पूरा करने की भी कोई सम्भावना नहीं है।

गैस पर आधारित ताप बिजली घर

8619. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार गुजरात राज्य बिजली बोर्ड की इच्छा अनुसार गैस पर आधारित कुछ ताप बिजलीघर स्थापित करने के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों में इस प्रकार के ऊर्जा सयंत्र लगाने के बारे में विचार न करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) कवास में 273.67 करोड़ रु. की अनुमानित लागत पर 3X180 मेगावाट गैस पर आधारित संयुक्त साईकिल पैकेज योजना के लिए गुजरात बिजली बोर्ड से एक प्रस्ताव तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है। इस परियोजना के लिए गैस की सुनिश्चित उपलब्धता अभी तक निर्धारित नहीं हो पाई है। आवश्यक निवेश सुनिश्चित हो जाने के बाद ही यह परियोजना केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा सकती है।

(ग) राजस्थान में रामगढ़ में गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना (1X3 मेगावाट) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है। सवाई माधोपुर और बांसवाड़ा में 400-400 मेगावाट के गैस पर आधारित दो ताप विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापना के लिए राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने भी हाल ही में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिये परियोजना स्कीमें प्रस्तुत की हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से गैस पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के भोपाल सर्कल कार्यालय द्वारा कला चित्रों का प्रदर्शन

8640 श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूचना और प्रसारण मंत्रालय भोपाल सर्कल कार्यालय ने 1983-84 के दौरान कितनी वृत्त और कथा चित्रों का प्रदर्शन किया;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कार्यक्रमों में विदिशा रायसेन और सिहोर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न कार्यक्रमों का गांव-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 1983-84 के दौरान क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय की भोपाल यूनिट ने बारी-बारी से आठ फीचर फिल्में तथा 8 डाकुमेंट्री फिल्में प्रदर्शित की ।

(ख) सूचना संलग्न विवरण—1 में दी गई है।

(ग) जी हां ।

(घ) सूचना संलग्न विवरण—2 में दी गई है।

क—फीचर फिल्में

क्रम संख्या	फिल्म का नाम
1.	आनन्द
2.	सात हिन्दुस्तानी
3.	शहीद
4.	पहला कदम
5.	आंख का तारा
6.	चुपके चुपके
7.	पुनर्मिलन
8.	नया दौर

ख—डाकुमेंटरी फिल्में

1. साबरमती संत
2. एशियार्ड I टु V
3. भाग्य की रेखा
4. ए प्रोग्राम फार प्रोग्रेस
5. लेसन फ्राम लाइफ
6. सपना
7. मैगनीफिसियंट मेमोरीज
8. पारवती
9. रायदास
10. बीट टी० बी०
11. सिम्फोनी आफ इंडस्ट्रियल स्ट्रगल
12. डाक्टर्स एडवाइस
13. रामू की कहानी
14. लूसी परिवार
15. स्वास्थ्य का संदेश
16. बोटल्ड कैन्निबलुस
17. अंधेरे से उजाले में
18. सहारा (भाग 1 और 2)
19. एक दुल्हन की मौत
20. कल उदास न होगी
21. सुबह का भूला
22. न्यू ट्रिशन फार बैटर हैल्थ
23. एन एक्सीडेंट
24. कंचन गंगा
25. मैगनीज नं० 11

26. कमिंग क्राईसिस

27. कम्रोस

28. ड्राई लीव्ज

29. वाइल्ड लाइफ

30, डा. मोहम्मद इकबाल

31. तिस्ता के किनारे किनारे

32. खुद जियो औरों को भी जीने दो

33. संगत

34. जादू का शंख

35. फिजीकल्ली फिट

36. ट्रेडीशन आफ आनर

37. ए लिटिल थाट

38. रूरल इंडिया

39. अवर ओन हाउस

40 मिजां गालिब

41 सेव ग्रेन

42. एट लास्ट

43. रैट्स

44. न्यूज मैगजीन नं० 16

45. टु वाट एण्ड

46. भाई भाई

47. दारूल उलूम

48. अपने हाथ जगन्नाथ

49. राधा कृष्ण

50. हीमेज टु टीचर

51 कथकली

52. मूटान रोड

53. दिस माई लैंड

54. प्रायश्चित

55. ब्राइट कैरियर

56. कचरा मत फेंको

57. जीवन ज्योति

58. परोपकार

59. दारू जहर है

60. एस० एल० बी० 3

61. वर्ल्ड विद विंग्स

62. हिज मेमोरी वी चेरिस

63. लैपरोसी

64. फोर मिनट्स

65. बात मेरी मानो जी

66. मुरझाई कलियां

67. नेहरू एंड हिज विजन

68. चन्द्र शेखर आजाद

69. रेस विद डे

70. दो भाई

71. योर च्वाइस

72. बाप रे बाप

73. फोक डांसिस आफ गोवा

74. मददगार

75. काल आफ दी विगुल

76.	इंडिया
77.	नेताजी सुभाष चंद्र बोस
78.	शेर और खरगोश
79.	दहेज एक कलंक
80.	मीना
81.	गांव का रास्ता
82.	कमली
83.	इंडिया इंडिया

विवरण-2

विभिन्न कार्यक्रमों का गांव-वार ब्यौरा

क्रम संख्या	गांव का नाम	फिल्म शो
1	2	3
	विदिशा जिला	
1.	चिदोलिया	5
2.	हंशा	1
3.	गारोट	1
4.	मूण्ड्रा	1
5.	बरेथ	1
6.	फतेहपुर	1
7.	जुगाईचक	1
8.	जोरोड	1
9.	मुडेरा	1
10.	मुरादपुर	1
11.	उदयपुरा (मेला)	1

1	2	3
12.	कुरबेचोक (श्रीनगर)	1
13.	फतेहपुर	1
14.	जुगाई चौक	1
15.	ग्रमघाना	1
16.	चंदा घाना	1
	2. रायसेन जिला	1
1.	पंचमा	1
2.	दुगानिया	1
3.	राजवाड़ा	1
4.	थला बमौरी	1
5.	छिन्द	1
6.	होशियारी	1
7.	गुदावल	1
8.	खुशीयारी	1
9.	रायसेन	4 (वि.दू.प्र.नि. प्रदर्शनियां 5 (ए.ए.पी.पी.)
10.	ग्रमरावती	1
11.	पठारी तायरे	1
12.	परमेश्वर	1
13.	ग्रोब्दुल्लागंज	1
14.	ग्रंकलपुर	3
15.	सिनोतिया	1
16.	पिपरिया गुन्ज	1
17.	नारोदा	2
18.	देवसिया	2
19.	दहोद	1

1	2	3
20.	मंडीदीप	1
21.	मिश्रौद	1
22.	सेमरा (मेला)	4
23.	खरजोरपुर	1
24.	पुरापिपलिया	1
25.	दीवानगंज	1
26.	सिलवानी	—
27.	चिचौली	—
28.	मुवई	—
29.	सैलेरा	—
30.	मानपुर	—
	3. सेहोर जिला	
1.	नसरूल्लागंज	1
2.	बासदेव (मेला)	3
3.	गिल्लौर	1
4.	इटावा	1
5.	बुधनी	2
6.	फूटी बौदी	1
7.	खजुरिया	1
8.	आश्ता (प्रदर्शनी)	6
9.	पिपलिया	1
10.	सेमरी (मेला)	4
11.	रेहती (मेला)	2
12.	बोरी गांव	1
13.	रतवपुर	1

1	2	3
14.	सलकनपुर मेला	3
15.	केलेराम	1
16.	नदन	1
17.	गुरादिया	1
18.	अलीपुर	1
19.	कोल्हुखेरी	1
20.	बीरपुर	1
21.	अलसगुता	1
22.	सेहोर	—

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले गए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

8641. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये हैं;

(ख) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान 31-7-1983 तक 330 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गए हैं।

(ख) योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए कोई संख्यात्मक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। नये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का कार्य राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की परिधि से आता है। यह मंत्रालय आई. टी. आई. को सम्बन्धन प्रदान करने और प्रशिक्षण मानक निर्धारित करने में सम्बन्धित हैं।

(ग) उत्तर के उपर्युक्त भाग (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश के जिलों में नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए प्रतीक्षा सूची

8642. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, ग्वालियर, रायपुर, बिलासपुर, उज्जैन, सागर और सतना जिलों में नए टेलीफोन कनेक्शन के लिए, अलग-अलग कितने लोग प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) इन प्रतीक्षा सूचियों में लोगों को नये टेलीफोन कनेक्शन कब तक दे दिए जाएंगे; और

(ग) क्या उपरोक्त नगरों के लिए टेलीफोन एक्सचेंज विस्तार योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) इन शहरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की संख्या 31-3-1984 को इस प्रकार थी :—

भोपाल	2,982
इन्दौर	8 425
जबलपुर	1,729
ग्वालियर	1,170
रायपुर	1,947
बिलासपुर	497
उज्जैन	837
सागर	237
सतना	225

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तरोत्तर रूप से निपटाने का प्रस्ताव है ।

(ग) जी हां ।

भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

8643. श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भी भागीदार बनाने की व्यवस्था लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो किस तारीख से;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) इण्डियन आयल कारपोरेशन ने निरन्तर शिक्षण के लिए राष्ट्रीय उत्पादिकता परिषद और सरकारी उद्यम केन्द्र के परामर्श से विस्तृत कार्रवाई योजनाएं तैयार की हैं और इसके द्वारा अप्रैल, 1984 के अन्त से प्रारंभिक कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तेल की खोज से सम्बन्धित उपकरणों का देश में निर्माण करने सम्बन्धी कार्यक्रम

8644. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज से सम्बन्धित उपकरणों का आयात, जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, कम करने के उद्देश्य से ऐसे उपकरणों का देश में निर्माण करने संबंधी कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो देश में यह कार्यक्रम कब शुरू किया है;

(ग) इस कार्यक्रम को शुरू करने से अब तक आयात-विकल्प का प्रयोग करने के परिणाम-स्वरूप कितनी धनराशि की बचत हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) तेल क्षेत्र के उपकरणों तथा सेवाओं के स्वदेशीकरण के कुछ समय से प्रयास किए जा रहे थे परन्तु 1983 में विशेष रूप से इस प्रयोजन के लिए सचिवों की आधकार प्राप्त समिति का गठन किये जाने पर हाल ही में इन प्रयासों को तेज किया गया था।

(ग) और (घ) उपकरणों की कुछ प्रमुख मदें जिनके लिए स्वदेशी स्रोतों का पहले ही आर्डर दे दिये गए हैं इस प्रकार हैं : अपतटीय प्लेटफार्म, अपतटीय जैक अप रिग, ड्रिलशिप, ओ. एच. पी., एम. एस. वी. तटीय रिग इत्यादि। इससे तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 1982-83 के दौरान 153 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हुई थी।

तेल की खोज के लिये एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार

8645. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने देश में तेल की खोज के लिए एक फ्रांसीसी फर्म के साथ करार किया है;

(ख) यदि हां, तो फ्रांसीसी सहायता से देश में तेल की खोज के लिए किन क्षेत्रों को चुना गया है;

(ग) देश में फ्रांसीसी सहायता से तेल की खोज का कार्य कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) जी हां। आयल इण्डिया लिमिटेड (ओ आई एल) ने राजस्थान में भू-कम्पीय सर्वेक्षण करने के लिए फ्रांस की एक कंपनी कोम्पेनी जनरेली डी जिओफिजिक (सी जी सी) के साथ एक संविदा पर हस्ताक्षर किए हैं। संविदा में इस प्रकार व्यवस्था की गई है (क) आंकड़ों के अधिग्रहण के लिये भू–कम्पीय सर्वेक्षण करना, (ख) भू-कम्पीय आंकड़ों का संसाधन, तथा (ग) भू-कम्पीय आंकड़ों की प्रारंभिक व्याख्या। इस संविदा के विदेशी मुद्रा अंश के लिए भारत सरकार तथा फ्रांस की सरकार के बीच इंडो-फ्रेंच वित्तीय संलेख के अधीन वित्त व्यवस्था की जायेगी। इस संविदा के अधीन भू-कम्पीय सर्वेक्षण कार्य जुलाई/अगस्त, 1984 में आरंभ होने की आशा है और यह कार्य लगभग 22 महीनों की अवधि में बड़े थार रेगिस्तान के 7200 लाइन किलोमीटर क्षेत्र में मुख्यत: राजस्थान राज्य के जैसलमर, बीकानेर, जोधपुर तथा गंगानगर जिलों में किया जायेगा।

कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को दान देना

8646. **श्री एन. ई. होरो** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनियों द्वारा चुनावों के लिए राजनीतिक दलों को दान देने पर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने तथा इस प्रकार दाद देने वाली कम्पनियों को कर राहत देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिये जाने की सम्भावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) नहीं, श्रीमान् जी।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते।

उड़ीसा में ग्राम पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलना

8647. **श्री बृज मोहन महन्ती** : : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कितने ग्राम पंचायत मुख्यालयों में डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) कितने डाकघरों का स्तर बढ़ाने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है तथा उनका विस्तृत ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनमें से कितनों की छठी योजना अवधि के दौरान चालू किया जाएगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 345

(ख) जी नहीं, ।

(ग) 15 प्रस्ताव। विस्तृत ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सभी का दर्जा बढ़ाने का प्रस्ताव है बशर्ते कि सरकार द्वारा नए पदों के सृजन पर लगाई गई पाबंदी हट जाए।

विवरण

उडीसा में डाकघरों का दर्जा बढ़ाने का विस्तृत ब्यौरा।

जिले का नाम	विचाराधीन डाकघर का नाम	
गंजन	1. मुशीपेन्था अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर से विभागीय उप डाकघर बनाना	
बालासोर	1. डुंगुरा अ. वि. शाखा डाकघर 2. अन्दीअ. वि. शाखा डाकघर	विभागीय उप डाकघर
क्योंझर	1. पाल्सपंगा अ. वि. शाखा डाकघर 2. रामचन्द्रपुर अ. वि. उप. डाकघर 3. केसुदारापाल अ. वि. उप. डाकघर	—वही—
पुरी	1. खालीशाही अ. वि. शाखा डाकघर 2. बालूगांव नयासुह अ. वि. शा. डाकघर 3. नयाशान्था अ. वि. शा. डाकघर 4. मनीकागदा 5. खादागरी	—वही—
सुन्दरगढ़	1. शहजबहाल अ. वि शा. डाकघर से विभागीय उप डाकघर 2. उदीतनगर विभागीय उप डाकघर से प्रधान डाकघर	
सम्बलपुर	1. नन्तीडेउल अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर से विभागीय उप	
मयूरभंज	1. उदला विभागीय उप डाकघर से प्रधान डाकघर	

घरों में एक से अधिक टेलीफोन रखने पर अतिरिक्त उपकर

8648. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, उन व्यक्तियों पर, जिनके घरों में एक से अधिक टेलीफोन हैं, अतिरिक्त उपकर लगाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन पाटिल : (क) और (ख) एक ही उपभोक्ता के आवास पर दूसरे टेलीफोन के लिए पंजीकरण पर कुछ प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव हैं ।

अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के समाचारपत्रों में सरकारी विज्ञापनों पर खर्च

8649. **श्री छीतू भाई गामित** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-1982 और 1982-83 के दौरान अलग-अलग सरकारी विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ख) (एक) अंग्रेजी, (दो) हिन्दी और (तीन) क्षेत्रीय भाषाओं के समाचार पत्रों में सरकारी विज्ञापनों पर खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) 1981-82 और 1982-83 के दौरान विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा रिलीज किए गए विज्ञापनों पर हुए व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार है :—

भाषा	व्यय (रुपयों में)	
	1981-82	1982-83
अंग्रेजी	1,18,42,645	72,41,349
हिन्दी	1,00,31,103	1,33,32,879
अन्य भाषाएं	1,73,66,131	1,93,93,214
योग :	3,92,39,879	3,99,67,460

ऊर्जा प्रबंध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा दिये गये सुझाव

8650. **श्रीमती माधुरी सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में पिछले वर्ष आयोजित ऊर्जा प्रबंध संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कुछ सुझाव दिए गए थे ;

(ख) क्या यू. एन. आई. डी. ओ. ने ऊर्जा की बचत और प्रबंध के लिए विकासशील देशों के साथ सम्पर्क और समन्वय स्थापित किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) यूनाइटिड नेशनल इन्डस्ट्रियल डिवेलपमेन्ट ओरगानाइजेशन (यू. एन. आई. डी. ओ.) के सहयोग से एसोसिएशन ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग इन्डस्ट्री ने जनवरी, 1983 में नई दिल्ली में "उद्योग में ऊर्जा प्रबंध" के बारे में एक सम्मेलन आयोजित किया था। सम्मेलन ने ऊर्जा सरक्षण पर जोर दिया था तथा उपस्करों, प्रक्रियाओं तथा प्रौद्योगिकियों में ऊर्जा कार्य कुशलता में सुधार करने के उपाय सुझाए थे। यू. एन. आई. डी. ओं. सम्मेलन में की गई सिफारिशों पर मोटे-तौर पर सहमत हो गया है। यू. एन. आई. डी. ओ., प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करके और उद्योगों में ऊर्जा संरक्षण के बारे में क्षेत्रीय बैठकें बुलाकर ऊर्जा प्रबंध के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है।

घरेलू उपयोग में आने वाले एल. पी. जी. सिलेण्डरों का फटना

8651. **श्री के. मालन्ना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष घरेलू उपयोग में आने वाले एल.पी.जी. सिलेंण्डरों के फटने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इन घटनाओं का पिछले वर्ष का तथा अब तक का विशेष रूप से दिल्ली के बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राजधानी में मृत्यु और घायल होने की कुछ घटनाएं भी हुई हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1982-83 के दौरान केवल एक एल. पी. जी. सिलेंडर के फटने की

दुर्घटना की रिपोर्ट मिली थी। इस मामले में यह दुर्घटना तब हुई जब उपभोक्ता द्वारा गैस सिलेंडर को कर्नाटक में बेलारी स्थित अपने निवास स्थान से लक्ष्मीपुरम में एक झोपड़ी में ले जाया गया था। झोपड़ी में आग लग गई जिसमें फलस्वरूप वहां रखा सिलेंडर फट गया जिससे 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। 1983-84 के दौरान सिलेंडर फटने की एक दुर्घटना की रिपोर्ट मिली थी। यह दुर्घटना नारायणा गाँव नई दिल्ली में हुई थी, जब डिलीवरी करने वाला एक लड़का अपने एक सहायक के साथ मिलकर गैस को अनधिकृत रूप से एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में अन्तरित कर रहा था। इस दौरान रिसाव कर रही गैस को उस स्थान में जलाये जा रहे मिट्टी के तेल के स्टोव से आग लग गई जिससे एक सिलेंडर के फट जाने की रिपोर्ट मिली। इस दुर्घटना में 4 व्यक्ति घायल हो गये थे।

(घ) तेल कंपनियों ने एल. पी. जी. के घरेलू उपकरणों के सुरक्षित प्रयोग के संबंध में उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए कई उपाय किये हैं। उनमें पुस्तिकाएं जारी करना, क्या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये इस संबंध में इश्तिहार बांटना, समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, रेडियो और दूरदर्शन द्वारा विज्ञापन देना, घर-घर जाकर सर्वेक्षण करना और डिलीवरी करने वाले लड़कों को प्रशिक्षण आदि देना शामिल है।

फिल्म सेंसरशिप के लिये नये मार्गनिर्देश

8652. **श्री के. मालन्ना :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म सेंसरशिप के लिए नए मार्ग निर्देश जारी किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत) : (क) और (ख) जी, नहीं।

तटवर्ती क्षेत्रों में बृहद ताप विद्युत केन्द्र

8653. **श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञ दल ने तटवर्ती क्षेत्रों में समुद्री मार्गों के कोयले की पूर्ति की सुविधा के साथ नए बृहद ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दल ने सातवीं योजना में कोयला परिवहन के वैकल्पिक साधनों में विकास का भी सुझाव दिया गया है;

(ग) विशेषज्ञ दल द्वारा दिये गये अन्य सुझाव क्या हैं;

(घ) कौन-कौन से सुझाव स्वीकार कर लिये गये हैं; और

(ङ) उन्हें कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खाँ): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमा हाल खोलना

8654. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोगों को उचित दरों पर अच्छे स्तर की फिल्में दिखाने के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, सिनेमा हाल खोलने के कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) (क) और (ख) भारत सरकार का अपने सिनेमा हाल स्थापित करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो केन्द्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम है, ग्रामीण अर्ध-शहरी तथा शहरी क्षेत्रों में सिनेमा घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक स्कीम चला रही है। इस स्कीम के अन्तर्गत, निगम ग्रामीण क्षेत्रों में सिनेमाघर बनाने के इच्छुक व्यक्तियों को एक लाख रुपये का ऋण देता है। ऋण प्रदान करने की मन्जूरी की शर्तों में से एक शर्त यह है कि प्रदर्शन समय का 50 प्रतिशत समय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्मों को दिखाने के लिये उपलब्ध किया जाएगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन में आर्टिस्टों के वेतन पर खर्च

8655. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान, वर्ष-वार आकाशवाणी द्वारा आर्टिस्टों के वेतन और अपने प्रशासनिक व्यय पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) दूरदर्शन से सम्बन्धित इस प्रकार के आंकड़े क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1980-81 से 1983-84 तक के दौरान स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनों तथा "निर्देशन तथा प्रशासन" के अन्तर्गत हुए व्यय के आंकड़े संलग्न विवरण में दिये गये हैं —

विवरण

आकाशवाणी और दूरदर्शन में 1980-81 से 1983-84 तक के दौरान "स्टाफ आर्टिस्टों" के वेतनों तथा "निर्देशन और प्रशासन" के अन्तर्गत हुए व्यय के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण

(आंकड़े लाख रुपयों में)

वर्ष	आकाशवाणी		दूरदर्शन	
	स्टाफ आर्टिस्टों वेतनों पर व्यय	प्रशासन	स्टाफ आर्टिस्टों के वेतनों पर व्यय	प्रशासन
1980-81	447.81	116.00	159.21	28.76
1981-82	499.12	129.01	187.53	33.32
1982-83	578.89	156.58	235.26	50.59
1983-84	639.37	177.69	272.78	65.19

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस. टी. डी. सुविधा का विस्तार

8656. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1 अप्रैल, 1984 तक दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के साथ सीधी डायलिंग पद्धति के माध्यम से कौन-कौन से स्थान जुड़े हुये थे;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली और राज्यों की राजधानियों के साथ एस. टी. डी. के माध्यम से कौन-कौन से नगरों और स्थानों को शीघ्र जोड़ा जायेगा; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिकतम स्थानों तक एस. टी. डी सुविधा का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) (एक) जिन स्थानों की राजधानियों से दिल्ली के लिये सीधी डायलिंग प्रणाली उपलब्ध है, उनके नाम संलग्न विवरण-1 में दिये गये हैं।

(दो) जिन स्थानों से अपने राज्य की राजधानी के लिये सीधी डायलिंग प्रणाली उपलब्ध है, उनके नाम संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं।

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दिल्ली और राज्य की राजधानी के साथ एस. टी. डी. द्वारा जिन शहरों और स्थानों को जोड़े जाने की सम्भावना है, उनके नाम नीचे दिये गये हैं :—

(एक) ऐसे शहरों और स्थानों के नाम जिन्हें दिल्ली से जोड़े जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्करों की सप्लाई समय पर हो :—

वर्ष 1984.85 के दौरान

(क) नैनीताल (ख) दुर्ग (ग) करीमनगर (घ) कुर्नूल (ङ) मिदनापुर (च) सूरी

वर्ष 1985-86 के दौरान

(क) अगरतला (ख) इम्फाल (ग) इदिक्की (घ) चिंगावनम (ङ) अहमदनगर (च) देवास (छ) बुरहानपुर (ज) भुसावल (झ) भावनगर (ण) डाल्टनगंज (ट) हजारीबाद (ठ) बिदार (ड) ब्यावर

(दो) ऐसे स्थान जिन्हें राज्य की राजधानी के साथ एस. टी. डी. से जोड़े जाने की संभावना है बशर्ते कि उपस्कर समय पर उपलब्ध हो जाए :—

वर्ष 1984-85 के दौरान

(1) करीमनगर (2) कुर्नूल (3) नैनीताल (4) मिदनापुर (5) सुरी (6) इदिक्की (7) चिंगावनम (8) अहमदनगर (9) दुर्ग (10) बुरहानपुर

वर्ष 1985-86 के दौरान :

1. भुसावल 2. भावनगर 3. डाल्टनगंज 4. हजारीबाग 5. सिरसी 6. बिदार 7. ब्यावर 8. अगरतला 9. इम्फाल 10. देवास

(ग) 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एस. टी. डी. सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की 22,000 लाइनों के डिजीटल इलेक्ट्रोनिक टाइप का आयात करने का प्रस्ताव है जिन्हें देश के 16 विभिन्न स्थानों पर स्थापित किया जाएगा। इसके बाद इस उपस्कर का देश में निर्माण किया जाएगा जिससे और अधिक स्थानों पर एस. टी. डी. सुविधाओं की व्यवस्था की जा सकेगी।

विवरण-I

एस. टी. डी. एवं टी. ए. एक्स. के माध्यम से दिल्ली के साथ जुड़े स्थानों की सूची

क्र०सं०	स्थान का नाम
(क)	राज्य की राजधानी
1.	ऐजल
2.	बेंगलूर
3.	भोपाल
4.	भुवनेश्वर

1	2
5.	बम्बई
6.	कलकत्ता
7.	चंडीगढ़
8.	दिसपुर
9.	गांधीनगर
10	गांतोक
11.	हैदराबाद
12.	जयपुर
13.	कोहिमा
14.	लखनऊ
15.	मद्रास
16.	पंजिम
17.	पटना
18.	पांडिचेरी
19.	शिलांग
20.	शिमला
21.	श्रीनगर
22.	त्रिवेन्द्रम
23.	ईटानगर

विवरण-2

अपने राज्य की राजधानी के साथ सीधी एस. टी. डी. सुविधा रखने वाले स्थान

I. आंध्र प्रदेश (हैदराबाद)

1. कोम्पल्ली
2. पटेनचेरु
3. एदिलाबाद
4. अदोनी

5. अनन्तपुर
6. हुनुमानकोंडा
7. खम्माम
8. महबूबनगर
9. वारंगल
10. नलगोंडा
11. गुंटकल
12. नन्दयाल
13. कुड्डापेह
14. संगारेड्डी
15. चित्तोर
19. गुंटूर
17. श्रीकाकूलम
18. आगोल
19. काकिनाडा
20. मछलीपटनम
21. नेल्लोर
22. विशाखापटनम
23. विजयानगरम
24. विजयवाड़ा

II. असम (गुवाहटी)

III. बिहार (पटना)

1. मुजफ्फरपुर
2. छपरा
3. दरभंगा
4. लहरीसराय
5. समस्तीपुर
6. आरा
7. सासाराम
8. जमशेदपुर
9. कटिहार
10. मोतिहारी
11. डालमियानगर
12. रांची
13. धनबाद

IV. गुजरात (गांधीनगर)

1. अहमदाबाद
2. जामनगर
3. बड़ौदा
4. राजकोट
5. नडियाड
6. वुलसर
7. सूरत
8. मेहसाना

V. हरियाणा (चंडीगढ़)

1. अम्बाला
2. करनाल

3. पानीपत
4. गुड़गांव
5. रोहतक
6. हिसार
7. सिरसा
8. यमुनानगर
9. फरीदाबाद

VI. हिमाचल प्रदेश (शिमला)

1. मण्डी

VII. जम्मू एवं कश्मीर (श्रीनगर)

1. जम्मू
2. अनन्तनाग
3. सोपोर
4. बारामूला
5. उधमपुर

VIII. कर्नाटक (बेंगलूर)

1. बेलगाम
2. मैसूर
3. देवनगीन
4. शिमोगा
5. टुमकुर
6. मंगलौर
7. उदिघी
8. हुबली
9. पेनमबूर
10. बल्लारी
11. उल्लई
12. भद्रावती
13. धारवाड़
14. हासन
15. मरकागा
16. गाडग
17. हरिहर
18. होसूर
19. हरवार
20. भागलकोट
21. चित्रदुर्ग

IX. केरल (त्रिवेन्द्रम)

1. एर्नाकुलम
2. कीलोन
3. कोट्टायम
4. चोगानुर

5. नायाटिंकरा 6. एलेपी

7. तिरुवेला 8. कोट्टारकारा

9. पलाई 10. कोजीकोड

11. आदूर 12. कुण्डरा

13. मालपुरम 14. त्रिचुर

15. पालघाट 16. कन्नानोर

X. मध्य प्रदेश (भोपाल)

1. इन्दौर 2. सेहोर

3. जबलपुर 4. उज्जैन

5. सागर 6. खण्डवा

7. बिलासपुर 8. रायपुर

9. ग्वालियर

XI. महाराष्ट्र (बम्बई)

1. औरंगाबाद 2. पुणे

3. नासिक 4. वाणी

5. शोलापुर 6. अमरावती

7. भिवाण्डी 8. जलगांव

9. कल्याण 10. कोलपेवाडी

11. कोपरगांव 12. पुटम्बा

13. राहता 14. सांगली

15. जयसिंहपुर 16. पिम्परी

17. मिराज 18. कोल्हापुर

19. अकोला 20. नागपुर

21. वरधा 22. यवतमाल

23. थाणे

XII. नागालैंड (कोहिमा)

1. दीमापुर

XIII. उड़ीसा (भुवनेश्वर)

1. बेहरामपुर
2. कटक

XIV. पंजाब (चंडीगढ़)

1. अमृतसर
2. जालंधर
3. लुधियाना
4. पटियाला
5. फीरोजपुर
6. भटिण्डा
7. संगरूर
8. राजपुरा

XV. राजस्थान (जयपुर)

1. अजमेर
2. अलवर
3. लुधियाना
4. कोटा
5. उदयपुर

XVI. सिक्किम (गांतोक)

XVII. तमिलनाडु (मद्रास)

1. मदुरै
2. चिदम्बरम
3. चिंगेपेट
4. मयूरम
5. ममारगुडी
6. नागपटनम्
7. तिरूवरुर
8. वेल्लोर
9. विल्लुपुरम
10. रानीगुंटा
11. रानीपेट
12. गुडूर
13. अम्बूर
14. त्रिंची
15. कांचीपुरम
16. कोयम्बटूर
17. धर्मपुरी
18. नागरकोयल
19. इरोद
20. ऊटी

21. पुडुकोट्टई	22. सलेम
23. तिरुनेलवेली	

XVIII. उत्तर प्रदेश (लखनऊ)

1. कानपुर	2. उन्नाव
3. आगरा	4. सीतापुर
5. फैजाबाद	6. गोरखपुर
7. मुरादाबाद	8. रायबरेली
9. बरेली	10. रामपुर
11. पीलीभीत	12. शाहजहांपुर
13. इलाहाबाद	14. बाराणसी
15. मिर्जापुर	16. गाजियाबाद

XIX. पश्चिम बंगाल (कलकत्ता)

1. आसनसोल	2. बर्दवान
3. हल्दिया	4. खड़गपुर
5. सिलीगुड़ी	6. मालदा
7. कूचबिहार	8. दार्जिलिंग

अखिल भारतीय युवक महासंघ और अखिल विद्यार्थी संगठन द्वारा प्रदर्शन

8657. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय युवक महासंघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी संगठन ने दिनांक 3 और 5 मार्च, 1984 को काम अथवा जेल (जाब और जेल) की मांग करते हुए संसद के समक्ष प्रदर्शन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) 4 से 5 मार्च, 1984 तक ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उड़ीसा में टेलीफोन निर्देशिका (डायरेक्टरी) का वितरण

8658. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) कटक (दो) ब्रह्मपुर (तीन) भुवनेश्वर (चार) केंसिंग और (पांच) भवानीपटना और उड़ीसा के अन्य स्थानों के टेलीफोन प्रयोक्ताओं को सबसे बाद कब टेलीफोन निर्देशिका दी गई थी; और

(ख) टेलीफोन प्रयोक्ताओं को समय पर निर्देशिकाओं की सप्लाई न किए जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उड़ीसा में टेलीफोन उपभोक्ताओं को जिस तारीख को टेलीफोन डायरेक्टरियां प्रदान की गई हैं वह संलग्न विवरण में दी गई हैं, जिसे सभा पटल पर रखा गया है।

(ख) उपभोक्ताओं को समय पर डायरेक्टरियां प्रदान नकर पाने का मुख्य कारण श्रमिक समस्या एवं प्रिंटिंग प्रेसों में पावर की कटौती होना।

विवरण

उड़ीसा में टेलीफोन डायरेक्टरी के वितरण को दर्शाने वाला विवरण

डिवीजन का नाम	जब से वितरण प्रारंभ किया गया	जब अगला सस्करण सप्लाई किए जाने की संभावनाए हैं
1. कटक टेलीफोन डिवीजन	मार्च, 1984	—
2. बेहरामपुर तार इन्जीनियरिंग डिवीजन	दिसम्बर, 1983	—
3. भुवनेश्वर तार इन्जीनियरिंग डिवीजन	जनवरी, 1980	अगस्त, 1984
4. सम्बलपुर तार इन्जीनियरिंग डिवीजन (किंसिगे और भवानीपटना इससे शामिल हैं)	जुलाई, 1983	—
5. राउरकेला तार इन्जीनियरिंग डिवीजन	मई, 1983	मार्च,1985
6. कटक तार इन्जीनियरिंग डिवीजन	सितम्बर, 1981	दिसम्बर, 1984

उड़ीसा के कालाहांडी जिले के जिला मुख्यालय भवानीपाटना में टेलीफोन और तार सेवाएं

8659. **श्री रास बिहारी बहेरा :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा राज्य कालाहाँडी जिले के जिला मुख्यालय भवानीपाटना की राज्य के मुख्यालय भुवनेश्वर में साथ टेलीफोन और तार सेवाएं अधिकांश समय खराब रहती हैं और लोगों को लाइन नहीं मिलती तथा उनकी खराब टेलीफोन और तार सेवाओं के कारण हानि उठानी पड़ती है;

(ख) यदि हां, तो उसका पूरा ब्यौरा क्या है और टेलीफोन सेवाओं को सुधारने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या यह भी सच है कि भवानीपाटना टेलीफोन केन्द्र इस समय अत्यन्त कठिन परिस्थितियों में काम कर रहा है और इसके तत्काल विस्तार की आवश्यकता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। कालाहांडी के जिला मुख्यालय, भवानीपटना से भुवनेश्वर के लिए टेलीफोन/तार सेवाएं बिल्कुल संतोषजनक हैं।

(ख) उपरोक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) भवानीपटना एक्सचेंज की स्थिति अच्छी है। अगले वर्ष विस्तार करने का कार्यक्रम है।

(घ) जी नहीं, भवानीपटना टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढग से कार्यकर रहा है। इस एक्सचेंज का अगले वर्ष 300 से 400 लाइनों की क्षमता में विस्तार किया जा रहा है।

कोयला संसाधनों का उपयोग

8660. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला संसाधनों के उपयोग के लिए सरकार द्वारा किये गए उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से उस राज्य में उपलब्ध कोयला भण्डारों का उपयोग करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में नये कोयला भण्डारों के समन्वेषण और उपयोग की प्रक्रिया में भारत भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण संस्था पर प्रादेशिक ड्रिलिंग और भु-वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी है। इन भू-वैज्ञानिक रिपोर्टों

के आधार पर, संभावित ब्लाकों का पता लगाया जाता है और केन्द्रीय खान आयोजन तथा डिजाइन संस्थान लि० देश में कोयले के भंडारों के दोहन के लिए आवश्यक क्षमता स्थापित करने की दृष्टि से खनिज समन्वेषण निगम के साथ मिलकर विस्तृत समन्वेषण कार्य करता है।

(ख) और (ग) कोयला भंडारों के समन्वेषण और विकास की जिम्मेदार केन्द्रीय सरकार पर है। कोयले की मांग को ध्यान में रखते हुए कोयला भंडारों के वास्तविक समन्वेषण और विकास का काम मुख्य रूप से केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों और उपक्रमों के जरिये किया जाता है। इसलिए उड़ीसा की राज्य सरकार सहित किसी भी राज्य सरकार के कहने पर कोयले के दोहन का काम शुरू करने का प्रश्न ही नहीं उठता। फिर भी, कोयला कम्पनियां उड़ीसा में वर्तमान खानों का विस्तार करके और साथ ही नयी खानों का निर्माण करके कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्रवाई कर रही हैं। वर्ष 1983-84 में तालचेर और इब घाटी कोयला क्षेत्रों से 4. 8 मिलियन टन के आयोजित उत्पादन की तुलना में इन कोयला क्षेत्रों से 1989-90 अर्थात सातवीं योजना अवधि के अन्त तक कोयले का उत्पादन बढ़ाकर 10 मिलियन टन करने का प्रस्ताव है।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत विकलांग व्यक्ति

86 1. **श्री अमर सिंह राठवा :**

श्री चिन्तामणि जेना : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1984 को विभिन्न रोजगार कार्यालय में पंजीकृत विकलांग व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ख) वर्ष 1983-84 के दौरान कितने विकलांग व्यक्तियों को रोजगार दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि वर्ष-प्रति-वर्ष उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो क्या देश के प्रत्येक राज्यों में विकलांगों के लिए कम से कम एक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर): (क) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31. 12. 1983 को रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर 1.51 लाख विकलांग रोजगार की तलाश में दर्ज थे।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष, 1983 के दौरान 0.06 लाख विकलांग व्यक्तियों को रोजगार में लगाया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) प्रत्येक राज्य में विकलांगों के लिए कम से कम एक विशेष रोजगार कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

रेडियो और टेलीविजन को जन साधारण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना

8662. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने रेडियो और टेलीविजन को जन साधारण की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने का आवाहन किया है और कहा है कि उनके लिये अधिक कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जाना चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) जन सम्पर्क माध्यम होने के कारण आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा लोगों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिम्बित करने और देश की विकासीय योजनाओं में उनकी दिली सक्रिय भागेदारी मांगने पर अधिक बल दिया जा रहा है। सभी आकाशवाणी केन्द्र और दूरदर्शन केन्द्र 20 सूत्री कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्राप्त प्रगति पर विभिन्न फार्मेटों में कार्यक्रमों प्रस्तुत कर रहे हैं जो कमोवेश लोगों के लिए प्रगति और विकास की रूपरेखा है। क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों तथा ग्रामीण जनसंख्या, औद्योगिक कर्मकारों, स्कूलों और कालेजों के युवकों, महिलाओं बच्चों को शामिल करने पर अधिक बल है।

कोरापुट, बरहामपुर और राउरकेला, उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले दूरदर्शन केन्द्रों की रिले क्षमता में वृद्धि

8663. **श्री के. प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय उड़ीसा में कोरापुर, बरहामपुर और राउरकेला में टी. वी. रिले केन्द्र क्षेत्र स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितने क्षेत्र को सम्मिलित किया जायेगा;

(ग) क्या वर्तमान योजना के अनुसार इनके अन्तर्गत उपरोक्त स्थानों पर केवल सरकारी आवासीय परिसरों को ही सम्मिलित किया जायेगा और उनके आस-पास के आदिवासी जन-संख्या बहुत अधिक है, को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रस्तावित स्टेशनों की रिले क्षमता को बढ़ाने की वांछनीयता पर विचार करेगी ताकि दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों को भी सम्मिलित किया जा सके; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कोरापुर बरहामपुर तथा राउरकेला में स्थापित किये जा रहे ट्रांसमीटरों की शक्ति 100-100 वाट होगी तथा उनकी सेवा परिधि लगभग 25 किलोमीटर होगी। जिसके अन्तर्गत ये नगर तथा उनके आस-पास के क्षेत्र आयेंगे।

(घ) और (ङ) दूरदर्शन का विस्तार चरणबद्ध ढग से किया जा रहा है। 1984-85 के दौरान 70 प्रतिशत जनसख्या को दूरदर्शन सेवा प्राप्त हो जाने की उम्मीद है। जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने तथा ट्रांसमीटरों की शक्ति बढ़ाने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा।

तेल की खोज से सम्बन्धित उपकरणों का देश में निर्माण करने सम्बन्धी कार्यक्रम

8664. **श्री के० प्रधानी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तेल की खोज से सम्बन्धित उपकरणों का आयात जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होती है, कम करने के उद्देश्य से ऐसे उपकरणों का देश में निर्माण करने सम्बन्धी कोई व्यापक कार्यक्रम शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा आयात विकल्प से कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी;

(ग) क्या कुछ भारतीय कंपनियां जिन्होंने सरकार के एक निमंत्रण पर जैक अप रिग्स और सेमी सर्वमर्सीबिल रखने और संचालित करने की पेशकश की थी अब यह कार्य करने से इन्कार कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन कंपनियों का ब्यौरा क्या है यथा उनके इन्कार करने के क्या कारण हैं और इसका सरकार के तेल-कूप छिद्रन कार्यक्रम पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी निर्माताओं को कई प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं जैसे कि रिआयती दर पर सीमा शुल्क समझा गया निर्यात का लाभ तथा देश को बचने वाली राशि की सीमा पर निर्भर करते हुए 15 प्रतिशत तक की मूल्य वरीयता।

होने वाली संभावित बचत की मात्रा भारतीय कंपनियों द्वारा दिखाई गई रुचि पर निर्भर करेगी और इस अवस्था में ऐसी बचतों की मात्रा के बारे में बताना संभव नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास के केन्द्रीय तारघरों में समयोपरि व्यय

8665. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग सभी बड़े केन्द्रीय तारघरों में कर्मचारियों के अभाव के कारण कुछ अवसरों पर तार स्थानीय तार कार्यालयों में दस्ती तौर पर भेजने पड़ते थे क्योंकि समयोपरि भत्ते की सीमा न्यूनतम कर दी गई थी; और

(ख) बम्बई, कलकत्ता, नई दिल्ली और मद्रास के केन्द्रीय तारघरों के सम्बन्ध में वर्ष 1981-82 और 1982-83 और दिसम्बर, 1983 तक की समयोपरि व्यय का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं। फिर भी, जब भी किसी तार के टेलीप्रिंटर सर्किटों पर संचारण की अपेक्षा डाक द्वारा भेजने/संचारण करने से स्थानीय तारघरों में शीघ्र पहुंचने की संभावना हो तो ऐसी प्रक्रिया केवल निम्नलिखित परिस्थितियों में ही अपनाई जाती है :—

(1) तार परियात का व्यस्त समय 1700 एवं 2100 बजे के बीच पड़ना जिसके कारण तार भारी मात्रा में इकट्ठे हो जाते हों;

(2) स्थानीय तारघरों में बिजली की कटौती और पावर फेल हो जाना।

(3) प्रचालन स्टाफ की अनुपस्थिति।

(4) स्थानीय तार लाइनों पर कभी-कभी अवरोध होना।

(ख) अपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली के केन्द्रीय तारघरों में 1981-82, 1982-83 तथा दिसम्बर 1983 तक समयोपरि व्यय के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण

सी. टी. ओ.	1981-82	1982-83	दिसम्बर 1983 तक
बम्बई	16,36,340	19,81,167	17,84,839
कलकत्ता	5,00,850	9,12,015	4 87,430
मद्रास	4,18,253	5,50,550	3,14,242
नई दिल्ली	25,59,387	27,25,008	12,15,994

फिल्मी सितारों को राष्ट्रीय पुरस्कार

8666. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्मी सितारों को इस तथ्य की अवहेलना करके भी कि उनमें से कुछ आयकर और अन्य संबद्ध मामलों में कानून की नजरों में दोषी हैं; राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केवल उन लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने का है जो कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं; और

(ग) राष्ट्रीय पुरस्कारों के पुरस्कृत फिल्मी सितारो में से कितनों ने पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर, सम्पत्ति कर और अन्य देयताओं की अदायगी नहीं की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच. के. एल. भगत) : (क) राष्ट्रीय पुरस्कार देने के लिए बकाया आय कर चुकता करने की शर्त नहीं है ।

(ख) राष्ट्रीय पुरस्कारों का निर्णय करते समय, केवल फिल्मों के गुण दोषों तथा वैयक्तिक व्यक्तियों के योगदान को ही ध्यान में रखा जाता है। विभिन्न करों, उनके बकायों सहित को एकत्र करने के लिए संबंधित सरकारी मशीनरी कानून के अन्तर्गत उपर्युक्त कार्रवाई करती है।

(ग) जिन फिल्मी सितारों को राष्ट्रीय पुरस्कार दिए गए हैं उनमें से केवल सात ऐसे हैं जिनके ऊपर 30 दिसम्बर, 1983 को 1 लाख रुपये से अधिक आयकर बढ़ाया था। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले फिल्मी सितारों के ऊपर कोई सम्पत्ति कर, उपहार कर, या संपदा कर बकाया नहीं था।

विखरौली, बम्बई स्थित टैगौर नगर डाकघर में सुधार

8667. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विखरौली बम्बई स्थित वर्तमान टैगोर नगर डाकघर बड़ी खराब हालत में है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि यहां स्थान का अभाव है; और

(ग) इस डाकघर की हालत सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जो रहे हैं ।

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) भवन में विभागीय खर्चे से कुछ आवश्यक सुधार करने का निर्णय लिया गया है।

मंगलौर के निकट तेल शोधक कारखाने की स्थापना

8664. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **उर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का मंगलौर के निकट एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका सही-सही ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) मंगलौर में छः मिलियन मी. टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाले तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन द्वारा प्रस्तुत की गई प्रारंभिक संभाव्यता रिपोर्ट सरकार द्वारा विचार किये जाने की अग्रिम अवस्था में है । काम को शुरू किए जाने की तिथि से छः वर्षों के अन्दर पूरा लिया जायेगा । इस रिपोर्ट के अनुसार मार्च 1983 के मूल्यों के आधार पर तेल शोधक कारखाने पर लगभग 1121 56 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । अन्य ब्यौरों का पता तभी चलेगा जब निवेश सम्बन्धी निर्णय ले लिये जायेंगे ।

पोवाई एक्सचेंज क्षेत्र, बम्बई में नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा-सूची

8669. **डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पोवाई एक्सचेंज क्षेत्र में बम्बई टेलीफोनों के लिए आवेदक काफी लम्बे समय से प्रतीक्षा-सूची में हैं;

(ख) सरकार का प्रतीक्षा-सूची में सभी लोगों को कब तक कनेक्शन देने का विचार है;

(ग) विस्तार योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में प्रतीक्षा अवधि कम करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं । पोवई टेलीफोन एक्सचेंज की प्रतीक्षा सूची में 1-3-1984 को दर्ज आवेदकों की संख्या 5129 थी । विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत जिस तारीख तक की प्रतीक्षा सूची का निपटान कर दिया गया है, वह इस प्रकार है :—

ओ. वाई. टी.	14-10-1982
विशेष	28-12-1982
सामान्य	27-1-1979

(ख) मौजूदा प्रतीक्षा सूची को आगामी दो वर्षों में उत्तरोत्तर रूप से निपटाए जाने की सम्भावना है ।

(ग) पोवई टेलीफोन एक्सचेंज की विस्तार योजना इस प्रकार होगी :—

(1) 31-3-1984 को 1200 लाइनों का विस्तार पहले ही कर दिया गया है ।

(2) 600 और लाइनों का सितम्बर, 1984 तक विस्तार कार्य पूरा कर लिए जाने की संभावना है ।

(3) मुलद स्थित एक्सचेंज के चालू हो जाने पर 1400 अतिरिक्त लाइनें उपलब्ध हो सकेंगी जिन्हें 1984-85 में पोवई टेलीफोन एक्सचेंज को दिया जाएगा।

(4) 1985-86 में पोवई में 2000 अतिरिक्त लाइनें चालू हो जाएंगी।

(घ) पोवई टेलीफोन एक्सचेंज को और सहायता देने के लिए मादुप स्थित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए नए स्थान का अधिग्रहण करने के मामले पर कार्रवाई की जा रही है।

खान मुहानों पर कोयला भण्डार का जमा हो जाना

8670. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 30 मार्च, 1984 के "इकोनामिक टाइम्स" नई दिल्ली में "कोल इन्डस्ट्री इन बेड शेप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिखाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि मुहानों पर कोयला हिसाब में तो था परन्तु भंडार में नहीं था जिस कारण उपभोक्ताओं को अपने 'रेक्स रद्द करने पडे ;

(ग) इस प्रकार की स्थिति के क्या कारण हैं ; और

(घ) व्यवस्था को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय राज्य मंत्री कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा आवेदनपत्रों का निपटान

8671 **श्री आर. प्रभु** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितने आवेदनपत्रों को निपटाया गया ;

(ख) कितने प्रतिशत आवेदन पत्रों को उक्त धाराओं के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को निर्दिष्ट किये बिना निपटाया गया;

(ग) कितने आवेदनपत्रों को, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित समय के अन्दर निपटाया गया ; और

(घ) जिन मामलों को निर्धारित समय सीमा के अन्दर नहीं निपटाया गया है उनको निपटाने में देरी होने के क्या कारण हैं

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) वर्ष 1982-83

और 1983-84 के दौरान एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की धारा 21, 22 और 23 के अन्तर्गत निपटाये गये आवेदन पत्रों की संख्या निम्नलिखित हैं :—

	धारा 21	धारा 22	धारा 23	योग
1982-83	119	167	10	296
198 -84	107	141	23	271

(ख) 1982-83 = 98 प्रतिशत
1983-84 = 98.5 प्रतिशत

(ग) 1982 83 = 28
1983-84 = 30

(घ) विलम्ब के मुख्य कारण, जहां कहीं भी हुए हैं निम्न प्रकार हैं :—

(I) आवेदक कम्पनियों के साथ अपूर्ण आवेदक पत्रों के लिये आगे पत्र-व्यवहार अनिवार्य होने

(II) जब कभी भी प्राप्त अपत्तियों का परीक्षण करने

(III) सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विभिन्न मामलों जैसे परियोजना प्रति स्थापन, क्षमता की आवश्यकता प्राद्योगिकी आयात वित्त योजना को तय करने के लिए पत्र व्यवहार एवं विचार विमर्श

(III) आवेदक कम्पनियों और/या आपत्ति कर्ताओं के अनुरोध पर सवैधानिक सुनवाई को स्थगित करना।

पुनर्वास उद्योग निगम को हुआ घाटा

8672. **श्रीमती संयोगिता राणे :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनर्वास उद्योग निगम के प्रमुख कार्यकलाप क्या हैं और क्या इस पिछले कई वर्षों के दौरान भारी घाटा हुआ है ;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न समितियों द्वारा निगम के कार्यकरण का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) निगम की स्थिति को सुधारने के लिये कौन से कदम सरकार के विचाराधीन हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) पुनर्वास उद्योग निगम द्वारा हाथ करघा वस्त्र, पोलियस्टर सूटिंग तथा शर्टिंग, शक्ति-चालित करघों का धोतियाँ और साड़ियाँ, रेशम की साड़ियां, चमड़े का सामान, लोहे का फर्नीचर, डिब्बाबन्द फेल, लोहे की ढलाई, फेब्रीकेटिड स्टील ढ़ांचे, बने बनाए कपड़ों इत्यादि जैसे विभिन्न सामान का उत्पादन किया जा रहा है। निगम कोयला संचालन प्लांटों इत्यादि के निर्माण जैसी परियोजनाओं का निर्माण कार्य भी करता है। 1959 से इसकी स्थापना से ही निगम को वर्ष प्रति वर्ष हानि हो रही है . 31.3 1984 तक निगम को कुल मिलाकर लगभग 32·26 करोड़ रुपये (अनन्तिम) हानि हुई है।

(ख) 1968 से निगम को कार्य-प्रणाली का अध्ययन 5 समितियों द्वारा किया गया है। एक विवरण, जिसमें इन समितियों की मुख्य सिफारशें दी गई हैं, सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(ग) हाल ही में निगम की कार्य प्रणाली की समीक्षा सरकार द्वारा की गई है। राजस्व बजट, धन की प्राप्ति और व्यय तथा 1983-84 से 1990-91 तक की अवधि के लिए निगम द्वारा प्रस्तुत उत्पादन लक्ष्यों के अनुसार सरकार द्वारा पहले मंजूर की गई वित्तीय राहत के बावजूद निकट भविष्य में निगम के वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के अवसर नहीं हैं। ह्रास तथा ब्याज की व्यवस्था करने के पश्चात् भी निगम को न लाभ न हानि की स्थिति में लाने के बारे में भी विचार किया गया है किन्तु इसकी प्रत्यासा बहुत कम है। अत: निगम के पुनर्जाविकरण के सबंध में और कोई कदम उठाने पर विचार करना सरकार संभव नहीं समझती है।

पुनर्वास उद्योग निगम के संबंध में गठित समितियां मुख्य सिफारिशें

1. पुनर्वास बोर्ड

(1) सामान्यतया निगम को अपने नए औद्योगिक एककों की स्थापना नहीं करनी चाहिए।

(2) औद्योगिक संपदाएं स्थापित करने के अलावा, निगम को अपने भावी क्रिया कलाप निजी उद्यम कर्ताओं को उद्योग स्थापिप करने में वित्तीय तथा अन्य सहायता देने में व केन्द्रित करने चाहिए ताकि प्रत्यावासियों और विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जा सके।

(3) निगत द्वारा हाथ करघा एककों का स्वामित्व व तथा केन्द्रीय प्रबंध त्याग देना चाहिए और एककों को कामगारों की सहकारिताओं में परिवर्तन कर देना चाहिए।

(4) हाथ करघा इत्यादि के जमा हुए भंडार को यथा शीघ्र बेच देना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो पर्याप्त छूट देकर बेच देना चाहिए।

(5) मुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स, बानहुगली के कामगारों को उपयुक्त मजदूरी दी जानी चाहिए जैसी कि इस प्रकार के अन्य एककों में प्रचालित है।

(6) ऐसे एकक जिनका विस्तार करके उनके उत्पादनों में विविधता लाकर वाणिज्यिक दृष्टि से चलाया जा सकता है, वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने के लिए उनका विस्तार किया जाए।

(7) औद्योगिक सम्पदाओं के कार्यक्रम का विस्तार ऐसे क्षेत्रों में किया जाना चाहिए जहां अपेक्षित आधारभूत औद्योगिक वातावरण पहले ही विकसित हो और जहां इसकी उपयुक्त प्रत्याशा हो कि औद्योगिक सम्पदाओं को चलाना आर्थिक दृष्टि से उचित होगा।

(8) जहां तक संभव हो, निगम को अपनी कार्यकारी पूंजी के लिए धन राशि बैंकों तथा इसी प्रकार के अन्य संस्थानों से प्राप्त करनी चाहिए किन्तु, दीर्घ कालीन निवेश तथा साथ ही बैंकों के उधार प्रतिभूत अन्तर के लिए सरकार द्वारा निगम को पर्याप्त ऋण दिए जाने चाहिए। निगम को केन्द्रीय सरकार के ऋण अथवा उसकी गारंटियों की अवधि कम से कम आठ वर्ष होनी चाहिए।

2. विभागीय समिति, 1971 मुख्य सिफारिशें--

(1) संगठन के लिए कम्पनी का स्वरूप तब तक उपयुक्त नहीं है जब तक कि निगम को राजकीय सहायता, न कि ऋण, प्रदान न की जाए। दूसरी ओर निगम को वाणिज्यिक दृष्टि से चलाया जाना हो तो इसके उपचार के लिए विभिन्न रीति अपनानी होगी।

(2) निगम द्वारा चलाए जा रहे एकक कुटीर अथवा लघु उद्योग स्वरूप के हैं। ऋण वितरण और औद्योगिक सम्पदाओं के निर्माण का स्वरूप बढ़ावा देना है। प्रबंध संरचना बड़े पैमाने के स्वरूप की है। दोनों में समन्वय लाने की आवश्यकता है।

(3) यदि पुनर्वास उद्योग निगम एक औद्योगिक/वाणिज्यक स्थापना बनाई जाती है तो निम्न नीति होगी :

(क) ऐसे एककों का विकास और एकीकरण किया जाए जो व्यवहार्य प्रतीत होते हों और उन्हें उत्पादन उन्मुख बनाया जाए।

(ख) ऐसे एकक बन्द कर दिए जाएं जो वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य बनाने की संभावना न हो।

(ग) नए सिरे से धन राशि लगाकर के मध्यम क्षेत्र में नए एककों का विकास किया जाए।

(4) ऋण देने का कार्य पुनर्वास उद्योग निगम से ले लिया जाना चहिए । यह अनुभव किया गया है कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए निजी पार्टियों को ऋण देना जारी रखा जाए । यह कार्य एक अलग निगम बना कर उसे सौंपा जाए अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक को अथवा भारतीय स्टेट बैंक को दिया जाना चाहिए ।

3 विभागीय समिति, 1974 मुख्य सिफारिशें

(1) हाथ करघा एककों के प्रबन्धकीय स्वरूप में नूल परिवर्तन किया जाना चाहिए और इसलिए निगम के भीतर ही उन्हें एक अलग डिवीजन के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए । समिति को सन्देह है कि इससे ऊपरी व्यय के भार और बढ़ी हुई मजदूरी में पूर्ण संतुलन लाना संभव होगा । पुनर्वास उद्योग निगम को हाथ करघा एककों के उत्पादन और दक्षता में पर्याप्त सुधार लाया जाना चाहिए । इन कुटीर उद्योग एककों को फैक्टरी के आधार पर चलाने में एक मूल कठिनाई है और यही कारण है कि दक्षता संबंधी अभियान के बावजूद भी व्यवहार्यता भ्रान्ति-जनक ही रहेगी । हाथ करघा एककों को व्यक्तिगत कामगारों को हस्तान्तरित करने के बारे में विचार किया जाना चाहिए । विकल्प के रूप में हाथ करघा केन्द्रों को कामगारों की सहकारी समितियों में बदल दिया जाए । समिति को इसमें कोई कारण प्रतीत नहीं होता है कि हाथ करघा कामगारों की सहकारी समितियां राज्य में अन्य हाथ करघा एककों की सूचना में अपने सदस्यों के लिए पारिश्रमिक नहीं जुटा पाएंगी । हाथ करघा एककों के लिए एक अलग प्रभाग भी यथा समय, अन्य प्रबंधों का मार्ग प्रशस्त करेगा जो कुटीर उद्यमों के स्वरूप और क्षमता के लिए अत्यन्त उपयुक्त होगा ।

(2) समिति अनुभव करती है कि निम्न 6 एककों को व्यवहार्य बनाया जा सकता है :—

(क) सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स

(ख) शीट मैटल एकक

(ग) कास्ट आयरन फाउन्ड्री

(घ) फूट केनिंग यूनिट

(ङ) लेदर यूनिट

(च) टैक्सटाइल प्रासैसिंग यूनिट

(3) पुनर्वास उद्योग निगम को औद्योगिक संपदाओं से किराए की बकाया राशि वसूल करनी चाहिए और जहां कहीं संभव हो, बिजली प्रभारों के भुगतान की जिम्मेदारी कब्जेदारों पर डाली जानी चाहिए ।

(4) उत्पादन की तुलना में प्रशासनिक व्यय व्यनुपाती है। दूरस्थ एककों को अधिक शक्तियां सौंपी जानी चाहिए और उन्हें प्रभागों के अधीन संगठित करके अधिकांश मुख्य कार्यालय स्टाफ का वितरण किया जाना चाहिए।

सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा गठित दो अध्ययन दल मुख्य सिफारिशें

पुनर्वास उद्योग निगम की निम्न एककें व्यवहार्य नहीं पाई गई हैं :—

(1) ताहिरपुर, गणेशपुर, खोशबाश मोहल्ला तथा हाबड़ा स्थित सभी चार एककों को सहकारिताओं में बदल दिया जाए।

(2) चमड़ा यूनिट।

(3) सुकुमार इंजीनियरिंग वर्क्स यूनिट।

(4) शीट मेटल यूनिट।

(5) कास्ट आयरन फाउन्ड्री।

माल्दा रेशम यूनिट, पावरलूम यूनिट, सिलेसिलाए वस्त्रों की यूनिट, सूती वस्त्र बनाने की यूनिट, टैन्ट बनाने की यूनिट और डिब्बा बन्द फल यूनिट जैसे अन्य यूनिटों के सम्बन्ध में उनका सुझाव था कि ये यूनिट उत्पादक मानक निर्धारित करके, कुछ मशीनों की मरम्मत और पुनरूद्धार करके, सिलेसिलाए वस्त्रों की यूनिटों में कुछ प्रक्रिया में मशीनीकरण करके, पर्याप्त कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करके, बिक्री क्रियाकलापों आदि को ठोस बनाकर व्यवहार्य बनाये जा सकते हैं।

5. 1980 समिति — मुख्य सिफारिशें

भारत सरकार के सरकारी सदस्यों की सिफारिशें थी कि सिरेमिक फैक्ट्री और इलेक्ट्रिकल एनसिलेरी यूनिट जैसी रुग्ण यूनिटें बन्द कर दी जाएं कुटीर उद्योग के रूप में कामगारों द्वारा चलाये जाने के लिए हथकरघे उन्हें दे दिए जाएं जैसा कि देश के अन्य भागों में हो रहा है। इसके साथ कामगारों को सेवा-निवृति लाभ दिए जाएं ताकि वे अपने हाथकरघा एककों को चलाने के लिए कार्यकारी पूंजी के रूप में उसका उपयोग कर सकें। औद्योगिक सम्पदाएं सम्बन्धित किराएदारों को हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए, और शेष एकक सम्बन्धित मंत्रालयों को हस्तांतरित किए जाने चाहिए जिनके नियन्त्रण में इस प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम हैं। श्रम संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की ये सिफारिशें थी कि पुनर्वास उद्योग निगम में और पूंजी लगाई जानी चाहिए, प्रबन्ध में सुधार लाया जाना चाहिए, आदेश प्राप्त किए जाने चाहिये और निगम की स्थापना के समय सरकार द्वारा जो सामाजिक उद्देश्य ध्यान में रखे गये उनको ध्यान में रखते हुये निगम को चालू रखना चाहिए। पश्चिमी बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ने इसका समर्थन किया किन्तु दो निष्क्रिय एककों में से श्रमिक एकक को बन्द करने के लिये सहमित व्यक्त की।

उड़ीसा में बन्त में उप डाकघर के भवन का निर्माण

8673. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री उड़ीसा में उप डाकघर और प्रधान डाकघर

के लिये विभागीय भवनों के बारे में 27 मार्च, 1984 के अतारांकि प्रश्न संख्या-5041 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य में प्रधान उप डाकघरों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) अब तक कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) बंत उप डाकघर के लिये निर्धारित राशि सहित उस पर की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सन्चार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) छठी योजना में इस उद्देश्य के लिए 14523000 रुपये रखे गये हैं ।

(ख) अब तक 14085578 रुपये खर्च किए गये हैं ।

(ग) बंत डाकघर के लिये 7-5-83 को 10625 रुपये की लागत से भूमि खरीदी गई थी । कार्रवाई की जा रही है और डाकघर भवन का निर्माण 1984-85 के दौरान होने की सम्भावना है ।

खनिज तेल उत्पादन में बम्बई हाई का अधिक योगदान

8674. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई हाई द्वारा खनिज तेल का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है और चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक इसने 19 मिलियन टन कुल उत्पादन वृद्धि में से 17 मिलियन टन का उत्पादन उपलब्ध कराया;

(ख) यदि हाँ, तो बम्बई हाई पर अधिक निर्भरता को रोकने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उत्पादन की अपेक्षा तेल की खोज पर अधिक जोर दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इन दोनों के बीच सन्तुलन स्थापित करने को वांछनीय समझती है;

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) देश में 1983-84 में 25.77 मिलियन मी. टन कच्चे तेल के कुछ उत्पादन का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसमें से 17 मिलियन मी. टन का उत्पादन बम्बई हाई द्वारा किना जायेगा । 1984-85 के दौरान 29.63 मिलियन मी.टन खनिज तेल के उत्पादन के लक्ष्य में से, बम्बई हाई द्वारा 20.30 मिलियन मी. टन उत्पादन किये जाने की सम्भावना है ।

(ख) से (ङ) तेल/गैस की खोज तथा उत्पादन करने के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इण्डिया लिमिटेड द्वारा अपनायी जा रही नीति यह है कि त्वरित खोज प्रयासों के द्वारा और अधिक हाईड्रोकार्बन के भण्डारो की स्थापना की जाये और मौजूदा क्षेत्रों से इष्टतम दर पर उत्पादन किया जाये ।

कोयला खानों में ठेका श्रम प्रणाली

8676. **श्री चित्त बसु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला उत्पादन के क्षेत्र मे ठेका श्रम प्रणाली को उसे समाप्त करने के लिए सरकार के स्पष्ट आदेशों के बावजूद, अभी तक समाप्त नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उनखानों के नाम क्या हैं जिनमें अभी तक इस प्रकार की प्रणाली जारी है; और

(ग) इस प्रणाली को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उद्योगों में तालाबन्दी रोकने के लिए राज्यों द्वारा कानून बनाया जाना

8677. **श्री ए. के. राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकारों को उद्योगों में बढ़ती हुई तालाबन्दी को रोकने के लिए कानून बनाने को कहा है और यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या किसी राज्य ने अभी तक कोई कानून बनाया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) (क) औद्योगिक विवाद [संशोधन] अधिनियम, 1982 की पांचवी अनुसूची में व्यवस्था है कि तालाबन्दी का प्रस्ताव करना या इसे जारी रखना, जिसे अधिनियम के अधीन अवैध माना गया है, एक अनुचित श्रम व्यवहार है । यह संशोधी अधिनियम अधिसूचित नहीं किया गया है । इसको ध्यान में रखते हुये,24 सितम्बर, 1983 का हुए श्रम मंत्रियों के सम्मेलन के 34 वें सत्र के दौरान राज्य सरकारों को सलाह दी गई थी कि वे औद्योगिक विवाद अधिनियम के संगत उपबन्धों से सम्बन्धित अपने निजी संशोधनों का प्रस्ताव करें । उन्हें सूचित किया गया कि केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रस्तावों का शीघ्र निपटान करेगी ।

(ख) जी, नहीं ।

विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण की प्रक्रिया

8678. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में मिट्टी के तेल के वितरण के लिये क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या राजस्थान में मिट्टी के तेल की कमी है;

(ग) क्या राजस्थान में जालोर और सिरोही जिलों में लोगों को मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) विभिन्न राज्यों/संघ क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की आवश्यकता को निर्धारण उनके पिछले आबंटन/बिक्री और ऐसे आबंटन/बिक्री से 5 प्रतिशत की वृद्धि दर के आधार पर किया जाता है। उत्पाद को व्यापक उपलब्धता, परिवहन क्षमता आदि को ध्यान में रखते हुये, 4 महीनों के ब्लाक के आधर पर आबंटन किए जाते हैं। नियमित आबंटनों के अलावा बाद, चक्रवाक, सूखा आदि जैसी विशेष स्थितियों का सामना करने के लिए कभी-कभी तदर्थ आधार पर आबंटन भी किये जाते हैं।

यद्यपि मिट्टी के तेल का समग्र आबंटन पेट्रोलियम विभाग द्वारा किया जाता है, राज्यों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पाद का आगे वितरण सम्बन्भित राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं जिन्हें परामर्श दिया गया है कि ये राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पाद का समान वितरण सुनिश्चित करें।

(ख) से (घ) जालोर और सिरोही सहित राजस्थान में, मिट्टी के तेल की आम कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि राज्य सरकार ने राजस्थान को मिट्टी के तेल के आबंटन बढ़ाये जाने के लिए अनुरोध किया है और अप्रैल से जून 1984 के महीनों के लिये प्रति मास 600 मी.टन का अतिरिक्त आबंटन किया गया है।

पेट्रोल पम्पों द्वारा पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट

8679. **श्री विरदाराम फुलवरिया**: क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के उन पेट्रोल पम्पों का पता लगाया है जो पेट्रोल तथा डीजल में मिलावट करते हैं;

(ख) यदि हां, तो उन पेट्रोल पम्पों की संख्या क्या है जिनके लाइसेंसों को मिलावट करने के आरोप में रद्द कर दिया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोल पम्पों और फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्रों का विपणन अनुशासन के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन नियमित रूप से निरीक्षण और जांच कार्य किया जाता है जिसमें मिलावट को रोकने के उपाय करने और दोषी फुटकर बिक्री केन्द्रों/वितरकों के विरुद्ध की जाने वाली

कार्रवाई की भी व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त जब कभी, किसी विशेष पेट्रोल पम्पों/केन्द्रों के विरुद्ध शिकायतें मिलती हैं, आवश्यक जांच पड़ताल की जाती है और उक्त मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन ऐसे मामलों में कार्रवाई की जाती है जिसमें मिलावट का संदेह होता है।

(ख) और (ग) 1983 के दौरान, तेल कम्पनियों द्वारा मिलावट करने के आरोप पर 6 फुटकर बिक्री केन्द्रों की एजेंसियों को रद्द कर किया गया है जिनके राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गये हैं :

केरल	2
गुजरात	2
महाराष्ट्र	2
योग	6

खाना पकाने की गैस की खपत

8680. **श्री विरदा राम फुलवरिया :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 1982-83 और 1983-84 के दौरान खाना पकाने की गैस की कितनी खपत हुई; और

(ख) इस बारे में राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) देश में खाना बनाने की गैस की खपत की मात्रा 1982-83 में 602,000 मी. टन और 1983-84 में लगभग 743,500 मी. टन है।

(ख) राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

विवरण

(आंकड़े मी. टनों में)

क्र. सं.	राज्य	1982–83	1983–84 एच.पी.सी.एल. और बी.पी.सी.एल.
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	50346	40882
2.	असम	6123	—

1	2	3
3. बिहार	11485	592
4. गुजरात	49172	23881
5. हरियाणा	13403	3523
6. हिमाचल प्रदेश	1551	—
7. जम्मू और कश्मीर	2099	2572
8. कर्नाटक	28193	18990
9. केरल	10089	1090
10. मध्य प्रदेश	20733	12417
11. महाराष्ट्र	179235	208465
12. मणिपुर	380	—
13. मेघालय	552	—
14. नागालैंड	282	—
15. उड़ीसा	3416	1748
16. पंजाब	12867	6141
17. राजस्थान	12708	6334
18. सिक्किम	160	—
19. तमिलनाडु	50209	4304
20. त्रिपुरा	301	—
21. उत्तर प्रदेश	49109	5898
22. पश्चिमी बंगाल	25247	3915
संघ राज्य क्षेत्र		
1. अरुणाचल प्रदेश	27	—
2. चंडीगढ़	4791	—
3. दिल्ली	65232	19348

1	2	3
4. मिजोरम	162	—
5. पाण्डिचेरी	917	—
6. गोआ दमन और द्वीव	2020	3192
		364194*

*इसके अतिरिक्त इण्डियन आयल कारपोरेशन ने 379400 मी. टन एल. पी. जी. का विपणन भी किया है जिसके राज्यवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

यूरिया फैक्टरी की स्थापना

8681 **श्री विरदाराम फुलवरिया :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चालू वर्ष के दौरान यूरिया का कितना उत्पादन होने का अनुमान है और उसकी कुल कितनी खपत है;

(ख) क्या उर्वरकों की पर्याप्त खपत और उत्पादन होता है;

(ग) क्या कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से देश में एक और यूरिया फैक्ट्री की स्थापना की एक योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) । (क) अनुमान है कि 1984-85 के दौरान यूरिया के रूप में लगभग 30 2 लाख टन नाइट्रोजन का उत्पादन होगा । 1984-85 के लिए नाइट्रोजन के कुल उत्पादन का अनुमान अभी लगभग 37 लाख टन रखा गया है।

उर्वरकों की खपत का मूल्यांकन न्यूट्रिएन्टस के रूप में किया जाता है न कि विभिन्न उर्वरक उत्पादनों के रूप में, जिनमें से यूरिया भी एक है । अत: अलग से यह बताना कठिन है कि एक उत्पाद के रूप में यूरिया की खपत कितनी है।

(ख) उर्वरकों का स्वदेशी उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए अभी पर्याप्त नहीं है। उर्वरकों की खपत हर वर्ष बढ़ रही है तथापि खपत का वर्तमान स्तर अभी भी कुछ अन्य देशों की तुलना में कम है।

अत: देश में उर्वरकों की खपत को तीव्र करने तथा उसकी व्याप्ति को बढ़ाने, दोनों प्रकार के प्रयास जारी हैं।

(ग) और (क) अमोनिया/यूरिया के उत्पादन के लिए गैस पर आधारित छः नाइट्रोजन-युक्त उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय किया गया है। इन संयंत्रों में से एक राजस्थान

(सवाई माधोपुर जिला), एक मध्य प्रदेश (गुणा जिला) और चार उत्तर प्रदेश (बरेली, बदायूं, शाहजहानपुर और सुलतानपुर जिलों) में स्थापित किए जाएंगे।

रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण में सुधार

8682. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश में व्याप्त भारी बेरोजगारी के बावजूद जनशक्ति के उपलब्ध न होने अथवा नियुक्तताओं और कर्मचारियों के बीच संचार व्यवस्था की कमी के कारण रोजगार कार्यालयों को अधिसूचित किये गए 40 प्रतिशत तक रिक्त पदों को निरस्त कर दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या रोजगार कार्यालयों के बारे में एक कार्यकारी दल ने रोजगार कर्यालयों के कुशलतापूर्वक कार्यकरण के लिए सुझाव दिया है: और

(ग) यदि हां, तो दिये गए सुझावों का ब्यौरा क्या है तथा उन सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करने के सम्बन्ध में योजना आयोग ने रोजगार सेवा मम्बन्धी एक कार्य दल स्थापित किया है। कार्य दल ने रोजगार कार्यालयों के कार्य में कम्प्यूट्रीकरण सहित सुधार लाने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। कार्य दल ने रिपोर्ट योजना आयोग को भेज दी है।

1971 के युद्ध सम्बन्धी शरणार्थियों का पुनर्वास

8683. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी क्षेत्र में 1971 के युद्ध के शरणार्थियों को राजस्थान नहर क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में बसाया गया था;

(ख) यदि हां, तो ऐसे श्रेणी में कितने परिवार बसाये गए थे और प्रत्येक परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान नहर क्षेत्र के अतिरिक्त, एक सदस्यीय परिवारों के लिए पुनर्वास व्यवस्था की गई थी, यदि हां तो ऐसे कितने एक सदस्यीय परिवारों को पुनः बसाया गया है और प्रत्येक परिवार पर कितनी धनराशि खर्च की गई और ऐसे परिवारों को कहां बसाया गया;

(घ) क्या यह सच है कि पहले के पूर्वी पाकिस्तान से आए एक सदस्यीय शरणार्थियों को बसाने के लिए सरकार से फिर मांग की गई थी; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : जी, हां।

(ख) राजस्थान नहर क्षेत्र में 3190 परिवार बसाये गए हैं। राजस्थान, गुजरात और काश्मीर के अन्य क्षेत्रों में 10585 परिवार बसाये गए हैं। प्रति परिवार, 3000/- रुपये से 20 000/ रुपये के बीच वित्तीय सहायता दी गई है, जो परिवार में सदस्यों की संख्या, योजनाओं/क्षेत्रों आदि पर निर्भर करती है : इसके अतिरिक्त, कुछ योजनाओं में पुनर्वास क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं प्रदान करने और भूमि के विकास के लिए राज्य सरकारों को सहायता दी गई है।

(ग) जी, हां। राजस्थान के जैसलमेर, जैलोर तथा बाड़मेर जिलों में कुल 230 एक सदस्यीय परिवार बसाए गए हैं। इन परिवारों के पुनर्वास के लिए 3000/- रुपए से 4500/- रुपए के बीच वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का आयात

8684. **श्री हरीश रावत** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि वितरण और दूरदर्शन पर प्रदर्शन के लिए कम से कम 20 पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का आयात किया जायेगा।

(ख) यदि हां, तो हाल में कितनी पुरस्कार प्राप्त फिल्मों का आयात किया जाएगा;

(ग) क्या इन फिल्मों को दूरदर्शन पर दिखाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच.के.एल. भगत : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाना

8685. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों से 1980 से आज तक वर्ष-वार कितने और किन किन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) इन दोनों जिलों में 1984-85 में किन किन स्थानों पर और कितने सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री श्री (विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है ।

1984-85 के दौरान लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए अभी तक 5 स्थान निर्धारित किए गए हैं । आगे की योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

विवरण

उत्तर प्रदेश के अल्मोडा और पिथौरागढ़ जिलों में खोले गए तथा खोले जाने वाले लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर

	1980-81	1984-85 (खोले जाने वाले सार्वजनिक टेलीफोन घर
जिला	स्थान का नाम	
अलमदेश	1. कामेरी देवी	1. हरहा
	2. गरनाथ	2. बिलोई
	3. सिलार महादेव	
	4. देवरी खाल	
पिथौरागढ़	1. भुगाछिना	1. बनकट
	2. चमर खान	2. बालवाकोट
	3. पांखटी	3. गरमगांव
	1981-82	
अल्मोड़ा	1. सहर पाटक	
	2. धौला घाट	
	3. उगालिया	
	4. वसोट	
	5. विनायक	
	6. गगरी गोल	

	7. भगोशी
	8. वेलटनगांव
	9. पाली
	10. बेघाट
	11. कौसानी
पिथौरा गढ़	1. भुवनेश्वर
	2. खाती खान
	3, घाट
	4. पाती
	1982-83
अल्मोड़ा	1. दांगोली
	2. थामदेवल
	3. पांडु खाल
	4. जैन्यराम बाखाल
	5. कुवाली
	6. द्वारसन
	7. ताराकतल
	8. धूनागीरी
	9. मनौली
	10. चिता
	11. पेटसल
	12. काफराखान
	13. चौतरेश्वर
	14. मीरई
पिथौरा गढ़	1. शिलींग
	2. हुम्मर

3. धावन

4. वालवाकोट

5. बांस

1983-84

अल्मोड़ा 1. पातातीत

2. नाचनी

3. मावानी

4. गरखत

5. महाकालेश्वर

6. कातपुरीया

पिथौरागढ 1. कातका

2. सेनदाक

3. तावाघाट

4. तेजम

देश में प्रति सौ व्यक्तियों के पीछे टेलीफोन कनेक्शन

8686. **श्री हरीश रावत :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति सौ व्यक्तियों के पीछे कितने टेलीफोन कनेक्शन हैं;

(ख) देश में उन दस संचार सर्किलों के नाम क्या हैं जिनमें न्यूनतम टेलीफोन कनेक्शन हैं, और

(ग) इन सर्किलों में न्यूनतम कनेक्शन होने के क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या विशेष उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजन एन. पाटिल) : (क) देश में इस समय प्रति 100 व्यक्ति औसतन टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या लगभग 0 4 है।

(ख) निम्नतम से बढ़ते हुए क्रम में 20 दूर संचार सर्किलों की सीधी टेलीफोन लाइनों की संख्या नीचे दी जाती है :—

	दूर संचार सर्किल	1—2—84 को सीधी टेलीफोन लाइनों की संख्या
1.	जम्मू व कश्मीर	16,703
2.	उड़ीसा	30,077
3.	उत्तर पूर्व	31,243
4.	पश्चिम बंगाल	41,217
5.	बिहार	47,243
6.	राजस्थान	62,032
7.	मध्य प्रदेश	67,748
8.	केरल	84,148
9.	उत्तर प्रदेश	88,489
10.	कर्नाटक	92,454

(ग) किसी सर्किल में टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या, टेलीफोन एक्सचेंज उपस्करों की उपलब्धता, प्रतीक्षा सूची और नीतिगत आवश्यकताओं आदि के अनुसार बिकास के लिए प्राथमिकता पर निर्भर होती है। उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत यथासंभव कनेक्शन मुहैया कराने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

भारतीय उर्वरक निगम, गोरख पुर में पुरानी मशीनों का बदलना

8687. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम लि० के गोरखपुर स्थित एकक को बहुत पहले स्थापित किया गया था और इस एकक की मशीनें पूरी क्षमता से कार्य करने के लिए बहुत पुरानी हो गई है; और

(ख) क्या एक विशेषज्ञ समिति ने पुरानी मशीनों को बदलने के लिए मंत्रालय को कोई सुझाव दिया है और यदि हां, तो इस विषय पर क्या कार्यवाही की जा रही है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ख) जी हां, । यह एक पुराना एकक है तथा उसकी मशीनें पुरानी हैं। बी. डी. आई एल. को प्लांट का अध्ययन करने तथा उसके आधुनिकीकरण के लिए उचित उपाय सुझाने के लिए अधिकृत किया गया है।

राम गढ़ धनबाद में कोक ओवन प्लांट के बारे में सम्भाव्यता रिपोर्ट

8688. **श्री कुवंर राम :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने रामगढ़ मेंधनबाद एक क्षेत्र कोक ओवन रिकवरी प्लांट के बारे में संभाव्यता रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

औषधियों से संबंधित आयात नीति में परिवर्तन करने हेतु अनुरोध

8689. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उनके मंत्रालय को वर्ष 1983-84 के दौरान औषधियों से सम्बन्धित आयात नीति के प्रावधानों में परिवर्तन करने के बारे में कितने अनुरोध-पत्र प्राप्त हुए;

(ख) उन कम्पनियों के नाम क्या है और किन मदों के बारे में इस प्रकार अनुरोध प्राप्त हुए थे और उन मदों के देश में पहुचने पर दाम क्या है तथा स्वदेशी उत्पादक किन दामों पर उन्हें बिक्री के लिये देते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अनेक मामलों में इस प्रकार के अनुरोध पत्रों पर अब तक उनके मंत्रालय ने कोई निर्णय नहीं लिया है;

(घ) यदि हां, तो उन मदों के नाम क्या है जिनके बारे में इस प्रकार के अनुरोध पत्र लम्बित हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि इस कारण कुछ मदों के लिए क्षमता का उपयोग नहीं किया गया क्योंकि उनके मंत्रालय ने कोई कार्यवाही नहीं की है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ङ) औषधियों की आयात नीति के परिवर्तनों का सुझाव देने वाले आवेदन-पत्रों/अभ्यावेदनों के साथ आयात नीति में निर्धारित प्रोफार्मा में अपेक्षित जानकारी देना अनिवार्य है। कुछ आवेदन-पत्रों/में परिवर्तन करने के लिए वर्ष 1983-84 में कुल मिलाकर 36 आवेदन पत्र/ प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं।

सभी आवेदन पत्रों/अभ्यावेदनों की जांच की गई तथा उचित सुझाव दिये गये । भारत सरकार वाणिज्यिक मंत्रालय के अन्तिम निर्णय 12 अप्रैल, 1984 को घोषित वर्ष 1984-85 की आयात नीति में प्रतिलिम्बित होते हैं ।

औषध कंपनियों के लिये मुख्य नियंत्रण नीति और प्रणाली के बारे में कार्यदल की सिफारिशें

8690. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) मूल्य नियंत्रण नीति और तत्संबंधी प्रणाली के लिए गठित कार्यदल ने औषधों की किन-किन चिकित्सीय श्रेणियों की सिफारिश की है और ये किस आधार पर की गई है;

(ख) इस कार्य दल की अन्य मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) क्या कार्यदल ने अपनी सिफारिशें करने से पहले कतिपय तथ्यों की पुष्टि की थी यदि हाँ, तो इस प्रकार की गई जांच का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह सच है कि कार्यदल ने अनालजेसिकों, खांसी की राबती विटामिन युक्त औषधियों और दर्द निवारक दवाइयां आदि जैसी दैनिक उपयोग की दवाइयों के अनियंत्रण की सिफारिश की थी यदि हां तो इस प्रकार की सिफारिशें करने के लिए कार्यदल द्वारा क्या आधार और औचित्य बताया गया है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ङ) मूल्य निर्धारण, नीति तथा प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यकारीदल की सिफारिशों पर परिचालन समिति द्वारा विचार किए जाने केबाद राष्ट्रीय औषध एव भेषज विकास परिषद द्वारा विचार विमर्श किया जाएगा। राष्ट्रीय औषध तथा भेषज विकास परिषद द्वारा विचार किए जाने के बाद उन पर मंत्रालय के साथ सम्बद्ध परामर्शदायी समिति द्वारा विचार किया जाएगा और उसके बाद सिफारिशों की मत्रालय में जांच की जाएगी और उसके बाद ही सरकार द्वारा निर्णय लिए जाएंगे। सिफारिशें केवल निर्माणात्मक स्तर पर ही हैं और अभी तक कोई निर्णय नहीं किए गए हैं।

गंगा नदी को साफ करने की परियोजना

8692. **श्री माधव राव सिन्धिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा सम्बन्धी सलाहकार बोर्ड ने प्रधान मन्त्री को दी गई एक रिपोर्ट में गंगा नदी को साफ करने की एक परियोजना का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार द्वारा सुझाव का अध्ययन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) प्रधान मंत्री को सितम्बर, 1983 में प्रस्तुत की गई ऊर्जा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के पहले सेट में मल-मूत्र सहित शहरी कूड़े-कचरे को प्रोसेस करने के अनेक लाभों (स्वच्छ वातवरण सहित) का उल्लेख किया गया है। यह सिफारिश की गई थी कि इस कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर शुरू करने के लिए सातवीं योजना मे पर्याप्त आबंटन की व्यवस्था की जानी चाहिए। सिफारिशों का पहला सेट प्रस्तुत करते हुए प्रधान मंत्री को सम्बोधित पत्र में ऊर्जा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष ने यह सुझाव दिया था कि एक परियोजना एक बड़े शहर अर्थात् बम्बई को साफ करने के लिए तथा दूसरी गगा और यमुना नदी प्रणालियों के लिए शुरू की जानी चाहिए।

(ग) सुझावों का अध्ययन किया जा रहा है।

सतपुरा ताप बिजली संयंत्र में विस्फोट

8693. **श्री जयपाल सिंह कश्यप :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयंत्र में हाल ही में हुए विस्फोट के परिणाम स्वरूप सतपुरा ताप बिजली संयंत्र को भारी नुकसान हुआ और बड़ी संख्या में तकनीकी कर्मचारी घायल हो गए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ग) सतपुड़ा ताप विद्युत केन्द्र की 210 मेगा० की यूनिट (यूनिट सं० 9) में 31 मार्च, 1984 को लगभग 19.45 बजे विस्फोट हुआ था । विस्फोट के समय यूनिट सं० 9 को कोयला से शुरू करने के लिए नियंत्रण क्यूबिकल को पहली बार चालू किया जा रहा था । इस दुर्घटना के परिणामस्वरूप, 12 व्यक्ति घायल हो गये थे जिनमें से 5 व्यक्ति बाद में मर गये थे मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कार्यकारी निदेशक द्वारा की गई प्रारम्भिक जांच से यह मालूम हुआ है कि सर्किट ब्रेकर को स्थापित करने में कुछ कठिनाई थी और सम्भवत: दुर्घटना अधिक दबाव होने के कारण हुई थी। मध्य प्रदेश सरकार के अनुसार मध्य प्रदेश विधान सभा की सर्वजनिक उपक्रम समिति इस दुर्घटना की जांच करेगी।

दिल्ली के वकीलों द्वारा हड़ताल

8894. **डा० ए. यू. आजमी :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीस हजारी न्यायालयों में वकीलों की हड़ताल लम्बी हो जाने के कारण, मुकदमें करने वालों को परेशानी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) तीस हजारी न्यायालयों के वकीलों ने 23. 4. 1984 से हड़ताल समाप्त कर दी है ।

बहु राष्ट्रीय औषध कंपनियों द्वारा अपने देशों को लाभ की राशि भेजा जाना

8695. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहु राष्ट्रीय औषद कंपनियाँ अपना अर्जित लाभ अपने-अपने देशों को भेजती हैं; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उन कंपनियों द्वारा वर्षवार लाभ की कितनी राशि भेजी गई,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) तथा (ख) बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने अर्जित लाभ में से लाभांश तथा अन्य व्यय अपनी प्रमुख कपनियों को भेजती हैं। कुछ कंपनियों द्वारा भेजे गये लाभांश संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

विवरण

क्रम सं.	कंपनी का नाम	भेजे गए लाभांशों पर व्यय (रुपये लाखों में		
		1979	1980	1981
1	2	3	4	5
1.	मै. पार्क डेविस	21.00	14 70	21.00
2.	मै. जोनसन एण्ड जोनसन (आई) लि०	11.54	11.54	12.15
3.	मै· फाइजर लि०	90.72	124.74	185.48
4.	मै. मे एण्ड बेकर(आई.)लि.	शून्य	शून्य	65.30
5.	मै. बारनर हिन्दुस्तान लि०	12.90	18.49	21.24
6.	मै. बूट्स कंपनी (आई) लि.	14.85	18.00	शून्य
7.	मै. अलकली एण्ड कैमिकल्स कार्पो. आँफ(आई) लि०	17.00	18.00	29 00
8.	मै. वेयथ लेब्स लि.	11.29 (1978-79)	1(.99 (1979-80)	11.09 (1980-81)
9.	मै. यूनी-सेन्क्यो लि.	0.52 (1978-79)	0.60 (1979-80)	0.73 (1980-81)
10.	मै. इसके लेब्स. लि.	7.97 (1978-79)	2.38 (1979-80)	शून्य (1980-81)
11.	मै. बोहरिंगर लीन लि.	3.466 (1979-80)	3.4 (1980-81)	2.88 (1981-82)

1	2	3	
12. मै. रेपटोकोसब्रीट एण्ड कं.	शून्य	शून्य	शून्य
13. मै. रेकिटस एण्ड कोलमन लि.	11.97	13.466	17.955
14. मै. सर्ले(आई) लि.	1.42	10.18	2.27
15. मै. थेमिस कैमिकल्स लि.	0.56	0.56	0.56
16. मै. एंग्लो फ्रेंच ड्रग कंपनी	1.116	0.55	1.116
17. मै. रेलिस इन्डिया लि.	18 03	18.05	21.64
18. मै. सिनबायोटिक्स लि.	2.25	2.25	2.25

पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए वेतन बोर्ड

8696. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि समाचार पत्रों और समाचार एजेन्सियों में नियुक्त पत्रकारों और गैर पत्रकारों के लिए सरकार ने एक नया वेतत बोर्ड गठित करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) (क) और (ख) इस समय समाचारपत्र/न्यूज एजेंसियों के कर्मचारियों के लिए नये मजदूरी बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा बेनेजीन तथा टालुइन के मूल्यों में वृद्धि

8697. **श्री मोती भाई आर. चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 13 मार्च, 1980 को इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने अपने बेनेजीन के मूल्यों में प्रति किलोमीटर 50,000 रु० तथा टालुइन के मूल्य में 7 मार्च, 1980 से प्रति किलो लीटर 5060 रु० की वृद्धि की थी;

(ख) क्या यह सच है कि उसके तुरन्त पश्चात 22 मार्च, 1980 को इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी ने 17 अगस्त, 1979 से 5 मार्च, 1980 की अवधि के लिए अपने मूल्यों में 1350 रु० प्रति किलो लीटर की वृद्धि की थी अर्थात अधिभार धनराशि को समाप्त किया गया था और पूरी अग्रिम धनराशि स्वीकार करने के पश्चात 17 अगस्त, 1979 से अभी प्रभावी डिलीवरियों पर अपने उपभोक्ताओं से अतिरिक्त धनराशि का दावा किया था;

(ग) क्या मूल्यों में मूतलक्षी वृद्धि और अनुबन्ध दर पर पूरे अग्रिम भुगतान पर की गई सामग्रियों की सुपुर्दगी के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करना गैर कानूनी है; और

(घ) यदि हां, तो इन्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के इस गैर-कानूनी कार्य के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग के राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

बिहार में ग्रामीण विद्युतीकरण

8 9४. **श्री मनोहर लाल संनी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 अप्रैल, 1984 के इन्डिया टूडे में "विहार शार्ट सरकिटेड" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है;

(ख) योजना आयोग के इस सुझाव के बाद भी कि बिहार राज्य सरकार को बिहार राज्य बिजली बोर्ड में ही एक अलग ग्रामीण विद्युतीकरण कक्ष जिसका खाता अलग होगा, का गठन करना चाहिए, बिहार के ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम के मामले में बहुत पीछे रहने के क्या कारण हैं; और:

(ग) क्या उनके मन्त्रालय का विचार बिहार के गांवों का तेजी से ग्रामीण विद्युतीकरण सुनिश्चित करने का है और क्या बिहार में गांवों की कुल संख्या उनमें से विद्युतीकरण किए गए गांवों की संख्या बिजली प्रदान किए गए पम्प सैटों की संख्या तथा बिजली उपलब्ध कराई गई अनुसूचित जातियों और आदिवासी लोगों की बस्तियों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) यह सही है कि बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बोर्ड के अन्तर्गत अलग से एक संगठन का सृजन किया है। राज्य बिजली बोर्ड से प्राप्त हुई अद्यतन प्रगति रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 1984 के अन्त तक 67,566 गांवों में से 32 794 गांव विद्युतीकृत किए जा चुके हैं। इसी तारीख तक 1,87,349 सिंचाई पम्प सेट/ट्यूबवैल अर्जित किए जा चुके हैं। दिसम्बर. 1983 के अन्त तक राज्य के 17,250 आदिवासी गांवों में से 2,980 गांवों को बिजली की सुविधा दी जा चुकी थी। उन गांवों की कुल संख्या जहां पिछड़ी हुई जातियां आबाद हैं 9,044 बस्तियों में सड़क पर रोशनी की सुविधा दी गई है। राज्य में विद्युतीकरण का स्तर निम्नलिखित कारणों से बेहतर नहीं हो सका :—

1. सामग्री की कमी।

2. राज्य बिजली बोर्ड द्वारा ग्राम विद्युतीकरण निगम की निधियों का अन्य स्कीमों के लिए व्यपवर्तन किया जाना।

3. विद्युत सप्लाई की कमी।

4. ट्रांसफार्मरों को बड़े पैमाने पर क्षति तथा मरम्मत के लिए सीमित सुविधाओं के कारण मरम्मत में बिलम्ब होना तथा उपभोक्ताओं द्वारा बकाया राशियों का भुगतान न करना।

5. उप-पारेषण प्रणाली का पर्याप्त न होना।

6 सर्विस कनेक्शन मुहैया करने के लिए बोझिल प्रक्रिया।

7. ऋण सुविधाओं की कमी।

8. राज्य बिजली बोर्ड की विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय की कमी।

ग्राम विद्युतीकरण के कार्य में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार/राज्य बिजली बोर्ड के साथ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य की गति बढ़ाने के लिए समय-समय पर समीक्षा बैठकें की जाती हैं। कार्य की गति बढ़ाने के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम ने विभिन्न कदम उठाए हैं, इनमें ये शामिल हैं :—

1. स्कीमों के समय पर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए तथा इस बात की सुनिश्चितता के लिए कि निधियों का सही प्रयोग हो इसके लिए ग्राम विद्युतीकरण परियोजनाओं की डिजायन तथा ऋण नीति तैयार की गई है।

2. निगम, राज्य बिजली बोर्ड को सामग्री खरीदने के लिए वार्षिक आवटंन का 60% का सीमा तक अग्रिम सामग्री सूची ऋण देता है जो कि परियोजना की लागत का लगभग 2/3 भाग बैठता है।

3. क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों की मरम्मत करने के लिए कार्यशालाएं स्थापित करने के लिए परियोजनाएं तैयार करने के लिए निगम ने राज्य बिजली बोर्ड को कहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में उचित सप्लाई बनाए रखने में सहायता होगी।

4. निगम के राज्य की कृषि के लिए विद्युत की रूप रेखा तैयार की है जिसमें राज्य के ग्राम विद्युतीकरण का कार्य तेज करने के लिए समयबद्ध नीतियों का सुझाव दिया गया है। इस रूप रेखा पर पटना मे एक उच्च-स्तरीय गोष्ठी में विचार विमर्श किया गया था।

5, निगम ने पहले ही अनेक पर्याप्त संख्या में स्कीमें स्वीकृत की हैं, जिनमें 19000 गांव शामिल हैं जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है।

नई दिल्ली में मालवीय नगर, किदवई नगर और सफदरगंज एनक्लेव क्षेत्रों में टेलीफोनों का खराब रहना

9699. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 अप्रैल 1984 के इंडिया एक्सप्रेस में डैड टेलीफोन अनएटेंडिड शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो टेलीफोनों को प्राथमिकता के आधार पर ठीक करने में टेलीफोन विभाग द्वारा दिखाई जा रही उदासीनता और सुस्ती के क्या कारण हैं तथा इन टेलीफोनों को शीघ्र ही ठीक करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

टेलीफोनों के बढ़ा-चढ़ा कर भेजे गए बिलों का भुगतान न करने के कारण कितने टेलीफोन काट दिए गए हैं और कितने मामलों में एक्सचेंज वार तत्सम्बन्धी अपील विभाग के विचाराधीन है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल): (क) जी हां।

(ख) टेलीफोन ठीक कर दिए जाते हैं और केवल खराबी के मामलों में टेलीफोन ठीक करने के लिए मरम्मत कार्य में कुछ समय लगता है जो स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा सड़क खुदाई को देर से अनुमति देने तथा यातायात सम्बन्धी प्रतिबन्धों जैसी अपरिहार्य परिस्थितियों जो टेलीफोन विभाग के नियंत्रण से बाहर है, के कारण होता है। फिर भी भूमिगत केबिल दोषों को ठीक करने के लिए सड़कों की खुदाई की अनुमति देने के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारियों से निरन्तर सम्पर्क बनाया जाता है।

(ग) अधिक राशि के बिल का भुगतान न करने के कारण कोई भी टेलीफोन तब तक नहीं काटा जाता है जब तक की अधिक मीटर पठन के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी ने अपना निर्णय न दिया हो।

इस समय उपलब्ध 31.3.84 तक की क्षेत्रवार अपील इस प्रकार है :—

सेंट्रल	368
पूर्व	856
उत्तर	1145
दक्षिण	365

दिल्ली में पांच न्यायिक जिले बनाने के लिए वकीलों का आन्दोलन

8700. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में पांच न्यायिक जिले बनाने के लिए वकीलों के आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : समाधान प्रद हल ढूंढने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और इस उद्देश्य से गृह मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है जिसमें इस समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है। तीस हजारी न्यायालयों के वकीलों ने 23.4.1984 से हड़ताल भी समाप्त कर दी है।

बल्क उत्पादन प्राप्त करने के लिए नई भारतीय कंपनियों के लिए नीति

8701. **श्री सज्जन कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या सरकार नई औषध नीति के पैरा (2) ग्यारह के अनुसार भारतीय औषध उपयोग को प्राप्त फार्मूलेशनों के लाइसेंस क्षमता से दस गुना उत्पादन करने की अनुमति दे रही है तथा उसकी बल्क औषधि का उत्पादन मूल्य कितना है,

(ख) बल्क उत्पादन प्राप्त करने के संबंध में नई कम्पनियों के लिये क्या नीति बनाई गई है, नई औषध नीति के कार्यान्वयत के बाद औषध बनाने संबंधी नई कम्पनियों के कितने आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये गये हैं और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार नई औषध नीति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उनके आवेदन पत्रों की पुनरीक्षा करने का है, यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) (क) जी, हाँ।

(ख) पैरा 22 (xi) में दी गई नीति नई कम्पनियों पर भी लागू होती है। नई औषध नीति की घोषणा के पश्चात् फार्मूलेशनों के निर्माण के लेख निम्नलिखित 6 नई कम्पनियों के औद्योगक लाइसेंस के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को प्रत्यक्षत: अस्वीकृत कर दिया गया था :—

1. मैसर्स गुजरात इलैक्ट्रो कैम लि०
2. मैसर्स साउदर्न पेट्रोकैम इन्ड० कार्पोरेशन
3. मैसर्स स्टैन्डर्ड अल्कली एण्ड कैम डिविज़न
4. मैसर्स अनलजीत सिंह
5. मैसर्स बाम्बे पोट्रीज
6. मैसर्स प्रताप दूबे

(ग) 1978 की औषध नीति पहले ही राष्ट्रीय औषध एवं भेषण विकास परिषद के विचाराधीन है।

नई औषध नीति के अन्तर्गत तकनीकी विकास महानिदेशालय के एकन्यों के लिए औद्योगिक लाइसेंस

8702. **श्री सज्जनकुमार** : क्या **रसायन और ऊर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई औषध नीति के पैरा 12 (चौदह) के अन्तर्गत तकनीकी विकास महा-निदेशायल के एककों को औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करने थे,

(ख) क्या सभा पटल पर नई औषधि नीति के रखे जाने के बाद इस निर्णय में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त परिवर्तन का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) (क) से (ख) जी हां।

(ग) नई औषध नीति के आवश्यक अनुबन्धों को पूर्ण करने की शर्त पर औषध उद्योग के मामले में भी डी० जी० डी० डी० से पंजीकरण की योजना को चालू रखने का फैसला किया गया। यह भारतीय गैर—एम० आर० टी० पी० कम्पनियों के विकास को बढ़ावा देने तथा लाइ-सेंसिंग की प्रक्रिया को सरल बनने के विचार से किया गया है।

स्वदेशी उद्योग के लिए अद्यतन प्रौद्योगिकी का आयात

8704. **श्री सज्जन कुमार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) औषध उद्योग के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी के आयात के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयत्न कि गए हैं, किन-किन मदों के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी का आयात किया गया है और इससे स्वदेशी उद्योग को वहाँ तक मदद मिली है; और

(ख) जिन विदेशी कम्पनियों से नवीनतम तकनीक की माँग की गई है उनका ब्यौरा क्या है, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस प्रकार के आयात की शर्तें क्या है, प्रौद्योगिकी के आयात से स्वदेशी उद्योग को आत्मनिर्भर बनने में कहाँ तक मदद मिली है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) औषधों के निर्माण के लिए सरकार प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति सरकार की निर्धारित नीति के अन्तर्गत प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर देती है। 1983-84 के दौरान अनेक औषध मदों के सम्बन्ध में विदेशी सहयोग के लिए अनुमोदन प्रदान किए गए हैं। कुछ महत्वपूर्ण मदे, जिनके लिए प्रौद्योगिकी के आयात के लिए अनुमति दी गई है, निम्न प्रकार हैं :—

1. नेलिडिक्सिड एसिड
2. पेन्टोजोसाइन
3. फिनाइलफिक्साइन एच० सी० एल०
4. बोनोरिलेट

5. डी—फेनिग्लिसाइन/पेरा-हाइड्रोक्सीफेनिलग्लाइसिन

6. 6—ए० पी० ए०

7. ई० एम० एम० ई०

8. सालीसाइलिक एसिड और एस्पिरीन

9. रिफेम्पीसिन

10. डी—नेप्रोक्सेन

जहाँ तक सार्वजनिक क्षेत्रीय औषध कम्पनियों का सम्बन्ध है, केवल हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड ही इस समय रिफेम्पिसिन का निर्माण करने के लिए बाहर से प्रौद्योगिकी की तलाश कर रही है। ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, प्रौद्योगिकी का आयात केवल तभी करते हैं जब सुयोग्य प्रौद्योगिकी स्वदेश में उपलब्ध नहीं होती।

राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों में संचित हानि तथा पूंजी निवेश

8705. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों में इनके अधिग्रहण के बाद वर्ष वार हुई संचित हानि का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) राष्ट्रीय कृत कोयला कंपनियों में इनके अधिग्रहण के बाद वर्ष-वार किये गये संचित पूंजी निवेशों का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हानि कोयला कंपनियो की प्राधिकृत पूंजी से अधिक हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्यमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) कोल इन्डिया लि. की वर्ष 1982-83 की वार्षिक रिपोर्ट और खातों के अनुसार कोल इन्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों को 31-3-1983 तक हुआ संचयी घाटा रु० 841.88 करोड़ था। कोल इन्डिया लि० की सहायक कंपनियों को और पूरे कोल इन्डिया लि० को 1975-76 से जो मुनाफा घाटा हुआ है उसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कोल इन्डिया लि० में सरकार का निवेश इक्विटी पूंजी और दीर्घकालीन ऋणों के रूप में 31-3-1983 को रु० 3254.88 करोड़ था—यह आंकड़े कोल इन्डिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों के लेखा-परीक्षित तुलन-पत्रों के अनुसार हैं।

(ग) और (घ) : जी नहीं। कोल इन्डिया लि० की अधिकृत पूंजी 31-3-1983 को रु० 2000 करोड़ थी, फिर भी, कोल इन्डिया लि० में उत्पादन बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार करने के लिए जो उपाय किये जा रहे उनमें यह बातें शामिल है—नयी खानों में विशाल धनराशि का निवेश, जो खनन क्षमता पहले ही बनाई जा चुकी है उसका पूरा उपयोग, उन्नत तकनालाजी तेजी से लागू करना, उपकरणों का अधिक कुशल प्रयोग और बेहतर अनुरक्षण, भंडार सूची पर कड़ा नियंत्रण और भंडार सामग्री के इस्तेमाल में किफायत, जन-शक्ति का बेहतर उपयोग जिसके लिए अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण किया जा रहा है और अनुशासन कड़ा किया जा रहा है अर्थात् बेशी कामगारों का पता लगाकर उन्हें समुचित प्रशिक्षण के बाद दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, बिजली, विस्फोटक पदार्थ लकड़ी, आदि दुर्लभ उत्पादन सामग्रियों की बेहतर उपलब्धि, कोयले की तेजी से ढुलाई करके और बेहतर प्रणाली से वितरण करके खान मुहाना स्टाक कम करना, नयी परियोजनाओं को तेजी के साथ समय से पूरा करना, बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और माफिया गिरोहों की गतिविधियों पर नियंत्रण।

विवरण

वर्ष 1975-76 से कोयला कम्पनियों को हुए मुनाफे/घाटे का विवरण-पत्र

(+)=मुनाफा (—)=घाटा

(रु० करोड़ में)

वर्ष	को०इ०लि० (ना०ई०को०)	ई०को०लि०	वे०को०लि०	भा०को०को०लि०	से०को०लि०	के०खा०आ० डि०सं०लि०	कुल
1975-76	(—)37.36	(—) 3.21	(—) 4.88	(—) 16.63	(+) 6.89	—	(—) 55.19
1976-77	(—) 2.19	(—) 29.92	(—)23.92	(—) 21.53	(+) 2.34	—	(—) 75.22
1977-78	(—) 2.32	(—) 53.24	(—)27.03	(—) 37.11	(—) 8.46	—	(—) 128.16
1978-79	(—) 3.29	(—)102.22	(—)36.72	(—) 79.18	(—) 19.90	—	(—) 241.31
1979-80*	(—) 1.85	(—) 81.17	(+) 5.09@	(—) 45.29	(+) 35.06	(+)0.10	(—) 88.06
1980-81*	(—) 1.70	(—) 91.20	(+)19.78f	(—) 43.94	(+) 83.36	(+)0.36	(—) 33.34
1981-82**	(—) 1.47	(—) 87.85	(+)41.28	(—) 40.10	(+)121.48	(+)0.86	(+) 34.20
1982-83***	(—) 1.96	(—) 55.32	(+)14.16	(—) 3.64	(+) 40.92	(+)0.50	(—) 5.34

1983-84 खाते अभी पूरे नहीं हुए हैं। &&

@ निवेश भत्ता निधि बनाने के लिए रु० 5.82 करोड़ लेने से पहले;

* पिछली अवधि के समंजन को निकालकर

f निवेश भत्ता निधि बनाने के लिए रु० 19.50 करोड़ लेने से पहले

** पिछली अवधि के समंजन को निकालकर और विकास छूट निधि, निवेश भत्ता आदि लेने/वापिस लेने से पहले,

*** निवेश भत्ता निधि बनाने से पहले

&& कोयला कीमत विनियम खाता को/से अंशदान के समंजन के बाद; कोयला कीमत विनियम खाता को/से अंशदान के समंजन के पहले, कोल इंडिया लि० को कुल मिलाकर रु० 37.45 करोड़ का मुनाफा हुआ।

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक फोन केन्द्रों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना

8706. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक केन्द्रों और टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए क्या नीति निर्धारित की गई है और इस प्रयोजन हेतु पात्रता और देय छूटों की शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए मध्य प्रदेश में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है और किस सीमा तक यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने की नीति अनुबंध—एक, दो या तीन में दी गई है।

[ग्रन्थालय में रखे गये देखिए संख्या एल० टी० 8250/84]

(ख)

	1983-84 के लिए लक्ष्य	उपलब्धि
लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर	80	720
टेलीफोन एक्सचेंज	30	15

बिहार में बराहा, बिसफी और सिमरी डाकघरों का दर्जा बढ़ाया जाना तथा मनोहरपुर और मसुकिया आदि में नए डाकघर खोला जाना

8707. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या **संचार मन्त्री** दिनांक 28 फरवरी, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या-477 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संबंधित शाखा डाकपालों की यह आशंका है कि वे अपना आंशिक कार्य खो बैठेंगे, संबंधित शाखा डाकघरों की वास्तविक क्षमता और कार्य का दर्जा घटा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बिसफी एक ब्लाक मुख्यालय तथा 13वीं, 14वीं शताब्दि के कवि विद्यापति की जन्मभूमि होने के कारण एक पर्यटन केन्द्र है जिसमें सैकण्डरी स्कूल और मार्केट है, बराहा से संस्कृत महाविद्यालय है, एक बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है तथा सिमरी में दो माध्यमिक विद्यालय तथा एक पूर्ण विकसित बाजार है और तीनों स्थानों पर बैंक शाखाएं है;

(घ) क्या इस समय बरास्ता क्योटिरुनबे, पिंडारुचका और कमटाल तथा बराह और सिमरी ई० डी० सब-आफिस के रूप में काम करते हैं इन शाखा डाकघरों को मिला कर एक उप डाकघर के रूप में बिसफी का दर्जा बढ़ाने की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बिजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। दर्जा बढ़ाने के संबंधित लेखा अधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित हैं जिन्हें निरीक्षक डाकघर द्वारा संग्रहीत एवं सत्यापित किया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) बिस्फी, बराहा और सिमरी का कार्य घंटों और आय के आधार पर दर्जा बढ़ाने का औचित्य नहीं पाया गया। डाकघरों का विभागीय उप डाकघरों में दर्जा बढ़ाने के लिए तो मानदंड निर्धारित किए गये हैं उनके अनुसार प्रस्तावित डाकघर का कार्यभार प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे का होना चाहिए और ग्रामीण इलाकों में दर्जा बढ़ाए जाने पर घाटा 1000 रु० से अधिक नहीं होना चाहिए।

रासानी (महाराष्ट्र) स्थित हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० संयंत्र में विस्फोट

8708. **श्री जेवियर अराकाल** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैस्केट को पकड़ने वाले आठ बोल्टों में से एक या अधिक के ढीले हो जाने जैसी किसी तकनीकी खराबी के कारण गैस्केट के शायद एक ही दिशा की ओर फैलने के कारण 21-3-1984 को रासायनी (महाराष्ट्र) स्थित हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमीकल्स लि० संयंत्र में एक दुर्घटना/विस्फोट हुआ यदि हां, तो बोल्टों की अन्तिम बार कब जांच की गई और क्या यह जांच विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार थी, और

(ख) क्या यह रख-रखाव कर्मचारियों और अथवा उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन कार्य कर रहे रिएक्टर बी. की जांच/पर्यवेक्षण करने वाले कर्मचारियों की लापरवाही के कारण हुआ, यदि हां, तो इसके लिए दोषी पाये गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है,

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) 21 मार्च, 1984 को हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० रसायनी के विट्रिक एसिड का रिसाव हुआ। प्रारम्भिक रिपोर्ट से पता लगता है कि यह गैसकेट की खराबी के कारण हुआ। ब्यौरों की जाँच की जा रही है। कम्पनी ने सूचित किया है कि रिएक्टर को चालू करने से पहले बोल्टों की जाँच की गयी थी तथा जांच का कार्य समय-सूची के अनुसार किया गया था।

(ख) अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना के समय संयंत्र सामान्य परिस्थिति में चल रहा था। दुर्घटना के ब्यौरों की जांच करने के लिये कम्पनी ने एक तकनीकी समिति नियुक्त की है।

भारत में बसे, भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को नागरिकता का अधिकार

8709. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आदि राज्यों में बस गए हैं, केन्द्रीय सरकार को उन्हें नागरिकता के अधिकार, जहां अभी नहीं दिये गए, देने के लिए अभ्यावेदन दिया है,

(ख) यदि हां, तो नागरिकता के अधिकार देने के लिये क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के साथ पत्र-व्यवहार किया है, यदि हां, तो इस मामले में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) केवल उन पात्र प्रवासियों को छोड़कर, जिन्हें दण्डकारण्य में बसाया गया है, सभी पात्र प्रवासियों को उस क्षेत्र से संबंधित जिला अधिकारियों, जिसमें कि उन्हें बसाया गया है, के पास भारतीय नागरिकता दिए जाने के लिए आवेदन करना होता है। प्रत्यावासियों को पात्र पाए जाने पर दण्डकारण्य विकास प्राधिकरण को उन्हें नागरिकता प्रमाण-पत्र देने के अधिकार दिए गये हैं। तथापि, राज्य सरकारों से आवेदन-पत्रों की प्रक्रिया में तेजी लाने की सलाह दी गई है। तीनों राज्य सरकारों ने इसी प्रकार के आदेश जिला प्राधिकारियों को भेज दिए गए हैं। स्थायी दायित्व गृहों में रह रहे परिवारों को नागरिकता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) अगस्त, 1983 में राज्यों के पुनर्वास मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों से प्रक्रिया तेज करने का अनुरोध किया गया था।

आल इंडिया रेडियो के रोहतक स्टेशन में प्रोड्यूसर (लोक संगीत के पद पर नियुक्ति)

8710. **श्री रामविलास पासवान :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अक्तूबर, 1983 में आल इंडिया रेडियो के रोहतक स्टेशन में प्रोड्यूसर (लोक संगीत) के पद के लिए साक्षात्कार किया गया था,

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उपरोक्त पद अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आवेदकों के लिए आरक्षित था;

(ग) क्या यह भी सच है कि उपरोक्त पद के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मैट्रिकुलेट निर्धारित थी और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्नातकोत्तर आवेदकों ने साक्षात्कार दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो इस उपरोक्त पद को अनारक्षित करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या इस पद की अनारक्षित करने के पश्चात् सवर्ण हिन्दू के आवेदक की उपरोक्त पद पर नियुक्ति की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस पद के लिए मैट्रिक परीक्षा पास के समकक्ष सामान्य शैक्षिक अर्हताओं के अलावा निम्नलिखित अन्य आवश्यक अर्हताएं निर्धारित हैं--

(1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संगीत में उपाधि या डिप्लोमा ।

या

सार्वजनिक संगीत सभाओं या रेडियो पर कार्य निष्पादन के अच्छे रिकार्ड के साथ उच्च स्तर के पर-फोरमर के रूप में लोक संगीत के क्षेत्र में या लोक संगीत के पाठों और सुरों का संग्रहण तथा परिरक्षण करने में अनुसंधान कार्यकर्ता के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव ।

(2) रिक्ति से सम्बन्धित क्षेत्र (हरियाणा) के लोक संगीत का ज्ञान तथा इस प्रकार के संगीत के अनुरूप वाद्य यन्त्रों तथा प्रस्तुतीकरण की शैलियों का ज्ञान ।

(3) क्षेत्र (हरियाणा) की ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ज्ञान। इस पद के के लिए जिन दो उम्मीदवारों का इन्टरव्यू लिया गया था उनमें से एक स्नातकोत्तर तथा दूसरा स्नातक था।

(घ) यह पद अब भी आरक्षित पद है।

(ङ) जी, नहीं।

भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति

8711. **श्री मोहम्मद असरान अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;

(क) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों पर नियुक्त हिन्दी अधिकारियों के कार्य क्या हैं;

(ख) ऐसे हिन्दी भाषी केन्द्रों पर जहाँ समस्त कार्य हिन्दी में होता है और अंग्रेजी जानने वाले कर्मचारियों की संख्या नाममात्र की है हिन्दी अधिकारी नियुक्त करने का क्या औचित्य है;

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित केन्द्रों पर हिन्दी अधिकारियों के स्थान पर कार्यक्रमों के भाषा विशेषज्ञों की नियुक्ति करने का है जिससे कि कार्यक्रमों में और सुधार आ सके; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों में नियुक्त हिन्दी अधिकारियों के कार्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राजभाषा अधिनियम, 1963 के अनुसार, उक्त अधिनियम की धारा 3 (3) में निर्दिष्ट कागजपत्रों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग अनिवार्य है। इसलिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के विभिन्न उपबन्धों के कार्यान्वयन, के सम्पर्क और समन्वय में सहायता करने के लिए हिन्दी अधिकारियों को रखना आवश्यक है।

(ग) हिन्दी अधिकारियों के स्थान पर अन्य अधिकारी को रखने का इस प्रकार का फिल हाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

आकाशवणी केन्द्रों पर हिन्दी अधिकारियों के कार्य :—

(क) विभिन्न आकाशवाणी केन्द्रों पर नियुक्त हिन्दी अधिकारियों के कार्यों में निम्न-

लिखित शामिल हैं :—

(1) अंग्रेजी से हिन्दी तथा हिन्दी से अंग्रेजी में अनुवाद तथा उसकी वेटिंग ।

(2) विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को राजभाषा से संबंधित आदेशों से अवगत करना तथा उनके कार्यान्वयन में उनकी सहायता करना ।

(3) संबंधित विभाग तथा अपने अधीन कार्यालयों, अनुभागों, कम्पनियों, निगमों, इत्यादि में राजभाषा अधिनियम के उपबन्धों तथा हिन्दी प्रशिक्षण और राजभाषा से संबंधित आदेशों को उपयुक्त रूप से कार्यान्वित करवाना ।

(4) विभाग या कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करना तथा समय-समय पर इन समितियों की बैठकें आयोजित करना, इस प्रकार की बैठकों कार्यसूची और कार्यवृत तैयार करना और इन बैठकों के निर्णयों पर की गई कार्यवाई का समन्वय करना ।

(5) हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग बढ़ाने के लिए समयसमय पर सुझाव देने और इस सम्बन्ध में उचित माध्यम से राजभाषा विभाग से सम्पर्क बनाए रखना ।

(6) सहायक और सन्दर्भ साहित्य तैयार करना, अधिकारियों और कर्मचारियों को हिन्दी सीखने और सरकारी कामकाज में उसका प्रयोग करने में सहायता करने के लिए हिन्दी कार्यशालाओं की व्यस्था करना ।

हिंदुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स संयंत्र रसायनी में विस्फोट के कारण किए गए राहत कार्य

8713. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या **रसायन और उपर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० संयंत्र, रसायनी (महाराष्ट्र) में 21 मार्च, 1984 को दुर्घटना/विस्फोट के कारण प्रभावित व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या राहत कार्य किये गये हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का क्या दायित्व है,

(ख) क्या सरकार के कार्य के अतिरिक्त अन्य राहत कार्य किये गये हैं और क्या वे सांविधिक हैं अथवा अन्य रूप में हैं,

(ग) क्या यह सच है कि प्रभावित व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स का कर्मचारी नहीं था और वे सभी अनुबंध कर्मकार थे, यदि हां, तो उनकी क्या सेवा शर्तें है और ठेकेदार का इस मामले में क्या दायित्व है, उसका पूरा ब्यौरा क्या है और उनको किस सीमा तक पूरा किया है; और

(घ) क्या सरकार का इस अनुभव को ध्यान में रखते हुए इस बिषय में संशोधित नियम को बनाने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) 21.3.84 की दुर्घटना के बाद हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० द्वारा निम्नलिखित राहत के उपाय किए गए हैं—

1. अब सभी छः व्यक्तियों को अम्बूलेंस से तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जो जल गए थे

2. इन व्यक्तियों को तत्काल अस्पताल में भर्ती करने सहित चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई ।

3. दवाओं, एक्सरे. इ. सी. जी., खुराक, भोजन, से संबधित मदों का सारा व्यय हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिल्स लि० द्वारा वहन किया गया ।

4. कम्पनी ने प्रत्येक मृत व्यक्ति के परिवार को 5000/3. का तथा प्रत्येक घायल व्यक्ति को 1000/-3. का अनुग्रहपूर्वक भुगतान किया है ।

5. मृत/घायल व्यक्तियों के परिवारों से वितरण के लिए हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० के सभी कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एक दिन के वेतन का अंशदान दिया है ।

(ग) और (घ) : जी हां, ठेका श्रेमिकों की सेवा शर्तों तथा ठेकेदारों के दायित्वों में सांविधिक उपबन्धों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, कार्यघण्टों को अनुपालन, साप्ताहिक छुट्टी, छुट्टी, विज्ञान अन्तराल, कल्याण उपायों :—जैसे कि पीने के पानी, कैंटीन की सुविधा, प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएँ, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार मृत्यु तथा विकलांगता के मामले में कर्मकारों को मुआवजे का भुगतान शामिल है । एच ओ. सी. के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि ठेकदार इन शर्तों को पूरा कर रहे हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार मृत व्यक्तियों के संबंध में कर्मकारों के मुआवजे, अधिनियम के अधीन यथा निर्धारित, मृत व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों को भुगतान के लिए आयुक्त कर्मकार प्रतिकार के पास जमा रवा दिए गए हैं ।

हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० रसायनी (महाराष्ट्र) द्वारा एक गैर-सरकारी पार्टी को रख-रखाव के लिए ठेका देना

8714. **श्री अर्जुन सेठी** : **क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसायनी (महाराष्ट्र) में हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि० के पास संस्थान के अन्दर ही रिएक्टर कबर को हटाने, रिएक्टर आदि पाइपों को जहां पर 21 मार्च, 1984 को दुर्घटना/विस्फोट हुआ था अलग करने जैसे आन्तरिक जांच से संबंधित कार्यों को शुरू करने और पूरा करने के लिए आवश्यक तकनीकी/जानकारी/आधारभूत सुविधाएं/कर्मचारी थे; और

(ख) यदि हां तो यह कार्य मैं० एस० पी० कंसट्रक्शन वेनघर को सौंपने के क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) और (ख) एच. ओ. सी. के पास रियेक्टरों का आन्तरिक निरीक्षण करने के लिए संगठन के अन्दर ही आवश्यक तकनीकी जानकारी और इनफ्रास्ट्रक्चर है। तथापि, अनुरक्षण और निरीक्षण के लिए रियेक्टरों को नियोजित रूप से बन्द करने के दौरान निहित कार्य सामान्यत : ठेकेदारों को दिए जाते हैं। दिनांक 21 मार्च 1984 की दुर्घटना रियेक्टर "ए" में नहीं हुई है जिसे अनुरक्षण और निरीक्षण के लिए बन्द किया गया था। अनुरक्षण और निरीक्षण का यह कार्य मैसर्स ए. एस. पी. ई. कन्सट्रदशन को दिया गया था जिन्हें ऐसे कार्य करने का अच्छा अनुभव है।

बीड़ी निर्माण तकनीक के लिए प्रशिक्षण केन्द्र

8715. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे कितने प्रशिक्षण केन्द्र है जहां पर बीड़ी निर्माण तकनीक का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) इन केन्द्रों की राज्य-वार संख्या क्या है और उनका अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार इन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षार्थियों को कोई सहायता देती है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) ऐसा कोई केन्द्र स्थापित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नही उठते।

मैं० खाण्डेलवाल लैबोरेट्रीज लि० द्वारा निर्मित दवाएं

8716. **श्री के० लकप्पा** :

श्री धर्मदास शास्त्री : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) खाण्डेलवाल फैरो एलायंस लि० की एक यूनिट खांडेलवाल लैबेरेट्रीज लि० बम्बई द्वारा इस समय कौन-कौन सी दवाएँ और फार्मूशन तैयार किए जा रहे हैं, और

(ख) क्या इस कम्पनी ने नई दवाओं के निर्माण के लिए नए लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है और यदि हां, तो इसका पूर्ण ब्यौरा क्या है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) मैसर्स खण्डेलवाल लेबोरेटीज, एक लघु उद्योग एकक, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा बनाए जा रहे फार्मूलशनों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं ।

विवरण

1. एडीप्लोन 12 ड्राप्स
2. एमीवान गोलियां
3. एमोक्सीवान ड्राई सिरप
4. एमोक्सीवान कैप्सूल 250 मिग्रा
5. एमोक्सीवान कैप्सूल 500 मिग्रा
6. एस्माप्लोन गोलियां
7. एस्माप्लोन सी प्रेडनीसोलोन गोलियां
8. एवाफोर्टन गोलियां
9. एवाफोर्टन इन्जेक्शन
10. एवामोल ड्राप्स
11. वेसन्टिन गोलियां
12. साइक्लोफोस्फामाइड गोलियां
13. साइक्लोफोस्फामाइड 100 मिग्रा इन्जेक्शन के लिए
14. साइक्लोफोस्फामाइड 200 मिग्रा इन्जेक्शन के लिए
15. साइक्लोफोस्फामाइड 500 मिग्रा इन्जेक्सन के लिए
16. साइनोप्लोन इन्जेक्शन 500 एमसीजी शीशी 10 मिलि में

17. साइनोप्लोन इन्जेक्शन 1000 एम-सीशी 10 मिलि में

18. डाई-केलसिल-प्लैक्स

19. डिलजित गोलियां

20. ड्राप्लोन—10 इन्जेक्शन

21. डुराप्लोन—25 इन्जेक्शन

22. डोप्रांम इन्जेक्शन

23. इड्रोक्स आई ड्राप्स

24. इन्डोक्सान-आस्टा 50 मिग्रा गोलियां

25. इन्डोक्सान-आस्टा इन्जेक्शन 100 मिग्रा

26. इन्डोक्सान आस्टा इन्जेक्शन 200 मिग्रा

27. इन्डोक्सान-आस्टा इन्जे. 500 मिग्रा

28. इक्सीप्लोन कफ सिरप

29. ग्लाइकोपारोलेट इन्जे.

30. होनबैन इन्जे.

31. होनवेन गौलियां

32. हेलोक्सेन इन्जे.

33. इनफ्लावेन गोलियां

34. मेविन्डाजोल गोलियां

35. मेथोकार्बामोल गोलियां

36. मेट्रोनिडाजोल गोलियां

37. मेसना इन्जे.

38. नेन्ड्रोलोन फिनाहब प्रोपियोनेट इन्जे.

39. न्यूरोप्लोन 12 इन्जे.

40. आक्सीफेनबूटाजोन गोलयां

41. न्यूट्रीप्लोन जनरल टोनिक

42. रोवीनेक्स इन्जे.

43. रोवीनेक्स गोलियां

44. रोवीनेक्सोल गोलियां

45. सोमाटीन इन्जे.

46. सोमाटीन गोलियां

47. सेलनेप्लोन गोलियां 2 मिग्रा

48. "वही" 4 मिग्रा

49. साइस्ट्राल गोलियां

50. साइस्ट्राल सी गोलियां

51. साइस्ट्राल क्रीम

52. टेट्रासाइक्सीन केप्सूल्स

53. वर्मीसोल 50 गोलियां

54. वर्मीसोल 150 गोलियां

55. वर्मीसोल सिरप

प्रो० मधुदंडवते (राजापुर) : मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना है। प्रधान मन्त्री ने चण्डीगढ़ में घोषित किया है कि पंजाब में खुफिया एजेंसी में अपराधियों और सम्प्रदायवादियों के भर्ती किए जाने के लिए जनता सरकार उत्तरदायी थी। जिसने कि अकाली दल के साथ संयुक्त सरकार बनाई थी, और इसीलिए पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही है।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह बहुत ही आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : सभा से वाहर आप भी कह सकते हैं। यह एक राजनीतिक आक्षेप है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : यह वक्तव्य किसी छोटे-मोटे व्यक्ति का नहीं बल्कि प्रधानमन्त्री का है। यह बहुत ही आपत्ति जनक है।

श्री सतीश अग्रवाल : यह घोर आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं सोचता। इसमें विशेषाधिकार की कोई बात नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : जब सभा का सत्र चल रहा है तब सभा से बाहर इस तरह की नीति की घोषणा करना विशेषाधिकार भंग का मामला है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : विशेषाधिकार का प्रश्न ही नहीं उठता आप भी·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री हरिकेश जी, मैं प्रो० दंडवते को उत्तर दे रहा हूँ। आप केवल बाधा डाल रहे हैं। मैं प्रो० दंडवते से कुछ कह रहा हूं।

यह राजनीतिक आक्षेप है। आप भी·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका मतलब वह नहीं है। यह सभा में नहीं··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी उनको बहुत कुछ कह सकते हैं और वे भी आपको बहुत कुछ कह सकते हैं।

यह सभा में नहीं कहा गया है और इसमें विशेषाधिकार की कोई बात नहीं है। इसमें न कोई विशेषाधिकार का प्रश्न है और न ही कोई नीति का प्रश्न है। **(व्यवधान)****

अपध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का मामला नहीं है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय.: नहीं, नहीं। कोई अनुमति नहीं। मैं नहीं मानता। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देखा है। **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय: आप भी कहते रहे हैं। आप भी कहें।

बाहर आप भी कह सकते हैं। संसद का इससे कोई वास्ता नहीं है।

अनुमति नहीं है। **(व्यवधान)****

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव का ही प्रश्न कोई ही नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: मैं हर विषय पर चर्चा नहीं कर सकता।

प्रो० मधु दंडवते : आप हमें इसे प्रस्तुत करने की अनुमति दें। यह गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं समझता। बाहर आप भी कुछ कह सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : मैं मंत्री नहीं हूँ। वह देश की प्रधामन्त्री हैं।

अध्यक्ष महोदय : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता।

प्रो० मधु दंडवेत : जब सभा का सत्र चल रहा है (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह नीति का विषय नहीं है। इसमें नीति की कोई बात नही है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है।

प्रो० के०के० तिवारी (बक्सर) : कल हमने जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चे का प्रश्न उठाया था। उन्होंने मकबूल भट्ट को सजा देने वाले न्यायाधीश के निवास पर बम्ब फेंका है। (**व्यवधान**) वे न सिर्फ जम्मू और कश्मीर से संचालित है बल्कि लन्दन और पाकिस्तान से उनका संचालन भी हो रहा है तथा उनका सम्बन्ध जम्मू और कश्मीर मुक्ति मोर्चा तथा अकाली आतंकवादियों से है। अत, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है और सभा में इस पर चर्चा की जाए। मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम इस मामले पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने की अनुमति देंगे। उनकी किसी भी समाधान से रूचि नहीं है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप संसद से बहार कुछ भी कह सकते हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बाहर दिए गए वक्तव्यों से यहाँ मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है। यह राजनीति का विषय है। आप राजनीतिक क्षेत्र में लड़ सकते हैं।

(**व्यवधान**)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

12·05 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

कम्पनी सचिव (संशोधन) विनियम, 1984, विधि अयोग के 91 वें, 94 वें प्रतिवेदन

विधि—न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) कम्पनी सचिव अधिनियम, 1980 की धारा 39 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, कम्पनी सचिव (संशोधन) विनिमय, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 30 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई० सी० एस० आई०/710/2/एम (1) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी—8208/84]

(2) दहेज-मृत्यु और विधि सुधार—हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 भारतीय दंड संहिता, 1960 भारतीय साक्षय अधिनियम, 1872 में संशोधन करने के बारे में और विधि आयोग के 91 वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए। संख्या० एल० टी- 8209/84]

(3) न्यायिक पुनर्विलोकन के आवेदनों में हरजाने-विधान बनाने के लिए सिफारिशों के बारे में विधि आयोग के 92 वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी- 8210/84]

(4) अवैध रूप से अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया साक्ष्य—प्रस्तावित धारा 166 क, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 के संबंध में विधि आयोग के 94 वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-8211/84]

रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवेलपमेंन्ट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) :महोदय, श्री वीरेन्द्र पाटिल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) रिपेट्रिएटस कोआपरेटिव फाइनेंस एन्ड डेवेलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के व 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(2) उपर्युक्त (1) में निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालाय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-8212/84]

भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम, 1984

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन गाडगिल) : मैं भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, भारतीय तार (दूसरा संशोधन) नियम 1984 जो 28 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 230 सा०का० नि० (अ) में प्रकाशित हुए थे। की एक प्रति सभा-पटल रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गए देखिए संख्या एल० टी-8213/84]

दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1882-83 के वार्षिक प्रतिवेदन आदि तथा दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1984-85 के बजट प्राक्कलन

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1984 की धारा 45 की उपधारा (5) के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखे और उन पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1982-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा घाटी निगम के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपयुक्त उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में बिलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी-8214/84]

(3) दामोदर घाटी निगम अधिनियम, 1948 की धारा 44 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, दामोदर घाटी निगम के वर्ष 1984-85 ने बजट प्राक्कलनों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी-8215/84[

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, हमें कुछ कहना है कृपया सुनें।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं सुनता। मैं कहता हूं कि यह नीति का विषय नहीं है। यह एक राजनीतिक मामला है। आप राजनीतिक क्षेत्र में लड़िए।(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इस विषय पर आप हमें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं।

प्रो० मधुदण्डवते। महोदय, आप सम्बन्धित पक्ष की बात सुने बिना ही विनिर्णय दे रहे हैं (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अनुमति नहीं है।

एक माननीय सदस्य : महोदय, मैंने स्थगन प्रस्ताव रखा है।

अध्यक्ष महोदय : कोई स्थगन-प्रस्ताव नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : महोदय, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। उच्चतम न्यायालय ने एक घोषणा की है जिसमें न्यायालय के अवमान के लिए सरकार को दोषी ठहराया है।

अध्यक्ष महोदय : यह मामला स्थगन प्रस्ताव के योग्य नहीं है। नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यह गम्भीर मामला है (**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय: अनुमति नहीं है यह मामला स्थागन प्रस्ताव के काबिल नहीं है।

इम मामले को निपटाने के लिए उच्चतम न्यायालय पर्याप्त रूप से समक्ष है।

(**व्यवधान**)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उन्हें तत्काल बयान देना चाहिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (संदपुर) हमने आप के पास नोटिस दिया है, पूर्वोत्तर रेलवे के जखनियां और सादात स्टेशनों पर सी आर पी के पुलिस वालों ने बिना टिकट यात्रियों के नाम पर कस्बे में घुस कर बाजार में सीदा ले रहे निरीह ग्रामीणों को बुरी तरह पीटा है वह वहां से 400 साइकिल उठा ले गये। गाजीपुर में इस की काफी चर्चा हैं।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

राजनाथ सोनकर शास्त्री : ग्रामीण इसी तरह मरते रहें ?

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूगा, कोई बात नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात की अनुमति नही मैं देखूंगा ।(**व्यवधान**)

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) इंडियन एयर फोर्स का···

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : महोदय, मेंने स्थगन प्रस्ताव रखा है ।

(**व्यवधान**)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने डिसएलाऊ कर दिया तो क्या हो गया ? पासवान जी आप कहिए, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री राम विलास पासवान : मेरा ऐडजनमेंट मोशन है कि प्राइम मिनिस्टर को हाउस में बतलाना चाहिए था;

अध्यक्ष महोदय : किसी भी बात की अनुमति नहीं है, नहीं हैं । नहीं (**व्यवधान**)**

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी: इलाहाबाद के नार्दन इंडिया पत्रिका में यह आया है कि यू पी पी कैडर के एक आई ए एस : आफिसर ने जो यू पी गवर्नमेंन्ट में आफिसर हैं इलाहाबाद के एक प्रोफेसर से उनकी लड़की की शादी के लिए 50 हजार का गहना, 20 हजार नगद और एक कार दहेज में मांगा और कहा कि यह लड़की के नाम नहीं बल्कि उनके नाम होना चाहिए और तिलक के दिन ही मिल जाना चाहिए···

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट गर्वनमेंट का काम है ला ऐंड आर्डर का । यहां हम क्या करेंगे ?

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी : यह डावरी का केस है ।

अध्यक्ष महोदय : स्टेट गवर्नमेंट इस को देखेगी

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, आपने मेरी बात तो सुन ली किन्तु मेरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में अपना मत व्यक्त नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं क्या करूँ इसमें ? मुझे इसमें क्या करना है ?

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

प्रो० के० के० तिवारी : यह गम्भीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। यह राज्य का विषय है। यह राज्य का कार्य है।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद राज्य विषय नहीं है। अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। वे पाकिस्तान से ऐसा कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर से कर रहे हैं।

अनन्त राम (नगरकुरनूल) : मैंने सूचना दे दी है। यह बहुत ही गंभीर मामला है आंध्र-प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने राज्य पाल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये हैं जो असंवैधानिक है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकता। (**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : प्रधान मंत्री एक जिम्मेदार महिला है, वे इस प्रकार की यदि बात कहती हैं, तो उनके खिलाफ प्रिवेलेज मोशन पर यहां विचार होना चाहिए···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसका सभा से कोई संबंध नहीं है। अनुमति नहीं दी जाती है।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, एक क्षण के लिए मैं आप की बात मान लेता है कि जैसा नियमों में दिया हुआ है, यदि उसके अनुसार सही अर्थों में आप तो प्रो० मधु दंडवते के विशेषाधिकार प्रस्ताव से इस सभा के विशेषाधिकार का हनन नहीं होता। मैं एक क्षण के लिए इसे मान लेता हूँ और मैं इस बात को समझता हूँ किन्तु पूरे खूफिया विभाग और पूरे पुलिस विभाग के बारे में प्रधान मंत्री द्वारा ऐसे वक्तव्य क्या दिया जाना बहुत ही आपत्तिजनक है। प्रधान मंत्री को इस सभा की नेता होने के नाते ऐसा नहीं कहना चाहिए था··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं मानता। श्री भीकू राम जैन।

12.11 म०प०

लोक लेखा समिति

207वां और 208वां प्रतिवेदन और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 193वां प्रतिवेदन

श्री भीकूराम जैन (चांदनी चौक) : महोदय, मैं लोकसभा लेखा समिति के निम्नलिखित

प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हू :—

(1) भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (रक्षा सेवाओं) के (एक) शस्त्र प्रणाली के विकास और (दो) लोक राजस्व के गैर-सरकारी निधियों में दोषपूर्ण विनियोजन से सम्बन्धित क्रमशः पैरा 5 और 44 के बारे में 207वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1981-82 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल—राजस्व प्राप्तियां, खण्ड 1 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्कों से संबंधित अप्रत्यक्ष करों—सौन्दर्य प्रसाधनों तथा उत्पादन को छिपाये जाने, से सम्बन्धित पैरा 2.17 और 2.40 के बारे में 208वां प्रतिवेदन ।

(3) निगम-कर, आय-कर तथा धन-कर के सम्बन्ध में समिति के 85वें प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 193वां प्रतिवेदन ।

12.12 म०प०

प्राक्कलन समिति

71वां प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश तथा सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 70वां प्रतिवेदन

श्री बंसीलाल (भिवानी) : महोदय, मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता है :—

(एक) रक्षा मंत्रालय—तट रक्षक संगठन के बारे में 70वां प्रतिवेदन तथा समिति की तत्ससम्बन्धी बैठकों के कार्यवाही-सारांश ।

(दो) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय—चिकित्सा संबंधी राहत, शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान के सम्बन्ध में समिति के 53वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 70वां प्रतिवेदन ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, पंजाब हिन्दू रक्षा समिति के अध्यक्ष ने घोषणा की है कि अम्बाला से दिल्ली तक हिन्दू बड़ी संख्या में पद-यात्रा करेंगे, जो 1 मई को चल कर यहां 8 मई को पहुंचेंगे । इसका अर्थ यह हुआ कि वे सड़क के रास्ते चलकर एक सप्ताह में यहां पहुंचेंगे । महोदय, मैं आप के माध्यम से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार को उन्हें इस यात्रा

को रद्द करने के लिए राजी करने की कोशिश करनी चाहिए। इस साम्प्रदायिक वातावरण में इससे बहुत ही खतरनाक और विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, मैं भेज दूंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : इंद्रजीत गुप्त जी ने जो बात कही है और आपने जो कहा है वह बहुत अच्छा किया है। मैं समझता हूं, दोनों राज्य सरकारों से कहा जाए कि कम्यूनल हार्मनी बिगड़नी नहीं चाहिए। एक तरफ तो यह मार्च की बात है और दूसरी तरफ सुब्रह्मण्यम स्वामी का अकाल तख्त में पहुंचना इन दोनों बातों को ही रोकने का प्रयास होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मेरे रोकने से मान जायेंगे क्या ? आप मेरे पास आ जाइये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : महोदय, मैंने कल आपको वचन दिया था कि मैं रिकार्ड प्रस्तुत करूंगा। यह रहा रिकार्ड। मेरा कहना सही साबित हुआ है और आप गलत साबित हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है।

प्रो० मधु दंडवते : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के बयान को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया है। आप पृष्ठ संख्या 19343 पर देखें।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे देख लिया है। आप मेरे पास आइये। मैं ध्यान दूंगा। यदि आवश्यक हुआ तो कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल कर लूंगा। मैं झूठी प्रतिष्ठा का सहारा नहीं लेता।

प्रो० मधु दंडवते : मैंने आपको बता दिया है। रिकार्ड आपके सामने है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरे पास आइये और मैं आपको समझा देता हूं। मेरे विचार से आप मान जाएंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बम्सार) : महोदय, डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी अपनी टिप्पणी वापिस लेने के लिए सहमत हो गये थे··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों परेशान है ? यह मेरा काम है, मैं कर लूंगा जो भी करना है।

प्रो० मधु दंडवते : उन्होंने कहा था 'मैं वापिस लेने से इंकार करता हूं।' यह रिकार्ड में दिया हुआ है।

प्रो० के० के० तिवारी : उन्होंने आरोप वापिस ले लिया था। मेरे विचार से, महोदय, आप सही हैं और वे गलत हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं सही भी हो सकता हूं और गलत भी हो सकता हूं । मैं देख लूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : आपके निदेशानुसार में रिकार्ड लाया हूं । मैं सही साबित हुआ हूं । मैं आपने कल जो भी कहा वह गलत था । आपने जो दावा किया था कि इसे कार्यवाही वृत्तांत से नहीं निकाला गया है, दरअसल उसे निकाल दिया गया है । कृपया रिकार्ड को ठीक करने की कोशिश कीजिए । (व्यवधान) वे निन्दा कर रहे है । वे कहते हैं कि यह कहना हमारा काम नहीं । माननीय सदस्यों का इस बात पर ध्यान देने का अधिकार है कि इस सभा में उचित प्रक्रिया अपनाई जाए । और उसकी सुरक्षा की जाए । यही कारण है कि हम यहां पर विद्यमान है ।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : डा० स्वामी ने अपनी टिप्पणी वापिस ले ली है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा काम है । मुझे देखना ही पड़ेगा ।

प्रो० मधु दंडवते : यह रिकार्ड में है । डा० स्वामी ने कहा था 'मैं वापिस लेने से मना करता हूं ।'

प्रो० के० के० तिवारी : डा० स्वामी ने इसे वापिस ले लिया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप जिद क्यों करते हैं ?

प्रो० मधु दंडवते : वे हमारी निन्दा करते जा रहे हैं और आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों लड़ रहे हैं । प्रोफेसर तिवारी, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकता हूं । मैं जानता हूं कि मुझे इस स्थिति के साथ कैसे निबटना है । यदि मैं गलत हूं तो मैं मान लूंगा । मैं इस बात का बुरा नहीं मानता । और, यदि वे गलत हैं तो वे मान लेंगे । इस बात की कोई समस्या ही नहीं है ।

प्रो० मधु दंडवते ; यदि मैं गलत हूं तो मैं बिना शर्त के क्षमायाचना कर दूंगा । परन्तु मैं बिल्कुल सही हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने क्या कुछ और कहा है ? मैंने कब जिद की है ? मैं तो जिद करता ही नहीं । मुझे आपत्ति नहीं है । हो सकता है, यह गलत हो ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं आपको अवमानित नहीं करना चाहता और न ही मैं अवमानित होना चाहता हूं । मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि यदि मैं गलत हूं तो मैं बिना शर्त के क्षमा-

याचना करने को तैयार हूं । परन्तु मैं सही बात पर हूं मैंने रिकार्ड की जांच कर ली है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तो बेकार उत्तेजित हो रहे हैं । मैंने तो यह कहा है कि हम मिल-कर बैठ जाएंगे और मैं आपको विस्तार से बता दूंगा । यह कितनी आसान बातें हैं । यह हमारा आपसी मामला है । कोई समस्या ही नहीं है हम झूठी प्रतिष्ठा का सहारा तो ले नहीं रहे हैं । कोई समस्या नहीं है ।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, आपने तिवारी जी को बार-बार एलाऊ किया है । हमने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है···

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है, मैंने उनको भी इजाजत नहीं दी थी । पहले मैंने आपको एलाऊ किया था, लेकिन आप नहीं बोले । अब मैंने न उनको एलाऊ किया है और न आपको एलाऊ किया हैं । पहले आपको एलाऊ किया था, लेकिन अब नहीं किया है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है विशेष मामला यह नहीं हैं कि डा० स्वामी ने क्या कहा···

अध्यक्ष महोदय : मैंने पहले ही बात का निबटारा कर दिया है । आप इसकी फिर से छान-बीन क्यों कर रहे हैं ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जब तक आप एक प्रक्रिया तैयार नहीं करेंगे । क्या पता हम भी जो कहते हैं, उसे भी कार्यवृत्तांत से निकाल दिया जाए···

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर साहब, आप बेकार यह सब कर रहे हैं । आपकी आपत्ति रद्द की जाती है । कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप नेताओं की एक बैठक बुलाए···

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं बुलाऊंगा । अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री राजेश कुमर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक कार्य-स्थान प्रस्ताव दिया है—इंडियन एअर फोर्स के आफिसर स्कवैड्रन लीडर परमजीत सिंह वालिया का मर्डर कर दिया गया है—आप इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को एलाऊ करें···

अध्यक्ष महोदय : नाट-एलाउड ।

श्री राजेश कुमार सिंह : आप कारण बतलायें, क्यों एलाउ नहीं कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कोई कारण बतलाने की आवश्यकता नहीं है । यह मेरा अधिकार है और मैंने अपने अधिकार का प्रयोग किया है । बस खत्म । अनुमति नहीं दी जाती है ।

श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) : मैं गत तीन सप्ताह से आपका ध्यान प्रारम्भ में तो शीत लहर अब ओलों के कारण खराब हुई फसल की ओर आकर्षित कर रहा हूं.....

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस ओलावृष्टि पर कल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मैंने निर्णय ले लिया है।

श्री रामावतार शास्त्री : (पटना) अध्यक्ष महोदय, पूर्णिया जिले में पुलिस और भूमिपतियों ने 10 हरिजन लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार किया है। मैंने इसके बारे में नोटिस दिए हैं...

अध्यक्ष महोदय : यह स्टेट सब्जेक्ट है।

रामावतार शास्त्री : यह स्टेट सब्जेक्ट कैसे है ? आदि किसी-हरिजन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है। हरिजन और आदिवासियों के मामलों पर हम यहाँ विचार कर सकते है। यह उन्हीं के बारे में है।

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : मेरा विनम्र निवेदन है कि पंजाब की स्थिति को लेकर इस सभा में बड़ी चर्चा हुई है और एक दर्जन से भी अधिक बार इस सभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाये गये तथा नियम 193 के अधीन चर्चा हुई...

अध्यक्ष महोदय : मैंने मना कर दिया है।

श्री रतनसिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आप कृपया इस पहलू पर विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर विचार कर लिया है।

श्री रतनसिंह राजदा : मैं समग्र चर्चा को एक नवीन आयाम दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : नवीन आयाम देने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है...इसकी अनुमति नहीं है...व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

श्री रतनसिंह राजदा : इन तमाम दिनों में प्रधान मन्त्री ने एक बार भी यह नहीं कहा है कि अपराधियों को पकड़ लिया गया है।...

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है...यह तो बाहर का विषय है।

श्री रतनसिंह राजदा : आप यह क्यों कहते हैं कि 'अनुमति नहीं है ?"

अध्यक्ष महोदय : मेरा कहना है कि यह असंगत है।

श्री हरिकेश बहादुर : (गोरखपुर) मेरा मुद्दा बहुत ही सीमित है। आप प्रधान मन्त्री महोदया से पूछ सकते हैं...(**व्यवधान**)

श्री रतनसिंह राजदा : प्रधान मन्त्री महोदया ने इन पिछले दिनों यह कभी नहीं कहा है। पहली बार, उन्होंने अब यह कहा है।

श्री हरिकेश बहादुर : गुप्तचर एजेंसियों के बारे में कहा है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय असंगत है।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : (समस्तीपुर) अध्यक्ष महोदय, पंजाब बहुत संवेदनशील है।

अध्यक्ष महोदय : और क्या कहना चाहते हैं आप ?

प्रो० अजीत कुमार मेहता : वहां की समस्याएं बड़ी जटिल हैं और वहां पर कोई भरोसे क सशक्त शासन तंत्र होना चाहिए...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है...यह राजनीतिक विषय है।

डा० ए० यू० आजमी : अध्यक्ष महोदय, बनारस और गाजीपुर में बेटिकट यात्रियों का बहाना करके जी० आर० पी० ने दुकानों में घुसकर वहां सौदा खरीदने वाली बेगुनाह पब्लिक को बुरी तरह पीटा और उनकी साइकिलें उठा कर ले गये।

अध्यक्ष महोदय : यह तो स्टेट सब्जेक्ट है।

डा० ए० यू० आजमी : यह बहुत गंभीर मसला है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : (सैदपुर) जी० आर० पी० ने वहां पर लोगों को पीटा है और 400 साइकिलें उठा कर ले गए। यह बहुत सीरियस मामला है। आप इस के लिये 377 एलाऊ कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह नहीं एलाऊ कर रहा हूं। लिख कर दीजिए, मैं देखूंगा।

श्री बीजू पटनायक (केन्द्रपाड़ा) : आपने इस आधार पर चर्चा या स्थगन प्रस्ताव नामंजूर कर दिया कि बाहर का मामला है। अत: क्या हम यह कहें कि भारत की प्रधान मन्त्री ने लगता है समझदारी से आंखें मूंद ली हैं ? क्या आज यही स्थिति है ? क्या हम ऐसी बात कह सकते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। श्री शैलानी...मैंने श्री शैलानी को अनुमति दी है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको नोटिस दिया है कि 17 तारीख को हाथरस में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयन्ती के अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थर फेंके।...(**व्यवधान**)...

अध्यक्ष महोदय : यह तो वहां की प्राब्लम है

श्री चन्द्रपाल शैलानी : वहां एस० डी० ओ० ने, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और 100 से ज्यादा आदमियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहां पर टेंशन बढ़ रही है और यह बहुत इम्पोर्टेन्ट मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह वहां की समस्या है।

श्री मनी राम बागड़ी : मैंने एक काम--रोको प्रस्ताव दिया था और उसको नामंजूर कर दिया।...(**व्यवधान**)...एक फौजी अफसर को मार दिया गया है। इसके लिए दो शब्द कहने चाहिए थे। जब डी० आई० जी० को मारा गया था, तो सारे हाऊस में आग लग गई थी।... (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय ; अब आप बैठिए।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री पटनायक को पाकिस्तान की अपनी यात्रा के बारे में सभा को विश्वास में लेना चाहिये। उन्हें अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये। आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं ?...(**व्यवधान**)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :...**

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। ध्यानाकर्षण--श्री पीताम्बर सिंह।

12.24 म० प०

अवलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कालीन बनाने वाले कारखानों की हाल ही की घटनाओं के विशेष सन्दर्भ में देश में अनुसुचित जातियों के बच्चों को बंधुआ मजदूरों के रूप में काम पर लगाने उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किए जाने के समाचार।

श्री पीतांबर सिंह (ब्रेतिया) : मैं श्रम और पुनर्वास मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाना चाहता हूं और निवेदन करता हूं कि वह

उस पर एक वक्तव्य दें :

उत्तर-प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कालीन बनाने वाले कारखानों की हाल ही की घटनाओं केविशेष संदर्भ में देश में अनुसूचित जातियों के बच्चों को बंधुआ मजदूरों के रूप में काम पर लगाने और उनके साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार किए जाने के समाचार ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती :**

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमति नहीं दी है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनमें से किसी को भी अनुमति नहीं दी है । अध्यक्ष पीठ पर किए गए आक्षेप को भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा ।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (धर्मवीर)

बंधित पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन, बंधुआ श्रम पद्धति को 25 अक्तूबर 1759 से कानून द्वारा पूरे देश में समाप्त कर दिया है । इस तरीख से सभी बंधुआ श्रमिक मुक्त हैं और बंधुआ श्रम तथा अपने ऋणों को समाप्त करने के किसी बन्धन से दूर हैं । इस अधिनियम में "बंधुआ ऋण", "बंधुआ श्रम", बंधुआ श्रमिक", और "बंधित श्रम पद्धति", की परिभाषा की गई है । कोई भी व्यक्ति, जिसमें बाल श्रमिक भी शामिल है । जो अधिमियम में परिभाषित बंधित श्रम पद्धति के अंशों को पूरा करता है, बंधुआ श्रमिक की श्रेणी में आएगा । अधिनियम के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने और उन्हें मुक्त कराने तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को फिर से बसाने की जिम्मेवारी संबंधित राज्य सरकारों की है । राज्य सरकारों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार 29-2-1984 को पता लगाए गए तथा मुक्त कराए बंधुआ श्रमिकों की कुल संख्या 1,62,637 थी जिसमें से 1,23,194 श्रमिकों को पुनर्वासित किया जा चुका है । तथापि, इन श्रमिकों में बालकों की संख्या उपलब्ध नहीं है । जब कभी-कभी विशेष क्षेत्र में बधुआ श्रम पद्धति की विद्यमानता से संबंधित शिकायते सरकार को मिलती है, तो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा मामले की जांच करवाने के लिए सरकार द्वारा तत्काल कार्यवाही की जाती है ताकि ऐसे बंधुआ श्रमिकों को मुक्त कराने तथा उनके पुनर्वास को सुनिश्जित किया जा सकें ।

12·26 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सरकार ने उन रिपोर्टों को नोट कर लिया है जो बिहार के पलामू जिले से आने वाले

कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

ऐसे बालकों के शोषण के बारे में हाल ही में समाचार पत्र में प्रकाशित हुई हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में गलीचा कारखानों में बंधुआ श्रमिकों के रूप में काम करने के लिए विवश किया जाता है। इन रिपोर्टों को तुरन्त प्राप्ति पर, उत्तर प्रदेश बिहार सरकारों से अनुरोध किया गया कि वे मामले की जाँच करवाएं और इन बालकों को मुक्त कराने और उन्हें अपने मात-पिता के पास वापस भेजने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें। मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त रिपोर्ट का सार नीचे दिया गया है :—

13.4. 1984 को मजिस्ट्रेटों के साथ चार पुलिस दल मिर्जापुर जिले के नौ ग्रामों में मामले की छान-बीन करने और गलीचे बुनने वाली यूनिटों में बालकों को मुक्त कराने के लिए भेजे गए थे। इस तारीख को श्री पन्ना लाल बेलवारिया गांव में गलीचा बनाने वाले कारखानों से पाँच बालक मुक्त कराए गए।

इससे पूर्व पलामू जिले में पटन पुलिस स्टेशन में 27 मार्च, 84 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अधीन दर्ज कराई गई प्रथम जानकारी रिपोर्ट पर मिर्जापुर में बिहार की पुलिस आई थी। और जिल्ह मिर्जापुर पुलिस स्टेशन की सहायता से पुलिस ने 1-4-84 को 27 बालकों को मुक्त कराया और उन्हें अपने साथ पलामू ले गई थी।

इसके बाद बखुआ, पुरजागीर, और बेलवारियाँ गांवों में पुलिस की सहायता से मिर्जापुर के मजिस्ट्रेटों और श्रम विभाग के निरीक्षकों द्वारा किए गए व्यापक छापों के परिणाम स्वरूप 16-4-1984 को 22 गलीचा बुनकरों से 8 से 22 वर्ष के बीच की आयु के 114 बालक मुक्त कराये गए थे इस प्रकार 16-4-84 को मुक्त कराये गए 144 बालकों में से 9 बालक 18 वर्ष से अधिक आयु के थे ओर 14 बालक चौदह वर्ष से अधिक आयु के थे। इस प्रकार 14 या 14 वर्ष से कम आयु के 91 बालक शेष रह गए। ये पाया गया था कि एक बालक को छोड़कर सभी बालक बिहार में पलामू जिले के थे और जिले के थे और अपवाद स्वरूप एक बालक मिर्जापुर जिले का था। उपयुक्त चिकित्सा परीक्षण होने के पश्चात और मजिस्ट्रेटों और श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा इन बालकों के बायान दर्ज करने के पश्चात उन्हें पलामू जिले में वापस भेज दिया गया है।

दर्ज किए गए बयानों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बाल-नियोजन अधिनियम, 1938, बाल अधिनियम, 1960, कारखानों अधिनियम, 1948 और अंतर राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनिमय और सेवा की शर्तें (अधिनियम और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341 और 374 जैसे कुछ उप बन्धों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आये हैं। तथापि बन्धुआ मजदूर प्रणाली (उत्पादन) अधिनियम, 1976 में निर्दिष्ट परिभाषा के अनुसार बंधुआ मजदूरों के रूप में काम लाये जा रहे इन बालकों के सम्बन्ध में कोई मामला नहीं बन सका है।

जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने आगे रिपोर्ट दी है कि पलामू के जिला प्रशासन द्वारा की गई

अनुवती कार्यवाही में स्थल पर जा कर छानबीन करने के लिए 13-4-1984 को एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट और एक क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी का एक दल पलामू भेजा गया था । ऐसा 1-4-1984 को मिर्जापुर से 27 बाल श्रमिकों के प्रत्यवासन के कारण किया गया था । मिर्जापुर के कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिन्होंने पलामू में 19 बालकों और 5 अभिभावकों के बयान लिए थे, ने लौटने पर जानकारी दी है कि जिल पालामऊ के पटन के छिछहोरी गांव से 32 बालकों को उसी पुलिस स्टेशन के श्री शिव कुमार ठाकुर और श्री सुदामा ठाकुर चार बार-बार वेलवारिया गांव के गलीचा बुनकर श्री पन्ना लाल के पास लाए थे । अधिकांश बालक उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी एक अथवा दूसरी विना पर वेलवारिया लाए गए थे । कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा बालकों के दर्ज किए गए बयानों से पता चलता है कि बालकों से प्रति-दिन 16 से 18 घंटों तक अमानवीय परिस्थितियों में बलपूर्वक कठिन और अनवरत श्रम कराया जाता था । इन बयानों से मिर्जापुर के जिला मजिस्ट्रट का विचार है कि इससे बलपूर्वक बंधीकरण का मामला तो बन सकता है, परन्तु बन्धक का मामला नहीं बन सकता क्योंकि उसके अनुसार नियोजक द्वारा बालकों अथवा उनके अभिभावकों को कोई ऋण/कर्ज/अग्रिम राशि दिए जाने का कोई तत्व नहीं था जिसके लिएबालकों से अपना श्रम/सेवा देने की अपेक्षा की गई हो । कानून का उल्लघंन करने वालों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी और दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है ।

श्री पीतांबर सिंह : उपाध्यक्ष जी, सरकार के जबाब से ऐसा लगता है कि सरकार की नीयत इन बच्चों के प्रति और अन्य बंधुआ मजदूरों के प्रति बहुत साफ नहीं है। कानून बहुत साफ है। हमारे संविधान की धारा 24 में ऐसे कार्यों को बंधित किया गया है । धारा 23 की उपधारा (1) मे कहा गया है कि ऐसे लोगों से काम नहीं लिया जा सकता और यह दंडनीय अपराध होगा । उसके बाद 1881 से लेकर अब तक दर्जन से अधिक कानून बने है । विशेष कर उन राज्यों में जहां पर इस तरह की व्यवस्था को बंद करने की ओर प्रयास किये गए, प्रयास हुए हैं । सरकार की ओर से बहुत सी कमेटियां बनाई गई हैं और जांच की गई है । जांच रिपोटें भी आई हैं । लेकिन समस्या के समाधान के प्रति कोई प्रगति मालूम नहीं होती । डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट मिर्जापुर की रिपोर्ट है । उससे ऐसा लगता है कि इस आदमी को इस समस्या का कोई अहसास ही नहीं है । इतने बड़े अधिकारी को समस्या का अहसास न होना दुर्भाग्य पूर्ण है ।

इस देश में अर्द्ध सामंती अवशेषों के चलते और कृषि के आधार पर जो हमारी पूरी व्यवस्था है, उसके चलते, जोर-जबरदस्ती से किसी से काम कराया जाना कहां तक उचित है । कई जगहों पर लोग श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं । बहुत-सी जगह पर आप उनको बंधुआ नहीं मानते हैं, लेकिन वहां पर भी वही स्थिति है । सुप्रीम कोर्ट ने इधर कई फैसलों में इस बात की बहुत सफाई की है, बिल्डिग कंस्ट्रक्शन मजदूरों के संबंध में उन्होंने यह बताया है कि जिस आतंक के वातावरण में रहकर उनसे काम कराया जाता है, वह बंधुआ मजदूरों की ही स्थिनि है और वे आजाद नहीं हैं । पलामू' छिछहरी गांव से जो लड़के ले जाए गए थे, उनमें 91 की उम्र 14 साल से कम है । कलैक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि 16 से 18 घण्टे तक वे काम करते थे ।

आज की परिस्थितियों में यह इल्लीगल कंफाइंमेंट का मामला बनता है। लेकिन बंधुआ की स्थिति नहीं बनती, ऐसा कलैक्टर की रिपोर्ट में हैं। ऐसा मालूम होता है कि उस आदमी को जिस मंशा से इस सदन ने 1976 में कानून पास किया था और सरकार ने अध्यादेश जारी किया था उसकी कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए, कलैक्टर का कहना है कि इसमें बंधुआ की स्थिति नहीं बनती है। इसी वजह से उसे बंधुआ मजदूरों के लिए जो कानूनी कार्यवाही करनी है, वह केस नहीं बनता। और एक लाख तेईस हजार को पुनः बसाने की व्यवस्था की है। है। इसी तरह की अवस्था में सारे देश में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक लाख बासठ हजार आइडेंन्टीफाइ किए है। उसमें भी 40 हजार छोड़ दिए गए हैं। यह भी कहा गया है कि राज्य सरकारों को केन्द्र सरकार से जो भी सहायता मिलती है, वह पैसे खर्च न होकर वापिस हो जाते हैं और राज्य सरकारें इस मामले में सीरियस नहीं हैं। मैं, बिहार के पलामू जिले की स्थिति जानता हूं कि किस तरह सात सौ बंधुआ मजदूरों की सूची दी गई। सरकार ने एक सौ को मुक्त किया और बाकी लोगों के बारे में मजिस्ट्रेट या कलैक्टर ने, जिस मंशा से कानून बनाये जाते हैं, उनको लागू नहीं किया। मिर्जापुर के मामले में भी बंधुआ की स्थिति नहीं बनती है। देश में पूरी स्प्रीट से कानून को लागू नहीं किया जाता है। इसलिए, मेरा भी कहना है कि मूल रूप से यह समस्या भूमिहीनता, आजादी का अभाव, दरिद्रता और रोजी का अभाव होने की वजह से बनी हुई है। इतनी संगीन हालत सारे देश में व्याप्त है लेकिन सरकार को इसका कोई अहसास नहीं है। इसलिए सरकार कहती है कि एक लाख बासठ हजार को अभी तक आइडेन्टीफाई किया है और एक लाख तेईस हजार को पुनः बसाने की व्यवस्था की है। पुनर्वास के लिए तो छह-छह महीने तक काम चलता रहता है। ऐसी हालत में बंधुआ मजदूरों को रहने, खाने और सहायता प्राप्त करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। एक जजमेंट स्वामी अग्निवेश ने करवाया था। और उसके कारण काफी कस्ट्रक्शन मजदूरों को मुक्ति मिली थी, जो मध्य प्रदेश में थे। स्वामी अग्निवेश जी उस गांव में गए, उसके अनुमण्डल अधिकारी से मिले, कलैक्टर से मिले और संयोग से उस दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अर्जुन सिंह जी भी दिल्ली में थे, उनसे उन्होंने बात की। लेकिन जिन 123 मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार मुक्त किया गया था, वे पुनर्वास की शर्तों को पूरा करने के लिए क्वालिफाइड नहीं माने गए और उन्हें मध्यप्रदेश में जमीन देने में सरकार असमर्थ रही। इतने प्रयासों के बाद, इतने स्तरों पर मिलने के बाद और प्रभावशाली व्यक्तियों से संपर्क करने के बादभी उस क्षेत्र में इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसलिए हमारे देश की जो भयानक सोश्योइकानामिक कंडीशन है, जिसमें काफी संख्या में लोग अर्ध-गुलामी का जीवन व्यतीत कर रहे है, बन्धुआ अवस्था में रह रहे हैं, जिन्हें मुक्त कराने में अब तक सरकार असमर्थ रही है, सरकारी मशीनरी असमर्थ रही है, भूमि सुधार में बुनियादी परिवर्तन के बिना जिस समस्या को हल नहीं किया जा सकता और वह वातावरण तैयार नहीं हो सकता जिसमें इस समस्या का निराकरण किया जा सके, समाधान किया जा सके ···(व्यवधान)···इसलिए सरकार बताये कि जिन दो आदमियों का जिक्र रिपोर्ट में आता है, जो उन बच्चों को फंसा करके ले गये थे उनके संबंध में रिपोर्ट में स्पष्ट चर्चा नहीं की गई है, उनके बारे में लॉ की क्या भूमिका है और इससे पहले भी जो व्यक्ति दो-चार मर्तबा उसी गांव

के 32 लड़कों को मिर्जापुर ले गये और उन्हें पन्नालाल बेलगढ़िया के कारपेट के कारखाने में रखा और अन्तिम बार भी जो घटना की जांच हुई उसमें भी इन्हीं लोगों पर बच्चे के ले जाने का आरोप है, परन्तु रिपोर्ट में उसका सिर्फ जिक्रभर है, जिससे ऐसा लगता है कि उनकी इस अपराध में कोई खास भूमिका नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि इन दोनों की उस अपराध में सरकार के विचार में क्या भूमिका है और सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है। दूसरे, रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है और मेरे अपने अनुभव से ऐसा लगता है कि बिना पैसा एडवांस लिए, उन लड़कों को वहां वापस नहीं पहुंचाया गया, इसलिए बौन्डेड लेबर की शर्त इस मामले में स्पष्ट हो जाती है, क्या उन दफाओं के अंतर्गत सरकार उनके विरुद्ध कोई मुकदमा चलाने का विचार रखती है। क्या यह भी सत्य है कि उन बच्चों को लोहे से दागा गया था या नहीं।

श्री धर्मवीर : माननीय उपाध्यक्ष जी, सम्माननीय सदस्य श्री पीताम्बर सिंहा जी ने प्रश्नों के पूर्व कुछ महत्वपूर्ण विषयों की चर्चा की, जिनके बारे में मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव समस्त बंधुआ मजदूरों के संदर्भ में नहीं है। आपने उसमें सिर्फ उन बच्चों का जिक्र किया है जो बंधुआ मजदूरों की तरह काम करते हैं···

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह आपको उत्तर नहीं दे रहे हैं। यदि मुझे हर दिन माननीय सदस्यों को नियम पढ़ाने पड़ेंगे तो मुझे बड़ा अफसोस है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान किसी भी ऐसे सदस्य के व्यवधान को कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न किया जाए जिनका नाम सूची में नहीं है। श्री मनीराम बागड़ी जी आप कृपया बैठ जाइये। माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं। क्या हमें उनके साथ न्याय नहीं करना चाहिये ? आप बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हैं और सच तो यह है कि आपको तो मुझे लिखना चाहिये। दुर्भाग्य से, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष जी, मैं कह रहा था काल अटेंशन मोशन में जिक्र किया गया है—उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के कालीन बनाने वाले कारखानों की हाल ही की घटनाओं के विशेष संदर्भ में, देश में अनुसूचित जातियों के बच्चों को बंधुआ मजदूरों के रूप में काम पर लगाने और उनके साथ निर्दयतापूर्ण व्यवहार किए जाने के समाचार तथा इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।

जिस फिगर की आप चर्चा कर रहे थे हमने कितने बंधुआ मजदूरों को अभी तक मुक्त कराया है और कितनों को रीहैबिलिटेट किया है वह फिगर बंधुआ मजदूरों के लिये है, बच्चों के

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

लिए नहीं है। इस प्रकार से हमारे पास अलग फिगर नहीं है जो बता सकें कितने बच्चे हैं और कितने बड़े हैं।

जहां तक हरिजन बच्चों का सवाल है इस देश में हरिजनों की पूरी जन-संख्या है, वह 10.60 करोड़ है और उन बच्चों की संख्या 1 करोड 59 लाख है, लगभग 15% आते हैं तो चूंकि इसमें हरिजन बच्चों का जिक्र किया गया है, हालांकि हमारे पास जांच के आधार पर कोई सूचना नहीं है, लेकिन जिस संख्या का आप जिक्र कर रहे थे वह पूरे देश के उन राज्यों के बंधुआ मजदूरों की है जिन्हें मुक्त कराया गया। उनकी फिगर है कि अभी तक कितने लोग किन-किन राज्यों में मुक्त कराये गये और रीहैबिलिटेट किये गए। इसके संदर्भ में से पहले भी जिक्र कर चुका हूं सारे देश में 11 राज्यों में इस प्रकार के बंधुआ मजदूर विद्यमान पाये ग हैं और उन 11 राज्यों में जो मुक्त कराये गए उनकी टोटल 1,62,637 है जो आइडेंटिफाई किये गए और 1,23,194 की रीहैबिलिटेट किया गया और बाकी का प्रोसेस चल रहा है।

मैं यह बात स्पष्ट कर दूं कि इस बारे में राज्य सरकार इस ऐक्ट को प्रभावी ढंग से लागू कर सकती है और वहां पर राज्य सरकारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के माध्यम से सारी कार्यवाही करती हैं और जिला मैजिस्ट्रेट एक कम्पीटेंट अथोरिटी है जो अपनी जांच और सर्वेक्षण के आधार पर निश्चित करता है कि यह बंधुआ मजदूर हैं कि नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और जो हमारा ऐक्ट हैं गौंडेड लेबर सिस्टम का उसका इंटरप्रीटेशन लोग अपनी भावनाओं के आधार पर करते हैं।

जहां तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है, हम सब जानते हैं कि देश में ग्रामीण अंचलों में जो भूमिहीन हैं उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही शोचनीय है और इस स्थिति से उभारने के लिये ही पिछले कई सालों से लगातार प्रयास हो रहे हैं और विशेष तौर से छठी योजना में, जब पुनः प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता में आयीं तो इन गरीब और हरिजन वर्गों के उत्थान के लिए विशेष योजना चालू की।

इस प्रकार से एक कम्पोनेन्ट प्लान इंन्ट्रोड्यूस किया गया और छठी प्लान में इनकी स्थिति को सुधारने के लिए 4483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया और इसके लिए भी सैंट्रल एसिस्टैंस करीब 600 करोड़ रुपये अलग से दी गई। इस प्रकार कुल मिलाकर 5083 करोड़ रुपये की व्यवस्था हरिजनों की स्थिति को सुधारने के लिए की गई।

पूरे देश में यह एक प्रशंसनीय कार्य है कि एक जाति विशेष और एक वर्ग विशेष के उत्थान के लिए सरकार कितनी जागरूक है ? सरकार हर प्रकार से सभी संभव उपाय कर रही है कि इनका आर्थिक शोषण न हो। जितना ये आर्थिक शोषण से ग्रसित नहीं है, उससे ज्यादा सामाजिक शोषण से हैं। आर्थिक शोषण का उत्तरदायित्व तो राज्य सरकारों या अधिकारियों पर दिया जा सकता है, लेकिन सामाजिक शोषण के लिये तो समूचे समाज का ही उत्तरदायित्व है।

यह प्रथा आज से नहीं, कितने सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। रानियों से चली आ रही इस प्रथा का उन्मूलन करने के लिए एक सराहनीय प्रयास 1975 में प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने किया। बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए, गुलामी से छुड़ाने के लिए इसे एक कानून का रूप दिया गया और 1976 में बन्धुआ लेवर एवोलीशन एक्ट पारित किया गया। इस से हमारी मंशा जाहिर होती है कि हम किस प्रकार से इसके लिए चिन्तित थे और जैसे ही यह एक्ट पारित हुआ, यह मान लिया गया कि देश में कोई बन्धुआ मजदूर नहीं रहूंगा। जो-जो बन्धुआ मजदूर खोजे जायेंगे, उनको रिहैलीब्लीटेट करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को ग्रान्टि देगी और राज्य सरकारें उन्हें पुनर्वासित करेंगी।

यह एक कन्टीनुअस प्रासेस है, जो-जो खोज में आते हैं, मिलते जाते हैं,उनको हम रिहैब्ली-टेट करते जाते हैं। जैसा मैंने अनुरोध किया कि जब तक समाज का वातावरण नहीं बदलेगा, और इस वातावरण को बदलने के लिए केवल सत्ता पक्ष के लोग ही जिम्मेदार नहीं है, सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं। सभी को इसमे प्रयास करने चाहियें तभी इस दिशा में सराहनीय कार्य किये जा सकते हैं। जिस स्थिति का आप वर्णन करते हैं, उससे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूं। मुझे भी मालूम है कि किस प्रकार से हरिजनों के साथ गाँव में या दूरवर्ती क्षेत्रों में उपेक्षापूर्ण व्यवहार होता है' मैं उसे अनुभव करता हुं। लेकिन केवल अनुभव करने से ही काम चलने वाला नहीं है, सरकार पर उत्तरदायित्व डाल देने से काम नहीं चलेगा। समूचे देश को सामाजिक वातावरण बदलने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा। जब तक देश में गरीब हरिजन, गिरिजन, राइवल लोगों को समान अधिकार नहीं मिलता तब तक देश की एकता एवं सुरक्षा खतरे में रहेगी। इसलिये मैं चाहता हूं कि सारे राजनीतिक दलों के लोग मिलकर एक वातावरण बनायें ताकि किसी के साथ अमानुषिक व्यवहार न हों।

जहां तक मंशा की बात है, मैं समझता हूं कि बौंडेड लेबर की डैफीनिशन जो एक्ट में है, उसका अलग-अलग इंटर प्रडेशन लोग करते हैं। अगर उसके लिबरल इन्टरप्रडेशन को ले लेंगे तो इस देश में बहुत लोग करोड़ों की संख्या में बौंडेड मिल जायेंगे। वास्तव में हमारी मंशा थी कि जो जन्म-जन्मान्तर से पुश्त-दर-पुश्त गुलामी करते आये हैं, जिनके बाप-दादा ने थोड़ा भी रुपया कर्ज ले रखा है, उस रुपये को अदा करने के हिसाब से उनको गुलाम बनाया गया है, उन सबको गुलामी की जंजीर से मुक्त कराया जाये। इस लिए यह योजना बनाई गई। बाद में उसका इंटरप्रटेशन अपने ढंग से करने का विचार बढ़ता गया। लेकिन हम तो एक्ट में जो प्रावीजन है' उसके लिए बाध्य हैं। अधिनियम के अनुसार केवल जिला मजिस्ट्रेट को ही यह प्रामाणित करने का अधिकार है कि क्या वह लड़का या व्यक्ति विशेष बन्धुआ मजदूर है या नहीं। मिर्ज़ापुर की जो घटना समाचारपत्रों में आई है, मैं प्रशंसा करने से नहीं हिचकूंगा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने उसके बारे में बहुत तत्परता दिखाई। 11 तारीख को यह बात समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और उसी दिन हमारे विभाग की तरफ से बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को टैलीग्राम के द्वारा कहा गया कि इस बारे में तत्काल जांच की जा जाए और आवश्यक कार्यवाही की जाए। उसी आधार पर जिलाधिकारी, मिर्ज़ापुर ने वहां जाकर फ़ौरन सर्वेक्षण किया और

बाकी बच्चों को मुक्त कराया। समाचारपत्रों में 27 और 5, कुल 32 बच्चों की बात कही गई थी। जिला मैजिस्ट्रेट जागरूक था, उसने छापा मार कर 114 बच्चों को निकाला, उनका मेडिकल एर्जामिनेशन करा के और उनके बयानात लेकर पलामू डिस्ट्रिक्ट पहुंचा दिया।

जो दो व्यक्ति इस घटना से सम्बद्ध थे, उनके खिलाफ आई० पी० सी० की धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है। पन्नालाल के विरुद्ध, जिसके यहां बंधुआ मजदूर पाए गए, कानूनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : आपने नियम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं। कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए। वह उनको उत्तर देंगे। श्री पटनायक जी आप हस्तक्षेप क्यों कर रहे हैं ?

(**व्यवधान**)**

श्री धर्मवीर : सिर्फ पार्टी के स्तर पर विचार करने से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता कि वह लोक दल के हैं या कांग्रेस पार्टी के, उनके खिलाफ कार्यवाही की गई है। एस० पी० पलामू के अनुसार दो व्यक्तियों ने अपने बाप को कोर्ट में हाजिर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिर्जापुर ने उनके खिलाफ कुर्की वारंट जारी किया था।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, अखबारों में खबर आई है कि मिर्जापुर जिले में इन लड़कों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। मैं जानना चाहता हूं कि मैडिकल रिपोर्ट के मुताबिक किन किन को चोट आई है और क्या क्या चोट आई है।

जो व्यक्ति इस घटना से सम्बद्ध हैं, उनके खिलाफ किन सैक्शन्ज में केस किए गए हैं ? मंत्री महोदय ने अपने बयान में कहा है कि आई० पी० सी० के० सैक्शन 341 और 374; मिनिमम वैजिज एक्ट एम्पलायमेंट आफ चिल्ड्रन एक्ट, चिल्डर्न एक्ट, फैक्टरीज एक्ट और इन्टर और इन्टर-स्टेट माइग्रेन्ट वर्कमैन (रेगुलैशन आफ एम्पलायमेंट एन्ड कन्डीशन्ज आफ सर्विस) एक्ट के उल्लंघन के मामले नोटिस में आए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय को ध्यानाकर्षण से सम्बद्ध उन संगत प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए और आम भाषण भी नहीं करना चाहिए। और अब मैं अगले व्यक्ति को बुलाता हूं। श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

1.00 म० प०

इस सम्बन्ध में जितने भी लाज हैं उनका उल्लंघन किया गया है। तो इन के अन्तर्गत उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की है इस सम्बन्ध में भी जानकारी प्रस्तुत करें ताकि हमें स्पष्ट मालूम हो जाय कि ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि न्यूनतम वैजेज ऐक्ट का अक्सर उल्लंघन होता है और बच्चों के मामलों में तो उल्लंघन होता ही है। 17-18 घंटे से काम लिया जाता है। 14 वर्ष से कम के बच्चों को काम में लगाया जाय यह भी एक उल्लंघन है और यह भी एक समस्या है...

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान जैन जी, आप दोपहर के भोजन के बाद भाषण जारी रख सकते हैं। सभा 2 बजे अपराह्न समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

1.02 म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याहन भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

मध्याहन भोजन के पश्चात् लोक सभा दो बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

2.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम' 1975 के उलंघन करने के जुर्म में अब तक कितने पूर्व मालिकों को सजा दी गई तथा किस प्रकार की सजा दी गई ? जहां तक मुझे मालूम है—जुर्माने के अलावा और कोई सजा दी गई है, तथा वह भी बहुत कम मामलों में दी गई है। जब तक उन के खिलाफ सख्त कदम नही उठेगा, कानून को सख्ता नहीं किया जायगा, तब तक यह कुप्रथा बन्द नहीं हो सकती—इस लिए मैंने इस प्रश्न को पूछा है।

क्या केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय-एजेन्सी के द्वारा बांडेड-लेबर के बार में कोई जानकारी प्रप्त की है ? यदि हां, तो वह पूरी जानकारी सदन के सदन के समक्ष प्रस्तुत करें। जहाँ मुझे मालूम है—गांधी शान्ति प्रतिष्ठान ने इसके बारे में सर्वेक्षण किया था और उन्होंने 26 लाख बंधुआ मजदूरों की संख्या बतलाई है तथा जो अभी आइडेन्टिफिकेशन किया गया है, उसमें 1 लाख 62 हजार 637 को आइडेन्टिफाई किया गया है। सर्वेक्षण में 26 लाख की संख्या बतलाई गई है, वास्तव में यह संख्या इस से भी ज्यादा हो सकती हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में विशेष दिलचस्पी नहीं ले रही हैं तथा जो गाइड-लाइन्ज उनको दी गई हैं, वे उन का पालन नहीं कर रही हैं। इस सम्बन्थ में आप क्या कार्यवाही करने जा रहे है ?

जिन 114 बालकों को मुक्त कराया गया है—उनमें कितनें मामलों में, किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई है—इस बात की जानकारी दें। जिन लोगों ने लेबर-लाज, चिल्ड्रन एक्ट और इम्मिग्रेशन एक्ट का उल्लंन किया है उनके विरुद्ध क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? इस सम्बन्ध में हमें पूरी जानकारी देने की कृपा करें।

पन्नालाल के विरुद्ध किन-किन आई. पी. सी. सेक्शन्ज के अन्तर्गत मामला दर्ज किया गया है? जब आफेन्स कारिनजिबिल है, नान-बेलेबिल है, तो उसको अरेस्ट किया गया या नहीं? उसके बारेनान में कब तक चालान प्रस्तुत किया जाएगा तथा इस में विलम्ब क्यों हो रहा है?

चिकित्सा के बारे में पहले भी प्रश्न उठा था तथा आज के जवाब में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एक्जिक्यूटिव मैजिस्ट्रेट ने उनका परीक्षण किया है। मैं चाहता हूं कि चिकित्सा-परीक्षण के बारे में पूरी जानकारी प्रस्तुत करें—उनको क्या-क्या चोटें आई थीं, किस प्रकार उनको जलील किया गया तथा किस प्रकार उनके साथ मारपीट की गई?

शिवकुमार ठाकुर और सुदामा ठाकुर एजेन्टस थे, जिन्होंने इन बच्चों को बेलबारिया पहुंचने का काम किया—उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की जा रही है?

1 लाख 23 हजार 194 बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास की व्यवस्था की गई है, जिन 1 लाख 28 हजार को 1927 को मुक्त कराया गया था उनकी अब कैसी हालत है? क्या वे फिर से बन्धुआ हो गए हैं? क्या वे फिर से कर्जे में लिप्त हो गए हैं? क्या उन की स्थिति के बारे में सरकार ने कोई जांच कराई हैं?

अगर जाँच नहीं कराई है, तो मैं कहता हूं कि इस सम्बन्ध में वे जानकारी प्राप्त कराएं जिससे पता लग जाए कि वास्तव में अगर पुनर्वास किया है, उस की सहायता से अगर उन का नया जीवन हुआ है और वे अपने पैरों पर खड़े हुए हैं तो यह प्रगति का सूचक है। अगर वे अपने पैरों पर खड़े न होकर फिर बाद में कर्जे में लिप्त हो गए हैं, तो इस पर भी प्रकाश डालें।

पुनर्वास व्यवस्था के बारे मे मैं यह कहना चाहता हूं कि इन को गवर्नमेंट सर्विस में प्रायरटी देनी चाहिए क्योंकि उसमें स्टेवीलिटी होती है मैं जानना चाहता हूं कि जिन लोगों का पुनर्वास किया गया है, तो उन में से कितने लोगों को गवर्नमेंट सर्विस दी गई है और किन-किन पदों पर नौकरी दी गई है। अगर क्लास 4 में उन को नौकरी दी गई है, तो उन की संख्या क्या है?

एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि राज्यों की जो निगरानी समितियां हैं, वे अपने बैठकें नहीं बुला रही हैं और जिलों में तो निगरानी समितियों का गठन किया ही नहीं गया है। इस सम्बन्ध में आप के डाइरेक्शन क्या हैं? निगरानी समितियां जो बहुत से प्रान्तों में कायम की गई हैं, तो वे अपनी बैठकें क्यों नहीं बुला रही हैं और इस समस्या की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं। बोडेड लेबर के समस्या से निपटने लिए कोई मोनीटरिंग सेल है या नहीं?

श्री बुद्धि चन्द्र जैन : मैं उसी के बारे में पूछ रहा हूं। बंधुआ मजदूरों के बारे में कोई मोनीटरिंग हो रहें हैं या नहीं और कोई सेल इस सम्बन्ध में चाहता हूं। इन शब्दों के साथ मैंने

विचार प्रस्तुत किये हैं, मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय उनके बारे में स्पष्ट उत्तर दें और सदन को संतुष्ट करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बन्धुआ मजदूरों की बात कर रहे हैं। यहां पर हरिजन बच्चों को बन्धुआ मजदूर के रूप से रखने का विशेष उल्लेख हो रहा है। आपने उसकी तो बात ही नहीं की है। आप आम बन्धुआ मजदूरों की बात कर रहे हैं। इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कृपया कुछ उस पर भी बोलिये।

श्री धर्मवीर : माननयीय सदस्य ने कुछ बातों की जानकारी चाही हैं। इसके बारे में वस्तृत चर्चा करने में बहुत समय लगेगा, इसलिए में उनके अन्तिम प्रश्न से शुरू करता है।

बन्धुआ श्रमिको के पुनर्वास के बारे में जो मोंनीटरिंग सिस्टम है, जैसा कि मैं ने पहले भी निवेदन किया था, राज्य सरकारें इस कार्य को सम्पादित करती हैं। उनका आइडेंटीफिकेशन करना, उनको रिलीज करना और उसके बाद उनको रिहैबोलीटेट करना, यह सब राज्य सरकारों के माध्यम से होता है और हर जिले में एक निगरानी समिति है। निगरानी समिति के माध्यम से सर्वे होता है और ऐसे बन्धुआ मजदूरों को ढूंढा जाता है या फिर कोई कम्पलेंट आती है, तो उस पर कार्रवही होती है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को और श्रम सचिवों को बराबर अवगत कराया जाता है और साथ केन्द्रीय सरकार की तरफ से, जो सीनियर अधिकारी होते हैं, उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, उनको राज्यों का दौरा करने के लिए भेजा जाता है ताकि इसको वेरीफाई करके वे देखें और बोडेड लेबर सिस्टम में कहाँ तक प्रगति हुई है और उनको पुनर्वासित किया गया है या नहीं और इस संबंध में विशेष रूप से डाइरेक्टर अनरल, लेबर वेलफेयर को कार्य सौंपा गया है और अभी तक उन्होंने 9 राज्यों का दौरा 1982-83 में किया था ओर 7 राज्यों का दौरा 1983-84 में किया है। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट भेजते हैं और रिपोर्ट के आधार पर हम राज्य सरकारों को बराबर जोर देते रहते हैं कि वे बन्धुआ मजदूरों को पुनार्वासित करें और इसकी जांच पड़ताल बराबर करती रहे। अगर कोई बन्धुआ मजदूर मिल जाए, तो उसको रिलीज कराए और पुनर्वासित करे। जिनको पुनर्वासित किया गया है, उनके बारे में भी मनोनीटरिंग सिस्टम है और उसमें यह देखते हैं कि जिनको पुनर्वासित किया गया है, वे दौबारा तो बोडेड लेबर नहीं बन गये हैं। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट अभी तक हमारे पास नहीं आई है कि जिनको पुनर्वासित किया गया है, वे पुनः इस प्रकार कर्जे में लिप्त हो गये हैं।

दूसरा इनका प्रश्न था कि इनको गवर्नमेंट सर्विस में प्रायरटी मिलनी चाहिए। जो इस प्रकार के लोग जोग होते हैं, तो जो एम्पलन्यमेंट रूल्स बनाए हुए हैं, उनके आधार पर अगर वे नौकरी चाहते हैं, तो अवश्य ही उनको स्थान मिलता है लेकिन अभी तक इनको पुनर्बासित करने के लिये जो काम हमने किया है, उनमें एक हम इनको एग्रीकल्वरल लैंड देते है।

दो हजार रुपये केन्द्रीय सरकार और इतना ही रुपया राज्य सरकार देती है ताकि सेल्फ-रम्पलाएमेंट के जारिये से उन आदमियों को स्थापित कर सकें।

दूसरे आपने इनकी संख्या के बारे में जानकारी चाही थी। 1978-79 में गांधी पीस फाउण्डेशन ने एक सम्पुल सर्वे किया था। यह दस राज्यों में किया था। उस सर्वे में 26.17 लाख संख्या बताई गई है। लेकिन वह एक रेण्डम सर्वे था जिसके द्वारा एक हजार गांवों का सर्वे किया गया था। हमारे नेशनल सेम्पुल सर्वे आरगेना इजेशन के 32 वें राऊण्ड के सर्वे में बंधुआ मजदूरों की संख्या 3.45 लाख बताई गई है।

राज्य सरकारों द्वारा इनको बसाया गया, और फण्ड प्रोवाईड किये गये, उनके फिगर्स मैंने आपको दे दिये हैं।

एक्शन टेकन के विषय में कितने केसिज रजिस्टर किये गये और उनमें क्या क्या कार्यवाही हुई, उनका राज्यवार विस्तृत ब्यौरा मेरे पास है। आप चाहें तो वह मैं आपको दे सकता हूँ।

आंध्रप्रदेश में 1,177 केसिज रजिस्टर किये गये, 54 केसिज में कंविक्शन हुआ, 488 केसिज में क्विटल हुआ और जो अमाउंट आधा फाईन रियलाईल किया गया वह 65,650 रुपये है। इसमें 61 ओफेण्डर इन्वाल्व थे।

बिहार में 1,806 केसिज रजिस्टर हुए, 43 केसिज मेंकंवीक्शन हुआ, 1,005 केसिज में एक्विकवटल हुआ और फाईन का अमाऊण्ट जो रिपेलाईज हुआ, वह 6,277 रुपये हैं।

गुजरात में कोई केस नहीं था।

हिरॅयाणा में एक केस रजिस्टर हुआ था जिसमें कंवीक्शन हुआ।

हिमाचल प्रदेश में 8 केस रजिस्टर किये गये, 3 में एविकवटल हुआ, दो में कंवीक्शन हुआ।

कर्नाटक में 29 केस रजिस्टर हुए और 9 में एविकवटल हुआ दो में कंवीक्शन हुआ। मध्यप्रदेश में 1,006 केस रजिस्टर हुए, जिनमें 98 में कंवीक्शन हुआ और 43,365 रुपए फाईन के रूप में रिपेलाईज किए गए।

श्री धर्मवीर : इस प्रकार से मोनिटरिंग कर के इन केसिज का पता लगाया गया और कार्यवाही की गई।

आपने पूछा था कि पन्नालाल जो वेलवारिया गाँव के कारपेट वीविंग यूनिट के मालिक हैं, उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? पन्नालाल के खिलाफ इतनी सख्ती से कार्यवाही हुई है कि वे गाँव छोड़ कर भाग गये। उनके खिलाफ आई०पी०सी० की सेक्सन 341 और 374 के अन्तर्गत फोरड लेवर और इल्लीगल कंफाईनमेट के लिए, चिल्ड्रन लेवर एक्ट की सेक्शन 44 के, एम्पलाएमेंट चिल्ड्रन एक्ट की सेक्शन 4, फेक्ट्री एक्ट 1983 की सेक्शन 192, मिनिमम वेजिज एक्ट की सेक्शन 22 के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिए कार्यवाही की गई। सुदामा

ठाकुर और शिवकुमार ठाकुर के खिलाफ आई०पी०सी० की सेक्सन 363 और 364 के तहत केसिज रजिस्टर किये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने इस बात का उत्तर तो पिछली बार पहले ही दे दिया है। उन्होंने इसे अब नहीं उठाया है। आप अनुसूचित जाति के बच्चों को बन्धुआ मजदूर के रूप में काम पर लगाने के बारे में उत्तर दीजिए। वह संख्या आप दे सकते हैं।

श्री धर्म वीर : परन्तु उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों पर मैं माननीय सदस्य को सन्तुष्ट करना चाहता था।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं आप उस पर पहले ही बोल चुके हैं।

श्री धर्मवीर : मेरे पास सभी सूचना है और माननीय सदस्य जो भी सूचना चाहेंगे मैं दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने की आवश्यक्ता नहीं है। आपको तो की गई कार्यवाही के बारे में बताना है।

दूसरे जो कारपेट वीवर्स हैं उनके खिलाफ भी हमने कार्यवाही की है। जो जो कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ मिनिमम वेजिज एक्ट की सेक्शन 22, एम्पलाएमेंट आफ चिल्ड्रन एक्ट की सेक्शन 4 और इन्टरस्टेट वर्कमेन एक्ट की सेक्शन 25 के अण्डर कार्यवाही की गई है। जो भी लेबर लाज के खिलाफ काम कर रहे थे, उनको नोटिसिज दिये गए हैं।

आपने जी 114 बच्चे रिलीज किये गये उनकी मैडिकल रिपोर्ट के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाही है। उनको 16-484 को पलामू भेजा गया था और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में बाहरी तरीके से कोई चोरी नजर नहीं आई है।

उन्होंने भी अपने ब्यान में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया है। 5 बच्चे जो 13.4.84 को रिलीज किए गए थे, उनको भी कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई, लेकिन उन्होंने बताया है कि उनको बैंतों और डंडों से मारा गया। 27 बच्चों को भेज दिया गया था, उनकी मेडीकल रिपोर्ट मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं इतना आश्वासन देना चाहता हूँ कि अत्याचार और अन्याय जिन लोगों ने भी किया है मासूम बच्चों के साथ, उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उनके साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। हम हर प्रकार से सजग हैं। जिला अधिकारी उस गांव में गए और जो लोग उस गांव में इस तरह का काम करते थे, वे तो गांव छोड़कर ही भाग गए हैं। जिन बच्चों को यहां पर काम करने से जो रोजी मिलती थी : उनका क्या होगा, उसके बारे में तो अलग से विचार किया जाए लेकिन इस तरह का अन्याय और अत्याचार, अमानुषिक कार्य करने वाले जो लोग हैं, उनको किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी ध्यानाकर्षण सूचना के उत्तर में दिए गये मन्त्री महोदय के वक्तव्य को मैंने पढ़ा है और यह अनुभव किया है कि उनका वक्तव्य एक शान्त और गम्भीर वकील की तरह है जो इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करता है कि उसने मिर्जापुर में हरिजन बच्चों की इस यातना में अन्तर्गस्त मानव त्रासदी के आयामों का अनुभव किया है।

महोदय, मैं केवल इस कारण से इस समस्या को सामान्य नहीं बनाना चाहिए हरियाणा के अंचल में पत्थर और खान मजदूरों में बंधित श्रम पद्धति के बारे में 12 मार्च 1982 को, मैं पहले ही एक सामन्य ध्यान कर्षण सूचना सभा पटल पर रख चुका था और इसलिए मैं फिर से उसे उठाना नहीं चाहता हूं। परन्तु मैं इतनी तो अवश्य कहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : हाल ही में एक ध्याना कर्षण प्रस्ताव लाया गया था।

प्रो० मधु दंण्डवते : वह तो ठीक है। आपकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है।

महोदय मैं आपको बता रहा था कि उनका रवैया एक शान्त और गम्भीर वकील की तरह है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : बेवकूफ ?

प्रो० मधु दण्वते : नहीं, श्रीमान जी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। (**व्यवधान**)

ऊर्जा मन्त्री श्री शिवशंकर : वह इसमें विश्वास करते हैं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैंने सोचा कि उन्होंने कहा है 'बेवकूफ'।

प्रो० मधु दण्डवते : लाल और गुलाबी में यही तो अन्तर है।

महोदय, पहले ही पैरा ग्राफ में मन्त्री महोदय ने कुछ कहा था। देखिए बन्धुआ माजदूर के बारे में उनका क्या कहना है उन्होंने कहा है 'बन्धित श्रम पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 के अधीन 25 अक्तूबर, 1975 से देशभर में कानून द्वारा बन्धुआ प्रणाली समाप्त कर दी गई है। इस तिथि से सभी बन्धुआ मजदूर पूर्णतया स्वतन्त्र हो गये हैं और बन्धुआ मजदूरी करने के सभी दायित्वों से मुक्त कर दिए गये हैं तथा ऋण माफ कर दिए गये हैं अतः एक अधिनियम बनाने से ही, वह पहले ही कह चुके हैं कि बंधुआ मजदूरों को पहले ही स्वतन्त्र किया जा चुका है। महोदय इसको गलत मत समझ लीजिए। उत्पीड़न और बलात्कार के कुछ पीड़ित लेन पुलिस प्राधिकारियों के पास जाएं और उन्हें बताएं कि यह रही भारतीय दण्ड सहिता और इसके अनुसार ये सब अपराध हैं और हम पहले ही उनसे छुटकारा पा चुके हैं तो यदि कोई ऐसा कहता है तो मैं आपको बताता हूं कि मन्त्री महोदय का यह वक्तव्य इतना अहानिकर है, इतना निर्दोष है मैं यह नहीं कहूंगा कि 'इहना मूखंतापूर्ण' है। कि मैं उस वाक्य-विशेष के लिए यही कहना चाहूँगा। अतः यह केवल विधिक रवैया है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : नहीं जी, मैंने तो कहा है कि मैं इसका प्रयोग नहीं करूंगा । महोदय, जानबूझ कर तो में इसका प्रयोग नहीं करूंगा, परन्तु यदि आप अमुमति दे रहे हैं तो मैं वह भी बोल दूंगा । परन्तु में इसका प्रयोग करना नहीं चाहता ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह तो ठीक है । यह असंसदीय है ।

प्रो० मधु दण्डवते : अतः यह बिल्कुल स्पष्ट हैं कि आमतौर से सभी संविधयों और अधिनियमों में जो कुछ दिखाई देता है वह लोगों को स्वतन्त्र नहीं करता है केवल कुछ कानून जो कि छेड़ छाड़ और बलत्कार को रोक सकते हैं या दण्डित कर सकते हैं वे वास्तव में नारी की मान-मर्यादा की रक्षा नहीं कर सकते हैं । उसके लिए कुछ कठोर उपाय करने होंगे और में कहूँगा कि सभी ब्यौरा विभिन्न समाचर पत्रों में पहले ही छप चुका हूं । और मैं प्रेस के विभिन्न वर्गों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पर्याप्त जांच-पड़ताल करके पत्र कारिता को भूमिका निभाई है, चित्र छापे हैं और मन्त्री महोदय से कहीं अधिक गहन ब्यौरा उन्होंने दिया है ।

प्रो० एन ०जी० रंगा (गुंटूर) गांधी शांति निशन भी ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं उसी पर आ रहा हूं । आपका 'गांधी' शब्द से एलर्जी है ।

प्रो०एन०जी० रंगा गांधी शांति निशन ने भी वही किया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : वह तो ठीक है । मैंने सोचा कि आप उसकी आलोचना कर हहे हैं । 'लगड़े गांव की कहानों' नाम से एक रिपोर्ट छपी है । वे कुछ क्षेत्रों में गये थे और यह पता लगाया कि बन्धुआ मजदूरों का क्या हुआ । जब वे एक विशेष प्रकार का भोजन करते हैं तो उन्हें पावों में लकवा कैसे मार जाता है । उसके बारे में रिपोर्ट आयी है और गांधी शान्ति-प्रतिष्ठान ने भी राष्ट्रीय संस्थान से मिलकर अच्छा काम किया है और उन्होंने ही वह रिपोर्ट तैयार कि है । यह एक अद्भुत रिपोर्ट है जिसमें सारा ब्यौरा दिया गया है । मैंने 12 मार्च को उसका उल्लेख किया था और मैं अब दौहराना नहीं चाहता हूं अन्यथा आप ग्लानी अनुभव करेंगे ।

यहां मेरे पास अनेक फोटो हैं । यदि आप इनमें से कुछ फोटो देखें तो यहां उन बच्चों का हृदय प्रावक दृश्य है, जिन्हें सताया गया, पेड़ पर लटकाया गया तथा लोहे की छड़ों से दागा गया ओरं उसके बाद ही ये फोटोग्राफ लिये गए है । यदि आप उनको देखें और एक क्षण कल्पना करने का प्रयास करें कि ये हमारे ही बच्चे हैं और फिर यह कल्पना करें कि हमारे जीवन में जैसी स्थिति को देखकर क्या मानवीय करूणा जाएगी । ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है । मैं सभा से अपील करूंगा कि यदि इस सभा के सदस्यों को आंखों में अभी भी कुछ आंसू बाकी बचे हैं तो मे इस स्थिति में उनको बहा सकते हैं और यदि उनमें थोड़ी सी भी संवेदन शीलता बची है तो सदन अपनी क्रोध भावना को व्यक्त कर सकता है तथा मत्री महोदय में तनिक सी भी सेवा-भावना है तो उन्हें बच्चों

के साथ निर्दयता समाप्त करने के लिए तत्परता से कदम उठाने चाहिये। और केवल अधिनियम के विधिक उप बच्चों का ही ब्यौरा देने और बताने का ही प्रयास नहीं करना चाहिये कि पुलिस स्टेशन में क्या किया जा सकता है और क्या किया गया है। उससे हम कतई संतुष्ट नहीं होंगे। इस समस्या के विशाल आयाम हैं और इसलिए उसे बिल्कुल भिन्न तरीके से सुलझाया जाना है। यह अनेक समस्याएं उत्पन्न करता है। जहाँ तक समस्याओं के आयामों का संबन्ध है, वे बहुत ही व्यापक हैं। वास्तव में बिहार के गांवों से बच्चों का अपहरण किया गया था और उन्हें मिर्जापुर ले जाया गया था। उन्हें बन्धुआ मजदूर बनाकर कालीन बुनने का काम दिया गया था। आपको यह जानकर धक्का लगेगा कि उन्हें केवल दो घन्टे सोने दिया जाता था। उनमें से कुछेक से प्रतिदिन 22 घन्टे काम लिया जाता था और उन्हें निरन्तर सताया जाता था। इनमें से कुछेक ने इस प्रकार के उत्पीड़न और दवाब का विरोध किया तो कुछेक को उलटे पैर करके लटका दिया गया और वास्तव में ही गर्म लोहे की छड़ों से उन्हें दागा गया।

उन बच्चों के फोटोग्राफ छपे हैं जब इन 27 बच्चों का वास्तव में अपहरण किया गया था और जब उनके मां बाप ने 700/- रुपये और 500/- रुपये प्रति बच्चा देनी चाही जो कि मांगे गये थे। और यहां पर हमारे मन्त्री महोदय बताते हैं कि परिभाषा के अनुसार, जो कि बन्धुआ मजदूर अधिनियम में दी गई है, जब कोई व्यक्ति कुछ ग्रहण लेता है तो उसके बदले में उन्हें काम पर रहना पड़ता है, उसी व्यक्ति विशेष को बन्धुआ मजदूर कहा जाता है। किसी भुक्तभोगी को यदि आप यह बताने, स्पष्ट करने का प्रयास करें कि बन्धुआ मजदूर से वास्तव में आपका क्या मतलब है, आप कष्ट झेल रहे हैं होंगे परन्तु शक्ति से कष्ट भोगिए, क्योंकि आपका मामलाउस कानून के दायरे में सही नहीं बैठता है जिसे हम पहले ही बना चुके हैं। उससे बन्धुआ मजदूर को कोई तसल्ली नहीं मिलेगी, चाहे आप तकनीकी रूप से ऊसे बन्धुआ मजदूर कहें या नहीं।

7· नाथ्य यह है कि माता-पिता को कहा गया कि एक बच्चे के 500 रुपये देकर आप अपने बच्चों को वापिस ले जा सकते हैं, तब तक उसे काम करना होगा। काली बनाने के कारखाने में काम कर रहे ऐसे बच्चे का चित्रण वह कैसे करेगें ? मंत्री महोदय, परिभाषिक रूप में आप उसे बंधुआ नहीं कहेंगे, लेकिन आपकी तकनीकी परिभाषा से कोई संबध नही है। मेरा इस स्थिति में अभिप्राय मानवीय पीड़ा से है और सदन इसी बारे में चिंतित है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम सतारूढ़ दल के सदस्य हैं या विपक्ष के हमें मानवीय यातना और उन्हें वास्तव में दी जा रही पीड़ा की चिंता है प्रत्येक बच्चे के लिए 500 रूपये मांगे गए हैं और वे अपने बच्चों को वापिस नहीं ला पाये। मामला पुलिस थाने तक पहुंचा और उसमें विलम्ब किया गया जिससे उन्हें और पीड़ा पहुंचायी गई। यह सब हो रहा है। और हम यहां पर तकनीकी रूप से चर्चा कर रहे हैं। कि क्या उन्हें बंधुआ मजदूर कहा जा सकता है या नहीं। वास्तव में जब प्रत्येक बच्चे के लिए 500 रुपये की मांग की गई, उसी समय के दौरान उन्हें यातना दी गई। उन्हें शारीरिक यातना दी गई। कभी-कभी मैं महसूस करता हूं कि जो भी बच्चे वहां है वे अपनी

आस्तियों को बंधक रखे हुए हैं। उनकी एक आस्ति है उनका शरीर और दूसरी आस्ति है उनके स्वपन। वे अपने सपनों को अपने शरीर को बंधक रख रहे हैं।

वे स्वयं को स्वतन्त्र कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है। क्या हम उन्हें बंधुआ मजदूरी नहीं कहेंगे ? आप इस स्थिति का क्या समाधान करने जा रहे हैं ? वह समस्या है।

उत्तरप्रदेश के मिर्जापुर जिले के बुनाई उद्योगों में हजारों बच्चे वस्तुत: दास की तरह काम कर रहे हैं। मजदूर क्या है ? वे सामाजिक अनुमति से लेकिन बिना कानूनी अधिकार के काम कर रहे हैं वहाँ पर कुछ सामाजिक दबाव, जमींदारों और समाज विरोधी तत्वो का दबाव है। और उसके परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में भय का वातावरण होने के कारण इस तरह की घटनाएं जारी हैं। इसका कारण यह है कि उस क्षेत्र में कारखानों विशेष के मालिक जनता पर शासन करने में समर्थ हैं। इसीलिए, पुलिस उसमें दखल देने में समर्थ नहीं हैं। इसी कारण वहां अत्याचार हो रहे हैं बिहार के पलामू जिले के छिछौरी गांव से 30 बच्चों का अपहरण किया गया और उन्हें गांव बिलवारिया, जिला मिर्जापुर पूर्वी उत्तर-प्रदेश में ले जाया गया तथा उन्हें काम करने के लिए बाध्य किया गया और उन्हें जानवरों की तरह पीटा गया। मिर्जापुर के कालीन कारखाने के मालिक के पंजों से बचाये गए 27 बच्चों की कहानी समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है। उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। दूसरा राष्ट्रीय बंधुआ मुक्ति सम्मेलन में, कुछ पीड़ित बच्चों द्वारा जो वस्तव में बच निकले थे, उन्हें दी गई यातना की कहानी प्रकट की गई। कुछ सहानुभूति जताने वालों ने उसका वर्णन किया, बंधुआ मुक्ति संगठन का धन्यवाद। वे जगह-जगह जाकर जागरूकता लाने में समर्थ थे। इसी भांति पत्रकारों की संख्या भी काफी है। 'स्टेट्समैन' के समूह में एक नागरिक स्वातंत्रय संघ में एक कार्यकर्त्ता है—नीरजा चोधरी। उन्होंने बड़े पैमाने पर जांच कार्य किया है। वे जगह-जगह घूमी हैं। उन्होंने बच्चों तथा उनके माता-पिता से भेंट की तथा पूरा ब्यौरा एकत्र किया और उसे साक्षातकार के रूप में 'स्टेट्समैन' में प्रकाशित गया किया। उनकी तस्वीरों सहित सुस्पष्ट प्रकाशित किया गया।

हमारी बात झूठी हो सकती है किंतु तस्वीरें झूठी नहीं हो सकती। हम झूठ कह सकते हैं लेकिन मासूम बच्चे कभी झूठे नहीं हो सकते। महोदय, कानून के जानकार होने के कारण, आप यह सब जानते हैं। मेरे मित्र श्री सोमनाथ आपको बता सकेंगे कि जब न्यायालय में गवाह के रूप में किसी को आने की अनुमति दी जाती है, तो सबसे विश्वसनीय गवाह बच्चों को माना जाता है क्योंकि कोई व्यक्ति अथवा वयस्क झूठ बोल सकता है लेकिन बच्चा झूठ नहीं बोल सकता झूठ बोल सकता हैऔर इसीलिए बच्चे नीरजा चौधरी के पास गए, सम्मेलन में गए और उन्होंने यातना की दुःखद कहानी का ब्यौरा दिया। ये सभी ब्यौरे पहले ही प्रकाशित किये जा चुके हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता।

जनवरी और फरवरी 1984 के बीच गांव छिछोरी से 5 से 12 वर्ष की आयु के 30 बच्चों का तीन दलों में अपहरण किया गया और उन्हें मिर्जापुर जिले में ले जाया गया और प्रतिदिन 22 घन्टे कालीन की बुनाई कराई गई। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इसकी पुष्टि की गई

है । बच्चों की पिटाई की गई तथा उन्हें लोहे की गर्म छड़ें दागी गईं तथा पर्याप्त भोजन देने से भी मना किया गया जैसा कि मैंने पहले कहा उन्हें सोने के लिए केवल 2 घन्टे । की अनुमति दी जाती थी । जिन बच्चों को लोहे की गर्म छड़े दागी जाती थीं उन्हें बुखार हो गया । उनका कोई इलाज नहीं किया गया । यह स्वाभाविक परिणाम है निश्चय ही, जब किसी को लोहे की छड़े दागी जाएं तो वे सामान्य नहीं रह सकते, उन्हें बुखार होना अवश्य होगा । उन्हें चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न ही नहीं है । अतः उनका इलाज नहीं किया गया ।

भोला मूनिया, जिसकी आयु 12 वर्ष ने अपनी बाजू पर हुए घाव दिखाए । पन्ना लाल कालीन कारखाने के मालिक द्वारा लाठी मारे जनाने के कारण उसकी दाहिनी आंख पर चोट के कारण सूजन थी । एक तस्वीर थी इस समाज विरोधी तत्त्व, पन्ना लाल को दंड देना चाहिए ।

महोदय, भीषण यातना के बारे में देंखे । जब एक सुबह 7 बच्चों ने भागने का प्रयास किया तो उन्हें पन्ना लाल और अन्य व्यक्तियों ने दबोच लिया । उनके दोनों पैर बांधकर पेड़ से उल्टा लटका दिया गया और फिर लोहे की गरम छड़ों से दागा गया । उनके चिल्लाने पर किसी को उनकी सहायता करने के लिए नहीं आने दिया गया । बच्चों को तीन टुकड़ियों में गांव से अपहृत किया गया था ।

बच्चों के गायब होने के करीब तीन सप्ताह पश्चात उनके माता-पिता ने बिलारिया गांव में उन्हें ढूंढ निकाला, जहां बच्चे पन्ना लाल की हिरासत में थे और उसने बच्चों को मुक्त करने के लिए प्रति बच्चे 500 रुपये देने की मांग की थी । पन्ना लाल ने उन्हें बताया कि उसने गांव से बच्चों को उठाने के लिए शिव कुमार को 7000 रुपये दिए थे । गांव वालों के पास बच्चों को मुक्त कराने के लिए पैसे नहीं थे । वे छिठौरी वापिस आ गए और 24 धरवरी को उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक शिकायत की उन्हें छिठौरी गांव के निकट राजाहारा पुलिस चोकी पर जहां उनकी को शिकायत के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी, तीन दिन बाद बुलाया गया । तदनन्तर राजाहाश पुलिस चौकी के इंसपैक्टर माधव सिंह मिर्जापुर गए और उत्तर प्रदेश पुलिस की मदद से बिलवारिया गांव पर छापा मारा और 1 अप्रैल, 1984 को 27 बच्चों को बचाकर उनके गांव लाए ।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस की पुष्टि की गई है । वैसे घृणित कार्य का ब्यौरा दिया जा सकता है । मैं सदन के इस दुःखद घटना को घृणजनक स्वरूप का और अधिक वर्णन नहीं चाहते । लेकिन ये सब घटनाएं हो रही हैं । यहां पन्ना लाल जैसे समाज विरोधी तत्वों, उस क्षेत्र में रहने वाले जमींदारों और बंधुआ मजदूरों की सहायता से कालीन बनाने के कार्य में लगे लोगों के बीच कुछ सांठगांठ लगती है ।

किसी अन्य दिन श्रम मंत्री ने बक्तव्य दिया था कि इसमें संदेह नहीं कि बाल अधिनियम बनाया गया है । लेकिन उन्होंने खुले आम यह स्पष्ट कर दिया कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करना संभव नहीं है स्वयं श्रम मन्त्री ने सांविधिक ग्रंथ में दिए गए कानूनों को कार्यान्वित करने

में अपनी असमर्थता व्यक्त की है।उस मामले में इन कानूनों के कार्यान्वयन में सरकार की सहायता कौन करेगा ?

इस समूची घटना से कुछ प्रश्न सामने आते हैं—

1. पाटन पुलिस स्टेशन द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में तीन दिन का विलम्ब किया गया ? क्या आप विलम्ब का कारण बताएंगे ।

2. उन जघन्य अपराधियों की जमानत क्यों की गई ? क्या किसी तरह से दबाव डाला गया था ?

3. पुलिस ने बच्चों की उम्र 18 वर्ष से अधिक क्यों बताई ? मैं आपको बताता हूं कि उनमें कुछ बच्चों की उम्र 5 से 12 वर्ष के बीच थी मैं उसका उत्तर चाहता हूं । कि मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है । मैंने उसमें काम किया है और मैंने सूचना एकत्र की है । यह बन्धुआ मुक्ति मोर्चा के कार्य-कर्ताओं द्वारा कएत्र की गई सूचना पर आधारित। है अतः मैं इसका उत्तर चाहता हूं ।

4. बंधुआ मुक्ति मोर्चा के सन्मेलन से पूर्व जिला प्रशासन ने कुछ कार्यवाही क्यों नहीं की ?

5. पुलिस शेष तीन बच्चों को खोज निकालने में असफल क्यों रही है ?

6. मिर्जापुर स्थित कालीन कारखाने के मालिक, श्री पन्ना लाल को तुरन्त गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया तथा उसके विरुद्ध श्रम बंधित पद्धति (उत्सादन) अधिनियम, 1976 तथा दास प्रथा विरोधी अधिनियम के अन्तर्गत मामला दर्ज क्यों नहीं किया गया ?

7. उत्तर-प्रदेश का श्रम विभाग तथा केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बनारस जिले, में जहां हजारों बच्चे दुखी जीवन बिता रहे हैं, बढ़ रही बाल-दासता की स्थिति के प्रति इतनी निरुत्साहित क्यों है । मेरे अनुभवी सहयोगी श्री बनारसी दास इस संबंध मैं सुस्पष्ट विवरण प्रस्तुत करेंगे ?

8. उत्तर प्रदेश तथा बिहार में निगरानी समितियां अपनी सांविधिक जिम्मेदारी निभाने सक्रिय क्यों नहीं है ?

9 बिहार सरकार ने पलामू जिले के उपायुक्त, श्री सहाय कर्त्तव्यच्युत होने के कारण आरोप-पत्र क्यों नहीं जारी किया और उसे निलम्बित क्यों नहीं किया गया ?

10. क्या यह सच है कि कालीन फेक्टरी के मालिक श्री पन्ना लाल, जो कि गांव बिलवारिया, जिला मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले है, हरिजन दास लड़कों को गर्म छड़ें दागने का काम अपनी 12 वर्षीय पुत्री से करवाता था ? एक पिता का फरपाड़क रवैया देखिए ।

11- केन्द्रीय श्रम विभाग सदन को कहता रहा कि बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने में अधिक से अधिक स्वयं सेवी संस्थाएं बनाई जा रही हैं। फिर केन्द्र सरकार या बिहार राज्य सरकार के बिहार के पलामू जिले में पानेरी बांध गांव में 7, 8, 9, 10 अप्रैल 1984 को बंधुआ मजदूर पर हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी को किसी भी तरह की वित्तीय या प्रशासनिक सहायता देने से इंकार क्यों किया ?

अंत में मैं सरकार से केवल इतना कहूंगा कि आज यातना दिए गए बच्चों की भावना यह है कि यदि "आप हमें पीड़ा मुक्त नहीं कर सकते और जबकि जीवन काल में हमें नारकीय जीवन बिताना पड़ रहा है' अच्छा होगा कि आप हमें शांति से मरने दें" क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्हें पीडित जीवन से मौत ही मुक्ति दिला सकती है। मुझे आशा है और विश्वास है कि श्रम मन्त्री इस घटना की स्थिति को समझेंगे और इस पर शीघ्रता से कार्यवाही करेंगे। मैं केवल इसलिए सारा दोष उन पर देना नहीं चाहता कि वह किसी अन्य दल के सदस्य हैं। मेरा उनसे अनुरोध हैं कि वह इस मानवीय दुखद घटना पर ध्यान दें। यह आपके कानूनों की परिधि से कहींअधिक व्यापक है। आप कृपया इन बच्चों की, जिन्हें यातना दी जा रही है, भावना समझने का प्रयत्न करें तथा देखें कि उनके साथ न्याय किया जाए। हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये बच्चे जो कल के नागरिक है, हमारे राष्ट्र का भाग्य बनायेंगे। कृपया हमारी नहीं इन बच्चों का ध्यान रखिए, जो कल के नागरिक हैं।

श्री धर्मवीर : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय दंडवते जी ने जो भावना ं व्यक्त की हैं, मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन घटनाओं से कौन मनुष्य है जो प्रभावित नहीं होगा। मैंने पहले भी कहा था, जब समाचार पत्रों के माध्यम से, उनकी तस्वीरें और उन घटनाओं की चर्चा आई तो मुझे भी बहुत दुःख हुआ, जितना दुःख माननीय सदस्य को है, उतना ही हम सबको भी है। मैं समाचार-पत्रों और उन स्वयंसेवी संगठनों, जो बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, का स्वागत करता हूं और साथ ही उन्हें बधाई भी देता हूं और उनका आभारी हूं कि हमारे अभियान में वह पूरा सहयोग कर रहे हैं।

आपने द्रवित होकर, भावनाओं के आवेश में कह दिया कि 'गो वियोंड दी ला।' आप समझते हैं कि कानून की परिधि के अन्तर्गत ही हम काम करने के सक्षम हैं। अगर हम कानून तोड़ कर काम करेंगे तो उसका कहां तक उचित मूल्यांकन होगा, यह आप समझ सकते हैं ? लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि इन सारी घटनाओं को मैं स्वीकार करता हूँ।

मैंने अपने स्टेटमेंट में जो कुछ कहा है, वह जिलाधिकारी मिर्जापुर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर कहा है। यह न मेरा विचार है और न सरकार का विचार है। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सदन और सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि 11 तारीख को ज्यों ही समाचार-पत्रों में इसका उल्लेख आया, उसी दिन उसी घड़ी केन्द्रीय सरकार ने हमारे मन्त्रालय ने बिहार और

उत्तरप्रदेश के लेवर सैक्रेटरीज को पत्र लिखा कि तुरन्त इसकी जांच-पड़ताल करके हमें अपनी कार्यवाही से अवगत कराओ। इस संबंध में चीफ सैक्रेटरीज को भी तार भेजे गए। जिलाधिकारी एक सक्षम अधिकारी होता है, उसके माध्यम से ही काम किया जाता है। मिर्जापुर के जिलाधिकारी ने फौरन रेड की और केवल 5 मजदूर ही नहीं, 114 बच्चों को वहां से खोज निकाला और वहां जाने पर उन्हें पता लगा कि इसके पूर्व ही वहां से 77 बच्चों को बिहार की पुलिस ले गई है। बिहार की पुलिस का जो जिक्र किया गया है, वहां बन्धुआ मजदूरों का जो सेमिनार हो रहा था, जो समाचार-पत्रों में कहानी आई है, उसके आधार पर ही जो रिपोर्ट लाज़ की गई 27मार्च को इसके बाद ही 3 दिन बाद वहां बिहार की पुलिस गई। 3 दिन लगना ज्यादा विलंब तो नहीं है, लेकिन इसके बाद तुरन्त ही उन्होंने वहां से 27 बच्चों को मुक्त कराया और बिना इसकी सूचना जिलाधिकारी मिर्जापुर को दिये वह उन्हें वहां से ले आये। इस कारण जिलाधिकारियों को सूचना नहीं मिली। 11 तारीख को समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुआ है।

यह जो आपने फोटोग्राफ्स दिखाये हैं और जिन दुर्व्यवहारों की आपने चर्चा की है इसके लिए कोई शब्द नहीं है कि किस प्रकार से इसकी निन्दा की जाये।-यह अमानुषिक और जघन्य अपराध है, जिसे खूंखार दरिन्दे ही करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की बात आप करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा कि जो सीमित साधन हैं, कानून की परिधि के अन्तर्गत ही हम कार्यवाही कर सकते हैं, अन्यथा न्यायालय इसके लिये सक्षम है कि जमानत पर मुक्त करे या न करे। कानून के अन्तर्गत ही हम सख्त से सख्त कार्यवाही उनके खिलाफ करने के लिए तैयार हैं और कार्यवाही करेंगे।

इसके लिए आदेश और इन्स्ट्रक्शन्ज राज्य सरकारों को दिये गए हैं। राज्य सरकारों को टेलीग्राम और टेलीफोन के जरिये कहा गया है कि तुरन्त कार्य-वाही करें। इसी भरोसे पर गांव में छापा मारा गया। उसपर गांव के और लोग गांव छोड़कर भाग गए। इससे पता लगता है कि हमने इस मामले को कितनी गंभीरता से लिया और डी एम को आदेश दिया। उसने छापा मारा और तलाश करके एक एक बच्चे को निकाला। परिणाम यह है कि गांव के लोग गांव छोड़कर चले गए और बताया गया कि वहां का उद्योग ठप्प हो गया।

यह ठीक है कि वहां बच्चे काम करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में ही नहीं, समूचे देश में बच्चे काम करते हैं। उन्हें काम करने से रोकने के लिए कानून हमारे पास है। लेकिन हमारे देश की आर्थिक परिस्थिति ऐसी है कि उनके पास आजीविका के कोई साधन नहीं हैं, इसलिए वे अपने मां-बाप की सहायता करने और अपना पेट पालने के लिए काम पर जाते हैं। उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उनके साथ जो अमानुषिक व्यवहार होता है, उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निन्दा करनी चाहिए। राज्य सरकारों को आदेश है कि ऐसी घटना की खबर मिलते ही कड़ी कार्यवाही की जाए।

आर्थिक स्थिति के कारण बच्चों को काम करना पड़ता है। इससे उनका स्वास्थ्य बिगड़ता है और भविष्य का सपना चूर होता है। मैं माननीय सदस्य की भावना से अपने आप को सम्बद्ध करता हूं, किन्तु इस सम्बन्ध में मजबूरी है। परिवार के सब सदस्यों—मां-बाप और बच्चों को काम करना पड़ता है। वहां उन बच्चों में कुछ ने यह भी बताया कि हम लोग यहां पर खुशी से आए हैं और हमारे मां-बाप हमें पहुंचा कर गए हैं। 32 बच्चों का बयान है कि उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता। लेकिन जिन्होंने जैसे कि पन्नालाल ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, उनके विरुद्ध जो भी कार्यवाही सम्भव होगा, वह की जाएगी। ठाकुर एबस्कांड कर गए हैं। तेजी के साथ उनकी खोज की जा रही है। उनको अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

रिपोर्ट को लाज करने में तीन दिन लग गए, मुझे इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं देनी है। 27 मार्च को रिपोर्ट लाज हुई और 1-4-84 को ही पुलिस ने छापा मार कर उन बच्चों को निकाला।

यह पूछा गया है कि उन व्यक्तियों को बेल आउट क्यों किया गया है। मुझे इसकी जानकारी यही है कि बेल आउट हुए हैं। पन्नालाल ने एबस्कांड किया था। शिवकुमार ठाकुर और सुदामा ठाकुर कोर्ट में सरेन्डर दिया है। उनको बेल आउट करना हमारे हाथ में नहीं है। यह न्यायालय का क्षेत्र है। वह किसी को भी मुक्त कर सकता है। हम न उसको रोक सकते हैं और न उस पर दबाव डाल सकते हैं। कानून के अन्तर्गत प्रशासन और पुलिस कार्यवाही करती है और न्यायालय उसपर विचार कर के बेल आउट करता है या छोड़ देता है। यह उसका कार्यक्षेत्र है।

माननीय सदस्य ने पूछा है कि डी एम ने बंधुआ मोर्चे के सैमिनार को एटेंड क्यों नहीं किया। इस बारे में कोई सरकारी आदेश नहीं हैं कि वे ऐसी मीटिंग्ज को स्टेंड करें। लेकिन उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी लेने के लिए तत्पर रहना चाहिए। अगर वालन्टेरी आर्गनाइजेशन से कोई जानकारी मिलती है, तो उसके आधार जिलाधिकारियों को कार्य करने के आदेश हैं। इस सम्बन्ध में निगरानी समितियां बनाई गई हैं और बराबर निदेश दिए जाते हैं। जिला अधिकारी और राज्य सरकारें इस बारे में कार्य करने में सक्षम हैं।

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि बिहार के डिपुटी कमिश्नर को क्यों नहीं सस्पेंड किया गया, राज्य सरकार से कहा जा रहा है कि वे इस पर बड़ी गंभीरता से विचार करके उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें, जो ऐसे मामलों की उपेक्षा करते हैं। वे केवल अपराधियों के खिलाफ ही कार्य वाही न करें, बल्कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें, जो कानूनों और सरकारी आदेशों का उल्लंघन करते हैं और अमानुषिक अत्याचारों को बैठे देखते रहते है। बिहार गवर्नमेंट को लिया गया है कि अगर किसी अधिकारी की नेग्लीजेंस है, तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

जहां तक वालन्टेरी संस्थाओं को सहायता देने का प्रश्न है, बंधुआ मुक्ति के लिए धन

उपलब्ध है, उन लोगों को रिलीज कराने के लिए और उनको रीहैबिलिटेट करने के लिए हम स्वयंसेवी संस्थाओं से सहयोग मांगते हैं कि वे हमें इस बारे में सूचना दें, जिलाधिकारी को यह जानकारी दे। जहां कहीं ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो बन्धुआ हैं सरकार का काम है कि वह उनको मुक्त कराए और उनकी सहायता करे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, चूंकि हमारे दल के सदस्य श्री पीताम्बर सिंह इस ध्यानाकर्षण पर काफी विस्तार से बोल चुके हैं, मैं उसीमुद्दे पर दोबारा बोलकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। अन्य माननीय सदस्यों ने भी समाचार पत्रों में छपी खबरों का उल्लेख किया है।

श्रीमन्, मैं इन सभी साहसी पत्रकारों का अवश्य धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने मिर्जापुर जिले में हाल ही में हुई इस घटना को उजागर किया। यदि वे साहस न करते तो देश को इस घटना का कभी पता न चलता। सरकार सदन में स्वतः इस पर विशेष तौर पर बच्चों के सम्बन्ध में कि सरकार इस समस्या से कैसे निपटेगी। कोई बयान देने के लिए आगे नहीं आएगी।

महोदय, मंत्री महोदय, ने जो बयान यहां दिया है उसमें बहुत रोचक बातें हैं। उदाहरण के लिए इसमें कहा गया है कि बलुआ, पुर्जागीर तथा बेलबारिया गांवों में पुलिस की सहायता से जो 114 बच्चे मिले हैं उनमें से 91 की आयु 14 वर्ष से कम पाई गई। इसलिए, यह केवल उनके साथ हुए दुर्व्यवहार का ही प्रश्न नहीं है—दुर्व्यवहार तो उनके साथ हुआ ही है—मुख्य प्रश्न यह है कि किस ढंग से उन्हें यातना दी गई है तथा गर्म लोहे की छड़ों से उन्हें दागा गया, दिन में 22 घंटे तक काम करने के लिए विवश किया गया, और न उन्हें कोई खाना दिया गया और जब भी उनसे काम में कोई गलती हुई, उन्हें पीटा गया। यह सभी कुछ बच्चों के बयानों में दर्ज है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर बच्चों को काम पर लगाया गया है—114 में से 91 बच्चे—और वह भी एक छोटे-से इलाके में जिनका पता इन पत्रिकाओं के द्वारा लगा है, हम नहीं जानते कि अन्य क्षेत्रों में क्या हो रहा है। बयान में कहा गया है :

> 'दर्ज किये गए बयानों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, बाल नियोजन अधिनियम, 1938, बाल अधिनियम 1960, फैक्ट्रीज़ अधिनियम 1948, अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 341 तथा 374 के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के मामले प्रकाश में आए हैं। तथापि 'बन्धित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम 1976' में दी गई परिभाषा के अनुसार इन बच्चों के साथ बन्धुआ मजदूरों का जैसा व्यवहार करने का कोई मामला नहीं पाया है।"

मंत्री महोदय इस पर बहुत बल दे रहे हैं कि हमें कानून की परिधि से बाहर जाने की बात नहीं करनी चाहिए। कानून की परिभाषा का शब्दशः अनुसरण किया जाना चाहिए और इसलिए ये बच्चे, जिनके बारे में आपने यहां इतना कुछ सुना है, बन्धित श्रम अधिनियम की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते और इसलिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। महोदय, तब तो

अधिनियम में ही कुछ त्रुटि लगती है और इस जिलाधीश से हमें भगवान बचाए, जो यह कहते हैं :

> "इन बयानों से मिर्जापुर के जिलाधीश का यह मत है कि इसे जबरन बन्दी का मामला माना जा सकता है लेकिन इसे बन्धुआ मजदूरी का मामला नहीं माना जा सकता, क्योंकि उनके अनुसार इसमें नियोजक द्वारा बच्चों को या उनके मां-बाप को कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी गई थी, जिसके बदले में बच्चों से मजदूरी या काम करवाया जा रहा था।"

अब, क्या किया जाए। मैं वकील नहीं हूं। मन्त्री महोदय एक वकील की भांति जिरह कर रहे थे। महोदय, जब बच्चों का पालामू जिले से अपहरण करके कालीन बुनकरों के पास काम करने के लिए यहां लाया गया है तो उधार या ऋण वाली बात कैसे पाई जा सकती है। उधार या ऋण का प्रश्न कैसे पैदा होता है। यह प्रश्न तो पैदा ही नहीं होता और इसलिए वे बन्धुआ मजदूर की परिभाषा से अपने आप निकल जाते हैं। यदि आप वास्तव में इस पर विश्वास करते हैं तो आपके कानून में कुछ त्रुटि हैं, आपको इसमें संशोधन करना होगा, आपको सदन में संशोधन विधेयक लाना होगा। बच्चों को दासी की भांति रखा जाता है, उनके शरीर को दागा जाता है, उनकी पिटाई की जाती है, उन्हें भूखा रखा जाता है, उनसे 22 घंटे प्रतिदिन काम लिया जाता हैं, लेकिन हम कहेंगे, नहीं वे बंधुआ मजदूर नहीं हैं, क्योंकि इसमें उधार या ऋण की कोई बात शामिल नहीं हैं। यह कैसा कानून हैं ?

एक माननीय सदस्य : कानून के और भी उपबंध हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : नियोजक भी यही कहते हैं। मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि यह कोई ऐसी चीज नहीं हैं जिसका आसानी से उपचार किया जा सके। यह एक ही घटना को यहां यहां दोहराने का प्रश्न नहीं हैं। इससे हमारे देश में अभी भी मौजूद सामंती अत्याचार के घिनौने चेहरे से पर्दा उठ गया हैं, जिसके करोड़ों लोग शिकार हैं, और इसलिए, इस समाज में जब तक मूलभूत सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन नहीं होते, ऐसी चीजें चलती रहेंगी। यह एक ऐसी समस्या हैं, जो देश में व्याप्त घोर निर्धनता तथा बेरोजगारी के साथ अन्यत्र रूप से जुड़ी हुई हैं, बस बात यही हैं। कौन इससे इंकार करता हैं ? केवल निर्धनता और बेरोजगारी के दबाव के कारण ही लोगों को इस प्रकार के कामों के लिए विवश होना पड़ता हैं। अपनी प्रगति के सम्बन्ध में हम जो अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं और जो कुछ वित्त मंत्री तथा अन्य मन्त्री हमें बताते रहते हैं, उन सबके बावजूद ऐसी बातें हो रही हैं। आप बड़े-बड़े कारखानों की बात कर सकते हैं, और निःसंदेह बड़े पांच सितारा होटलों आदि की बात कर सकते हैं, जो इस समय बनाए जा रहे हैं। लेकिन, निचले वर्ग के लाखों करोड़ों लोगों पर हो रहे अत्याचारों के सम्बन्ध में यह वास्तविकता हैं।

मैं जानता हूं कि हालात इतने बुरे हैं कि कुछ स्थानों पर यह बंधुआ मजदूरी की परिभाषा की परिधि के अन्तर्गत नहीं आ सकता क्योंकि इन मामलों में यदि आप 14 वर्ष से कम आयु के

बच्चों को काम करने से रोकने की चेष्टा करेंगे तो मुझे यह कहते हुए अफसोस हो हैं कि यह एक दुःखद बात हैं क्योंकि इसका विरोध करने वाले पहले व्यक्ति उनके मां-बाप ही होंगे। ऐसा हो भी चुका हैं। श्रीमन, आपके अपने राज्य तमिलनाडु में, जहां कई हजार बच्चे दियासलाई तथा पटाखे बनाने का काम छोटे कारखानों में करते हैं, मैं समझता हूं, एक या दो वर्ष पहले तमिलनाडु सरकार ने घोषणा की थी कि वे इन कानूनों को बहुत कठोरता से लागू करेंगे क्योंकि वहां बच्चों को न केवल अनुज्ञेय आयु से नीचे काम करने के लिए विवश किया जाता हैं बल्कि उनसे इतने घंटों तक काम लिया जाता हैं जिसकी अनुमति नहीं हैं और मजदूरी इतनी कम दी जाती हैं कि यह सचमुच भूखों मरने जितनी होती हैं। लेकिन इन बच्चों के माता-पिताओं ने प्रदर्शन किया और कहा कि इन बच्चों की अतिरिक्त आय के बिना हमारा परिवार नहीं चल सकता, और यदि उन्हें कारखानों से हटाया जाता है तो आपको उन्हें कोई वैकल्पिक कार्य देना होगा, अन्यथा हम कैसे जिएँगे ? इस देश की दशा कितनी दुखद हैं। इन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए। इस तरह कार्य करने की बजाय उन्हें स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। इस देश में कई ऐसे उद्योग हैं जो इन बच्चों के काम पर निर्भर करते हैं चाहे यह फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) के चूड़ियों के कारखाने हों, या कुछ छोटी चाय की दुकानें या होटल हों। 8 या 10 वर्ष के छोटे बच्चों से वहां सुबह से लेकर आधी रात तक ग्राहकों की सेवा करने का काम लिया जाता हैं और तब कहीं जाकर 2 या तीन घंटे के लिए दुकान के बीचों-बीच सोने दिया जाता हैं और खाने को मुश्किल से दिया जाता हैं। मैं नहीं जानता कि तकनीकी तौर पर केवल उसी वर्ग को बंधुआ मजदूर कहा जाएगा जिसके साथ कुछ धन या किसी प्रकार का उधार या ऋण या अन्य कोई चीज जुड़ी हुई हो, अन्यथा यह ठीक है। इन बच्चों को इस स्थिति तक पहुंचाने वाली मजबूरियों के बारे में आपका क्या उत्तर हैं। मुझे मन्त्री महोदय या इस सरकार से इस प्रश्न के हल किये जाने की आशा नहीं हैं, यह ऐसा नहीं कर सकती।

महोदय, मुझे कुछ रिपोर्ट मिली हैं मैं इस समय उसमें नहीं जा सकता। उच्चतम न्यायालय के आदेश पर राष्ट्रीय श्रम संस्थान के श्री नवीन चन्द्र ने नई दिल्ली में एक सर्वेक्षण किया था। उसे पता चला हैं कि मध्य प्रदेश के रायपुर क्षेत्र में आदिवासी बच्चों को किस प्रकार दासता के लिए बेचा जाता हैं।

3.00 म०प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

मैं इसके ब्यौरे मे नहीं जा सकता, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मुझे भयभीत करने वाली बातों का पता चल रहा है। मुझे वास्तव में भयभीत करने वाली चीजों के बारे में पता चल रहा है और श्री नवीन चन्द्र को भी ऐसी बातों का पता चला हैं, क्योंकि इन आदिवासी बच्चों की ओर से किसी ने उचतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी हैं और इसलिए इन आदिवासी लोगों को, जिनके नाम में याचिका दायर की गई हैं। परेशान किया जा रहा हैं, दंडित किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है, "आपकी इस प्रकार याचिका दायर करने की

हिम्मत कैसे हुई" ? स्वयं श्री नवीन चन्द्र को मध्य प्रदेश से वापस आने पर कहा गया कि वह दोबारा वहां न जाएँ। पूरे समाचार पत्रिकाओं में आ रहे हैं। उसने कहा है :

"समस्या की व्यापकता तथा मजदूरों की हालत के प्रति प्रशासन की संवेदनशीलता की कमी को देखते हुए, प्रशासिक की संवेदनशीलता की कमी को देखते हुए, प्रशासनिक तंत्र पर निजी स्वार्थों के दबाब की तो बात ही क्या है, राज्य पर इस समस्या को आंशकि रूप से भी हल करने का विश्वास नहीं किया जा सकता।"

इस प्रकार, कोई अन्य उदाहरण हैं। मुझे खुशी है कि हाल ही में पालामड में, उनकी क्षेत्र में जहां से बच्चे अपहृत करके मिर्जापुर ले जाए गए थे, इस 'बन्धुआ मुक्ति संगठन का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे वे चौपाल कहते हैं। उसमें बहुत से लोगों ने भाग लिया है। इसका एक काफी बड़ा विवरण है जिसमें उसमें भाग लेने बाले संगठनों तथा व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं। इसमें सन्देह नहीं कि यह एक मिश्रित सम्मेलन था। उनमें कुछ फिल्म निर्देशक भी थे जो अपने शूटिंग दल सहित वहां पहुंचे हुए थे। कुछ ऐसे भी लोग वहां गए थे जिन्हें यहां के लोग नक्सलवादी कहते हैं और इसलिए उन्हें समाज के दायरे से बाहर समझते हैं। लेकिन यदि नक्सलवादी बन्धुआ मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ना चाहते हैं तो मैं उनको सहयोग देने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। यह मैं नहीं कह रहा हूं।

लेकिन समाज की ऐसी स्थिति में लोगों के पास भविश की आशा के लिए कुछ भी नहीं है, और यदि समाज को बदलना है जैसे कि मंत्री महोदय कह रहे हैं, तो इसके लिए क्रांति की आवश्यकता होगी, इससे कभी कुछ नहीं और क्रांति की चमक आपको यहां बैठे हमारे जैसे लोगों की आंखों में या सम्पन्न लोगों की आंखों में या सरकारी क्षेत्र के अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों या कामगारों की आँखों में नहीं मिलेगी। यह आपको किसी दिन इन लोगों की आंखों में चमकेगी। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का, जो 20 सूत्री कार्यक्रम आदि की बात करता है, यह कर्त्तव्य है कि वह इन लोगों का साथ दें और इन्हें संगठित होने में सहायता दें। इस समय वे पूरी तहर दबे हुए हैं—उन्हें पशुओं से भी बहतर जीवन व्यतीत करने पर विवश किया जा रहा है। वे हमारे देशवासी हैं, महिलाएं और बच्चे हैं।

यदि उन्हें मानवीय सम्मान के साथ जीना है, तो उन्हें संगठित होने की शिक्षा देनी होगी। उन्हें शिक्षा कौन देगा ? उन्हें लड़ने की शिक्षा कौन देगा—मैं हिंसक रूप से लड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन उन्हें निर्भीकता से अपनी मांगे तथा शिकायतें व्यक्त करने की स्थिति में होना चाहिए, उन्हें यह डर नहीं होना चाहिए कि यदि उन्होंने कुछ कहा तो उनको यातनाएं दी जाएंगी तथा उनकी पिटाई होगी। लेकिन भय का यह बोध दूर करना होगा। यही कारण है कि मैं इन पत्रकारों का आभारी हूँ। मैं आशा करता हूँ कि दीर्घाओं में बैठे व्यक्ति मुझे गलत नहीं समझेंगे। लेकिन इन लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली भयावह समस्याओं को पत्र-पत्रिकाओं प्रायः निम्न प्राथमिकता दी जाती है और इसकी तुलना में दूसरी चीजों को, जिन्हें मैं पूरी तरह गोण

मानता हूं, उदाहरण के लिए श्री राम राव आदिक की मनपसन्द ह्विस्की पीना पसन्द करते हैं।

जैसी बातों को पत्र-पत्रिकाओं में काफी प्राधान दी जाती है। लेकिन यहां ऐसे लोगों की समस्याओं को, जो भूखों मर रहे हैं तथा जिन पर अमानवीय अत्याचार हो रहे हैं, छोटे बच्चों की कोई भी बच्चों वाला व्यक्ति इन चीजों को कैसे सहन कर सकता है—की समस्याओं को पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुख स्थान नहीं मिल रहा है। यदि आप इन रिपोर्टों को पढ़े तो आपको वास्तव में पता चलेगा कि ये हृदय-विदारक हैं। किसी को यह नहीं सूझ रहा कि क्या किया जाए, क्या सोचा जाए और ऐसा नहीं है कि हम यहां जो कुछ कर रहे हैं प्रतिदिन भाषण दे रहे हैं तथा निरर्थक चीजे कर रहे हैं, वह काफी है। मुझे खुशी है कि अब अधिकाधिक लोग इसमें भाग ले रहे हैं, इन गांवों में जा रहे है, इन लोगों से मिल रहे हैं, उन्हें संगठित कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, उनका साहस बंध रहे हैं उन्हें कह रहे हैं।

"अपने पैरों पर खड़े होती, अपनी मांगों आदि के लिए लड़ो।" अपने संसद में जो सैकड़ों कानून पास किए हैं, उनसे इन लोगों की रक्षा नहीं होगी, क्योंकि इन कानूनों को कार्यन्वित करने का कोई रास्ता नहीं है। मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत आप इन कानूनों को कार्यान्वित नहीं कर सकते। पंजाब में आप बहुत से प्रशासनिक कदमों को लागू नहीं कर पा रहे हैं, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आप उठाने जा रहे हैं? और आप वहां क्या कर रहे हैं? आप यह कैसे कर सकते हैं?

अन्त में, आपके अखबार में एक बहुत दुखदायी समाचार है। मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय इसका खंडर करें या इसकी पुष्टि करें।

कुछ महीने पहले अखिल भारतीय ईंट-भट्ट नियोजक महा संघ ने, जो सारे देश में 1.50,000 से भी अधिक ईंट-भट्टे चला रहे हैं और जिनमें लगभग 50 लाख लोग कार्यरत हैं, घोषणा की थी कि यदि उन्हें श्रमिक कानूनों में छूट नहीं दी गई तो वे आपने भट्टे बन्द कर देगें। यह धमकी नियोजकों द्वारा दी गई थी और उन्होने सचगुच ही भट्टे बन्द कर दिए वे। वे इस संसद द्वारा पास किए गए कानूनों, विशेषकर इस प्रकार के असंगठित श्रमिकों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों में छूट की माँग कर रहे थे। जरा विडम्बना देखिए, हमने ये कानून पास किए हैं। इन नियोजकों ने आकर कहा कि बन्धित श्रम प्रणाली (उत्सादन) अधिनियम, अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार नियमन तथा नियोजन और सेवा शर्तें) अधिनियम, फैक्ट्रीज आधि नियम, ठेका श्रमिक (नियमन तथा उत्सादन) अधिनियम तथा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम ईंट-भट्टों पर लागू नहीं होने चाहिए। यदि इन्हें अप्रयोज्य नहीं बनाया गया तो वे ईंट-भट्टे बन्द कर देगें।

श्री वीरेन्द्र पाटिल ने मंत्रालय ने एक सम्मेलन बुलाया था, जिसमें हमने भी भाग लिया था।

श्रमिक संगठनों को महाविरे के लिये बुलाया गया था और बिना किसी अपवाद के सभी संगठनों जिसमें कि सत्ता धारी दल से सम्बंध संगठन भी सम्मिलित है, ने एक आवाज में कहा कि इस प्रकार की कोई भी छूट नहीं दी जानी चाहिये। इन कानूनों को पारित करने का फायदा क्या है। इस तरह के कानून पारित मत कीजिये। इस प्रकार के कानून अत्यंत संगठित तथा अधिक वेतन पाने वाले व्यक्तियों को संरक्षक देने के लिये नहीं बने हैं ऐसे व्यक्तियों को इन कानूनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये कानून असंगठित श्रमिकों तथा ऐसे श्रोमकों जोकि छोटी ईकाईयों में काम करते हैं और स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हैं उनके लिये बने हैं। हमें श्रम मंत्रालय द्वारा बताया गया कि मंत्री ने इन मालिकों को बताया कि उनकी मांगों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, उन्हें इस प्रकार की खुली छूट नहीं दी जा सकती और अगर उनकी कोई उचित शिकायतें हैं उनकी जांच की जा सकती है किन्तु उन्हें कोई भी छूट नहीं दी जा सकती और वे कानून लागू होने जा रहे हैं।

आप, इस अखबार में समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं नहीं जानता यह सही है अथवा नही। शीर्षक है : "ब्रिकबैट फार फाइव मिलियन वर्कर्स"। इसमें लिखा है :

"नीति के प्रत्यक्ष परावर्तन में केन्द्र सरकार गम्भीरता से विचार कर रही है कि श्रमिकों के हितों के लिये बनाए गये श्रमिक नियमों का सारे देश में कार्यरत, करीब 50 लाख भट्टा श्रमिकों के नियोजनों द्वारा इनके पालन से उन्हें छूट दे दी जाये।"

सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं किया जायेगा, परन्तु सरकार पर अखिल भारतीय ईंटों तथा टाईल्स उत्पादन कर्ता संघ द्वारा अत्यधिक दबाब डाला गया तथा संघ के उपाध्यक्ष श्री आई. सी. गुप्ता ने कहा कि उन्हें सरकार ने आश्वासन दिया है कि उन्हें छूट दी जाने वाली है। यद्यपि सरकार ने अभी तक उसकी घोषणा नहीं की यहां एक छोटे से बच्चे की तस्वीर है जोकि दिल्ली के पास भरी दुपहरी में ईंट भट्टे में काम कर रहा है। इस कहा गया है :—

आपको दिल्ली मे सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी के गाजियाबाद में, टीला मोड़ तक जाना होगा जैसा कि यह संवाददाता गया। वहाँ पर गांवों के साथ-साथ 150 ईंट पर विद्यमान हैं। और आप स्वयं देख सकते हैं कि बच्चे भी गर्म दुपहरी में ईंटे बना व पका रहे हैं। उन्हें उचित लाभ नहीं मिलता है। रहने के स्थान के नाम पर उनके पास उनकी झुगिया है जो ईंटों व सूखी घास से बनी हैं।

ईंट भट्टे में कार्य ड्यूटी करने वाले श्रमिक देश में सबसे अधिक असुरक्षित असंगठित श्रमिको में से हैं।

मैं नहीं चाहता कि मंत्री जी कहें यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सूचना क्या से संबंधित है, परन्तु आप सभी बंधुआ तथा भूमि हीन श्रीमकों से संबंधित प्रश्न उठा रहें हैं, आपको सिर्फ बच्चों की समस्याओं तक ही सीमित रहना चाहिये।" अगर यह सम्पूर्ण श्रमिक निकाय की समस्या है, जो

कि इन नियमों में कवर होती है तो इसमें बच्चे भी सम्मिलित होंगे। अगर बहुत बड़ी संख्या में संवैधानिक फायदे हैं। तो उनका क्या होना ? परिस्थितियाँ विपरित हो जायेंगी। मैं जाना चाहता हूं क्या इस कहानी में कोई तत्त्व है या नहीं। जो संवाददाता ये कहानियाँ छापते हैं उन्हें विद्वान समझा जाता है। परन्तु अभी भी मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी हम बतायेगें कि क्या मंत्रालय ने श्रम संगठनों से मशविरा करने के पश्चात अपना रवैया बदल दिया है तथा ईंट भट्टे के मालिकों को इन श्रम कानूनों से छूट दिलाने जा रहे हैं, जोकि श्रमिकों को कमसे कम कागजै पर तो संरक्षण प्रधान करते हैं और इन्हें इस छोटे से संरक्षण से भी वंचित किया जा रहा है।

प्रो० मधु दण्डवते : माननीय मंत्री जी, कृपया एक प्रश्न है इसी सदन में मानवीय मंत्री श्री वीरेन्द्र पाटिल ने कहा था कि वे इन भट्टें मालिकों के दबाव के वशीभूति नहीं होंगे और वह नियमों में भी किसी प्रकार की छूट नहीं देगें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने किसी अखबार में एक आरोप पढ़ा था। मुझे इस बार में कुछ नहीं मालूम और मैं आशा करता हूं कि मंत्री जी मुझे गलत नही समझेंगे। यह आरोप यहां बैठें मंत्री के खिलाफ है। आरोप है कि वह स्वयं ही किसी ईंट भट्टे के मालिक हैं अगर यह सही नहीं है तो मैं चाहूंगा कि वे इसका सदन में खण्डन करें क्योंकि इस संदर्भ में यह एक बहुत ही विशिष्ट मुद्दा है।

श्री धर्मवीर : मानवीय उपाध्यक्ष जी, आदरणीय इन्द्रजीत गुप्त जी ने पता नहीं कहाँ से यह सूचना प्राप्त की है कि मेरे पास कोई भट्टा है। उन्हें जानकारी करा हूं कि शायद मेरे घर में तो एक ईंट भी न हो, भट्टा तो बहुत बड़ी चीज है। जब इस प्रकार का आरोप लगाया जाता है तो उससे प्रशासन को या जिनके हृदयों में गरीब मजदूरों के लिए कुछ करने की इच्छा होती है, उन्हें हतोत्साहित होना पड़ता है।

प्रो० मधु दण्डवते : ईंट तथा ईंट के ढेले में भ्रांति हैं।

श्री धर्मवीर : मैं समझता हूं कि बिना बेरीफाई किये, हुए इस प्रकार से किसी के बारे में कुछ भी बात कहना उचित नहीं हो सकता। लेकिन माननीय इन्द्रजीत गुप्त जी मेरे बुजुर्ग हैं, मैं उनको इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : में आपको वह समाचार भेजूंगा। मैं आपके खण्ड को स्वीकार करता हूं।

श्री धर्मवीर : महोदय यह झूठी यह, आधारहीन, बनायी गयी एवं मन गढंत खबर है। मिर्जापुर में ही नहीं अपितु सम्पूर्ण बेटा में जो स्थिति है उसके संबंध में मैं श्री इंद्रजीत गुप्त तथा प्रो० दण्डवते के विचारों से सहमत हूं और मैंने पहले ही वक्तव्य में बता चुका हूं। पहले भी, मैंने कई बार कहा है कि हम देश इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए कृत-

संकल्प है और दोषी व्यक्ति के प्रति सख्त कदम उठायेंगे। बंधुआ मजदूर प्रणाली के खत्म करने के लिए हमारे पास कई योजनाएं निर्माणाधीन हैं। एक बात और है हम बंधुआ मजदूरों की परिभाषा 0 संशोधन करना चाहते हैं। किन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है। कि यह दस ध्यानाकर्षक प्रस्ताव परिधि में नहीं। मुझे खेद है, परन्तु हमें निर्धारित अधिनियम की परिधि के अनुसार ही कार्य करना होगा।

एक माननीय सदस्य : अधि यम में संशोधन करना हो।

श्री धर्मवीर : अन्य प्रावधान भी हैं। फिर एक माननीय मित्र ने अपने भाषण के दौरान यहां श्रमिकों पर अत्याचार तथा अमानवीय व्यवहार के बारे में बताया है। इस ईंट भट्टा उद्योग के संबंध में, मुझे कहना है। कि अखिल भारतीय हैं। तथा टाईल्स उत्पादन कर्त्ता संघ के कुछ प्रतिनिधि मुझसे और मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री वीरेन्द्र परिलनी भी मिले थे और उन्होंने फैक्ट्री कानून तथा अन्य विभिन्न कानूनों के अनुपालन में होने बाली कठिनाईया के बारे में बताया। उन पर 14 दिसम्बर को त्रिपक्षीय वार्त्ता में यिचार किया गया है। उन्होंने उद्योग को पूरी तरह से बन्द कर दिया और तत्पश्चात केन्द्र प्रत्येक राज्य में एक त्रिपक्षीय समिति बनाने का निश्चय किया गया। जो कि अन्य चजों के कारण साथ इस उद्योग के लिए एक पृथक एवं व्यापक अधिनियम बनाने पर विचार करेंगे। क्योंकि उनकी मुश्किलें कुछ हद तक उचित हैं। किन्तु अखवार में प्रकाशित समाचार में दिए गए आश्वासन के संबंध में हमने सदन को आश्वस्त कर दिया है कि हम उन्हे छूट देने नहीं जा रहे हैं। मैं सदन को आश्वासन दिला सकता हूं कि हम भट्टा मालिकों के किसी भी प्रकार के दबाव को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं और न ही उन्हें किसी प्रकार की जूट देने ही जा रहे हैं।

यह उत्तर प्रदेश राज्य है। जी हां, उन्होने ऐसा किया है, क्योंकि यह उनके अधिकार क्षेत्र में है चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार फैक्ट्री अधिनियम के तहत ईंट के बारे में उपयुक्त सरकार है, और उन्हें अधिनियम के खण्ड 31 के अंतर्गत इस प्रकार का आदेश पार्टी करने का अधिकार दे दिया गया है केन्द्र सरकार इस विषय में आगे और कोई कार्यवाही नहीं करना चाहती।

यर सही है कि उन्होंने एक बर्ष के लिए छूट दे दी है क्योंकि संसद के बाहर सभी जगह से बहुत ज्यादा शोर था। संसद के भीतर, माननीय सदस्य मुझ पर दबाव डाल रहे थे। और पूछ रहे थे।

"इस उद्योग में काम क्या नहीं शुरू हुआ" क्योंकि वास्तव में वहाँ पर श्रमिक भूखों मर रहे थे और और उन्हें वहाँ परकोई भी नौकरी नहीं दी गई थी। समस्या के आयाम को देखते हुए, राज्य सरकार ने एक वर्ष के लिए छूट देने का निश्चय कर लिया।

इन्द्रजीत सिंह : सभी राज्यों में हो रहा है।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, हमारे देश में समाज के कमजोर वर्ग के लोगों पर जुल्म और अत्याचार का सिलसिला संदियों से चला आ रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। आए दिन इस सम्माननीय, सदन के बाहर अखाबारों के यह जानकारी मिलती रही है कि कमजोर वर्ग के लोग, शोषित समाज के लोग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर किस तरह से कहर ढ़ाए जाते हैं। कहीं पर उनको जिन्दा जलाया जाता है, कहीं पेड़ पर लटकाया जाता है, कहीं सामूहिक हत्याएं होती हैं, कहीं उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, कहीं उनको नंगा करके उनसे हल चलवाया जाता है। इस तरह की बातें होती हैं। इसी सिलसिले में यह समाचार मिला है कि मिर्जापुर जिले में कालीन के कारखानों में अनुसूचित जातियों के बच्चों के साथ किस तरह की ज्यादतियों की गई। किस तरह से उनको यातनाएं दी गई और बड़े अफसोस कि बात यह है कि कि उनकी उम्र 5 से लेकर 12 वर्ष के बीच थी। उनके साथ ये अमानवीय व्यवहार किया गया।

सभापति महोदय, मैं तो उस विचार धारा का हूं कि अगर इन बच्चों के समान अवसर मिलाता तो ये बच्चे जिनको भूखा रखा गया, मारा-पीटा गया, लोहे का सलाख लोहे की सलाखें दागी, गयी, अगर इनकों उचित अवसर मिलता और शिक्षा-दीक्षा मिली तो इन्हीं नौनिहालों में में से कोई हमारे देश का भावी नेता हो सकता था, कोई अच्छा इंजीनियर बनके देश की सेवा कर सकता था, कोई अच्छा डा० बन सकता था, लेकिन भुखमरी-गरीबी से ऐसे अभिप्राय हैं जिनके कारण मजबूर हो कर के माता-पिता को अपने बच्चों को जिनकी अवस्था काम करने की नहीं होती, उनको भेजना पड़ता है काम करने के लिए।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : कोई प्रधान मन्त्री भी हो सकता था।

चन्द्रपाल शैलानी : हां, प्रधानमंत्री भी बन सकता था और आपको यह भी बता सकता था बागड़ी साहब कि इस तरह से पार्लियामेंट नहीं चलती है। इस तरह से बहस नहीं है इस तरह से फालतू बातें नहीं की जाती हैं और समाजवाद का कोरा ढ़िढोरा पीटने से समाजवाद गहीं आ जाता है। इसके लिए कुछ सच्चे कामों को करके दिखाया जाता है। समाजवाद सोशलिफ्ट समाज का आदमी ही ला सकता है। जुल्म और अत्याचार करने वाले वर्ग का आदमी समाजवाद नहीं ला सकता। (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : श्री शैलानी आप आपस में बात मत कीजिए कृपया अध्यक्ष पीठ का संबोधित करिये।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : मेरे विचार में देश के बहुत से भागों में नाबालिक बच्चों के साथ ज्यादती होती है। अभी हमारे साथी इन्द्रजीत गुप्त ने कहा कि मध्य प्रदेश के रायपुर जिले में भी इस तरह का व्यवहार होता है। वहां पर आदिवासी लोग बड़े-बड़े जमीदारों के यहां अपने बच्चों को गिरबी रख देते हैं और जिन्दगी-भर उनसे काम करवाते हैं। जमींदार लोग कुछ रुपए

पैसे उन्हें उनकी शादियों के लिए दे देते हैं। जब बच्चे हो जाते हैं तब उनको भी काम पर लगा लिया जाता है। शिवकाशी में माचिस और आतिशबाजी बनाने वाली फैक्ट्रियों में भी आग से खेलने काम छोटे-छोटे नौनिहाल करते हैं और मालिक लोग उनका शोषण करते हैं। कुछ बातें तो लाइट में आ जाती है वरना बहुत-सी बातों का तो पता ही नहीं चलता। मैं, मिर्जापुर जिले की बात प्रारम्भ कर रहा था कर पलामू जिले के छिछहोरी गाँव से तीस बच्चों का अपहरण करके मिर्जापुर जिले में लाया गया। इस गांव का एक व्यक्ति इन बच्चों को किश्ती में बैठाकर ले गया, गंगा नदी पार करवाने के लिए के रस्सी में बांध कर उन्हें लाया गया। किसी ने पुलिस को सूचना नहीं दी कि इन बच्चों को कहां ले जाया जा रहा है जबकि बहुत से मल्लाह भी भी वहां पर बैठे हुए थे। पटना और मिर्जापुर स्टेशनों पर रेलवे कर्मचारियों ने इन बच्चों को देखा। पुलिस को सूचित भी किया तो पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन बच्चों के मां-बाप दर-दर की ठोकरें खाते रहे। उनको कितनी परेशानी हुई, इसका अन्दाजा आप लगा सकते है। यह एसी बातें हैं, जिनको सुनकर के अच्छे-अच्छे कठोर दिल भी पिघल जाएंगे। बहुत से साथियों ने यहां पर बताया कि भखे-नंगे और गरीबी से परेशान परिवार के लोग अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देने देते हैं। लालच दिया गया कि दिन में अच्छा भोजन मिलेगा और फिल्म दिखाई तथा और भी सुविधाएं मिलेगी। जिन मां-बाप दिन में एक टाइम भी अच्छा भोजन नहीं मिलता, वे इस लालच में आ गए। एद गांव में तीन महीने तक इन बच्चों को भूखा-नंगा और प्यासा रखा गया। उनकी हालत को बदतर बना दिया जिसकी वजह से उनकी अधमरे जैसी स्थिति हो गई। पांच साल साल के बच्चों से बाइस घंटे तक कालीन के कारखाने में काम करवाया गया। न तो उनको रोटी दी गई और न ही सोने दिया गया। उन बच्चों से कोई गलती हो जाती है तो उनको बुरी तरह से मारा-पीटा जाता था। बंधुआ मुक्ति मोर्चे ने इसका भण्डाफोड़ किया जिसकी वजह से छान-बीन हुई और 27 बच्चों को उनके शिकंगे से निकालकर अपने स्थान पर पहंचा दिया गया। तीन-चार बच्चे अभी भी लापता हैं। उनका कुछ पता नहीं चल पा रहा है। इन बातों की ओर हमें गंभीरता से सोचना होगा कि आखिर इस तरह की समस्या कब तक इस देश में चलती रहेगी ? श्रीमन् पूरे देश में पलामू एक ऐसा जिला है, जहां सबसे अधिक मात्रा में बोन्डेड लेबर रहती है, सबसे ज्यादा बन्धुआ मजदूर बसते हैं। बर्ष 1920 में इनकी संख्या जहां 83 हजार हुआ करती थी, अब 1984 में वह बढ़कर लगभग दो लाख हो गई है। सारे देश में कोई दूसरा जिला आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहां दो लाख के करीब बन्धुआ मजदूर रहते हों। इनकी स्थिति शुरू से ही ऐसी चली आ रही है परन्तु इनकी ओर कोई ध्यान न देने की वजह से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस गांव में यही नहीं, और बहुत से इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस गांव में यही नहीं और बहुत से जमींदार या कुछ दूसरे लोग भी हैं, जो यह धन्धा करते हैं और बच्चों का अपहरण करके उन्हें बेच देते हैं या उनसे मजदूरी कराते हैं। अभी तक उनके विरुद्ध कोई ऐसी ठोस और कारगर कार्यवाही नहीं की गई है, जिससे इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। श्रीमन् मैं अपनी बात को ज्यादा लम्बा न करते हुए मंत्री जी को केवल इतना बताना चाहता हूं, वैसे तो उन्होंने इस समस्या का काफी अध्ययन किया है और स्थिति स्पष्ट की है, मैं जानता हूं कि हमारी

सरकार इस देश बन्धुआ मजदूरी की प्रणाली को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती है, हमारे नेता भी यही चाहते हैं कि इस देश में कोई इस तरह का व्यक्ति न रहे, जिसके पास आगे बढ़ने का मौका न हो और किसी से जबर्दस्ती उसकी मुफलिसी या उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए काम न लिया जाए, किसी को अमानुषिक यातनाएं न दी जाएं।

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच कराई है, क्यों कि मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पड़ता और आपको उसकी कोई सूचना है। जिस तरह का यह वाक्य हुआ, बच्चों को यातनाएं दी गईं, उनको भूखा रखा गया, उनको बुरी तरह पीटा जबर्दस्ती काम लिया गया, उसके विरुद्ध उत्तर-प्रदेश सरकार ने क्या कार्यवाही की और उसके क्या परिणाम निकले। इस काण्ड से सम्बन्धित कालीन निमाताओं में से कितनों को गिरफ्ताह किया गया और जैसा यहां अभी हमारे एक साथी ने भी बताया, उनमें से कितनों को को जमानत पर छोड़ दिया गया। क्यों कि यह कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि जघन्य अपराध है और मानवता के बिरुद्ध है, जिमकी जमानत नहीं होनी चाहिए। यदि किसी कालीन निर्माता को इस अपराध में पकड़े जाने के उपरान्त छोड़ दिया गया तो क्या सरकार ने उच्च न्यायालय जाकर कोई कार्यवाही की ताकि उनकी बेल को समाप्त करवाया जा सके (व्यवधान)

श्रीमान मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जिन कालीन निर्माताओं ने इस तरह से बच्चों से अमानुषिक कार्य लिए, खरीदा, उनमें से कितनों के लाइसेंस रदद किए गए। पलामू जिले में देश के अन्य किसी भाग की अपेक्षा सबसे ज्यादा बन्धुआ मजदूर हैं, इस कुरीति को दूर करने के लिए, कानून का उल्लंघन करने पर कितने व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही अब तक की गई अब उसको किन कारणवश नहीं रोका गया। वर्ष 1920 बिहार सरकार ने पलामू जिले को बन्धुआ जिला घोषित था, वहां के बन्धुआ मजदूरों की भीषण व शर्मनाक समस्या को देखते हुए क्या वहां कोई कार्यालय खोला गया अथवा किसी पदाधिकारी को नियुक्त किया गया जो इन तमाम चीजों की जांच कराया। यदि हां, तो उसका पूरा विवरण दिया जाए। इसके अलावा जितने बच्चों को वहां अपहृत करके लाया गया, उनमें से अभी तक कितने बच्चे लापता है, और सरकार उनको ढूढने के लिए अभिभावकों तक पहुंचाने के लिए क्या फौजी कार्यवाही कर रही है। क्या सरकार जानकारी में है कि श्रम विभाग के कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों की इन कारखाने के मालिकों के साथ मिलीभगत है और वे उन्हें महीनेदारी देते हैं जिसके कारण सरकारी निर्देशों का पालन नहीं हो पाता और वे उन कारखानों में जांच के लिए नहीं जाते। यदि यह सही है तो सरकार ने श्रम विभाग के कितने अधिकारियों या कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है इन प्रश्नों का उत्तर मैं माननीय मंत्री जी से चहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार घोषणा करे कि भविष्य में इन घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे।

श्री धर्मवीर : सभापति महोदय, माननीय शैलानी ने चार बातों की जानकारी चाही है। अभी उत्तरप्रदेश सरकार की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। जिलाधिकारी मिर्जापुर ने कार्यवाही की

जिसके आधार पर समाचार-पत्रों मैं केवल बच्चों का जिक्र था, जिलाधिकारी मिर्जापुर का सराहनीय प्रयास था जिसके कारण उन्होंने 114 बच्चे खोज निकाले और उसमें से 5 बच्चों के बयानात रेकार्ड किए, जांच पड़ताल की और मैडिकल एक्जामिनेशन कराया, और जो 27 बच्चे जा चुके थे उनके बारे में मैडिकल रिपोर्ट विहार से आयी है। जिलाधिकारी मिर्जापुर ने, उत्तर-प्रदेश सरकार को जैसे ही केन्द्र सरकार से सूचना मिली, समाचार-पत्रों और टेलीग्राम के द्वारा, उस आधार पर उन्होंने तुरन्त कार्यवाही की·····(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। आप इस तरह बार-बार प्रश्न नहीं पूछते रह सकते हैं। आप केवल माननीय सदस्य के प्रश्नों का उत्तर दीजिए।

श्री धर्मवीर : मैंने अपने वक्तव्य में कहा था कि इन बच्चों के सम्बन्ध में मिर्जापुर जिले में कोई बंधुआ मजदूर का मामला नहीं है। मेरे निजी सचिव ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को लिखा है कि जब यह बच्चे ऐसी स्थिति में पाए गए तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और इसकी जांच पड़ताल दोबारा से की जाय। प्राप्त जानकारी के अनुसार बेलवारियां, जिला मिर्जापुर के कालीन कारखाने के मालिक श्री पन्नालाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की निम्नलिखित धाराओं के अधीन कार्रवाई की गई है। धारा 341-अवैध रूप से कैद करना और धारा 44, चिल्ड्रन लेबर एक्स 1938 की धारा 4, फैक्ट्री 1948 की धारा 92 और न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 22 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

सुदामा ठाकुर और शिवकुमार ठाकुर के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 और 364 के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप उनके नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत क्यों नही पकड़ते ?

श्री धर्मवीर : मैंने निवेदन किया था कि जिलाधिकारी ने जिस कड़ाई से छापा मारा उसके बाद सारे मुलजिम भाए निकले और गांव के और लोग भी भाग गए। सरकार की कार्यवाही में कोई शंका आपको नहीं करनी चाहिए। कम-से कम जब तक मैं हूं, मैंने पूरी शक्ति के साथ यह कार्यवाही की है कि ऐसा कोई गुनाहगार बच न सके जिसने इन बच्चों के साथ ऐसा अकानुषिक अत्याचार एवं ज्यादती की।

श्री रामविलास पासवन : आप होम मिनिस्टर से कहिए कि नेशनल सिक्योरिटी का कानून बनाकर इनके खिलाफ कार्यवाही करें।

श्री चन्द्रपाल शैलानी : सभापति महोदय, आमतौर पर अगर कोई अपराधी अपना घर या मकान, गांव छोड़कर भाग जाता है तो कायदा यह होता है कि उसकी कुड़की कराई जाती है। उनके मां-बाप, परिवार वाले लोगों को कस्टडी में रखा जाता है, उनसे पूछा जाता है कि मुल-

जिम कहां है। इस तरह की कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है ? जिन्होंने यह अमानुषिक जुर्म किए हैं, उनके कितने घरों की कुड़की हुई और क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री धर्मवीर : पन्नालाल, शिवकुमार और सुदामा ठाकुर ये तीन मेन कल्परिट हैं।

श्री राम विलास पासवान : कौन-कौन अपराधी पकड़े गए ?

श्री धर्मवीर : पकेड़े जायें तब न। (**व्यधान**)

श्री चन्द्रपाल शैलानी : आप जैसे नौजवान मंत्री जो स्वयं एक शोषित वर्ग से पैदा हुए है, अगर आप भी ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा ?

श्री धर्मवीर : आपने मैंने निवेदन किया कि उनके खिलाफ कुड़की की कार्यवाही हो गई है। आप पूरी सुनते नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : यह डिस्कशन भी हुआ है, औपन नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री धर्मवीर : पन्नालाल के खिलाफ कुड़की की कोर्ट में हाजिर हो गए हैं। अब कोर्ट उनकों जमानत पर छोड़ दे तो न्यायालय इसके लिए सक्षम है। चाहे वह जमानत ले ले या सजा दें मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रायः सभी मुद्दों का उत्तर दूं। मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने सरकार के समक्ष यह तथ्य रखे। मैं समाचार पत्र एवं सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने विभिन्न मुद्दे, यहां पर रखे और अपने विचार प्रकट किए। मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम इस व्यवस्था को कदापि सहन नहीं करेंगे।

जहां तक ईंट भट्टा उद्योग का सम्बन्ध है मैं एक बार फिर बताना चाहता हूं कि हम देश में किसी भी उद्योग में मजदूरों या कामगारों का शोषण होते हुए नहीं देख सकेंगे।

3·39 म. प.

कार्य मन्त्रणा समिति

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्रं, 61 वां प्रतिवेदन

श्री बूटा सिंह : महोदय आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं।

"कि यह सभा अप्रैल 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 61 वे प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा 23 अप्रैल 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 61 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

3.40 म. प.

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई गई पी० वी० सी० फिल्मो पर उत्पादन शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में गत 20 वर्षों से पी· वी. सी· फिल्मों का कैलैंडरिंग प्रक्रिया से निर्माण हो रहा है। सरकार ने 6 मध्यम दर्जे के ऐसे कारखानों को इसका लाइसेंस दिया है, जो हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करते हैं। मई, 19 1 में सभी किस्म की पी· वी· सी. फिल्लों को उत्पादन-शुल्क की परिधि में ला दिया गया था। इसके बाद मार्च, 1973 में छोटे कारखानों में केवल एक्ट्रूजन प्रक्रिया द्वारा निर्मित पी. वी. सी. फिल्म द्वारा पूर्ण रूप से उत्पादन-शुल्क की अदायगी की छूट दे दी गई थी। स्पष्टतया ऐसा एस्ट्रूजन को प्रोत्साहन देने के लिए दिया गया था। उक्त छूट के फलस्वरूप गत दस वर्षों के दौरान, एक्सट्रूटन कारखानों का उत्पादन लगभग 12000 मी० टन प्रति-वर्ष रहा है।

कैलैंडर पी. वी· सी. फिल्मों पर उत्पान-शुल्क की वर्तमान दर 31½ प्रतिशत है। कैलैंडर पी. वी. सी. फिल्मों तथा एक्सट्रूडिड पी. वी. सी. फिल्मों के बीच इतने भारी अंतर के कारण कैलैंडर कारखाने अपना उत्पादन नहीं बेच पाए।

कैलैंडर कारखानों की 16,300 मी० टन प्रति-वर्ष की अधिष्ठापित क्षमता के बजाए गत वर्ष का उत्पादन मुश्किल से ही लगभग 6500 मी० टन प्रति-वर्ष रहा था, जबकि एक्ट्रूजन कारखानों का उत्पादन 12,000 मी० ट० प्रति-वर्ष रहा था।

कैलैंडरिंग तथा एक्ट्रूजन प्रक्रिया से बनाई गई फिल्मों के उपभोक्ता तथा उसका प्रयोग दोनों ही समान हैं। हैं। इस लिए कैलैंडर पी· वी. सी. फिल्मों का अधिक दाम देने के लिए तैयार नहीं होती। अखिल भारतीय कैलैंडर पी. वी. सी. फिल्म निर्माताओं ने पिछले डेढ़ वर्ष के दोरान समय-समय पर वित्त मंत्रालय, पैट्रोलियम मंत्री महोदय तथा डी. जी. टी. डी. को अनेकों अभ्यावेदन दिए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

निर्णय के विलंब के कारण पी. वी. सी. बनाने वाले कई कारखाने बन्द हो गए हैं, जिसके फलस्वरूप हजारों श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं। यदि उन्हें कोई सहायता नहीं दी गई तो वह दिन दूर नहीं, जो समूचा उद्योग समाप्त हो जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कैलेंडरिंग प्रक्रिया द्वारा बनाई जा रही पी. वी. सी. फिल्मों पर लगाया गया 31½ प्रतिशत उत्पादन-शुल्क समाप्त कर दिया जाए और कैलेंडरिंग कारखानों द्वारा खरीदे गए मौलिक कच्चे माल पर वसूल किया गया शुल्क वापस किया जाए।

(दो) अनुसंधान के क्षेत्र में मूल परिवर्तन करने की आवश्यकता

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, वैज्ञानिक जगत में भारत को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करना ही विज्ञान के चरण बहुत तेज और तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए भारत सरकार ने करीब 150 प्रयोगशालाएं खोल रखी है, जहां बड़े और छोटे वैज्ञानिकों द्वारा शोध-कार्य होता है। केन्द्रीय सरकार हर साल 570 करोड़ रुपया इन शोध-प्रयोगशालाओं पर खर्च करती हैं। यह बात निर्विवाद सही है कि इन शोधशालाओं से आय लगभग शून्य है, जबकि खर्च उसकी तुलना में बढ़ा-चढ़ा है। क्या आज तक कभी इस बात का मूल्यांकन किया गया है कि ये शोध-शालाएं समाज की कौन-कौन सी जरूरतों को मद्दे-नजर रखकर काम कर रही है और इनकी उपलब्धियां पिछले पांच वर्षों में जो हुई हैं, क्या वे संतोष-जनक हैं ? आज वैज्ञानिक जगत में बढे हुए देश अमरीका, रूस, यूरोप में वैज्ञानिक और उद्योगों के बीच में हरा जिन्दा लेनदेन दिखाई पड़ता है। समस्या और समाधान के बीच जो सुन्दर और सलौने पुल बंधे हुए हैं, भारत में उनका सर्वथा अभाव है। इन शोधशालाओं में वैज्ञानिकों की ज्यादा ताकत शोध करने में नहीं, फार्म भरने में और प्रोग्रेस रिपोर्ट को तैयार करने में लगाई जाती है। आज कई वैज्ञानिक शोधशालाओं में शानदार उपलब्धि के बजाय शानदार प्रोग्रेस रिपोर्ट उपलब्ध हो सकती है। इस प्रकार के माहौल ने अच्छे वैज्ञानिकों को विदेश जाने के लिए मजबूर किया है और जो बाहर हैं, वे भारत लौटने को आतुर नहीं हैं। अतः सरकार को शोध के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व परिवर्तन और परिवर्धन करना होगा, ताकि जो धनराशि खर्च होती है, उससे समाज और देश को लाभ मिल सके और वैज्ञानिक जगत में भारत प्रगतिशील देशों की दौड़ में पीछे न रहे।

(तीन) पालाघाट (केरल) में प्रस्तावित रेल सवारी डिब्बा कारखाना स्थापित करने की आवश्यकता

श्री वी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, केरल औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ प्रदेश है। पिछले कई वर्षों से वहां पर रेल कोच कारखाने की स्थापना की मांग की जा रही है। केरल सरकार ने वचन दिया था कि रियायती दरों पर सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जाऐंगी। वास्तव में केरल में कोई बड़ा रेलवे प्रतिष्ठान नहीं है।

अब यह समाचार मिला है कि केरल में एक कोच फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ दल केरल भेजा गया है। यह वास्तव में अच्छा कदम है। मुझे आशा है कि सरकार इस दल की रिपोर्ट पर तुरन्त निर्णय लेगी। इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि इस फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान पालघाट है क्यों कि वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह पालघाट में ही यह फैक्ट्री स्थापित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें।

(चार) देश में चावल का उत्पादन बढ़ाने हेतु कदम उठाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : कृषि में, विशेषकर चावल उत्पादन के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति के बावजूद भी भारत की प्रति हेक्टेयर उपज कई देशों से यहां तक कई विकासशील देशों से भी कम है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 1983-84 में 530-540 लाख टन के स्तर से 570 लाख टन चावल का रिकार्ड उत्पादन हुआ।

अधिक उपज वाली किस्मों के अनुभव से यह पता चला है कि जब चावल के खेतों में पर्यावरण, अधिक पानी और उर्वरक के उपयोग से बदल गया है तो खरपतवार, कीड़ों आदि का खतरा बढ़ जाता है। इस खतरे को दूर करना छोटे किसानों के लिए विशेषकर जरूरी है अन्यथा वे उपजाऊ किस्मों में अधिक रुचि नहीं लेंगे और कृषि उपकरणों तथा खाद बीज इत्यादि के लिए पूंजी निवेश नहीं करेंगे जो कि इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अनिवार्य है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभिन्न क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में जो विषमता है उसको दूर किया जाना चाहिए। पंजाब प्रति हैक्टेयर 2961 किलोग्राम चावल की उपज करता है और सबसे आगे है। उसके बाद हरियाणा हैं। औसत प्रति हेक्टेयर उपज असम, पश्चिम बंगाल उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में 952 किलोग्राम है जो कि चावल उत्पादन की कुल भूमि का 66.8 प्रतिशत भाग घेरे हुए है। राष्ट्रीय औसत 1308 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है।

सरकार के लिए अति आवश्यक है कि कृषि में इन विषमताओं को दूर करे और इस दिशा में तत्काल कदम उठाए जिससे चावल के उत्पादन को बढ़ाया जा सके।

(पांच) कृषि उत्पादों के मुल्यों के संबंध में नीति

श्री रामलाल राही (मिर्साराव) : सभापति महोदय, दैनिक उपयोग की वस्तुयें हों अथवा अन्य प्रकार की, मूल्य वृद्धि का सिलसिला हर चीज में इस देश में इस प्रकार प्रारम्भ हुआ जिसे किसी प्रकार भी अभी तक रोक पाना सम्भव नहीं हो सका। साढ़े तीन दशकों में देखा जाए तो हर वस्तु का मूल्य कृषि क्षेत्र के उत्पादन में दस गुना से लेकर 20 गुना तक तथा औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में 20 गुना से लेकर 100 गुना तक बढ़ा है। हमारे देश में हर तीसरे महीने औद्योगिक उत्पादन के मूल्य आमतौर पर बढ़ते रहते हैं, पर किसान द्वारा उत्पादित अनाजों और जायद

फसलों के दाम हमेशा उस समय गिर जाते हैं जब किसान की फसलें पक कर खेत से घर आना शुरू होती हैं। परन्तु उसके घर से जब अनाज तथा अन्य जायद फसलें बिककर सरकारी भंडारों अथवा निजी व्यवसायियों के गोदामों में भर जाती हैं और उपभोक्ता के रूप में किसान तथा आम आदमी को पुनः उन्हें खरीदना पड़ता है तो फसल के समय की कीमत से ड्योढ़ी दूनी कीमत चुकाने पर वही चीजें उसे पुनः मिल पाती हैं।

किसान के तौर पर गत नवम्बर-दिसम्बर, 1983 में जहां थोक भाव में गेहूं प्रति कुन्टल 225 रु०, चना 225 रु० से 400 रु० प्रति कुन्टल, जौ 142 रु० से 150 रुपये प्रति कुन्टल, सरसों 500 रु० से 600 रु० प्रति कुन्टल, अरहर लगभग 500 रु० प्रति कुन्टल थी। वही अब जब किसान के खेत में पककर तैयार हुई और घर से बाजार तक पहुंचने की नौबत आई तो गेहूं के दाम गिरकर 150 रु० से 170 रु० प्रति कुन्टल, चना 275 रु० से 300 रुपए प्रति कुन्टल, जौ 100 रु० से 110 रु० प्रति कुन्टल, सरसों 400 रु० प्रति कुन्टल, अरहर 300 रु० प्रति कुन्टल किसान के घर से बिकना प्रारम्भ हो गई है। इसके विपरीत औद्योगिक उत्पादन में किसान की जरूरत की वस्तुयें जैसे ट्रैक्टर, कृषि यन्त्र, बिजली, पानी, खाद, सीमेंट, ईंट, लोहा, कपड़ा आदि सभी वस्तुओं के दाम नवम्बर-दिसम्बर, सन् 1983 के बाद 5 से 10 फीसदी तक बढ़ गए हैं।

इस देश का असंगठित किसान बराबर लुट रहा है। सरकार पर भी मात्र संगठित वर्गों का दबाव है। इसलिए किसान की आबादी का सरकार पर कोई असर भी नहीं। देश की अर्थ-व्यवस्था का मूल्यांकन जहां औद्योगिक उत्पादन पर होता है, वहीं कृषि प्रधान देश में उसके मूल्यांकन का प्रमुख महत्व कृषि उत्पादन पर है। परन्तु किसान की उपेक्षा उसे हताश किये है। सरकार से मांग है कि किसान के साथ न्याय किया जाये। समय-समय पर फसलों पर किसान के उत्पादित अनाजों और जायद फसलों के किस प्रकार मूल्य घटे-बढ़े हैं, उसी दर से औद्योगिक उत्पादों जैसे कपड़ा, लोहा, ट्रैक्टर, डीजल, ईंट सीमेंट आदि किसान और आम आदमी की जरूरत की चीजों के दाम भी घटने-बढ़ने चाहिए। आशा है सरकार देश की 80 परसेंट किसानों की लूट को रोकने की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।

(छः) **आल इण्डिया सेकेण्डरी टीचर्स फेडरेशन की मांगों पर विचार की आवश्यकता**

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : यह सर्वविदित हैं कि शिक्षा राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। लेकिन देश में माध्यमिक शिक्षा में अभी कोई एकरूपता नहीं है और माध्तमिक अध्यापकों एवं इन स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतनमानों में देश के विभिन्न भागों के अनेक विषमताएं हैं।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षक महासंघ; जो माध्यमिक शिक्षकों का सबसे बड़ा मंच है और जिसकी सदस्यता 8 लाख माध्यमिक अध्यापकों की है, माध्यमिक शिक्षा के उचित विकास

तथा अध्यापकों और माध्यमिक स्कूलों में काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा की शर्तों तथा वेतनमानों को एक रूप बनाने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियुक्ति की मांग करता रहा है।

पिछले वर्ष उन्होंने प्रधानमन्त्री को एक ज्ञापन दिया था और शिक्षा मन्त्री से इस मुद्दे पर बहस की मांग की थी। प्रधानमन्त्री ने स्वयं यह ज्ञापन लिया था किन्तु शिक्षा मंत्री को इस पर विचार करने के लिए अभी समय निकालना है।

शिक्षा के हित में मैं शिक्षा मन्त्री से आग्रह करती हूं कि वे महासंघ द्वारा अपने ज्ञापन में की गई मांगों, विशेषकर स्कूल अनुदान आयोग की नियुक्ति के बारे में तुरन्त कार्यवाही करें।

(सात) **राज्यों में लेखा तथा लेखा परीक्षा 19 भागों के प्रस्तावित पुनर्गठन के विरुद्ध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्मचारियों का आन्दोलन**

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपका एवं सदन का ध्यान निम्नलिखित अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान की धारा 148 से 151 के अन्तर्गत नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक को एक विशिष्ट एवं स्वतन्त्र स्थान दिया है। ऐसा करने में उद्देश्य यह है कि वह देश के अर्थतन्त्र के सजग प्रहरी के रूप में बगैर सरकारी हस्तक्षेप के अपने कर्तव्य का निर्वाह कर सके। नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक सरकारी व्यय पर नजर रखता है और उसमें बरती गई किसी भी अनियमितता को आडिट रपट के माध्यम से राज्य-विधान सभाओं तथा ससद के समक्ष सही मूल्यांकन हेतु प्रस्तुत करता है। यह रपट देश की वित्तीय कार्यक्षमता की समीक्षा करती है जिसमें केन्द्र या राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था की कटु आलोचना भी होती है जो सरकारी व्यय पर प्रभावशाली अंकुश का काम करती है।

देश के हर राज्य में नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिनिधि के रूप में महालेखाकार काम करते हैं जिनके कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या लगभग 70,000 है। महालेखाकार, राज्य सरकारों के आय तथा व्यय का आडिट करने के साथ-साथ उनके एकाउंट्स की भी देख-रेख करता है।

सन् 1976 ई० में केन्द्रीय मन्त्रालयों का सारा लेखा कार्य आडिट विभाग से अलग कर दिया तथा कर्मचारियों के एक बड़े भाग को विभिन्न स्थानों पर उनकी इच्छा के विरुद्ध स्थानांतरित किया गया। अब राजकीय लेखा-कार्य को भी विभाग से अलग कर सरकारी नियन्त्रण में देने पर विचार किया जा रहा है।

पुठिन की इस भेदभावपूर्ण योजना के विरुद्ध आडिट विभाग के 60,000 कर्मचारी बाध्य

होकर संघर्ष कर रहे हैं।

अत: सरकार से मांग है कि स्वच्छ प्रशासन को रखने एवं भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिये भारत के नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षकों के कार्यालयों का विभाजन न करें।

3.58 म.प

तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) संशोधन विधेयक

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

"अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में 'चौंतीसवें' शब्द के स्थान पर "पैंतीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 मे '1983' अंक के स्थान पर '1984' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"कि तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक में राज्यसभा द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधनों पर विचार किया जाए :

अधिनियम सूत्र

(1) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "चौंतीसवें" शब्द के स्थान पर पैंसीसवें" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।"

"खण्ड 1

(2) कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में "1983" अंक के स्थान पर '1984' अंक प्रतिस्थापित किया जाए।"

अधिनियम सूत्र

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में "चौंतीसवें" शब्द के स्थान पर "पैंतीसवें"" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड 1

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि पृठ 1, पंक्ति 4 में "1983" अंक के स्थान पर '1984' अंक प्रति स्थापित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री पी० शिवशंकर : मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

"कि विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमन हो ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है ।

"विधेयक में राज्य सभा द्वारा किए गए संशोधनों से लोक सभा सहमत हो ।"

प्रस्ताव स्वीकृित हुआ

4.00 **म.प.**

मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक

सभापति महोदय : अब हम अगले मद पर आते हैं जो, मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों अर्जन) विधेयक पर विचार-विमर्श और उसे पारित करने के सम्बन्ध में है ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) मैं प्रस्ताव करता हूँ ।

कि लोक हित में राष्ट्र की पोत परिवहन आवश्यकताओं को अच्छी तरह से पूरा करने के लिए मुगल लाइन लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन और उससे सम्बन्धित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

नौवहन और परिवहन मंत्री श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : सभापति महोदय, नौवहन और परिवहन मंत्रालय के आधीन नौवहन क्षेत्र में काम कर रही मुगल लाइन लिमिटेड दो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में से एक है। वास्तव में मुगल लाइन लिमिटेड की स्थापना बम्बई परिशिया स्कीम नैवीगेशन कम्पनी के नाम से 2 अगस्त, 1877 को हुई। 15-12-1938 से इसका मौजूदा नाम 'कि मुगल लाइन लिमिटेड, रखा गया। एक सरकारी कम्पनी, पहले जिसका नाम वेस्बर्न शिपिंग कार्पोरेशन था, ने मुगल लाइन लिमिटेड के वर्ष 1958 में 80 प्रतिशत शेयर खरीद लिए थे। वर्ष 1962 में ये शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम स्थान्तरित कर दिए गए फिर जुलाई, 1974 में राष्ट्रपति द्वारा 12% शेयर और प्राप्त कर लिए गए। मई, 1982 में कम्पनी की अधिकृत पूंजी दो करोड़ रुपए से बढ़कर 25 करोड़ रुपए कर दी गई और चुकता पूंजी 101.19 लाख रुपये से बढ़वर 1901.19. लाख रुपए हो गई और 18 करोड़ रुपये की ईक्विटी पूंजी का पूरा अंशदान सरकार द्वारा किया जा रहा है। अब मुगल लाइन लिमिटेड के 99.65 प्रतिशत शेयर सरकार के पास हैं और बाकी 0.35% (6707) निजी लोगों और संस्थाओं के पास हैं। 100 रु० प्रति शेयर के अंकित मूल्य के हिसाब से इन 6.707 शेयर का मूल्य 6,70,700% रुपये है।

आजकल यह कम्पनी हज सेवा, कोंकण सेवा, तटीय माल सेवा, बम्बई रेडन्सी माल सेवा तथा ओवरसी ट्रैम्प सेवा" सहित कई महत्वपूर्ण सेवाओं का संचालन कर रही है। इस कम्पनी के पास 1.35 लाख कुल के० डी० डब्ल्यू० टी० वाले 5 बड़े माल वाहक पोत (कैरियर) के अलावा 3.65 लाख के कुल डी० डब्ल्यू टी० वाले 14 बड़े कैरियर 19 जहाजों का एक बेड़ा, है जिसमें उसकी पोत एक लाइन कारगो, पोत, और एक प्रोडक्ट कैरियर हैं।

मुगल लाइन लिमिटेड अपने समुह परिचालन में काफी वर्षों से घाटा उठा रहा है सिर्फ वर्ष 1980-81 और वर्ष 1981-82 में इसने मामूली लाभ कमाया है। नौवहन उद्योग में मन्त्री की वजह से यह कम्पनी नुक्सान उठा रही है जिसके फल-स्वरूप भाड़े की दरों में बहुत गिरावट आ गई है। फिलहाल कम्पनी की कुल परिसम्पतियों का मूल्य अर्थात् ऋण दयित्वओं की राशि की तुलना में निवेश और कार्यचालन पूंजी कम है। 31 मार्च, 1983 को कम्पनी का नकारात्मक मूल्य, अर्थात् (—) 20.74 करोड़ रुपये था।

सरकार दुवारा मुगल लाइन लिमिटेड को भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड में मिलाने ना निर्णय लिया गया है। प्रस्ताविक एकीकरण से अधिक माल लाने-ले जाने के सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध बेहतर बनाने, एक ही प्रकार के विशिष्टियों का विकास करने सेवाओं के स्तर में सुधार लाने और प्रबन्धकीय ढांचे को पुर्नगठित करने में मदद मिल सकेंगी ऐसे एकीकरण से पहले यह जरूरी है कि मुगल लाइन लिमिटेड के निजी शेयर पूंजी को भारत के राष्ट्रपति के नाम प्राप्त कर लिया जाए, ताकि यह पूरी सरकारी कंपनी हो सके। विधान के माध्यय से निजी शेयरों के अधि-ग्रहण करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्यों कि बहुत से कारणों की बजह से समय-समय पर बातचीत दुबारा किए गए प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला मुगल लाइन लिमिटेड में इन निजी

शेयरों का अधिग्रहण करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इसे भारतीय नौवहन कार्योदेशन में मिलाने से पहले पूरी सरकारी कम्पनी बन्दा दिया जाए, ताकि कम्पनी देश की नौवहन आवश्यकताओं की ओर बच्छी तरह से सेवा कर सके। शेयरों का अधि ग्रहण करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है कि 1001 रुपये के अंकित मूल्य के शेयर पर 10/ रु० की नाममात्र क्षतिपूर्ति राशि अदा कर दी जाए, क्योंकि कम्पनी की संचित क्षति और असन्तोषजनक कार्य के कारण इनको कोई मूल्य नहीं है।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"लोक हित में राष्ट्र की पोत परिवहन आवश्यकताओं को और अच्छी तरह पूरा करने के लिए मुगल लाइन लिमिटेड के कतिपथ शेयरो के अर्जुन और उससे संबंधित था उसके अनुषंगिक विषयांक उपबन्धु करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।

इससे पहले कि माननीय सदस्य बहस शुरू करें मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस विशेष मद के लिए एक घन्टे का समय दिया गया है लेकिन 10 से अधिक सदस्य हैं जो वादविवाद में भाग लेंगे। इसलिए यही सुझाव है कि वे अपना समय सोच विचार कर लें और उनके भाषण जहां तक सम्भव हो संक्षिप्त हों ।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। मुझे संसदीय कार्य संबंधी एक महत्वपूर्ण बैठक में जाना है।

सभापति महोदय : शुरूआत अच्छी है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : सभापति महोदय, जहां तक विधेयक बिल के उद्देश्य का संबंध है हम पूरे मन से इसका समर्थन करते हैं। यह काफी पहले कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इस संबंध में मैं सदन में कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह इस मामले पर सरकार का दृष्टिकोण व्यक्त करें। हमने ये मामले कई बार मंत्री महोदय के ध्यान में भी लाए थे।

अब संबंधित शेयर कम्पनी की कुल पूंजी की तुलना में बहुत कम हैं। यह कुल शेयर पूंजी का 0.35 प्रतिशत है। यह निजीपूंजी का वहां पर काफी पहले से थी। वहां यह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि यह एक सरकारी कम्पनी है। फिर भी देर आये दुरुस्त आये। लेकिन हमें जानकारी मिली है ऐसा होगा वह भी हम जानते थे कि मुगल लाइन का प्रबन्ध भारतीय नौवहन को दे दिया जाएगा। जहां तक मुगल लाइन के कर्मचारियों का संबंध है वहां विभिन्न वेतन मान हैं। भारतीय नौवहन निगम भी भिन्न-2 वेतनमान हैं। इसमें सेवाओं के एकीकरण का भी सवाल है, हम इसे मंत्री महोदय के ध्यान में ला चुके हैं कि सेवाओं संमुचित ताजमहल होना चाहिए।

इस संबंन्ध में बम्बई और कलकत्ता की यूनियनों ने प्रबन्धकों के साथ विचार विमर्श करने

के लिए निवेदन किया है ताकि सभी बातें बिना बाधा के निपटाई जाएं और कोई भी गलतफहमी नहीं। भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारी बहुत खुश हैं कि इसका पूर्ण राष्ट्रीयकरण होन जा रहा है, वे चाहते हैं कि एक जगह पर आमने-सामने बैठकर सभी प्रश्नों को बातचीत दुवारा तय कर लिया जाए। बम्बई की यूनियन को बुलाया गया था लेकिन उनके साथ कोई उचित विचार-विमर्श नहीं हुआ, कलकत्ता की यूनियन को बुलाया तक नहीं गया हांलकि उन्होंने अपने विचार दिये थे। बम्बई की यूनियन को बुलाकर कहा गया "मुगल लाइन के कर्मचारियों को किन-किन शर्तों के आधार पर लिया जाएगा उसे हम बताएंगे नहीं। आपको जो भी कहना है वह हमें बता दें।" सरकारी कम्पनी द्वारा ऐसा रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिए विशेषकर भारतीय नौवहन निगम जैसी कम्पनी को।

जैसा कि माननीय मंत्री जानते हैं यहां कुछ ज्वलन्त समस्याएं हैं वह नौवहन निगम के बम्बई और कलकत्ता के कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मण्डल से मिले तब मैं ही कलकत्ता यूनियन का अध्यक्ष था। कलकत्ता और बम्बई की तरह अन्दमान निकोबार तथा मद्रास में तदर्थ कर्मचारी हैं। ये तदर्थ कर्मचारी भी नियमित कर्मचारियों जैसा ही काम करते हैं। उन्हें नियत वेतन दिया जाता है किन्तु कोई भी वेतनमान नहीं दिए गए हैं, नियत वेतन नियमित कर्मचारियों के एक तिहाई वेतन के बराबर है। वर्षों से भारतीय नौवहन निगम में न केवल यह आपतिजनक बात चली आ रही है बल्कि काफी खतरनाक परंपरा चलाई जा रही है। जब उन्हें तदर्थ आधार पर लिया गया था तब उन्हें आश्वासन दिया गया था कि उनकी सेवा नियमित करते समय सब कुछ ठीक कर दिया जाएगा। लेकिन कई वर्षों से यह तदर्थ वेतन दिया जा रहा है और तदर्थ सेवा शर्तें जारी हैं।

जहां तक भारतीय नौदहन निगम के अन्दमान और निकोवार के कर्मचारियों का संबंध है जैसाकि मंत्री महोदय जानते हैं वे न्यायाधिकरण तक गए और उन्होंने यह मामला जीत लिया। न्यायाधिकरण ने निदेश दिया कि कर्मचारियों को नियमित किया जाए। लेकिन भारतीय नौवहन निगम जो सरकारी क्षेत्र के बड़े उपक्रमों में से एक है, ने फैसला स्वीकार नहीं किया जो कर्मचारियों के हक में था। अब उन्हें क्या करना चाहिए। वे कलकत्ता हाईकोर्ट गए। उन्होंने न्यायाधिकरण दुवारा दिए गए फैसले के विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त कर लिए जो कर्मचारियों के हक में था। आप बड़े एकधिकारियों की न्यायालय में जाने की बात करते हैं जो समय-समय पर करों की अदायगी के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यह सरकारी कम्पनी है जो संविधान के अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय जाकर स्थगन आदेश प्राप्त कर लेती है।

जहां तक बम्बई का प्रश्न है यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष है। जहां तक कलकत्ता का संबंध है यह मामला मध्यस्थ अधिकारी के समक्ष है। कलकत्ता का प्रबन्ध-मण्डल दिल्ली के उच्चाधिकारियों के साथ महसूस करता है कि वे कठिनाई में पड़ सकते है। इसलिए उन्होंने स्थान आदेशके लिए कोई में एक याचिका दाखिल कर दी है। माननीय मंत्री ने हमें आश्वासन दिया है।

कि यदि प्रबन्धक मण्डल तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने के लिए सिफारिश करता है तो वे उसे स्वीकार कर लेंगे। प्रबन्ध ने ऐसा कर दिया है मैंने माननीय मंत्री को संबंधित पत्र में से उद्धरण भेज दिया है। मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि वह पत्र गोपनीय है, इसलिए मैंने गोपनीय पत्र से संगत उद्धरण भेज दिया है जिसमें कहा गया है कि भारतीय नौवहन निगम में यह तदर्थ रोजगार और जारी नहीं रखा जाना चाहिए और उन्हें नियमित किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री से कहूं गा कि वे सदन में यह घोषणा करके इस अवसर का लाभ उठाएं। माननीय मंत्री ने उदारता से कहा—"यदि प्रबन्धक मण्डल ने इसकी सिफारिश कर दी है तो मैं इसे स्वीकार कर लूंगा, मैं आपको आश्वासन देसकता हूं।" वही आश्वासन सदन में दिलाया जाए, यदि मंत्री सदन में यह आश्वासन देते हैं तो उससे भारतीय नौवहन निगम के साथ-साथ मुगल लाइन में भी अधिक काम के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होगा।

आजकल इस संस्था के कर्मचारियों में निराशा और असन्तोष है। सिद्धान्त रूप में क्या यह ठीक है कि किसी संस्था मे दो लोग एक साथ बैठकर एक सा काम करते हैं। उनमें से एक को सिर्फ एक-तिहाई वेतन इस तर्क पर दिया जा रहा है क्योंकि वह तदर्थ रोजगार में है ? अक्सर हम बंधुआ मजदूरों की बात करते हैं, और ईंटो के भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के शोषण की बात करते हैं।

यह सरकार देश में विद्यमान आये बेरोजगारी की स्थिति का लाभ उठाकर ऐसी अनुचित श्रमिकवर्द्धान नहीं चला सकती। आप लोगों को नौकरी पर आने के लिए उनके आगे प्रस्ताव रखते हैं कि उन्हें इतना नियत वेतन मिलेगा और उनके हित को ध्यान में रखा जाएगा। बाद में आप उनके लिए युद्ध नहीं करते हैं। दूसरे कर्मचारी तदर्थ कर्मचारियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं और वे मांग कर रहे हैं कि उनके साथियों व जिनके साथ काम कर समान वेतनमान मिलना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे तदर्थ कर्मचारियों का नियमित करने के लिये आज अपने निर्णय की घोषणा करें। मैं माननीय मंत्री महोदय को आश्वासन दे सकता हूं कि इससे भारतीय नौवहन निगम में कार्य करने के लिये बहुत बेहतर वातावरण पैदा होगा। भारतीय नौवहन निगम को भारत का एक उत्कृष्ठ उपक्रम होना चाहिये परन्तु ऐसा इस स्पष्ट अनियमितता विद्यमान होने के कारण हों नहीं सकता।

हम अनुभव करते हैं कि हम भारतीय नौवहन निगम का कभी मुगल लाइन्स के साथ साथ विकास करने के लिये वचनबद्ध हैं। इससे भारतीय नौवहन निगम के बेड़े और सेवाओं से संबन्धित क्षमता में वृद्धि होगी। हमें बहुत प्रसन्नता है कि यह किया जा रहा है। इसे कुछ सभ्य ढेग से किया जाए। माननीय मंत्री महोदय से यही मेरा अनुरोध है।

1974 से अब तक कर्मचारियों की कोई बोनस नहीं दिया गया। भारतीय नौवहन निगम

को इतना लाभ हुआ है कि वह एक कीर्तिमान रहा है और भारतीय नौवहन निगम के निदेशकों ने 20 प्रतिशत बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया। निदेशक मण्डल ने संकल्प पारित किया। उन्होंने एक निर्णय लिया था। परन्तु आपात काल की घोषणा कर दी गई थी और बोनस देने पर रुकावट लग गई। तब से अब तक बोनस क्यों नहीं दिया गया? इस विषय में कुछ भी नहीं किया गया। कर्मचारियों के साथ किया गया अनुबंध दिसम्बर 1977 में समाप्त हो गया। कोई अन्य अनुबंध नहीं किया गया।

भारतीय नौवहन निगम के प्रबन्धकों ने एक एक उचित विचार-विमर्श आयोजित करने की भी कृपा नहीं की कभी विचार-विमर्श न करना भारतीय नौवहन निगम का एक विशेष रवैया है। भारतीय नौवहन निगम के प्रबंधक कर्मचारियों पर यह दबाव डालते हैं कि वे या तो निगम की शर्तों पर कार्य करें या नौकरी छोड़ दें। प्रबंध व्यवस्था चलान का यह कोई तरीका नहीं है। इसी कारण मैंने जानबूझकर इस सभ्य का उपयोग किया है कि प्रबन्धकों द्वारा कार्य करने का सभ्य तरीका होना चाहिए।

मैं इस समस्या का समाधान करने के लिए प्रयत्न करता रहा हूँ। औद्योगिक समस्याओं के विषय में मैं आपको पत्र लिखता रहा हूं। मैंने कलकत्ता में क्षेत्रीय निदेशक से भेंट की है। मैंने प्रबन्धकों को यह लिखा है यदि आप यह अनुभव करते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर उपयुक्त चर्चा आवश्यक है और उस चर्चा से औद्योगिक समस्याओं के समाधान ढूंढे जा सकते हैं, तो मैं बातचीत करने में पहल करने और आपके पास बैठकर अपने मतभेदों को सुलझाने के लिये तैयार हूं, मैं इसे पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं।

हम, इसकी वजह, से, कोई औद्योगिक समस्या खड़ी करना नहीं चाहते। मैं अध्यक्ष हूं। बहुसंख्या कर्मचारी हमारे संघ अर्थात् भारतीय नौवहन निगम कर्मचारी संघ से संबंधित है। कलकत्ता के स्थानीय प्रबंधकों ने एक कठपुतली संघ खड़ा करने का प्रयास किया और वे बुरी तरह से असफल हुए।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि वे मामले को लटकायें नहीं। यदि मामला लटकता या रहेगा तो अनिश्चितता का वातावरण बन जाता है। इससे कर्मचारियों में असंतोष और रोष फैल जाता है जो किसी भी संगठन के लिये लाभप्रद नहीं होता है। हम जानते हैं, पहले ही मन्दी चल रही है। हम उन कठिनाईयों के विषय में भी जानते हैं जिनका मुकाबला किया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमने भारतीय नौवहन कर्मचारियों की बैठक बुलाई थी और वहां हमने नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण की मांग की थी। सिंधिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी, जो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कम्पनी है. भी समस्याओं का सामना कर रही है। परन्तु इसका समाधान क्या है? उन्होंने छंटनी का सहारा लिया है। एक या दो वर्ष से कोई लाभ नहीं हुआ.....

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : छः वर्ष से।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मेरे पास आंकड़ें हैं। मूल्य ह्रास के कारण हानि दिखाई गई है।

नौवहन निगम ने 1982-83 तक व्यापारिक लाभ कमाया है परन्तु तुलन-पत्र में, जैसा आपको विदित है, मूल्य ह्रास दिखाया जाता है और इस मूल्य ह्रास के आधार पर यह हानि हुई है। इसलिये आपकी लेखा प्रणाली के प्रयोजनों के कारण यह हानि हुई है यह हानि इसलिये है कि मूल्य ह्रास कोलेखों में लेना पड़ा इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यापारिक हानि हुई है।

महोदय, जब कठिनाईयां पैदा होती है तो कौन उनका सामना करता है ? कर्मचारी ही उनका सामना करते हैं। छटंनी के नोटिस दिये जा रहे हैं। वे अपनी कार्य-शक्ति में 50 प्रतिशत की कटौती कर रहे हैं। भारतीय नौवहन शोचनीय स्थिति में है इसकी वित्त व्यवस्था कौन करता है ? नौवहन विकास निधि समिति ही अधिकतर इसकी व्यवस्था करती है। जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और भारतीय यूनिट ट्रस्ट वित्त इसे उपलब्ध कराते हैं। अब, क्या हो रहा है ? यह धनराशियां निजी नौवहन कम्पनियों को दी गई हैं और जब वे कठिनाईयों का सामना करते हैं तो वे सरकारी धनराशि से खरीदे गये जलयान को कम मूल्य पर बेच देते हैं जोकि उन्होंने सरकारी पैसों से खरीदे थे ! वे अपने उपक्रमों को बन्द कर रहे हैं। उनके कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं।

महोदय, सरकार द्वारा एक स्वीकृत नीति अपनाई जानी चाहिये। जब सरकार ने इतनी अधिक पूंजी लगाई है तो सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर रही ? क्या हम अपने देश के लिये नौवहन एक उचित बड़ी और अधिक सूक्षम भूमिका द्वारा निभाये जाने के सम्बन्ध में विचार नहीं कर रहे हम चाहते हैं कि निर्यात अधिक से अधिक हों। तो क्या हमें अन्य देशों की नौवहन कम्पनियों पर निर्भर रहना चाहिये ?

महोदय, मैं दृढतापूर्वक यह अनुरोध कर रहा हूँ कि इस मामले को लटकाये नहीं। यदि यह मामाला अनिर्णित रहा, तो स्थिति संकट पूर्ण हो जायेगी। अब निजी क्षेत्र के उद्योग भारत सरकार से लाभ और धनराशि लेने के पश्चात ऐसा रवैया अपना रहे हैं जैसे कि नौवहन के भविष्य से उनका कोई संबंध ही नहीं है तो सरकार को अवश्य ही आगे बढ़कर नौवहन उद्योग का राष्ट्रीय-करण कर देना चाहिये। अब निजी क्षेत्र सरकारी धनराशियों का लाभ उठा रहा है लेकिन वह कार्य केवल अपने निजी लाभ के लिये कर रहा है। कर्मचारियों की उन्हें कोई चिंता नहीं है भारतीय नौवहन की उन्हें कोई चिंता नहीं है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि वे इस मामले पर गंभीरता से विचार करें तथा अपना उत्तर देते समय भारतीय नौवहन निगम के कर्मचारियों के विषय में और नौवहन उद्योग के राष्ट्रीयकरण के विषय में अपना निर्णय घोषित कर दें।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, यह जो शेयर ऐक्वायर करने वाला बिल मंत्री जी ने भी किया, मैं फाइनेंशियल मेमोरेन्डा देख रहा था जिसमें आपने बहुत सारी बातें नहीं लिखीं। मैं जब फाइनेंशियल मेमोरेन्डम पढ़ रहा था तो मालूम नहीं हो रहा था कि कितनी प्रौपर्टी है, कितनी इम्यूवएबिल प्रौपर्टी है, कितनी इस कम्पनी के शेयर कैपिटल है :

तथापि वास्तविक व्यय उपरोक्त राशि से कम भी हो सकता है, कुछ शेयर होल्डरों

के तो पते भी मालूम नहीं है, इसलिए शायद अनेक शेयर होल्डर अपना दावा करने के लिए भी न आयें।

जिस कम्पनी के आप शेयर्स खरीदने जा रहे हैं उसके बारे में अपने मेमोरेन्डम में कह रहे हैं कि उन शेयर होल्डर्स का नाम पता नहीं मालूम है। कुछ शेयर होल्डर्स आयेंगे ही नहीं। जो कम्पनी इतने साल से चल रही है जिसमें आपने 99·6 परसेंट शेयर्स हैं और 4 परसेंट शेयर्स दूसरों के हैं, उनके बारे में सरकार को मालूम नहीं है कि वह कौन-कौन हैं, और आप कह रहे हैं कि आयेंगे ही नहीं। आपको पता नहीं कितना रुपया आपको देना है, कम्पनी के पास कितनी पूंजी है। आप जब कभी फाइनेंशियल मेमोरेन्डम सदन के सामने रखें तो बतायें कि इतनी पूंजी है, इतना कैश है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रोपर्टी है, लेकिन यहां कुछ पता नहीं है, और आपने यहां मेमोरेन्डम दे दिया :

> उपधारा (1) के अन्तर्गत शेयर होल्डर को देय राशि पर 5½ % प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलेगा और इसकी अवधि एक निर्धारित तिथि से आरम्भ होकर उस तिथि को समाप्त होगी जिस दिन केन्द्रीय सरकार शेयर होल्डर को भुगतान कर देगी या जहां धारा 6 की उपधारा (4) के अन्तर्गत धनराशि जमा कर दी गई है, तो जमा करने की तिथि तक यह अवधि मानी जायेगी।

अब आप यह भी नहीं बता रहे हैं कि इस कम्पनी का प्लानिंग क्या होगा ? लेने के बाद कितनी पूंजी इन्वेस्ट करेंगे जिससे आपको लाभ हो। कुछ मालूम नहीं होता है।

> आपने बिल में एक बात बतायी है मुगल लाइन्स लिमिटेड एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है। कम्पनी की वास्तविक परिसम्पत्तियों अर्थात निवेश और कार्यकारी पूंजी का मूल्य फिलहाल इसकी ऋण देयताओं की धनराशि से कम है।

इसकी बावत आपको मैंने बार-बार कहा जब कभी ऐसे बिल आते हैं शेयर्स लेते हैं तो क्या घाटे की कम्पनी ले रहे हैं, या लाभ वाली ले रहे हैं, कुछ तो हमें बताया जाय। लेकिन अभी हमें कुछ मालूम नहीं है। हमें यह मालूम हो रहा है कि जिस कम्पनी में आपके 99.6% शेयर्स थे और केवल .4 परसेंट दूसरों के शेयर्स थे जिन्हें आप लेने जा रहे हैं, तो इतना समय आपने क्यों दे दिया ?

मेहरबानी करके मंत्री महोदय यह बतायें कि आपको इस कंपनी से कितने साल बराबर घाटा रहा है ? क्या आप घाटे का सौदा कर रहे हैं या इससे आपको लाभ होगा ? क्योंकि कमेटी आफ पब्लिक अंडरटेकिंग की रिपोर्ट सदन में पेश हुई है—

> "सरकारी क्षेत्र के उपक्रम संबंधी समिति (1981-82)—सातवीं लोकसभा—41वीं रिपोर्ट"

"29 नौवहन निगम ने 1961 में इसकी स्थापना से 1976-77 तक लाभ कमाया है। उसके पश्चात् 1979-80 तक भारी हानि (53.60 करोड़ रुपये) हुई।

इससे मालूम हो रहा है कि पिछले कुछ सालों में आपको इससे 60 करोड़ का घाटा हुआ है। यह किस कारण हुआ है, यह मालूम नहीं है। सब कहते हैं कि शिपिंग में जाने से खर्चा कम होता है, शिपिंग में जाने से लाभ मिलना चाहिए लेकिन वहां लासेज है।

"विश्व नौवहन में मंदी (रिसेशन) है, केवल यह कहकर इस हानि होने की सफाई नहीं दी जा सकती।"

विरोधी दल के नेता जो कह रहे थे कि रिसेशन है, यह रिसेशन का कारण नहीं है। आपकी रिपोर्ट है कि 60 करोड़ के घाटे में कम्पनी शिपिंग कार्पोरेशन है ? आपका प्लान क्या है ? आप कहते हैं कि यह कम्पनी बड़ी महत्वपूर्ण हैं, काम अच्छा कर रही है। मुझे मालूम है यह जो बिल आपने पेश किया है, इसके स्टेटमैंट आफ औवजेक्ट्स में लिखा है—

"आजकल, कम्पनी कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं चला रही है, जैसे हज यात्री सेवा···"

आज हिन्दुस्तान में हज के लिए लोग तड़प रहे हैं। लोग कहते हैं कि जहाज नहीं जा रहा है। जहाज अगर जाये तो कई मुस्लिम भाई जाने के लिए तैयार हैं। वे कहते हैं कि जहाज कम जाता है और ये कहते हैं कि महत्वपूर्ण कंपनी है, बड़ी आवश्यक सेवा करती है। मालूम होता है कि कम्पनी काम नहीं कर रही है। आपने यह नहीं बताया कि इसका खर्चा क्या है ? इस कंपनी की टोटल रेवेन्यु इनकम और एक्सपैंडीचर क्या है ?

"कम्पनी की वास्तविक परिसम्पत्तियों अर्थात् निवेश और कार्यकारी पूंजी का मूल्य इसकी ऋण देयताओं की धनराशि से बहुत कम है।"

4 29 म०प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"3(1) निर्धारित दिन ऐसे सब शेयर, जो केन्द्रीय सरकार के पास नहीं है, इस अधिनियम के आधार पर, केन्द्रीय सरकार के नाम स्थानांतरित और निहित हो जायेंगे।"

जो पार्लियामैंट में बिल पेश करते हैं तो यह बताना चाहिये कि इस पर कितना कर्जा है, और कितने शेयर खरीदने जा रहे हैं ? आपने कहा कि हम लोग इस कम्पनी के—

मैं कहना चाहता था कि जब कभी इस प्रकार के शेयर गवर्नमैंट लेना चाहती है तो कंपनी की पूरी हालत सदन के सामने आनी चाहिये। कंपनी के पास कितने एस्सेट हैं, कितनी लायब्लीटीज हैं ? शेयर खरीदने से क्या होगा, गवर्नमैंट का प्लान क्या है ? मुझे इस बिल से कुछ मालूम नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा, इस विधेयक के लिये केवल एक घण्टा समय किया गया है। कृपया इसे समाप्त कीजिये। यह छोटा-सा विधेयक है।

मूलचन्द डागा : मैं जानता हूं कि यह एक छोटा-सा विधेयक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि देयताओं की कुल राशि कितनी होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : श्री राजेश कुमार सिंह।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : विपक्ष के एक सदस्य पहले ही बोल चुके हैं। नियम और पूर्व-उदाहरण के अनुसार सत्तारूढ़ दल के दो सदस्यों को बोलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको बुला लूंगा, वे अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : अगर माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, तो वह पहले बोल लें। लेकिन वह इसके लिए कहें तो सही।

उपाध्यक्ष महोदय : विपक्ष बहुत सहायक हो गया है। अब आप बोल सकते हैं।

श्री जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : डिपुटी स्पीकर साहब, ऐवान में जो बिल पेश किया गया है, वह एक अच्छा कदम है। जैसा कि स्टेटमेंट आफ आवजेक्ट्स एंड रीजन्ज से मालूम होता है, इस कंपनी के 99.65 परसेंट शेयर्ज सरकार के तहवील में हैं और सिर्फ 0.35 परसेंट शेयर्ज प्राईवेट इंडिविडुअल्ज और दूसरे इंस्टीट्यूशन्ज के पास हैं, जिन्हें इस बिल के जरिये मुगल लाइन कम्पनी को लेने की बात की जा रही है।

मुगल लाइंज का मेन आवजेक्ट है हज पैसेंजर्स की सर्विस जहां तक मुझे याद पड़ता है, इसमें **मुहम्मदी, अकबरी, नूरजहान** वगैरह चार पांच जहाज हैं। **एस एस सऊदी** तो अफ्रीकन कोस्ट पर डूब गया। **एम वी नूरजहान** में मैं 1982 में सऊदी अरब जाने के लिए सफर कर चुका हूं। उसकी भी बुरी हालत हैं। जाते हुए इंजिन फेल होने की वजह से वह समुन्दर में खड़ा रहा और वापसी में भी यही हालत रही। पहले इस कम्पनी के जरिये हज के लिये 12 ट्रिप-6 अप और 6 डाउन होते थे। अब उन्हें घटाकर 3 कर दिया गया है। इसकी वजह से हज का इतना बड़ा रिलिजस फंक्शन व फरीजा अदा करने के लिए जाने वालों की तादाद में बड़ी कमी हुई है। इसके अलावा 1968 में जो किराए थे, उन्हें ढाई गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन जहां तक मुझे मालूम हैं, एमिनिटीज में कोई खास बढ़ोतरी या तरक्की नहीं हुई है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस कंपनी को सरकारी तहवील में जरूर लाया जाए, लेकिन जिस मकसद के लिए इसे 1877 में कायम किया गया था, उसको सही तौर पर पूरा करना चाहिए।

मिनिस्टर साहब हज पैसेंजर्ज की एमिनिटीज को बढ़ाएं। पहले मुगल लाइन्ज करीब 22,000 हज पैसेंजर्ज ले जाती थी। अब वह तादाद घट कर 5,000 हो गई है। असलियत में इससे बड़ी तकलीफ हैं। मिनिस्टर साहब इस तादाद को पहले की पोजीशन में ले जाने के लिए फौरन कदम उठाएं।

इस कम्पनी को लेने के बाद इसके स्टाफ को वही सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो शिपिंग कार्पोरेशन के स्टाफ को दी जाती हैं।

हर मामले में चाहे वह मुशाहरा का मामला हो, बोनस का मामला हो, लेथ आफ सर्विस का मामला हो वह सारी फैसिलिटीज उन्हें भी मिलनी चाहिए।

दूसरी बात—इस मुगल लाइन लिमिटेड को जिस परपज से ले रहे हैं अगर वह पूरा नहीं कर पाएंगे तो मजीद बदनामी सरकार की होगी। इसलिए इस पर खास तौर से ख्याल रखें।

एक बात का और ख्याल रखें कि मुगल लाइन लिमिटेड का एक खास परपज मिडिल ईस्ट की तरफ जाने का है या चाहे कोनकन सर्विसेज जो है वह उस तरफ जाने की है, इसलिए उसपर जितनी भी एमेनिटीज आप देंगे चाहे मुलाजिम पेशा लोगों को चाहे पैसेंजर्ज को इससे हमारी सरकार की नेकनामी होगी और फर्म की नेकनामी होगी। अगर उसमें जरा भी कमी करेंगे तो उससे नुकसान होगा।

दूसरी बात में यह अर्ज करना चाहता था कि जब आप इसको सरकारी तहसील में ले रहे हैं तो इस पर आप एक टूरिस्ट सर्विस चलाइए। इससे मैं समझता हूं अगर कोई घाटा आप का होगा तो वह पूरा हो जायगा।

दूसरी बात—जहाज की जितनी सर्विसेज मैं चाहे मेडिकल सर्विसेज हों, चाहे स्टाफ की सर्विसेज हों, चाहे खाने पीने का मामला हो या जिस किसी भी मामले में फैसिलिटीज का सवाल है उसको आप ठीक करें क्योंकि मेरा खामे का भी तजुर्बा है, पहले जब मुगल लाइन लिमिटेड था तो उस वक्त खाने का भी मसला कोई खास ठीक नहीं था और मेडिकल फैसिलिटीज का भी ठीक नहीं था। यह तो सही मानों कहिए कि उस वक्त जो स्टाफ मुगल लाइन लिमिटेड के नूरजहां के थे उनकी होशियारी से, उनकी मेहनत से, जहाज का इंजन जो दो बार बन्द हुआ था जिससे सारे पैसेंजर घबरा गए थे क्योंकि बीच समुद्र का मामला था, उन लोगों ने उसे ठीक कर के जहाज को फिर से चलाया तो हाजियों की जान में जान आई। इसीलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि सरकारी तहबील में ले लेने में कोई हर्ज नहीं है लेकिन इसका इंतजाम भी अच्छा होना चाहिए। जो पहले सर्विसेज था जिससे हाजी लोग जाया करते थे करीब-करीब 22-23 हजार उसमें आपने इस बार कटौती कर दी है और सिर्फ तीन ट्रिप्स दिए हैं जिसमें 5100 या इसी के करीब जा सकेंगे, मुसलमानों में इससे बड़ा गम व गुस्सा है, इसको भी आप दूर करें।

इनमें जो मुलाजिम काम करते थे चाहे वह ऐडहाक हों, चाहे परमानेंट हों, कौमी तहबील में लेने के बाद, शिपिंग कारपोरेशन में मिलाने के बाद उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई इम्तियाज नहीं बरतना चाहिए और उनको वही सुभीता और वही सुख मिलना चाहिए जो सेंट्रल स्केल का है या शिपिंग कारपोरेशन का है।

अन्त में मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक बात और कहूंगा कि मुगल लाइन लिमिटेड का जो मकसद था कि उसमें ज्यादातर सर्विसेज हाजियों को ढोती थीं उसको बहाल करिए ताकि हाजियों के जाने में सुभीता हो और वह अपना मजहबी फरीजा अदा कर पायें।

श्री राजेश कुमार सिंह : (फिरोजाबाद) उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह विधेयक जो लाए हैं मुगल लाइन लिमिटेड के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए, जो बातें इसके आबजेक्ट्स ऐण्ड रीजन्स में लिखी हैं कि कम्पनी के सामने आने वाली समस्याओं के साथ प्रभावी ढंग से निपटने की दृष्टि से और कम्पनी के उपक्रमों को राष्ट्र की पोतपरिवहन आवश्यकताओं की दृष्टि से अधिक अच्छे ढंग से पूरा करने में समर्थ बनाने के लिए लोक हित में यह आवश्यक समझा जाता है कि कम्पनी को पूर्णतया सरकारी कम्पनी के स्वामित्व में ले आया जाए, यह बहुत सुन्दर बात है। आप लोक हित में कुछ करें तो सही। इसमें तो कहीं विरोध करने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब इन्होंने इसको अर्जन करने की बात की और कहा कि कुछ प्राइवेट शेयर्स थे उनको लेने में कुछ दिक्कतें पड़ीं, वह तो एक अलग बात है लेकिन में इसी सन्दर्भ में कुछ बातें कहना चाहता हूं इंडियन मर्चेन्ट् शिपिंग है, उसमें बहुत ही क्राइसिस चल रही है, स्थिति बहुत ही डावांडोल है। यही नहीं मुगल लाइन वाली बातें नहीं है, मुगल लाइन में तो इन्होंने स्वीकार किया है कि कुछ ही शेयरथे तब तो इनकीहालत यह थी। लेकिन आप देखेंगे कि जितनी बड़ी कम्पनीज हैं वह आए दिन यह दिखाती रहती हैं, उनका ग्रास प्राफिट बहुत बड़ा है लेकिन डेप्रिसिएशन सिस्टम् के माध्यम से वह बार-बार यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम लासेज में जा रहे हैं। मैं संक्षेप में कहना चाहूंगा। आप देखें कुछ कम्पनियों के बारे में :

"वर्ष 1982-83 के दौरान सभी भारतीय नौवहन कम्पनियों को निवल हानि हुई है। तथापि दो कम्पनियों ने अपने तुलन-पत्र में मूल्यह्रास लगाने से पहले सकल लाभ दर्शाया है, वे कम्पनियाँ हैं भारतीय नौवहन निगम (33.57 करोड़ रुपये) तथा ग्रेट ईस्टर्व शिपिंग (6. 29 करोड़ रुपये)

मेरे कहने का मतलब यह है कि सभी कम्पनियां, .इविन सिंधिया कम्पनी भी प्राफिट तो दिखाती है लेकिन जब वह बैलेंस शीट बनाते हैं तो उसमें किसी न किसी तरह से घाटे की बात आ जाती है। तो इसका क्या कारण है—इसकी तरफ भी सरकार को तवज्जह देनी चाहिए।

कैप्टेन जी एस आनन्द ने कहा है :

नौवहन विकास निधि निगम अनेक छोटी कम्पनियां परि समाप्त की जा रही हैं। नौवहन एजेंसी घराने (हाउस) बंद किये जा रहे हैं। कुछ जहाजों के मालिक अपने कर्मीदल को वेतन नहीं दे रहे है। सरकार की सहायता और बैंक ऋणों से खरीदे गये जहाजों को बहुत कम मूल्य पर बेचा जा रहा है। देय-राशियों का भुगतान न हो पाने के कारण भारतीय जहाजों की भारतीय

और विदेशी बन्दरगाहों में नीलामी की जा रही है नौवहन विकास निधि निगम से लिये ऋणों की कम्पनियाँ भी अदायगी नहीं कर रही हैं और ऋणस्थगन की माँग कर रही है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि यह बहुत गम्भीर विषय है। प्राइवेट सेक्टर में जो कम्पनियां हैं उनमें भी कहाँ का पैसा लगा हुआ है ? मुगल कम्पनी के बारे में आपने कहा है कि उसमें कुछ शेयर थे लेकिन वास्तविकता यही है कि सरकार का और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स का बहुत सारा पैसा उनमें लगा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर की सिंधिया कंपनी दस जहाज बेचने जा रही है और 50 परसेन्ट स्टाफ की छटनी करना चाहती है। तो इस तरह से जो लोगों को बेरोजगार करने वाली बात है इसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिए। कैसे यह अच्छी बात है कि हज यात्रियों को लाने लेजाने का काम वह कंपनी करती है और अण्डमान नीकोबार के चक्कर भी लगाती है।

1981-82 में ग्याहर नौवहन कंपनियों के कार्ययलायों की समीक्षा की गई जो यह दर्शाती है कि उनकी कुल पूंजी के 709.78 करोड़ रुपये में से 495.03 करोड़ रुपये अर्थात लगभग 70 प्रतिशत सरकारी संस्थानों जैसे बैंकों, नौवहन विकास निधि निगम आदि से ऋण प्राप्त करके पूरा होता है।

जब इतना पैसा हम दे रहे हैं और जनता का इतना पैसा वहां लग रहा है तो राष्ट्रीयकरण करने में आपको क्या हिच है ? आप तो उसके डी-फैक्टो ओनर हैं ही क्योंकि यहां पर इतना जनता का पैसा लगा हुआ है फिर उसके लेने में आपको क्या दिक्कत है—यह बात मेरी समझ में नहीं आती। आप एक तरफ तो एक्सपोर्ट बढ़ाने की बातें करते हैं तो कैसे करेंगे ? कहीं से किराए पर लेंगे तो उससे स्थिति और भी भयंकर होगी। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आप संपूर्ण शपिंग इण्डस्ट्री को नेशनलाइज कर लें। यह राष्ट्रीयकरण भी सही तरीके से होना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकारीकरण भी शुरू हो जाए, यह भी उचित नहीं होंगे।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को इन प्राइवेट कम्पनियों के बारे में एक निश्चित रवैया अख्तियार कर लेना चाहिए नहीं तो यह सारे जहाज बेच दिए जायेंगे और बाद में एक सिक इण्डस्ट्री के तौर पर आपको इसे लेना पड़ेगा और तब तक इनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी होगी। इसलिए में आग्रह करूंगा कि समय निकल रहा है, सरकार लोगों को बेरोजगारी से बचाने के लिए और एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए एक आवश्यक साधन जुटाने के लिए एवं इनके सुचारू संचालन के लिए या तो सरकार इनके बारे में कोई न कोई आवश्यक नियम बनाए या फिर राष्ट्रीयकरण करे।

श्री जेवियर अराकल (अर्नाकुलन) : जहाँ तक हमारे देश का सम्बन्ध है नौवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यदि आह इसकी तुलना रेल, सड़क के साधनों या वायुयान से करें तो यह आम आदमी के परिवहन के मामले में भी यह पूरे देश के लिये एक साधन है। इसी संदर्भ में हमें अपने राष्ट्र की नौवहन समस्याओं पर भी गौर करना पड़ता है।

मैं छठी पंचवर्षीय योजना या इसकी उपलब्धियां या नौवहन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट का उसी रूप में उल्लेख करने नहीं जा रहा।

विधेयक के पृष्ठ 4, पैरा 2 में कहा गया है :—

"राष्ट्र की नौवहन की आवश्यकताओं को अधिक अच्छे ढंग से पूरा करने के लिए, लोकहित में यह आवश्यक समझा गया है कि इस कम्पनी को पूर्णतया एक सरकारी स्वमित्व की कम्पनी बनाया जाये।"

यह आपत्ति प्रशंसनीय है, जिस पर मेरे विचार में सदस्य असहमत नहीं हो, परन्तु जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री मूलचन्द डागा ने पहले कहा है, हमें इस देश के नौवहन के सभी पहलूओं पर पूर्ण रूप से विचार करना है। हमने सामान और जहाजरानी, सामान और यात्री सेवाओं की इन दो मदों के क्षेत्र में विकास के लिए क्या किया है ?

विधेयक का उद्देश्य 5 सेवाएँ दो यात्री सेवाएँ, दो माल वाहक सेवाएं, और एक परिवहन सेवा उपलब्ध करना है। यह इन पांच सेवाओं की व्यवस्था करती है। परन्तु हम इस क्षेत्र में कहाँ तक आगे बढ़े हैं कैसे विकास कर सकते हैं ? यह मान लेने पर भी कि कम्पनी-पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व में भी है तो इसका नौवहन भविष्य क्या है ? इन सुविधाओं के विस्तार और इसे प्रतियोगी क्षेत्र बनाने के लिए सरकार क्या विचार कर रही है ? यदि आप कुछ दूसरे देशों को देखें तो आपको मालूम होगा कि समस्त नौवहन उद्योग के क्षेत्र में, जहाज बनाने के क्षेत्र में सूखी गोदी और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। मैं अपने-निर्माण के क्षेत्र में अधिकाधिक सूखी गोदी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर सदन में पूछता रहा हूँ। अब तक, हमारे शिपयार्डों द्वारा और अन्य सुविधाओं के मामले में सुखी गोदी की एक तिहाई सांविधिक आवश्यकताएं भी पूरी नहीं की गई हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें सुविधाओं के विस्तार के लिए और इसे राष्ट्र की सक्षम आर्थिक आवश्यकता बनाने के लिए मंत्रालय को सभी प्रयास करने हैं।

यह परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हम इसकी उपेक्षा कर रहे है, परन्तु मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इस क्षेत्र में तथा इस उद्योग में जो प्रगति हुई है वह संतोषजनक नहीं है। अतः मंत्री महोदय को सूखी गोदी के लिए अच्छी और प्रभावी सुविधाओं, अन्य जहाज निर्माण गतिविधियों और दूसरी बातों के लिए उपयुक्त ध्यान देना है। मैंने कोचीन शिप यार्ड का एक अच्छा उदाहरण दिया है जहाँ भूमि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है, उनके पास वहाँ सुविधाएं हैं, और माननीय मंत्री जी ने यह बताने की कृपा की कि श्रमिकों की समस्याओं के कारण हम वहां पूंजी लगाने में समर्थ नहीं हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि वहां इन सुविधाओं के उचित विस्तार न करने का यह बहाना नहीं हो सकता है क्योंकि इससे देश को नुकसान हो रहा है, हो सकता है कि कोचीन शिपयार्ड के कर्मचारियों अथवा प्रबन्धकों को तत्याव हानि न हो। परन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार की क्या योजना है।

दूसरी अन्य बात जिस पर मैं बल देना चाहता हूँ वह छोटे बन्दरगाहों के सुधार सम्बन्ध है। छोटी बन्दरगाहें राज्य के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। जब तक हम छोटी बन्दरगाहों का प्रभावी और पर्याप्त सुधार नहीं करते मुझे विश्वास नहीं है कि हम क्या कर पायेंगे, विशेषरूप से माल के सड़क और रेल परिवहन द्वारा ले जाने की ऊँची लागत को ध्यान में रखते हुए जहाजों द्वारा माल ले जाने की सुविधाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं।

4.49 म० प०

श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए : इसमें माल का मूल्य, माल की लागत बढ़ जाती है। सरकार से मेरी अपील है कि छोटे बन्दरगाहों के विकास पर भी अधिक बल दिया जाना चाहिए। भारत की मुख्य बन्दरगाहें काफी भीड़ भाड़ है आगें विकास न होने के कारण उनकी क्षति हो रही है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कोचीन बन्दरगाह वास्तव में स्थायित्व की स्थिति में आ गये हैं, उनका आगे विस्तार नहीं हो सकता, वह स्थायित्व बिन्दु पर आ गई हैं। अत: छोटी बन्दरगाहों के विकास के पहलूओं पर बल दिया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को इन छोटे बन्दरगाहों के विस्तार के लिए व्यापक रूप से सुविधाएं तथा सहायता दी जानी चाहिए। अन्यथा जब हम रेल परिवहन और रेल यातायात में काफी प्रगति कर चुके हैं तो नौवहन के क्षेत्र में हमने कोई प्रगति नहीं की है। अत: मंत्री महोदय को इन दो बातों पर गम्भीर रूप से विचार करना चाहिए और इनके बारे में कुछ करना चाहिए।

जहाँ तकविधेयक का सम्बन्ध है, अब 35 प्रतिशत शेयर सरकार द्वारा लिए जा रहे हैं। इससे नौवहन सेवा की प्रबन्ध व्यवस्था कारगरता में किस प्रकार सहायता मिलेगी राज्य सरकार का क्या योगदान रहा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? इस क्षेत्र में, इस उद्योग के विकास के लिए क्या आपके पास कोई समेकित योजना है? अत: हमें आशा है कि इस वाद-विवाद का उत्तर देते हुए मंत्री महोदय इन विभिन्न पहलूओं पर प्रकाश डालेंगे क्योंकि मैं समझता हूं इस उद्योग का परिवहन के अन्य साधनों, अर्थात् सड़क और वायु परिवहन की तुलना में व्यापक रूपसे कारगर रूप से तथा कम से कम लागत पर विकास किया जा सकता है। अत: सरकार से मेरी अपील है कि इन आवश्यकताओं को नोट करें और सदन को बताए कि हमने अपनी छठी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को किस हद तक प्राप्त किया है और नौवहन के सम्बन्ध में सरकार क्या योजना बना रही है और इस लाइन को पुन: सशक्त बनाने का सरकार का क्या प्रस्ताव है जिससे कि यह अधिक प्रभावी बन सकें और राष्ट्र की सेवा कर सके।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूँ।

सभापति महोदय : श्री मुरुगैयन

श्री एस० मुरुगैयन (तिरूपत्तूर) : सभापति महोदय, मैं मुगल लाइन लिमिटेट (शेयरों का अधिग्रहण) विधेयक के सम्बन्ध में जिसे हमारे माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री द्वारा

प्रस्तुत किया गया है, कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । मैं अपने दल द्रविड़ मुनेश कजगम की ओर से इस विधेयक का स्वागत करता हूँ ।

इस विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में कहा गया है कि इस कंपनी के 6707 शेयरों को जो गैर सरकारी लोगों के पास हैं, 67070 रुपए की लागत से अर्जित किया जा रहा है । यह दावा किया गया है कि इस अधिग्रहण प्रस्ताव में कोई अन्य आवर्ती और अनावर्ती व्यय अन्तग्रस्त नहीं है । परन्तु उद्देश्य तथा कारणों के कथन में आप देखेंगे कि इस विधेयक की ऋण देनदारी कम्पनी की परिसम्पतियों पूंजी निवेश और कार्यचालन पूंजी से अधिक है । लेकिन ऋण देनदारी और परिसम्पतियों की मूल्य राशि का उल्लेख नहीं किया गया है । सामान्य रूप से जब सरकार इस प्रकार के प्रस्ताव करती है, तो सदन को सभी प्रकार की वित्तीय वचनवद्धता के बारे में विस्तार से अवगत कराया जाना चाहिए । सदन को मुगल लाइन लिमिटेड के कुल देयं ऋणों और परिसम्पतियों की मूल्य राशि का ब्यौरा दिया जाना चाहिए । सरकार को इस कम्पनी देय के ऋणों के भुगतान के लिए उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों और कम्पनी के सफल और लाभकारी कार्यकरण के लिए किए जाने वाले उपायों से सदन को अवगत कराना चाहिए।

आम तौर से यह माना जाता है कि निजी क्षेत्र यह सुनिश्चित करता है कि उसमें जो संस्थान चलाए जाते हैं वे लाभप्रद हों । मैं इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करता । मेरा विचार है कि परिवहन के महत्वपूर्ण क्षेत्र सरकारी क्षेत्र में होने चाहिए हमारी रेलवे सरकारी क्षेत्र में है, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय वायु-परिवहन सेवा सरकारी क्षेत्र में हैं । हमारी सड़क परिवहन सेवा भी सरकारी क्षेत्र में है । मैं चाहता हूं कि पूरा नौवहन व्यापार सरकार के हाथों में होना चाहिए । बताया गया है कि निजी क्षेत्र की जहाजरानी कम्पनियों द्वारा इस उद्योग में अनुचित तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है । सरकार द्वारा पूरे जहाजरानी उद्योग को राष्ट्रीयकृत करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । मैं चाहता हूं कि माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री इस प्रस्ताव पर ध्यान दें । मुझे विश्वास है कि वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मुगल लाईन लिमिटेड को वाणिज्यिक आधार पर कुशलतापूर्वक चलाया जाएगा ताकि वह अपने देय ऋण से मुक्त होने में समर्थ हो सके ।

भारतीय नौवहन उद्योग देश में मुख्य नौवहन लाइन है । भारतीय नौवहन निगम के प्रशासन को विशेष रूप से जहाजरानी व्यापार की अन्तर्राष्ट्रीय मन्दी की स्थिति में सुदृढ़ करने की नितान्त आवश्यकता है । यदि भारतीय नौवहन निगम को पर्याप्त लाभ कमाती है तो माल तथा यात्रियों की बुकिंग के लिए अपनाई जाने वाली एजेन्सी पद्धति को समाप्त करना ही इसका एकमात्र रास्ता है । माल तथा यात्रियों की बुकिंग के लिए भारतीय नौवहन निगम का अपना कार्यालय कलकत्ता में है लेकिन मद्रास में एजेन्सी पद्धति प्रचलन में हैं । मैं आंकड़ों और तथ्यों द्वारा यह प्रमाणित कर सकता हूं कि कलकत्ता की तुलना में मद्रास में माल तथा यात्रियों की बुकिंग की दरें काफी अधिक हैं । समय की कमी के कारण, मैं मद्रास में सामान तथा यात्रियों की बुकिंग के आंकड़े उद्धृत करने में असमर्थ हूं । मद्रास स्थित एजेंट इस व्यापार में प्रत्येक वर्ष 70 करोड़ रुपये का लाभ कमाता है उसे जहाजों पर कन्टीन सेवाओं की एजेंसी भी दी गई हैं ।

समाचार-पत्रों में इस एजेंट के बारे में बहुत सी शिकायतें प्रकाशित हुई हैं। जहाजों के कर्मचारियों ने हड़ताल भी की थी क्योंकि एजेंट ने उनके वेतन का भुगतान नहीं किया था। यदि माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री इस एजेन्ट के बारे में तथ्यों को जानना चाहते हैं, तो उन्हें केवल मंत्रालय की कार्य मन्त्रणा समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश को देखना होगा।

इनके अतिरिक्त सभा की सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने माननीय सदस्य श्री बंसी लाल की अध्यक्षता में मद्रास बन्दरगाह पर एजेन्सी पद्धति को समाप्त करने की सिफारिश की है। इसके बावजूद भी नौवहन मंत्रालय ने मद्रास में एजेन्सी पद्धति को समाप्त करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है। मैं समझता हूं कि इस एजेन्ट का राजनैतिक प्रभाव बहुत अधिक है जो कि इस मामले में भारतीय नौवहन निगम और जहाजरानी मंत्रालय को कोई भी रचनात्मक निर्णय लेने में बाधक होता है। इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया गया है कि भारतीय जहाजरानी निगम को मद्रास में अपना कार्यालय खोलने से कोई लाभ नहीं होगा।

मुझे आश्चर्य है कि गैर-सरकारी एजेन्ट किस प्रकार प्रत्येक वर्ष इतना लाभ कमा रहा है और भारतीय जहाजरानी निगम द्वारा इस काम को लेने से किस प्रकार नुकसान होगा।

मेरे विचार से मंत्रालय को भारतीय नौवहन निगम को मद्रास में एजेन्सी पद्धति को समाप्त कर अपना कार्यालय शुरू करने का निर्देश देना चाहिए। मद्रास बन्दरगाह के लोग भी यही मांग करते हैं, प्राइवेट एजेन्ट के कर्मचारी भी यही चाहते हैं। जन प्रतिनिधियों की भी यही मांग है। सन्सदीय समिति ने इसकी सिफारिश की है। अतः मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें।

मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि यूगोस्लाविया हमारे देश द्वारा सप्लाई किए जाने वाले लोह आयस्क के बदले में जहाजों की सप्लाई करने के लिए तैयार है मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्ययाही की गई है।

नौवहन और परिवहन मंत्री को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का आयात और निर्यात भारतीय जहाजों द्वारा किया जाता है। तभी हमारा नौवहन उद्योग विश्व की मन्दी का सामना करने में समर्थ हो सकेगा। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों का आयात-निर्यात विदेशी जहाजों द्वारा होता है। इस प्रणाली को जोरदार तरिके से निरुत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसा निर्देश दिया जाना चाहिए कि केन्द्रीय और राज्यों के सरकारी उपक्रम अपनी आयात और निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति केवल भारतीय जहाजों द्वारा करें।

समाप्त करने से पूर्व मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूँगा कि भारतीय नौवहन उद्योग द्वारा मद्रास में एजेन्सी पद्धति को समाप्त करके, वहां भारतीय नौवहन उद्योग का कार्यालय तत्काल खोला जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, मैं मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक 1984 का समर्थन करता हूं । मुगल लाइन का जो नेशनलाइजेशन किया जा रहा है यह सरकार के द्वारा उठाया गया एक स्वागत योग कदम है । मगर क्या मैं माननीय मंत्री जी से जानता चाहता हूं कि इतने थोड़े से प्राइवेट इंडीविजुअल्स के शेयर्स थे, फिर किसी इंस्टीट्यूशन को पहले जल्दी से जल्दी क्यों नहीं नेशनलाइज किया गया । इसकी सर्विसेस ठीक न होने की वजह से कितने लोगों को कष्ट हुआ है। इसमें पहले क्यों नही सुधार किया गया ।

सभापति महोदय, जहां तक इसके आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में बताया गया हैं, जिन-जिन सर्विसेस का जिक्र किया गया है, उसमें सबसे इंपोरटेंट चीज है हज यात्रियों की सर्विस के संबंध में । इस संबंध में कई माननीय सदस्यों ने बताया । पार्लिामेंट मेंबर होने की वजह से हमारे क्षेत्र के हज यात्री बराबर हमारे पास आते हैं । हम लोग भी कई बार फारेनमिनिस्टर साहब को कहते रहे हैं कि हज यात्रियों को जाने की इजाजत दी जाए । मगर हालत यह है कि वहाँ लाटरी सिस्टम है । इसमें नम्बर निकाला जाता है और कई हजार लोग जाने से वंचित रह जाते हैं। जब इतने लोग हज यात्रा पर जाना चाहते हैं और इससे सरकार को काफी इनकम हो सकती है तो फिर क्या कठिनाई है कि इन यात्रियों को शिप प्रोवाइड नहीं किया जाता । इसमें सरकार क्यों नही योग-दान देती । इससे सरकार भी आमदनी से वंचित रह जाती है और हज यात्रा पर जाने वालों की आकांक्षा भी पूरी नहीं हो पाती । इसलिए अगर इस व्यवथा को माकूल बनाया जाए तो अच्छा होगा ।

5.00 म.प.

जब हम, एस्टीमेट कमेटी के टूर पर अन्डमान-निकोबार गए थे तो हमने देखा कि वहाँ पर मुगल लाईन की शिप कभी कलकत्ता और कभी मद्रास से जाती है । कलकत्ता का जिक्र अभी चेयरमैन साहब ने भी किया । उनकी ट्रेड यूनियन में डिस्प्युट है जिसकी बजह से शिप को चलने नहीं दिया जाता । इसके कारण पैसेंजर्स को अन्डमान-निकोबार भी पहुँचने नहीं देते । अन्डमान-निकोबार में हमें कई पैसेंजर्स ने बताया कि वे कई दिनों से शिप का इंतजार कर रहे हैं और उनके पास पैसे भी खत्म हो गए हैं । अभी डी० एम० के० सदस्य भी बोल रहे थे, इनकी भी शायद हिन्दी कमेटी वहाँ पर गई थी । यात्रियों ने हमें कहा कि 15 दिन हो गए, शिप के आने का कोई पता नहीं है । ट्रेड यूनियन की कनफलीक्ट को सैटल न करने की वजह से जो कठिनाई आ रही है, उससे मुगल लाईन को भी नुकसान हो रहा है। जहाज के जरिए मद्रास और मद्रास से रेल के द्वारा कलकत्ता जाना पड़ता है । आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितना खर्चा हो जाता है ।

इस संबंध में ध्यान दिया जाना चाहिए पैसैंजर सर्विस को रेग्युलर अन्डमान-निकोबार तक करने से यात्रियों को बहुत फायदा होगा । इसको लोग बहुत एप्रिशिएट करेंगे, खासतौर से जो हजारों किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं । वे, अपने देश के मेनलेंड पर आना चाहते हैं । लेकिन, उनको कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, इस ओर आपका ध्यान जाना चाहिए । आपका जो

कारगो कलकत्ता या मद्रास से जाता है, उनके लिए खाने-पीने की व्ययस्था करता है। कई बार तो अन्डमान-निकोबार में राशन भी सही समय पर नहीं पहुंच पाता। इस परेशानी का सामना वहां के लोगों को करना पड़ता है। इसलिए, माकूल व्यवस्था इस सबन्ध में की जानी चाहिए। हमारे देश का जो पाण्ड है, उसको ठीक प्रकार से वितरित करके सिपिंग की व्यवस्था माकूल बनायी जानी चाहिए। आपकी जो कोकण पैसेंजर सर्विस, कोस्टल कारगो सर्विस और बाम्बे रेड-सी कारगो सर्विस आदि हैं, इनको क्या माकूल तरीके से चलाने की व्यवस्था की है? अगर की है तो आपके पास कितनी शिप्स हैं जिनके जरिए से सारी सर्विस को ठीक प्रकार से इम्पलीमेंट कर पा रहे हैं। आपने बताया कि हर साल नुकसान होता है। अपने रिसोर्सेज को ठीक प्रकार से यूटिलाइज न करके नुकसान उठाना पड़े तो इसको मिस-मैनेजमेंट ही कहा जायेगा। फाइनेंशियल इन्सटीट्यूशन्स से करोड़ों रुपए लेकर के भी शिप बिल्डिंग इन्डस्ट्री बराबर सिक होती जा रहा है। इसकी वजह से हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड भी कम हो रहा है। शिप कंपनीज पैसा लेकर प्राफिट उठा लेती हैं और जब नुकसान होता है तो सिक बन जाने के बाद सरकार को लेनी पड़ती है। ऐसी माकूल व्यवस्था की जाए जिससे सारी कंपनीज ठीक प्रकार से चलें।

अभी यहां डेप्रीशियेशन के बारे में जिक्र किया गया। हमने देखा है कि जितनी भी टैक्सटाइल और दूसरी इंडस्ट्रीज हैं, उन सब में यह डेप्रीशियेशन अमाउन्ट काटा जाता है। लेकिन हमें देखना चाहिए कि वह जिस उद्देश्य के लिए काटा जाता है, उसी के लिए प्रयोग किया जाता है, अथवा नहीं। क्या उसका उपयोग कम्पनी को मोडनाईज करने के लिए, उसमें नई व्यवस्थाएं स्थापित करने के लिए किया जाता है। अथवा इंडस्ट्री को रिकूप करने के लिए, होता है। लेकिन हमने देखा कि उस सारे पैसे का उपयोग, इसके मालिकों द्वारा इस दिशा में न करके, उसका दुरुपयोग किया जाता है। और साथ ही कम्पनी को सिक बनाने की कोशिश की जाती रही है। उस पैसे से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश हुई है, उसका उपयोग इस दृष्टि से किया गया ताकि ज्यादा प्रोफिट हो सके। मालिक लोग उस इंडस्ट्री को सिक बनाने की कोशिशों में लगे हैं। सभी इंडस्ट्रीज में एक जैसा हाल है।

हमारे देश में जितने मोनोपोलिस्टस लोग हैं, पैसे वाले लोग है और इस तरह की कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, चाहे जूट के क्षेत्र में हो, टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो, हर एक में उनकी नुक्ते-नजर यहीं रहती है कि जितना ज्यादा से ज्यादा प्रौफिट हो सके, कमा लिया जाए। उसके बाद इंडस्ट्री को सिक करके छोड़ दिया जाए जिससे मजदूरों को रोजगार भी न मिले और वे भूखों मरें। इसके बाद वे फिर किसी दूसरी जगह पर, जहां ज्यादा प्रौफिट मिल सके, जाने की कोशिश करते हैं और यह सिलसिला जारी रहता है। इसलिए मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी तमाम कम्पनियों पर सरकार को निगरानी रखनी चाहिए ताकि ये सिक न हो पाएं और उनमें मजदूरों को भी ठीक प्रकार से रोजगार बराबर मिलता रहे, उनके हक-हकूक और दूसरी तमाम सुविधाएं बरकार रहें। वे सुविधाएं और अच्छी हो सकें। यदि ऐसा होगा तो ये सारी इंडस्ट्रीज ठीक प्रकार से चल पाएंगी। जैसा इस बिल के सम्बन्ध में कहा गया, इसमें बड़ा भारी

लॉस है, हमें यह भी देखना चाहिए कि उसके कारण क्या हैं। वैसे तो कहा जाता है कि सारी दुनिया के शिपिंग ट्रेड में रिसेशन आया हुआ है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे देश में जितना माल विदेशों से इम्पोर्ट होकर आता है, वह सारे का सारा विदेशी जहाजों के जरिए लाया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ अपने शिप या दूसरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। यदि हमारे पास ये सारी व्यवस्थाएं हो तो निश्चित तरीके से हम सारे लॉसेज को मेक-अप कर सकते हैं। फिर रिसेशन का मामला भी हमारे आड़े नहीं आयेगा जितना उग्र रूप में यह आज हमारे सामने है।

इसलिए इस दिशा में भी विचार कर आवश्यक व्यवस्था करने की आज आवश्यकता है। क्योंकि जितना माल हम यहाँ से बाहर के देशों में भी भेजते हैं वह भी हमारी शिपिंग व्यवस्था के जरिए से जाए और बाहर से आने वाला माल भी हमारी अपनी व्यवस्था से आये, उससे निश्चित तौर पर हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को और हमें लाभ होगा। इसलिए इस व्यवस्था को माकूल बनाने की आज बहुत आवश्यकता है।

दूसरे इस बिल के स्टेटमैंट आफ ऑब्जैक्टस एण्ड रीजन्स में दिया हुआ है कि इस समय कम्पनी को कुल आस्तियों का मूल्य अर्थात विनिधान और कार्यगत पूंजी उसके ऋण दायित्वों की रकम से बहुत कम है। अर्थात जितना हमारा इस कम्पनी में वर्किंग कैपिटल और असैटस आदि हैं, उनसे ज्यादा लोन है। मैं नहीं समझता कि आप किस तरीके से इस हालत में इसकी व्यवस्था को ठीक कर पायेंगे। आपने इस स्थिति को दूर करने के लिए भविष्य में क्या योजना बनाई है ताकि इसकी कमियों की दूर करते हुए इसकी व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। मेरा कहने का मतलब है कि जब तक आप इस सारी इंडस्ट्री को एज ए होल नहीं लेंगे, उसकी व्यवस्था में माकूल तरीके से परिवर्तन लाकर सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह इंडस्ट्री लाभप्रद नहीं बन सकती। इसमें आपने अब तक लॉस ही उठाये है और भविष्य में भी उठायेंगे। इसलिए कोई ऐसी योजना बनाईयेगा जिससे सारी व्यवस्थाओं में सुधार लाया जा सके, इसकी सर्विसिज रैंगुलरली चलें और पैसेंजर्स को सभी आवश्यक सुविधाएँ प्रदान कीजाएँ। तभी हम इसको लाभ देने की स्थिति में ला सकेंगे। तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, इस बिल के सम्बन्ध में कुछ ज्यादा न करते हुए, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मुगल लाइन लिमिटेड जैसी पब्लिक सैक्टर कम्पनी को पूर्णतया सरकारी नियंत्रण में लेने का सरकार ने ठीक निर्णय लिया है और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस कम्पनी की सेवाओं में ओर सुधार लाने की आवश्यकता है ताकि यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

इसी तरह से माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने मुगल लाइन्स लिमिटेड तथा शिपिंग कौरपोरेशन के कर्मचारियों की सेवा शर्तों, वेतनमान, बोनस, सभी कर्मचारियों को नियमित करने आदि के जो बातें कहीं हैं उनका समर्थन करते हुए मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध होगा कि वह विशेष रूप से इन बातों की ओर ध्यान दें।

निजी शिपिंग कम्पनियों को राष्ट्रीयकरण करने की भी आवश्यकता है। उनके कर्मचारियों को भी आवश्यक एवं कानूनी सारी सुविधायें मिलनी चाहिए। कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार का भेदभाव करना उचित नहीं होगा।

शिपिंग कम्पनियों का घाटा सुप्रबन्ध के कारण ही होता है। घोटाला भी कम नहीं होता। इस संदर्भ में मैं मंत्री महोदय का ध्यान इनलैंड वाटर ट्रान्सपोर्ट की दुरवस्था की ओर भी दिलाना चाहता हूं। यात्रियों एवं जालों के ढाने में यह सर्विस बहुत उपयोगी हो सकती है। परन्तु घाटे के नाम पर इसे धीरे-धीरे बन्द किया जा रहा है। जहाजों की स्थिति अच्छी नहीं है। मरम्मत में भारी घोटाला है। कर्मचारियों की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्हें ट्रेड यूनियन कानूनों के अनुसार सुविधायें भी नहीं दी जातीं। पदोन्नति, ट्रांसफर आदि में मनमानी की जाती है। इस बारे में कई बार मंत्री जी से पत्राचार भी कर चुका हूं। पटना से जो जहाज माल लेकर कलकत्ता, छपारा, गाजीपुर, इलाहाबाद आदि स्थानों पर जाते हैं वे टुकदुम टुकदम चल रहे हैं। उन्हें ठीक से चलाने अच्छे जहाज देने, अच्छा प्रबन्ध करने की आवश्यकता है। आशा हैं मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर जायगा ताकि यह जो जहाज चलाने की बात, या जिनको आप अपने हाथ में ले रहे हैं, यह ठीक से चल सकें और साथ-साथ इन्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में भी आप सुधार ला सकें।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : सभापति महोदय, थोड़े समय में अपनी बात कहूंगा क्योंकि बहुत सी बातें इसके बारे में कही जा चुकी हैं। मंत्री जी जो यह काम कर रहे हैं यह स्वागत योग्य हैं। लेकिन मेरी शिकायत है कि यह काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो देर में हो रहा है। मेरी तो यह भी माँग है कि बहुत सी ऐसी निजी कम्पनियाँ है जो जहाज चलाने का काम करती हैं। अगर सम्भव हो तो उन सभी का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। और अगर सरकार में इच्छाशक्ति है तो यह मुश्किल नहीं है, इसे आसानी से किया जा सकता है। चूंकि सरकार नहीं कर रही है इसलिए कहा जा सकता है यह उसमें इच्छा शक्ति का आभाव है।

शिपिंग कौरपोरेशन में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है उसके बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो घाटे की बात चलती है उसके चाहे ओर जो भी कारण हों, लेकिन प्रमुख कारण भ्रष्टाचार है। अगर तह में जाया जाय तो ऐसी बहुत सी चीजें हो रही हैं और ऐसे तमाम खर्च किये जा रहे हैं जिनहें रोका जा सकता है। और मुनाफे को बढ़ाया जा सकता है।

मैं हज यात्रियों की कठिनाइयों के बारे में कहना चाहूँगा। मैं ऐसी जगह से आता हूं जहाँ से बहुंत से लोग हज के लिये जाते हैं। लेकिन वह जब अपना प्रार्थना-पत्र देते हैं तो प्राय: यह देखा जाता है कि बहुतों के प्रार्थाना-पत्र रिजेकट कर दिये जाते हैं। मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था की जाय किसी भी हज यात्री को जो अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हज के लिए जाना चाहता है उसको पर्याप्त सुविधा दी जाये और किसी के प्रार्थना-पत्र को अस्बीकार न किया जाये। यह तभी सम्भव है जब जहाजों की संख्या बढ़ाई जाए और जो अन्य आवश्यक सुविधायें हैं उनको भी बढ़ाया जाए। ऐसा करके जहाँ एक तरफ सरकार अधिक पैसा कमा सकती है।

5.14 म.प.

(**उपाध्यक्ष महोदय पीठसीन हुए**) वहीं दूसरी तरफ ऐसे तमाम लोगों की इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकती है जो अपनी तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। और इसमें जिस प्रकार की कठिनाई होती है उसको दूर करने के लिये अगर सरकार सचमुच प्रयत्न करें तो इसमें कोई शक नहीं कि समस्या का समाधान बहुत आसानी से निकल सकता है।

कर्मचारियों के कल्याण के तमाम कार्यों के बारे में अभी माननीय मंत्री जी से कुछ माननीय सदस्यों ने अनुरोध किया। मैं भी कहना चाहता हूं कि जो कर्मचारियों की सेवा-शर्तें हैं, उनमें सुधार के लिये सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उटाने चाहियें। खास तौर से ऐसी कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र में काम कर रही हैं, वहां कर्मचारियों का विशेष रूप से शोषण किया जाता है। उनको शोषण से मुक्त करने के लिये यह आवश्यक है कि सरकार उनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले। इसके साथ ही जो कंपनियां सरकार के संरक्षण में काम कर रही हैं, उनमें भी कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार किया जाना चाहिये। बोनस की सुविधा में सुधार की आवश्यकता है। अगर कंपनी अधिक मुनाफे में चलती हो तो बोनस भी कर्मचारियों को बढ़ाया जा सकता है। मैं चाहता हूं कि सरकार इन सुझावों पर ध्यान दे और कर्मचारियों की सेवा-शर्तों में सुधार के लिये आवश्यक कदम उठाये।

इन्हीं शब्दों के साथ में इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुगललाइन्स लि० भारत सरकार का एक उपक्रम है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस कंपनी का क्या महत्व है। हमारे देश में बड़ी तादाद में मुसलमान भाई रहते हैं और वह अक्सर हज करने के लिए अपने तीर्थ-स्थान पर जाते हैं। मुसलमान भाइयों में बहुत से वह गरीब लोग हैं जो तीर्थ-यात्रा पर पानी के जहाज से जाना पसन्द करते हैं, क्योंकि उनकी माली हालत ऐसी नहीं होती है जिससे वह हवाई जहाज से जा सकें।

इस कंपनी का पहला नाम 'दी बाम्बे परशियन स्टीम नैवीगेशन कंपनी' था जो 2 अगस्त, 1877 को स्थापित हुई थी। 5 दिसम्बर, 1938 को इस कंपनी का नाम बदलकर मुगललाइन लि० रख दिया गया और 1962 से वह कंपनी पब्लिक सैक्टर में आ गई।

जब प्राइवेट लोगों के हाथ में इसकी व्यवस्था थी तो इसकी हालत इतनी खराब थी कि पेसेन्जर्स को माल ढोने के लिये परेशानी का सामना करना पड़ता था। इस वजह से 1962 में सरकार ने इसको अपने हाथ में ले लिया और आज करीब 99.65 परसेंट शेयर भारत सरकार के हैं और शेष शेयर कुछ और कंपनियों के हैं जो देश में भी हैं और बाहर भी हैं।

इस कंपनी का मुख्य काम बम्बई से जद्दा तक हज यात्रियों को लाने ले जाने का है। इसके साथ यह कार्गो का काम भी करती है। लक्ष-द्वीप और अंडमान-निकोबार भी इसकी सेवाएं जाती

हैं। आज की तारीख में भी इसकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है और सरकार इसका प्रबन्ध पूर्णतया अपने कब्जे में लेना चाहती है। यह अच्छा सुझाव है, मैं सरकार के इस प्रयास की सराहना करता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मैंने भी पानी के जहाज में सफर किया है।

निम्न श्रेणी में इन जहाजों में जो लोग सफर करते हैं उनके लिए सीटिंग एरेन्जमेंट ज्यादा अच्छा नहीं है जिसकी वजह से पेसेन्जर्स को परेशानी होती है। पानी के रास्ते से यात्रा देर से पूरी होती है क्योंकि पानी का जहाज 25,30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। लोग उसमें बैठे-बैठे तंग हो जाते हैं। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। वहाँ पर खाने-पीने की व्यवस्था भी ज्यादा अच्छी नहीं होती है।

हमने उच्च श्रेणी, एयर कन्डीशन में सफर किया, लेकिन नीचे उतर कर देखा कि निम्न श्रेणी में सफर करने वाले लोगों के लिए रहने और खाने-पीने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती। दूर की यात्रा करने वालों को हफ्तों और महीनों तक जहाज में रहना पड़ता है। मुझे आशा है कि जब यह विधेयक पास हो जाएगा और इस कंपनी की व्यवस्था पूरी तरह से सरकार के अधीन हो जाएगी, तो मंत्री महोदय यात्रियों की वर्तमान असुविधाओं को दूर करने के लिए कदम उठाएंगे।

मैनेजमेंट और एम्पलाईज के बीच सम्बन्ध बहुत मधुर होने चाहिए। पैसेंजर्ज को तो कभी-कभार यात्रा करने का मौका मिलता है, लेकिन जो लोग सर्विस करते हैं, उनका पूरा जीवन ही जहाजों में बीतता है। उनकी स्थिति बड़ी दयनीय होती है। उनको समुचित तनख्वाह, बोनस और अन्य सभी सहूलियतें दी जानी चाहिए। अगर इस कंपनी की व्यवस्था और सर्विस अच्छी होगी, तो और अधिक लोग इसमें यात्रा करने के लिए आकर्षित होंगे।

मुसलमान भाई हज जाने के लिए वर्षों पहले लाइन में लग जाते हैं और वर्षों बाद उनका नम्बर आता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके फ्लीट में जहाजों की संख्या बढ़ाई जाए और उनमें यात्रियों की सुख-सुविधा के लिए आधुनिक ढंग की व्यवस्था की जाए।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और यह अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल से जाहिर है कि 99.65 परसेंट शेयर प्रेजीडेंट के नाम पर हैं और सिर्फ 0.35 परसेंट शेयर दूसरे लोगों के पास हैं और इसलिए यह कंपनी वर्चुअली सरकार की ही है। इन हालत में सरकार इसको एक्वायर कर ले, मुझे इसमें एतराज नहीं हैं और मैं इसका समर्थन करता हूं। लेकिन यह जरूरी है कि अगर किसी कंपनी को एक्वायर या नेशनलाइज करना हैं, तो यह देखने के लिए कोई एक्सपर्ट्स कमेटी होनी चाहिए कि नेशनलाइजेशन इन दि इन्ट्रेस्ट आफ दि कन्ट्री किया जा रहा है या व्हिम्ज की बिना

पर। जहाँ तक इस बिल का ताल्लुक है, यह एक अच्छा कदम है, जो पहले ही उठना चाहिए था।

अगर सरकार द्वारा एक्वायर किए जाने के बाद भी इस कंपनी के हालात पहले की तरह रहते हैं, तो इसे एक्वायर करने का भी कोई फायदा नहीं है। मुझे एक बार अंडमान जाने का मौका मिला। वहाँ अलग-अलग द्वीपों में जाते हुए एक जगह कुछ ट्राइबल्ज ने मुझसे शिकायत की कि कल यहाँ समुद्री जहाज आना था, उसके जरिये हमने अपनी सब्जी भेजनी थी, वह समय पर नहीं आया, अब वह अगले हफ्ते आएगा। उन गरीबों को वह सब्जी वापस ले जाने के लिए दुगना किराया देना पड़ता है, इसलिए वे उसे वापस नहीं ले जा सकते। उनके सामने इसके अलवा कोई चारा नहीं कि वह अपनी सब्जी को समुद्र में डाल दें। इसलिए इसमें यह इम्प्रूवमेंट जरूर होना चाहिए कि जहाजों के जाने में पंक्चुएलिटी हो।

श्री शैलानी की तरह मुझे भी एक दो बार सफर करने का मौका मिला है। खास तौर पर जहाँ आम पैसेंजर सफर करते हैं, वहाँ सफाई बिल्कुल नहीं हैं। उन लोगों के लिए रहने, सोने, खाने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए।

एक्वीजीशन के बाद यह कंपनी शिपिंग कार्पोरेशन की लाइन पर आ जाएगी। मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि शिपिंग कार्पोरेशन में क्या हो रहा है। मुझे पर्सनल जानकारी है कि शिपिंग कार्पोरेशन में एक शिड्यूल्ड कास्ट इंजीनियर काफी सीनियर पोस्ट पर था -- वह थर्ड इन्जीनियर था। मैंने उससे पूछा कि क्या उसने अपने कागजों पर शिड्यूल्ड कास्ट लिखवाया हुआ है। उसने जवाब दिया कि क्या शिड्यूल्ड कास्ट लिखवा कर मैंने मौत को बुलावा देना है। मैंने पूछा कि इसका क्या मतलब है। उसने कहा कि अगर मैं अपने आपको कागजात पर शिड्यूल्ड कास्ट शो कर दूंगा, तो मुझे कहीं रास्ते में रात के वक्त समुद्र में फेंक दिया जाएगा और कोई सुनने वाला नहीं होगा। रुटीन में उसका प्रोमोशन इंजीनियर की पोस्ट पर हुआ। इत्तिफाक से यह पता लग गया कि वह शिड्यूल्ड कास्ट है और तब उसको रिजाईन करना पड़ा। वह वहां पर 4500 रुपए तनख्वाह ले रहा था, लेकिन मजबूर होकर उसे हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट में 2500 रुपए की तनख्वाह पर आना पड़ा। शिपिंग कार्पोरेशन में इस किस्म की जो सिचुएशन है, मंत्री महोदय उसमें भी थोड़ी-सी इम्प्रूवमेंट करें। यह न हो कि यह भी इसी हालत में गिर जाय।

इसके अलावा कर्मचारियों के तनख्वाह की बात है, छुट्टी की बात है, महंगाई एलावेंस और बोनस इत्यादि की बात है, ये सब चीजें उनको ठीक ढंग से मिल पाएं, यह दोबारा कहते हुए मैं इसका फिर समर्थन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं माननीय मन्त्री जी से कि यह जो बात मैंने अभी कही है कि शिपिंग कारपोरेशन में तो और भी जगहों में यह जो छुआछूत की बीमारी है वह जिस हद तक फैली है उसको आप देखेंगे और उसको निकालने की कोशिश करेंगे।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे वाद-विवाद में भाग लेने वाले माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहिए। वाद-विवाद में भाग लेने वाले सभी 10 माननीय सदस्यों ने विधेयक का समर्थन किया है। यह नहीं कि मुगल लाइन का अधिग्रपण लम्बी अवधि के लिए किया गया था। शेयरों के 0.35% अंश के मालिक निजी लोग हैं और सरकार प्रयास कर रही है कि कम्पनी को कुछ समय के लिए अपने अधिकार में ले लिया जाए। किन्तु अधिकांश शेयर-धारियों की पता लगाना सम्भव नहीं है। अब मुगल लालन कई वर्षों से घाटे में जा रही है। योजना आयोग की आर्थिक-कार्य समिति तथा बाद में मोहम्मद फाजिल समिति ने भी सुझाव दिया कि इसका भारतीय नौवहन निगम के साथ विलय कर देना चाहिए। जब तक इसका विलय नहीं किया जाता तब तक कम्पनी की आर्थिक स्थिति को, जो कि इस समय खराब है, सुधरना सम्भव नहीं होगा।

महोदय, मैंने अपने पहले के भाषण में उल्लेख किया है कि यह कई वर्षों से घाटे में जा रहीं है हालांकि वहां 1975 से लेकर अब तक मंदी है। यह स्थिति विश्व में समस्त नौवहन कम्पनियों की है। किन्तु मुगल लाइन, 1980 और 1981 के वर्षों को छोड़कर, पिछले 15 वर्षों से घाटे में चल रही है। यह आवश्यक है कि हम भारतीय नौवहन निगम के साथ इसका विलय कर दें ताकि हम अपने देश में राष्ट्रीयकृत नौवहन कम्पनियों को आधुनिक बना सकें और उनका सुधार कर सकें।

मैंने कम्पनी की नवीनतम आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है। यह 20.38 करोड़ रुपये के घाटे में है। अतः सरकार ने भारतीय नौवहन निगम के साथ इसका विलय करने का निर्णय किया है और हमने विधि विभाग से परामर्श किया है और उन्होंने कहा है कि उन सभी शेयरों का भी अधिग्रहण किया जाना चाहिए। मुगल लाइन ने शेयरों के 0.35 प्रतिशत अंश को अपने नियं-त्रण में लेने के लिए भी प्रयास किया था लेकिन शेयरधारी व्यक्तियों का पता लगाना कठिन था। वे भारतीय ही नहीं बल्कि अन्य भी थे। सभी 6.707 शेयरों के मालिक 120 व्यक्तियों में भार-तीय लगभग 59, सऊदी अरब के —3, अरब के ---17 तथा ईराकी —30 हैं। और शेयरों की कुल संख्या 6.707 है। इस प्रकार के विधान से वे आ सकेंगे तथा अपने शेयर वापस ले सकेंगे। आज, आर्थिक स्थिति के कारण, शेयरों का बाजार मूल्य निम्नतम स्तर पर है और कोई भी व्यक्ति शेयर खरीदने को तैयार नहीं है। हमने कहा है कि 100 रुपये के प्रत्यक्ष मूल्य वाले प्रति शेयर पर हम 10 रुपये देंगे। और इस प्रकार इन्हें ले लेने पर कम्पनी को अतिरिक्त लागत देनी नहीं पड़ेगी यदि यह औपचारिकता पूरी हो जाती है तो हम विलय के लिए कदम उठा सकते हैं। अन्य सभी औपचारिकताएं पूरी की जा चुकी हैं। और सरकार ने मेरे मंत्रालय की ओर से एक समिति भी नियुक्त की थी जिसके अध्यक्ष नौवहन निगम के चेयरमैन थे और जिसमें मंत्रालय मुगल लाइन, तथा नौवहन निगम के अनेक कर्मचारी थे। उन्होंने सभी पहलुओं पर पूर्ण रूप से विचार भी किया है। समस्या मुख्य रूप से एकीकृत को सुधारने की है। इससे दोहरी मेहनत से बचा जा सकेगा और उचित आयोजना में सुविधा होगी। प्रस्तावित विलय से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का दोहरी मेहनत

के बिना उत्तम प्रबन्ध हो सकेगा, सेवा की किस्म में सुधार हो सकेगा और प्रबन्ध-मंडल का पुनर्गठन हो सकेगा । इस पर पूर्ण रूप से विचार किया जा चुका है और समिति द्वारा सरकार को रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जा चुकी है। सरकार इसकी जांच भी कर रही हैं ।

मुगल लाइन को इसके साथ मिलाने के बाद इस विलयित नौवहन निगम के भावी गठन के बारे में सरकार ने व्यापक रूप से निर्णय लिया है । भारतीय नौवहन निगम के साथ मुगल लाइन के विलय के बाद एकीकृत संगठन में विभिन्न प्रभागों/विभागों के प्रधान निम्नलिखित होंगे :—

लाभ केन्द्र—

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक—लाइनर सेवाएं

संयुक्त प्रबन्ध निदेशक—भारी संख्या में वाहन तथा टेंकर सेवाएं

संयुक्त प्रबन्धक निदेशक—तटीय और यात्री सेवाएं

सेवा प्रभाग :

कार्यकारी निदेशक (वित्त)

कार्यकारी निदेशक (तकनीकी सेवाएं)

कार्यकारी निदेशक (कार्मिक तथा प्रशासन)

कार्यकारी निदेशक (योजना और नीति समन्वय)

निदेशक (केन्द्रीय खरीद तथा सेवा प्रभाग)

कम्पनी सचिव—बोर्ड सचिवालय और समन्वय

मुख्य सतर्कता अधिकारी

प्रचार और जनसम्पर्क प्रबन्धक

इन सभी पहलुओं पर विचार कर लिया गया है ।

एक दूसरा पहलू सेवाओं के विलय के बारे में भी है जिस का कुछ माननीय सदस्यों ने जिक्र किया है । इसमें कुछ समस्या प्रतीत होती है। माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है कि कार्मिक संघों को उचित रूप से नहीं बुलाया गया और न उनके साथ परामर्श किया गया है। मैंने रिपार्ट देख ली है। यहे कहा गया हैं। कि सभी कार्मिक संघों को बुलाया गया था और उनसे उनके विचार विमर्श किया गया था यदि कुछ कार्मिक संघों को नहीं बुलाया गया हो तो इन्हें निश्चित रूप से बुलाया जाएगा और उनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा । मंत्रालय इस बात का ध्यान रखेगा कि जिन कर्मचारियों के साथ परामर्श नहीं किया गया है उनके साथ परामर्श किया जाए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : माननीय मंत्री जी मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि सहयोग के दृष्टिकोण से विचार-विमर्श किया जायेगा ।

किन्तु दुर्भाग्य से स्थिति कैसी थी ? मुझे बताया गया था कि उन्होंने कहा, "ये हमारी शर्तें हैं। चाहे स्वीकार करो या न करो ।" यह उचित दृष्टिकोण नहीं है ।

श्री के० विजय भास्कर रड्डी : मुझे नहीं मालूम । जब एक माननीय सदस्य कहता है कि मैं इसे स्वीकार करता हूं। विचार-विमर्श का यह मतलब नहीं हैं। उनकी समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसका उचित परिणाम होगा ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मुझे प्रसन्नता है कि आप उचित परिणाम का आश्वासन दे रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको मालूम है कि उन्होंने बन्दरगाह-गोदी कर्मचारियों की हड़ताल का फैसला करवाया ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसीलिए मैंने उन मामलों में, जो कि अधिक आलोचनात्मक अथवा गम्भीर नहीं हैं, उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप का अनुरोध किया है । इन मामलों में उनके व्यक्तिगत हस्तक्षेप और रूचि लेने से समस्या हल हो जाएगी ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : प्रबन्धकों द्वारा मजदूरों की समस्याओं के हल के लिए मैं प्रयास करता रहा हूं । मैं इस मामले में भी कुछ करूंगा । आखिरकार, प्रबन्धकों और मजदूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने होंगे । एक संतुष्ट कर्मचारी अच्छा कार्य करेगा । मैं परिणाम को जानता हूं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : धन्यवाद ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : श्री सोमनाथ चटर्जी ने उस मामले के बारे में उल्लेख किया है । वह एक वकील हैं । क्या इसे मैं बता सकता हूं ?

श्री सोमनाथ चटर्जी : आप यह मामला वापस लीजिए । आप इसे अभी वापस लीजिए । आपकी ओर से मैं न्यायालय में जाऊंगा और बताऊंगा कि आप मामले को वापस ले रहे हैं ।

कल ही, वित्त मंत्री जी अपना विचार व्यक्त कर रहे थे कि करों को वसूल नहीं किया जा सकता क्योंकि निजी उद्योगपति और कर प्रबन्धक न्यायालय में जाते हैं और आज्ञप्ति प्राप्त कर लेते हैं । सरकार इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है ? पंचार श्रमिकों के पक्ष में हुआ है । भारतीय नौवहन निगम न्यायालय में जाकर रिट याचिका दायर करता है और स्थगनादेश प्राप्त कर लेता

है। पंचार को लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालयों में कार्य का अत्यधिक भार होने के कारण मामले के निपटान में इसे 7 या 8 अथवा 10 वर्ष भी लग जाएंगे।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यह मेरे ध्यान में लाया गया है। मैं इस मामले पर नौवहन निगम से भी चर्चा कर रहा हूं। इस सम्बन्ध में पर्याप्त कदम उठा रहा हूं। मैं इसकी घोषणा अभी नहीं कर सकता हू। मुझे नौवहन निगम से परामर्श करना पड़ेगा। जिसमें श्रमिकों के प्रति सहानुभूति से विचार किया जाएगा।

जहां तक आगामी नौवहन उद्योग का प्रश्न है, उस संबंध में सम्पूर्ण कार्य का राष्ट्रीकरण करना संभव नहीं है। छठी योजना के लक्ष्य 55 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत क्षेत्र और 45 प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र थे। दुर्भाग्य से, इस लंबी अवधि से अविश्वसनीय मंदा होने के कारण नौवहन उद्योग घाटे में जा रहा है। यह एक दुष्टचक्र है। नौवहन उद्योग में आमतौर पर दो वर्षों तक मंदा रहता है और चार वर्षों तक तेजी रहती है। किन्तु इन 8 वर्षों में 6 वर्ष तक लगातार मंदा रहा है। यह ऐसी बात है जो कि नौवहन उद्योग में न कभी देखी गई और न ही कभी सुनी गई।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि वे लाभ कमा रहे हैं और हिसाब कहीं दिखा रहे। आमतौर पर, मैं इसे स्वीकार कर लेता। किन्तु उद्योग की हालत जानते हुए आज मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वास्तव में यह एक दुखद स्थिति है। सरकार उनकी सहायता करने की कोशिश कर रही है। वर्ष 1982-83 के लिए हमने न केवल ऋणों बल्कि ब्याज के भुगतान में स्थगन की घोषणा पहले ही कर दी है। हमने ऋण का पुनर्निधारण भी किया है। वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के लिए भी हम उनका बचाव के लिए विचार कर रहे हैं।

नौवहन उद्योग निश्चित रूप से अत्यन्त कठिन स्थिति में है।

हमने यह भी घोषण की है कि हम संसद में एक ऐसा विधान प्रस्तुत करने जा रहे हैं कि हम अपने देश से माल के लाने-ले जाने पर 40% का अधिकार प्राप्त करने के लिए एक चार्टर। कोर्ड लागू कर सके। यह कानून बहुत जल्दी लागू होगा।

इस समय नौवहन उद्योग अत्यन्त कठिन स्थिति में है।

सरकार को इसका समर्थन करना है और हमें उनका बचाव करना चाहिए।

सिंधिया का नाम नौवहन उद्योग के साथ बहुत ही भावनात्मक और ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है। माननीय सदस्य ने यह कहा था कि वे अपने 50% जहाजों की छंटनी कर रही है। वास्तव में यह ऐसी बात है कि जिसे हम नहीं ले सकते।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मजदूरों की छंटनी की जाती है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : हम उनकी छंटनी नहीं चाहते है। हम न केवल इसी कम्पनी में उनकी सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे है बल्कि अन्य कंपनियों में भी हम यह ध्यान दे रहे हैं कि उनकी छंटनी न हो। हमें, इस वर्ष और अन्य वर्षों के लिए भी कुछ रियायतों की फिर से घोषणा करके उनकी सहायता करनी हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपका धन्यवाद।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : बहुत से माननीय सदस्यों ने हज की बात की थी। हज में हम केवल यात्रियों को लेकर जाते हैं। यात्रियों का चयन विदेश मन्त्रालय द्वारा किया जाता है।

हमारे पास दो पोत हैं। नूरजहां एक पुराना जहाज है। मैं नहीं जानता कि हमें इसे भी रद्द करना पड़े। (व्यवधान)

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : अकबर काफी अच्छी स्थिति में है। यह अण्डेमान् प्रशासन द्वारा खरीदा गया है और यह उपलब्ध होगा। यदि नूरजहां अच्छी स्थिति में न भी हुआ तो सरकार कुछ और प्रबन्ध करेगी।

एक बार यदि सरकार और नौवहन निगम मिल जाएं तो इससे बेड़े का आधुनिक बनाने में सुविधा होगी। यदि आप विश्व के आधुनिकी बेडों की तरफ ध्यान दे तो आप उन सब को डिब्बानुमा पायेंगे। नौवहन उद्योग ही नहीं अपितु निजी क्षेत्र भी इसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। केवल अब वहीं ऐसा करने के लिए सोच रहे हैं। हमें बेड़े को आधुनिक बनाना ही होगा। इससे हमारे राष्ट्रीकृत नौवहन उद्योग को आधुनिक बनाने में भी सुविधा मिलेगी और बेडों को आधुनिक बनाने में भी सहायता प्राप्त होगी। जब नौवहन उद्योग वित्त की दृष्टि से सुधरेगा तो यह भी स्वभाविक है कि हम यात्रियों के लिए सेवा में भी सुधार सकेंगे।

हज के यात्रियों के लिए सेवा की ओर भी ध्यान दिया जाएगा। अण्डमान-निकोबार-लक्षद्वीप तथा अन्य द्वीपों जैसे दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए इन क्षेत्रों के बीच सेवा बहुत आवश्यक है। देश के मुख्य भाग से उनका संपर्क मुख्य रूप से नौवहन पर निर्भर करता है। कभी-2 श्री गिरधारी लाल व्यास ने भी इस समस्या का उल्लेख किया है। कलकत्ते में भी हमारी कुछ समस्याएं हैं। अचानक ही जहाजों को जाने नहीं दिया गया। काफी देर से मैं देख रहा हूं कि उनका रवैया बदल रहा है। जब भी जहाजों को रोका जाता है। मैं जहाजों को चलाने के लिए सरकार से कहता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने जिस समस्या का उल्लेख किया है। उसका अलग से समाधान किया जाएगा।

मुझे आशा है कि आज के बाद वे जहाजों को अण्डमान् जाने के लिए नहीं रोकेंगे। यदि जहाज रोक दिए गए तो यात्रियों को बहुत असुविधा होगी। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि जहाजों को रोका न जाए।

माननीय सदस्य ने कहा है कि दो महीने पहले उन्हें, जहाज में चढ़ने के लिए, मद्रास जाना पड़ा।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह आपके प्रबन्धकों की प्रतिशोधात्मक कार्यवाही थी। मेरी यूनियन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : कुछ भी हो, यात्रियों को असुविधा नहीं होनी चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कोई भी, मामले में पहल नहीं करता। यही हमारी कठिनाई है। आप तो दिल्ली में हैं। अन्य क्षेत्रों में, कोई भी कार्यवाही करने की पहल नहीं करता।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : माननीय सदस्य इस समस्या की ओर मेरे रवैये को तो जानते हैं। यदि समस्या को मेरे ध्यान में ला दिया जाए। तो यात्रियों को असुविधा पहुंचाने की बजाए समाधान किया जा सकता है।

श्री जेवियर अरकाल चाहते हैं कि सुविधाओं की व्यवस्था की जाए। हमने कोचीन में एक बहुत बडी जहाज बनाने वाली गोदी का निर्माण किया है। आजकल स्थिति क्या है? हमें कोई सख्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। आमतौर पर काम नहीं करने दिया जाता। कोचीन में प्रभु ने हमें इतनी सुन्दर लंगरगाह सुविधा प्रदान की है। उसका उचित रूप से उपयोग ही नहीं हो रहा है। पोतस्थल में मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। लेकिन वहां कोई भी जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि वहां पर अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध कर रहे हैं। बम्बई में एक सूखी गोदी है। मद्रास में एक और सूखी गोदी बननें वाली है। और, यदि निजी क्षेत्र में कोई मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध कराना चाहता है तो हम उनका समर्थन करने को तैयार हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हाल्दिया में जहाजों की मरम्मत सुविधाओं के बारे में आप क्या कहेंगे?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : हाल्दिया के बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कलकत्ता के पुराने पोतस्थलों की मरम्मत हम करने जा रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपने सूखी गोदी सुविधाओं का वचन दिया था।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : यदि कोई सूखी गादी सुविधाएं प्रदान करना चाहता है, तो हम इस पर विचार करने को तैयार हैं।

महोदय, इस संशोधन के पारित होने से तथा भारतीय नौवहन निगम में मिलने से काफी सहायता मिलेगी। यह विश्व का सबसे बड़ा बेड़ा होगा और यह निश्चित है कि इससे देश की

प्रतिष्ठा बड़ेगी और इससे नौवहन उद्योग और यात्रियों के लिए सुविधाओं में भी सुधार आयेगा। आजकल एक या दो जहाज तो अच्छे है परन्तु औरों की हालत अच्छी नहीं है। हो सकता है, इसके बाद हम यात्रियों के लिए आधुनिक जहाजों के बारे में भी सोच सकें। भविष्य में यह बेड़ा एक आधुनिक बेड़ा होगा क्यों—कि नौवहन निगम ने अद्यतन आधुनिक सुविधाओं वाले 60 जहाजों की मांग की है। महोदय, निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच 55.45 का अनुपात रखा जाएगा। सरकार अन्य कम्पनियों को तत्काल राष्ट्रीकृत नहीं कर सकती। वे कठिनाईयों का सामना कर रही है और सरकार उनकी सहायता करने के लिए गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है।

श्री जवियर अराकल : महोदय, यदि हम उचित नौ भार निर्वासन तथा अन्य सेवाएं चाहते है, तो हमें छोटी बन्दरगाहों को विकसित करना होगा। चाहे यह राज्य का यिषय है किन्तु हमने इस बात पर जोर नहीं दिया कि छोटी बन्दरगाहों को कैसे विकसित किया जाए क्यों कि बड़ी बन्दरगाहों पर तो अब भीड़-भाड़ है।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : महोदय, इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा। यह राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। देश के कुछ भागों में यह विचार किया जा रहा है कि छोटी बन्दरगाहों को नदी जल नौवहन प्रणाली के साथ जोड़ दिया जाए। यह भी राय दी गई है कि छोटी बन्दरगाहों को राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत ले लिया जाए। कुछ राज्यों ने तो इस राष्ट्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत लाने के लिए समर्थन दिया है, जब कि कुछ अन्य राज्यों ने इसका विरोध किया है। वे इन्हें अपने पास ही रखना चाहती हैं। परन्तु विचार तो यह करना है कि छोटी बन्दरगाहों को कैसे विकसित किया जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : माननी उपाध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्रेटर निकोबार इन्टर नेशनल पोर्त के हिसाब से कब तक डवलप हो जाएगा? दूसरे, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह के लिए जो आवागमन के साधन हैं कि कलकत्ता से 15 दिन में एक बार सेवा चलती है, वह सेवा एक हफ्ते में कितनी बार भेजने की व्यवस्था करेंगे?

श्री के० विजय भास्सकर रेड्डी : मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि हम पोर्त-ब्लेयर को मंगलौर, पारदीप और कांडला के दर्जे का बनाने की कोशिश कर रहे है किन्तु हमें एक के बाद एक कदम उठाना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में राष्ट्र की पोत परिवहन आवश्यकताओं को और अच्छी तरह पूरा करने के लिए मुगल लाइन लिमिटेड के कतिपय शेयरो के अर्जन और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरंभ करेगी। प्रश्न यह है।
"कि खंड 2 से 8 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिये गये । खंड 1, अधिनियम सूत्र और

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये :

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 तथा राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन)

विधेयक के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा अब राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1984 और इसके साथ राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) विधेयक के निरनुमोदन के लिए सांविधिक संकल्प पर विचार आरम्भ करेगी ।

श्री सूरज भान (अंबाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि-

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल, 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा (संशोधन) (अध्यादेश, 1984) 1984 का अध्यादेश संख्या 5 का निरनुमोदन करती है ।"

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें एक सेंटेंस लिखा है-

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 5 अप्रैल 1984 को प्रख्यापित राष्ट्रीय सुरक्षा संशोधन अध्यादेश 1984(1984 का अध्यादेश संख्या 5) को निरनुमोदन करती है ।"

यह चौथे महीने में पांचवा आर्डिनेंस सरकार का है । उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब के उग्रवादी जान-माल छीन रहे हैं और यह सरकार मानवीय अधिकार छीन रही है । यह अच्छे कार्य के लिए एक बुरा अधिनियम है ।

कहीं भी गलत इस्तेमाल होगा । लेकिन मैं और कुछ चीजें कहना चाहता हूं ।

सरकार ने पंजाब डिस्टर्ब्ड ऐरिया एक्ट-1983 पास करवाया, चंडीगढ़ डिस्टर्ब्ड एरिया एक्ट 1983 पास करवाया, पंजाब स्पेशल पावर एक्ट 1983 पास करवाया, चंडीगढ़ स्पेशल पावर

एक्ट 1983 पास करवाया और अब यह आर्डिनेंस आ गया है। क्या अधिकारों की कमी के कारण पंजाब की हालत बिगड़ रही है? अधिकार तो आपके पास पहले ही बहुत हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे छोटी सी घटना याद आती है। एक आदमी दोनों हाथों में तलवारें, लिए हुए चला जा रहा था। रास्ते में एक दुसरे आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया। उसने कुछ नहीं कहा। तो तीसरे आदमी ने उससे पूछा कि भाई तुमको थप्पड़ मार दिया और तुमने कुछ नहीं कहा? उसने जवाब दिया कि मैं क्या करता। मेरे दोनों हाथ में तलवारें थीं, मेरा हाथ खाली ही नहीं था मैं क्या करता। कितने पावर्स आप और लेना चाहते हैं। इसलिए हाथ खाली रखिए तो अच्छा रहेगा।

ऐसे तो उस आदमी की तरह थप्पड़ खाते रहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : बिना प्रयोग की तलवारें।

श्री सूरजभान : (अम्बाला) उपाध्यक्ष महोदय, आर्डिनेंस के बारे में कांस्टीट्वेंट असंबली में बहस हो रही थी। डा० हृदय नाथ कुंजरू ने आर्डिनेंस के मिस यूज के बारे में अपने ख्यालात जाहिर किए थे। उसका थोड़ा सा पोरशन पढ़कर सुनाता हूं। कुंजरू साहब कहते हैं-

"यह एक बहुत महत्वपुर्ण मामला है जिसे हाल ही में संविधान में पारित किए गए यूरोप के कई देशों द्वारा संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण समझा गया है। अध्यादेश पारित करने की शक्ति कार्य पालिका को कुछ अवधि के लिए कानून पारित करने की शक्ति देने के बराबर है। यदि देश में कोई ऐसी ही आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिस पर अध्यादेश प्रख्यापित करके तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है, तो यह निश्चित रूप से आवश्यक हो जाता है कि जितना जल्दी हो सके, मामले पर विचार करने के लिए संसद को आमंत्रित किया जाए।

उनका भी यही ख्याल था कि पार्लियामेंट को बुला लिया जाए। यहां तो पार्लियामेंट पहले ही है। इसका स्वर्गीय डा० अंबेडकर ने जबाब दिया है। इंडिया एक्ट 1935 में दो क्लासेस थीं। एक जब सेशन न हो तब आर्डिनेंस जारी करने के लिए और दूसरी जब सेशन चल रहा तो, तब आर्डिनेंस जारी करने के संबंध में थी। उसका हवाला देते हुए डा०अम्बेडकर कहते हैं-

"इन अध्यादेशों में से जिनको धारा 43 के अधीन प्रख्यापित करने के लिए महाराज्य-पाल के पास पूरी शक्ति थी, विधान मंण्डल को पूर्णतया निकाल दिया गया था। वह जो चाहे कुछ भी कर सकता अपने विशेष कार्यों को निष्पादित करने के लिए आवश्यक समझता था। अन्य बात यह है कि धारा 43 के अधीन महाराज्य पाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश सत्र के दौरान विधान मण्डल द्वारा भी प्रख्यापित किये जा सकते थे।" तब वे आगे कहते हैं :-

"धारा 43 के उपबन्धों के अधीन उन्हें एक समानान्तर विद्यायनी प्राधिकर प्राप्त था। यह देखा जा सकता है कि वर्तमान अनुच्छेद 102 में वे उपबन्ध विहित नहीं हैं जो भारत सरकार

अधिनियम की धारा 43 में विहित थे। अतः राष्ट्रपति के पास विधान की कोई ऐसी स्वतन्त्र शक्ति नहीं है जैसी शक्तियां धारा 43 के अधीन महाराज्य पाल के पास थीं। जब विधान मण्डल सत्र में होता है तो उसे इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करने का अधिकार नहीं है।

"मैं बहुत ध्यान पूर्वक भाषा का प्रयोग कर रहा हूं। यदि मुझे कहने दिया जाये, यह अनुच्छेद ब्रिटिश आपात शक्तियां अधिनियम, 1920 में विहित उपबंधों को कुछ समतुल्य है। उस अधिनियम के अधीन भी सम्राट को उद्घोषणा जारी करने का अधिकार है,। और जब उद्घोषणा जारी की जाती थी, तो किसी भी मामले से निबटने के लिए कार्य पालिका को विनियम जारी करने का अधिकार होता था और जब संसद सत्र में नहीं होती थी, तब भी ऐसा करने का अधिकार होता था। सभा से मेरा निवेदन है कि, ऐसे मामलों की कल्पना करना कठिन नहीं है जब कि किसी विशेष समय पर विद्यमान सामान्य कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियां किसी ऐसी स्थिति जो अचानक और तत्काल उत्पन्न हो जाती है, उसे निबटाने के लिए वह कानून पर्याप्त न हो तब कार्यपालिका क्या कर सकती है? कार्यपालिका के लिये एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है जिससे उसे निपटना ही है। यह निश्चित है कि वर्तमान विधि संहिता के अधीन स्थिति से निबटने के लिये शक्ति नहीं है। आपात स्थिति से निबटारा तो करना ही होगा और मुझे ऐसा लगता है कि इसका केवल एक ही समाधान है और वह यह कि राष्ट्रपति को एक कानून प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदत्त की जाए। और वह कानून सामान्य विधि प्रकिया को नहीं अपना सकता क्यों कि इस सन्दर्भ में यह निश्चित होगा अर्थात विधान मण्डल फिर सत्र में नहीं होगी। इस लिए मुझे लगता है कि अनुच्छेद 102 में विहित उपबन्धों पर मुख्य रूप से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

23 मार्च को राज्य सभा का सैशन इस महीने की 23 तारीख तक के लिए एडजान हुआ। पांच तारीख को आपने आर्डिनेंस जारी कर दिया। 23 मार्च से 5 अप्रैल तक जो के दर्म्यान 11-12 दिनों में जो घटनाएं हुई उनमें से दो घटनाएं मुझे याद हैं। एक स्वर्गीय श्री हरबंस लाल खन्ना, भारतीय जनता पार्टी के लीडर, जिनको गोली से अमृतसर में उड़ा दिया गया और उनके अगले ही दिन स्वर्गीय श्री वि०एन० तिवारी, राज्य सभा के मदस्य थे, उनको भी गोली से उड़ा दिया गया। अगर यह दोनों कारण इस आर्डिनेंस के लिए जिम्मेदार हैं, तो मैं इसको गलत समझता हूं। यह तो मर्डर केसेज हैं। इस आर्डिनेंस की जरूरत है? कौन से हालात थे, जिनके कारण आर्डिनेंस लाना पड़ा। अगर कुछ केसेज ऐसे थे, जिनकी पांच या छह अप्रैल को मियाद खत्म हो रही थी और आप छह महीने बढ़ाना चाहते थे, तब तो ठीक था। इस बारे में आप मार्च के दूसरे सप्ताह में भी सोच सकते थे। और पार्लियामैन्ट से बिल पास करा सकते थे यह तो पहले से पता था कि मियाद कब खत्म होनी है? आर्डिनेंस जारी करने की आदत पड गई है। एक वजह यह भी है कि राज्य सभा का सैशन नहीं था इसलिए हम क्या करते? लेकिन, प्रिसिडेंट्स मौजूद हैं। पांच तारीख को इसकी कापियां यहां पर रखी गई और चार तारीख को सेठी साहब पंजाब के इश्यू पर डिवेज का जबाब दे रहे थे।

"गृह मंत्रालय के स्रोतों अनुसार, राष्ट्रपति, श्री जैल सिंह ने अध्यादेश पर बुधवार को

जब कि लोक सभा पंजाब की स्थिति पर विचार विमर्श कर रही थी, हस्ताक्षर तो कर दिये थे, किन्तु इसे सरकार द्वारा बृहस्पतिवार को जारी किया गया था। गृह मंत्री श्री पी.सी सेठी, वाद-विवाद का संक्षिप्त उत्तर देते समय अध्यादेश को सभा पटल पर रखना शायद भूल गए थे। अब बुधवार 4 अप्रैल को था और बृहस्पतिवार 5 अप्रैल को था।"

4 तारीख को ही क्यों नहीं बता दिया गया कि हम ऐसा कोई कदम उठाने जा रहे हैं। यह केवल मेरी ही जानकारी नहीं है, अखबारों में भी छप चुका है, इण्डियन एक्सप्रेस के प्रथम पृष्ठ पर श्री जी०एस चावला लिखते हैं-

लेकिन आपने इसको कन्ट्राडिक्ट नहीं किया। यदि आप यह कहते हैं कि हमने चार तारीख को आर्डिनेंस नहीं जारी किया तो मैं चाहता हूं कि प्रेजीडैन्ट महोदय ने जो ओरीजिनल आर्डर साइन किया है, उसको लोकसभा के टेबल पर रखा जाए। वह डैफिनिटली चार तारीख को साइन किया गया है, लेकिन आप पार्लियामेंट में उस को लाकर डिबेट नहीं चाहते थे, हाउस को कान्फीडैंस में नहीं लेना चाहते थे। किन कारणवश आप 4 तारीख को सदन के सामने रखने में असमर्थ रहे। मेरी जानकारी के अनुसार दिन के समय, डिबेट का जवाब आने से पहले राष्ट्रपति जीं के उस पर हस्तक्षर हुए। आपने क्यों इस हाउस को अंधेरे में रखा, गुमराह किया, मैं आपसे स्पष्ट जवाब चाहता हूं। यदि आप कहते हैं कि राज्यसभा सैशन में नहीं थी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, 1956 में त्रैवेनकोर एण्ड कोचिन एप्रोप्रिएशन बिल, 1956 को लोकसभा ने 29 मार्च, 1956 को पास कर दिया, उस समय भी राज्य सभा सैशन में नहीं थी। उसका 31 मार्च से पहले दोनों सदनों में पास होना जरूरी था, इसलिए 31 मार्च को राष्ट्रपति जी के द्वारा आर्डिनैंस जारी किया गया ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके। उसके बाद 16 अप्रैल, 1956 को जब राज्य सभा का सत्र हुआ तो राज्य सभा ने भी उसको पास किया। क्या आप उसी तरह से यहाँ नहीं कर सकते थे। ऐसे एक नहीं कई इंसटांस हैं। ऐसे ही कीमिनल ला अमैंडमैंट् बिल 1955 के सम्बन्ध में भी हुआ, दिल्ली टैक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनेलाइजेशन बिल 1970 में भी ऐसा ही हुआ युनिवर्सिटी बिल आर्डिनैंस 1970 में भी इसी तरह हुआ/यदि उस वक्त हो सकता था तो आप अब नहीं कर सकते थे। लोक सभा से बिल पास करवा लेते, उसके बाद एक आर्डिनैंस जारी कर दिया जाता। फिर आर्डिनैंस जारी करने की जरुरत भी नहीं थी, क्यों कि राज्यसभा प्रोरोग नहीं हुई थी, उसका सैशन एमजैंट बेसिस पर बुलाया जा सकता था। यदि आप इसको इतना जरूरी समझ रहे थे तो लोकसभा से पास करवाने के बाद, राज्यसभा का सत्र बुलाकर, दो-तीन दिन में वहां से भी पास करवा सकते थे। यदि पौसिबल नहीं था तो उसी तरीके को अडौप्ट किया जा सकता था जो 1956 में किया गया था। मैं समझता हूं कि उसके पीछे दो ही कारण थे। उपाध्यक्ष महोदय, या तो इनकी मंशा हाउस का इंसल्ट करने की थी, कन्टैम्प्ट आफ दी पाउस की थी या ये कन्फयूज्ड थे टोटली। दोनों में से कोई रीजन जरूर रहा होगा। या तो आप दिलो-दिमाग से पार्लियामेंट की इज्जत नहीं चाहते थे अथवा कन्फ्यूज्ड थे, आपको पता ही नहीं कि क्या करना है। आपने जो स्टेटमैंट दिया है, उसमें से मैं यहां एक वाक्य कोट करना चाहता हूं क्यों कि इस आर्डिनैंस की वजह भी है। आप कहते हैं कि

333

"उन्होंने एकत्रित भीड विस्फोटकों का प्रयोग किया है। लडाकू नेता अपने अनुयाईयों को आंतकवादी तरीके अपनाने के लिए उक्सा रहे थे"

आप बताईये कि ये मिलिटैंट लीडर्स कौन हैं, उनके लीडर कौन हैं। आज मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि आपकी बैंचों से सिर्फ एक माननीय सदस्य हैं-श्री जैनुल बशर ऐसे हैं जो हिम्मत के साथ उनका नाम लेते हैं कि भिण्डरांवाले को गिरफ्तार करो, आप तो कोई उनका नाम भी नहीं लेते क्यों कि हमारे यहां कुछ रिवाज ऐसा है कि किसी का नाम नहीं लिया जाता। आखिर किस कारणवश आप उनका नाम भी नहीं लेना चाहते कि वह मिलिटैंट लीडर कौन हैं। मैं आपसे सीधे-सीधे पूछना चाहता हूं कि आप साफ क्यों नहीं बताते, क्यों कि आपकी जिम्मेदारी है आप सरकार में है। यहां मूझे उर्दू का एक शेर याद आ गया।

"तेरे रहते लुटा चमन बाग वां,

कैसे मानूं कि तेरा इशारा नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरजभान आप शायद कुछ और समय लेंगे। आप हैं। अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं। सभा अब कल 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित होती है।

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 25 अप्रैल 1984/5 बैसाख 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।